राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का बत्तीसवां दिवस [संख्या : 21

शुक्रवार

31 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

वन सीमा पर बसे ग्रामों हेतु सड़क सुविधाएं

328. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन सीमा पर स्थित ग्रामवासियों के लिए बुनियादी विकास सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक हैक्टेयर से कम वन भूमि की आवश्यकता पड़ने पर उपयोग की अनुमति दी गई है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी व किस प्रयोजनार्थ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 250 की आबादी वाली ढाणियों को बुनियादी सुविधा सड़क मार्ग से जोड़ने में आने वाले वन क्षेत्रों में सड़कें बनाने की अनुमति (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) इस आधार पर दी जा सकेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) भारत सरकार द्वारा 1 हैक्टेयर से कम वन भूमि को निर्धारित शर्तों पर राज्य सरकार को प्रत्यावर्तन करने को अधिकृत किया है। राज्य सरकार द्वारा तीन प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा 11 प्रकार की गतिविधियों संबंधी प्रस्तावों हेतु अधिकृत किया है जिसमें सड़क बनाने की योजनाएं सम्मिलित नहीं होने से सड़क बनाने की अनुमति दिया जाना राज्य सरकार के स्तर से संभव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या वन सीमा में बुनियादी सुविधा विकास हेतु व पीएमजीएसवाई के नियमानुसार भूमि प्राप्ति के लिए आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी जा सकी?

दूसरा क्या वन सीमा में एनीकट बनाने की अनुमति दी गई है? यदि नहीं तो जो एनीकट बने हैं वे किस आधार पर बिना अनुमति बने हैं तथा अब क्या कार्यवाही की जाएगी?

तीसरा, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को किन-किन गतिविधियों हेतु वन भूमि आबंटन का अधिकार दिया गया है व केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें क्या हैं?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में वन भूमि को डिरिजर्वेशन का अधिकार वन अधिनियम, 1980 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को है। राज्य में विकास कार्यों एवं बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने गैर वानिकी उपयोग हेतु कुछ शर्तों के आधार पर एक हैक्टेयर से कम भूमि के उपयोग हेतु राज्य सरकार को अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, बिजली व दूरसंचार की लाइनें, पेयजल, जल वर्षा, जल हार्वेस्टिंग की संरचनाएं, लघु सिंचाई, नहर, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत उप केन्द्र, संचार पोस्ट, संवेदनशील थाने पर पुलिस स्टेशन आउटपोस्ट, बोर्डर आउटपोस्ट और वाच टावर आदि हैं। सड़क के संबंध में वन भूमि के अनारक्षण हेतु अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। माननीय सदस्य ने पीएमजीएसवाई सड़क के बारे में पूछा है। राज्य सरकार के पास 50 प्रस्ताव पीएमजीएसवाई के तहत आये थे उनमें से दो प्रस्ताव सही होने पर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं और 48 प्रस्ताव हैं उनमें कुछ क्वेरीज थीं जो चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी को भेजे गये हैं।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

क्वेरी कम्पलीट होने के बाद इन प्रस्तावों को पीएमजीएसवाई योजना में स्वीकृति हेतु गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को भेजा जाएगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिना अनुमति वन भूमि पर आबादी बस गई है अथवा अन्य किसी उपयोग में ले ली गई है उसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या करेंगे?

दूसरा, क्या वन भूमि में जो आबादी बस गई है? उनको बिजली, पानी की सुविधा भी दे दी गई है? वह किसकी अनुमति से मिली? और मिल गई है तो क्या उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा?

तीसरा, सरकारी धन से भी वन भूमि में कुछ भवन बने हैं वे किस कारण से बन पाये?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जो एनीकट्स बने हैं, वन भूमि में कई एनीकट्स एनजीओज् ने बनाये हैं, तो क्या उसके लिए अनुमति दी गई है? नहीं दी गई है तो वे किस आधार पर बना दिये गये?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो आप जनरल और वेग सवाल पूछ रहे हैं। प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, बिलकुल संबंधित सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, वन भूमि में आबादी बस गई है वो किस आधार पर बस गई?

श्री उपाध्यक्ष: वन मंत्रीजी कोई पूरा थोड़े ही ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आबादी बस गई, आज भी एनजीओज् अभी भी एनीकट बना रहे हैं। तो क्या इनकी जानकारी है और बना रहे हैं तो अनुमति ली गई है, यह इन्होंने दर्शाया नहीं है।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व रिकार्ड में लगभग 500-700 वर्ष पुराने जो गांव हैं, जो गांव रेवेन्यू रिकार्ड में हैं और वन विभाग के रिकार्ड में दर्ज हुए हैं वे 50, 40 या 20 वर्ष पहले का वन विभाग का रिकार्ड है। ऐसे गांव 500 वर्ष पुरानी आबादी के गांव हैं, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में किशनगढ़बास में 10

(श्री जयराम जाटव)

करोड़ की मार्केटिंग बोर्ड से एक रोड स्वीकृत हुई श्यामाका से राता खुर्द और उसमें 400-500 मीटर रहने पर वन विभाग ने कहा यह हमारी जमीन है और इसको रोक दीजिए। वह सारी सड़क अधूरी पड़ी है। माननीय मंत्री महोदय, इसमें मेरा निवेदन है जो 400-500 मीटर सड़क रह गई, बाकी सड़क दोनों तरफ से बन गई उस सड़क को बनवाने के लिए आप अपनी तरफ से मुझे आश्वस्त करेंगे क्योंकि वो गांव 500 वर्ष पुराने हैं, वन विभाग का रिकार्ड है 20-30 वर्ष पहले का है इससे पहले रिकार्ड उठाकर देख लें राजस्व रिकार्ड में वन भूमि कहीं पहले नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है कि आज भी एनीकट बन रहे हैं ..(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरा तो पूरा हो जाए, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। आज भी राजीव गांधी फाउंडेशन एनीकट वन भूमि में बना रहा है तो क्या उसके लिए अनुमति दी गई है और नहीं दी गई है तो वे किस प्रकार से बना रहे हैं?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, अभी ठहरो। पहले आप करें।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न वन भूमि में सड़कों का है। मैं माननीय वन मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या कोटा बाइपास जो चम्बल अभ्यारण्य में से होकर निकलेगा उसकी अनुमति वन विभाग ने उसकी सिफारिश केन्द्र सरकार को की है बाइपास बनाने की? पहला प्रश्न तो यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि अगर उसकी अनुमति प्रदान की है तो क्या कारण है कि कोटा में कोटा से मण्डावरा चम्बल पुल के यहां पर वन भूमि में सड़क बन रही है, एक करोड़ 10 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं पीडब्ल्यूडी से मिसिंग लिंक योजना के तहत, जहां आपने वन भूमि में कोटा बाइपास बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। आपने मण्डावरा के ऊपर जो रास्ता मिसिंग लिंक का 1 करोड़ 10 लाख से बना रहे हैं उसकी अनुमति क्यों नहीं प्रदान की? .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब आने दीजिए। ..(व्यवधान) ज्यादा हो जाएंगे, पहले जवाब आने दें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): एक प्रश्न पूछूंगा, साथ में जवाब दे देंगे माननीय मंत्री महोदय। 40 साल पहले जो जमीन राजस्व की थी काश्तकारों के नाम परिवर्तन हो गई, जिसके ऊपर लगातार आज भी खेती कर रहे हैं। बीच में अधिसूचना जारी करके उनको वन विभाग के नाम दर्ज कर दी और उनके खातेदारी अधिकार निरस्त कर दिये। इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है? ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब आने दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को एक जानकारी देना चाहूंगा नेशनल पार्क सेंक्चुरी एरिया के अंदर अगर कोई प्रस्ताव यूजर एजेन्सी के द्वारा राजस्थान सरकार को भेजे जाते हैं उनका परीक्षण कर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को ये प्रस्ताव भेजे जाते हैं और भारत सरकार इसकी स्वीकृति के पहले स्टेट वाइल्ड लाइफ की एनओसी और सेंट्रल वाइल्ड लाइफ की एनओसी और सुप्रीम कोर्ट की परमिशन प्राप्त कर बाद में इसकी स्वीकृति जारी की जाती है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने वन भूमि में आबादी की बात की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है और वास्तव में जोधपुर है, जयपुर है ऐसे कई स्थान हैं जिन स्थानों पर आबादी बढ़ने के कारण वहां पर लोगों ने वन भूमि के अंदर मकान बना दिये, वहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वे सुविधाएं उपलब्ध करा दीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विभाग के द्वारा इसका पूरा सर्वेक्षण कर, पूरी जानकारी कर इसको किस हिसाब से डिनोटिफाई अगर करना हो तो डिनोटिफाइड के आधार पर और भारत सरकार ने एक एनपीपी, नेट प्रजेंट वैल्यू जो दर निर्धारित की है और एक कमेटी कांस्टीट्यूट की है उसमें एक हैक्टेयर पर 5.80 लाख रुपये मिनिमम और 9.20 लाख रुपये मैक्सिमम यह दर तय की गई है और उस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आएगी तो यह कास्ट निर्धारित की गई है यह निर्धारित कास्ट देने के बाद में इस नैट प्रजेंट वैल्यू देने के बाद में इस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। वास्तव में यह एक गंभीर प्रश्न है, राजस्थान में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, ऐसे अधिकांश स्थानों पर

श्री उपाध्यक्ष: पूरे राजस्थान में है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): लोगों ने आबादी बना दी है। नाथद्वारा में है, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया है तो इनका पूरा सर्वेक्षण कर इसको किस प्रकार से नैट प्रजेंट वैल्यू के आधार पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया को प्रस्ताव भेजे जाएंगे और प्रस्ताव भेजने के बाद में वहां पर स्वीकृति आने के बाद में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अनुत्तरित है अभी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने परमीशन दी थी। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक मिनट, मेरा तो प्रश्न अभी अनुत्तरित है, खारची विधान सभा क्षेत्र की वन भूमि में भीलबेरी के पास में एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, सरकारी धन से, मेरा प्रश्न वेग प्रश्न नहीं है उसके लिए अनुमति दी गई है कि नहीं दी गई है। यह बताएं कृपया और इसमें मैंने जितने भी प्रश्न किये हैं, सारे संबंधित प्रश्न हैं, उपाध्यक्ष महोदय। आपने मुझे कहा न कि वेग प्रश्न है, वेग कोई भी नहीं, आप मुझे बताएं कृपया कि कौन सा वेग प्रश्न था। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): खारची विधान सभा क्षेत्र में भीलबेरी के पास में बहुत बड़ा भवन सरकारी धन से बनाया गया था, पूर्व वन मंत्री ने वह भवन बनवाया था तो उसके लिए क्या अनुमति ली गई राज्य सरकार से या केन्द्र सरकार से उसके लिए बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इसी से संबंधित है उपाध्यक्ष महोदय! ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खारची में एक सड़क निर्माणाधीन है और वन सैंक्चुरी में उसी की, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना अलग से दे दें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): वह डब्ल्यूबीएम सड़क बनी हुई है

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

और मात्र एक किलोमीटर डामरीकरण के लिए उसको रोक दी गई है और उसके आगे मन्दिर बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं उसको नहीं रोका गया। डब्ल्यूबीएम सड़क बनी हुई है तो उसको रोक दी। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उसको स्वीकृति प्रदान करें और उपाध्यक्ष महोदय, एक मंत्री महोदय उत्तर देंगे लेकिन मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, अभी सुमेरपुर से आने वाले सदस्य ने जो बात कही है राजीव गांधी फाउण्डेशन की कि राजीव गांधी फाउण्डेशन का कार्य, मैं राजस्थान का कोर्डिनेटर हूं और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वन विभाग के ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, किसी प्रकार का कोई एनीकट निर्माण नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जवाब मंत्रीजी दे देंगे। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप कोर्डिनेटर हैं वह ठीक है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अजमेर जिले में सराधना ग्राम की वन भूमि में पी.एच.ई.डी. विभाग एक ट्यूबवैल खोद रहा था जिसे आपने रूकवा दिया, वहां पानी की दिक्कत है तो क्या आपका विभाग उसकी परमीशन देने की मंशा रखता है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसका जवाब नहीं देंगे मंत्रीजी, यह स्पेसिफिक है आपका सराधना से संबंधित। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, उस सड़क की स्वीकृति प्रदान कर दें। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हमारा इसी से संबंधित था, साहब।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़क का सवाल था उसका उत्तर तो मेरे पास आया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क की जहां तक बात है 31.8.1991 ऐसे वन क्षेत्र में जो वर्तमान में प्रस्ताव सड़क को पक्का अथवा डामर करने के लिए सुधार किया जाना था प्रस्तावित था, सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती थी, 24.9.2004 के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अनुसार जो 1980 के पूर्व जो सड़कों की मरम्मत और ब्लेक डोपिंग की सशर्त स्वीकृति जारी की जाती थी 30 अप्रैल, 2005 को जो 1981 के पूर्व कच्चे अथवा निम्न शर्तोंधीन पक्का किये जाने की अनुमति प्रदान करने की जो शर्तें रखी हैं उसमें मैन एनवायरमेंट की क्लियरेंस लेना नितांत आवश्यक है। दूसरा, संरक्षित क्षेत्र जैसे राजस्थान उद्यान अभ्यारण्य और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति नितांत आवश्यक है, डामरीकरण के लिए आग पेड़ों एवं वनस्पति से सुरक्षित दूरी पर जलाई जाएगी, ये शर्तें हैं, इस प्रकार की जो शर्तें हैं गवर्नमेंट आफ इण्डिया में ले डाउन कर रखी हैं, राज्य सरकार इन शर्तों की जो पूर्ति करेगा उनको अपनी स्वीकृति प्रदान की जाएगी और पीएमजीवाई के जो 50 प्रस्ताव थे उसमें से दो गवर्नमेंट आफ इण्डिया को भेजे गये हैं, सड़कों के और 48 प्रस्ताव हैं जिनमें क्वेरीज कम्पलीट होने के बाद राजस्थान सरकार की तरफ से गवर्नमेंट आफ इण्डिया को भेजे जाएंगे।

माननीय सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एनीकट की चर्चा की, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के वन्य संरक्षण अधिनियम, 1980 में भाग दो के तहत जिन कंडीशन के आधार पर जो सामुदायिक व्यवस्थाओं के लिए, डवलपमेंट के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए जो राज्य सरकार का एक हैक्टेयर से कम भूमि के लिए जो अधिकृत किया है उसमें स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बिजली और दूरसंचार की लाइनें हैं, पेयजल की, जल वर्षा और हार्वेस्टिंग की व्यवस्थाओं पर लघु सिंचाई की योजनाएं हैं और जो सिंचाई के बड़े प्रस्ताव हैं जो 1980 के बाद के हैं प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आते हैं तो राज्य सरकार उसकी जो क्वेरीज कम्पलीट होने के बाद उनके प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया को प्रस्तावित करते हैं। आपके जो एनीकट जिसकी आपने चर्चा की है यह किसमें है, इस आधार पर अगर वन क्षेत्र में है और अगर इसकी स्वीकृति नहीं ली गई तो मैं इसकी जांच करा दूंगा बाकी इर्रिगेशन विभाग ने निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति लेकर ही यह कार्य करवाया होगा निश्चित रूप से मेरे को ऐसा लगता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक भीलबेरी वाला रह गया, अनुत्तरित रह गया, सरकारी धन खर्च किया गया, भवन बनाया हुआ है और खारची विधान सभा में ऐसे और भी कई भवन बने हुए हैं वन भूमि के अन्दर तो उसके लिए

(श्री मदन राठौड़)

क्या अनुमति ली गई है या नहीं ली गई तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने वाले हैं?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, डा. चन्द्रशेखर बैद। ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह आपका इससे संबंधित नहीं है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): एक छोटा सा सवाल है। (व्यवधान) जंगल का मामला है और सारे आदिवासी इस समस्या से त्रस्त हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, हाउस में कई बार चर्चा हो चुकी है, यह पूरे राजस्थान की समस्या है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): और ज्यादातर आदिवासी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आदिवासी का मामला अभी इस प्रश्न में नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि 40 वर्ष से जो भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी परन्तु समय-समय पर सैटलमेंट होते रहे, राजस्व भूमि वन विभाग में दर्ज हो गई है, क्या आप पुनः उसको रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कराने का विचार रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप स्पेसिफिक बताएं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भूमि वन भूमि है उसको तो राजस्व रिकार्ड में कराने का प्रश्न ही नहीं उठता, जो फोरेस्ट की भूमि है और जो फोरेस्ट की भूमि अभी तक है उसका अमलदरामद नहीं हुआ है तो मैंने कुछ समय पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रेवेन्यू के डिवीजनल कमिशनर तमाम सभी लोगों की एक मीटिंग आयोजित की थी और उनको स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जहां पर राजस्थान में वन भूमि है जिनका अमलदरामद नहीं हुआ है टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के आधार पर उनका अमलदरामद कराया जाए।

श्री उपाध्यक्षः डा. चन्द्रशेखर बैद।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं दूसरी बात कर रहा हूं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): रेवेन्यू भूमि को आपके वन विभाग में दर्ज करने का कहां से आ गया ? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 40 साल किसान को अलाट हो गई, रेवेन्यू की जमीन है जिसको खातेदारी के अधिकार मिल गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): 40 साल पहले आबंटित हो गई, खातेदारी अधिकार मिल गये, 40 साल से बैठे हैं, आपने वह अधिसूचित करके वन विभाग में दर्ज कर दिया, गंभीर मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों केस हैं।

श्री उपाध्यक्षः पूरे राजस्थान की समस्या है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मंत्रीजी क्या कहना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह बहुत बड़ा मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, यह तो राजस्थान की समस्या है, इसमें इस प्रश्न के जरिये ज्यादा विस्तार से बात नहीं होगी।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): राजस्व रिकार्ड है उनके पास पट्टे हैं और वन विभाग में दर्ज हो गई, यह तो मंत्रीजी के बस का मामला है।

श्री उपाध्यक्षः आप स्पेसिफिक लिख कर दीजिए, कार्यवाही होगी नियमानुसार। डा. चन्द्रशेखर बैद।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मंत्रीजी, जवाब तो दें।

सिरोही जिले की सहकारी समितियों का निरीक्षण

329. **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान राज्य में समितियों के ऑडिट निरीक्षण विभाग के पर्यवेक्षकों द्वारा ही किया जाता है ? यदि हां, तो निरीक्षण हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं तथा किन-किन तरह की समितियों में निरीक्षण आवश्यक हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

(2) वर्तमान में कितने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी एवं गबन के प्रकरण जांच प्रक्रियाधीन है ? कितने प्रकरणों में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा कितने प्रकरणों में किन-किन अधिकारी/कर्मचारी को दोषी करार देकर राज्य कोष में कितनी राजस्व वसूली की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समिति खाम्बल एवं भीलबड़ाबास शाखा सिरोही एवं रेवदर का निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब एवं किस किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त शाखाओं के निरीक्षण में पर्यवेक्षक रेवदर शाखा, खाम्बल एवं भीलबड़ावास समिति के व्यवस्थापक के द्वारा मिली भगत एवं सहभागिता से लाखों के गबन का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी जांच हो चुकी है तथा जांच के क्या परिणाम रहे तथा दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण मय जांच प्रतिवेदन के सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

330. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है ए.पी.एल. का गेहूं/चावल राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत जनवरी, 2005 से अब तक राज्य में कितना गेहूं/चावल वितरित किया गया ? माहवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ए.पी.एल. से मिलने वाले गेहूं/चावल प्राप्त करने हेतु जनवरी, 2005 के पश्चात् राज्य सरकार व केन्द्र सरकार/एफ.सी.आई. के मध्य हुए पत्राचार की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) ए.पी.एल. का गेहूं/चावल सुचारू मात्रा में समय पर वितरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा) : (1) जी हां। यह सही है कि राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए. पी. एल. परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं और चावल) वितरित किया जाता है।

राज्य में जनवरी, 2005 से मार्च, 2006 तक ए पी एल परिवारों को वितरण हेतु 2,82,663 मैट्रिक टन गेहूं और 190 मैट्रिक टन चावल उठाया गया है। जिलेवार माहवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) ए पी एल राशन कार्ड धारकों द्वारा गेहूं की बढ़ती मांग, विशेष रूप से नवम्बर व दिसम्बर, 2005 के पश्चात्, को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क एवं पत्राचार किया गया है। मुख्य-मुख्य पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-2 के अनुसार प्रस्तुत हैं।

(3) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा खाद्यान्न आबंटित किया जाता है एवं भारतीय खाद्य निगम (भारत सरकार के उपक्रम) द्वारा जिलों को रिलीज किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारत सरकार की योजना है, अतः इस योजना में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था राज्य स्तर पर अपेक्षित नहीं है।

सामान्यतः ए पी एल श्रेणी में आबंटन की तुलना में खाद्यान्न की मांग अथवा उठाव बहुत सीमित होता है। किन्तु नवम्बर-दिसम्बर, 2005 से खुले बाजार में गेहूं के भाव बढ़ने के कारण ए पी एल परिवारों द्वारा भी गेहूं की मांग की जाने लगी। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न, विशेष रूप से ए पी एल गेहूं उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर चर्चा व पत्राचार किया गया। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वास्तविक मांग के अनुसार ए पी एल गेहूं रिलीज करे।

इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम की परिवहन व्यवस्था में भी माह नवम्बर-दिसम्बर, 2005 से गतिरोध आया एवं जिससे भारतीय खाद्य निगम डिपो पर खाद्यान्न उपलब्धता में व्यवधान हुआ। इसके फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, राजसमन्द और उदयपुर जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

निगम से भी उनके जयपुर प्रवास दिनांक 28.01.2006 के दौरान चर्चा की गई। उनके निर्देशानुसार परिवहन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए व परिवहन दरें तय करने हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत कराया गया। इसके साथ ही परिवहन गतिरोध के कारण, आबंटित खाद्यान्नों को उठाव करने की निर्धारित अन्तिम तिथि भी बढ़वाई गई।

ए पी एल राशन कार्ड धारकों को मांग के अनुसार खाद्यान्न रिलीज हो, इस हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने खण्ड-1 में जो लिखा है कि जो परिशिष्ट-ए में गेहूं का दिया है कि 28,62,638 मैट्रिक टन आबंटन किया गया और आपने 2,82,663 इसका ऑफटेक किया। इसका मतलब आपने सिर्फ 9.87 प्रतिशत का उठाव किया। इसी प्रकार इसके आगे जो सूची आपने संलग्न की है जनवरी, 2005 से लेकर मार्च, 2006 तक की जिसमें हर माह के अन्दर आपने 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 6 प्रतिशत उठाव किया है और इस प्रकार 15 में से 12 महीनों में आपने 15 प्रतिशत से कम उठाव किया है। आपने खण्ड तीन में बताया कि नवम्बर-दिसम्बर, 2005 में गतिरोध आया तो गतिरोध तो जनवरी, 2005 से ही चल रहा था। आपको जितना आबंटन हुआ उसका आप 15 प्रतिशत से कम उठा रहे थे।

दूसरी बात, इसके अलावा जो गेहूं का आबंटन आपको विभिन्न दूसरी योजनाओं में किया गया, लाइक मिड-डे मील के अन्दर किया गया, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस एण्ड हास्टल में किया गया, आपको नेशनल फूड फोर वर्क प्रोग्राम के अन्दर आबंटन किया गया उनके अन्दर भी आपने सिर्फ 64 प्रतिशत उठाया है दिसम्बर तक।

तीसरा, जो माननीय मुख्य मंत्री का पत्र आपने साथ में संलग्न किया है, इसमें लिखा है कि अन्त्योदय अन्न योजना, बी पी एल, ए पी एल, इसमें आपने मिड-डे मील का जिक्र नहीं किया। मिड-डे मील का पूरे साल के अन्दर आपने 60 प्रतिशत उठाया, 50 प्रतिशत उठाया। मिड-डे मील का जिक्र नहीं है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस एण्ड हास्टल जो कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के होते हैं उनका जिक्र नहीं है, नेशनल फूड फोर वर्क प्रोग्राम का जिक्र

(श्री चन्द्रशेखर बैद)

नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट योजना अन्नपूर्णा योजना का जिक्र नहीं है, इसका आप जवाब दें मंत्री महोदय।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने जो लास्ट में पूछा है, मिड-डे मील, सोशल वेलफेयर स्कीम, अन्नपूर्णा और दूसरी स्कीम्स हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वो इससे रिलेटेड नहीं हैं। आपने केवल ए पी एल का पूछा है तो मैं ए पी एल की जानकारी दूं। ए पी एल में आपने जो यह बात उठाई है कि आपका एलोकेशन इतना है, अगस्त से पहले राजस्थान सरकार का एलोकेशन 2,82,663 मैट्रिक टन था और अगस्त के बाद 1,61,219 मैट्रिक टन एलोकेशन हो गया। उपाध्यक्ष महोदय जो 1,61,219 हमारा हुआ है इसमें उसके अगेंस्ट में नवम्बर, 2005 में 33228 मैट्रिक टन गेहूं रिलीज हुआ। माननीय सदस्य, एलोकेशन तो उन्होंने पेपर्स में पूरा कर दिया लेकिन रिलीज हमें पूरा नहीं हुआ। इसका मैं मंथवाइज रिलीज आपको बता देता हूं कि नवम्बर में 33228 रिलीज हुआ, दिसम्बर में 12815 रिलीज हुआ, जनवरी में 2129 रिलीज हुआ और फरवरी में 1595 रिलीज हुआ। अलॉटमेंट की तुलना में रिलीज बहुत कम हुआ है। एफ सी आई के गोदाम में गेहूं था ही नहीं और जैसे ही नवम्बर-दिसम्बर महीने में मार्केट में गेहूं का भाव बढ़ गया तो गेहूं की डिमांड बढ़ गई और गेहूं की डिमांड बढ़ने के कारण एफ सी आई ने भी थोड़ी सख्ती बरती और जिस मात्रा में गेहूं हमको मिलना चाहिए था उस मात्रा में गेहूं हमको नहीं मिला। एफ सी आई के गोदाम में स्टॉक भी कम था। अगर आप देखोगे तो एक तरफ मैंने स्टॉक भी लिख रखे हैं और स्टॉक आप चूरू का ही देख लो चूरू में 9582 का स्टॉक था जबकि इससे तीन गुना स्टॉक हमको मिलना चाहिए था जब हम चूरू को गेहूं सप्लाई कर सकते थे। इसलिए इसका सबसे बड़ा कारण यह है। आपने जो पर्सेंटेज दर्शायी है कि आपने ऑफटेक नहीं किया। यह सही है कि हमने जनवरी में 16 प्रतिशत किया, फरवरी में 16.84 प्रतिशत किया, मार्च में 12.38 प्रतिशत किया, अप्रैल में 2.20 प्रतिशत किया, मई में 6.19 प्रतिशत किया, जून में 8.61 प्रतिशत किया, जुलाई में 7.47 प्रतिशत किया, अगस्त में 7.75 हो गया, सितम्बर में 12.64 हो गया, अक्टूबर में 13.97 प्रतिशत हो गया, नवम्बर में 20.40 प्रतिशत हो गया लेकिन दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में यह फिर कम हो गया। दिसम्बर में 7.76 प्रतिशत पर आ गया, जनवरी में 0.58 प्रतिशत पर आ गया, फरवरी में

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

14.52 प्रतिशत हो गया और मार्च में और भी कम चला गया। इसका सबसे बड़ा कारण माननीय सदस्य, यह है कि एलोकेशन तो पेपर्स में हो गया लेकिन हमको गेहूं जिस मात्रा में एलोकेशन हुआ उस मात्रा में रिलीज नहीं हुआ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपने जो पत्रों की सूची संलग्न की है उसमें आपने अक्टूबर से पत्र लिखना शुरू किया। 26.10.2005 को पत्र लिखा है जबकि आपको मालूम था कि 2005 जनवरी से जितना आबंटन किया था उसका सिर्फ 15 प्रतिशत आप गेहूं उठा पा रहे हैं तो आपके एक साल बाद जाकर के ध्यान में आया कि हमको आबंटन कम हो गया है, एफ सी आई के अन्दर स्टॉक नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ऐसा नहीं है। बैद साहब, इसमें बात यह है कि पहले जो गेहूं हुआ करता था, अगस्त से पहले उसमें मार्केट के गेहूं और ए पी एल के गेहूं में फर्क कुछ नहीं था। 6.80 रुपये में ए पी एल गेहूं मिलता था और करीबन इतनी ही मार्केट की वैल्यू थी इसलिए लिफ्टिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने प्रयास नहीं किया। चूंकि मार्केट के गेहूं और ए पी एल के गेहूं की वैल्यू करीबन बराबर थी, यह सबसे बड़ा कारण है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब यह पूरे साल के अन्दर जो वैरियेशन होता है, यह खाली इसी साल में तो हुआ नहीं, यह तो हर साल के अन्दर होता है। जब गेहूं की फसल आती है उसके तीन महीने बाद गेहूं की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ती है और अभी अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च के अन्दर डिमांड बढ़ती है। इस साल भी इसी समय बढ़ी, आप भी यह स्वीकार कर रहे हैं और साथ में आपको यह मालूम था कि केन्द्र सरकार की कई केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत गेहूं का आबंटन राज्य को दूसरी दिशाओं में होने लगा है जैसे फूड फोर वर्क में हो गया, जैसे और दूसरी ग्रामोदय योजना के अन्दर हो गया तो जब यह मालूम था तो शुरू में इसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया ? आपको पता था कि इसमें नवम्बर-दिसम्बर के अन्दर डिमांड बढ़ेगी और पत्र लिखना अपन ने तब शुरू किया है जब डिमांड बढ़ चुकी थी। मेरा अनुरोध यही है कि यही पत्र अगर 6 महीने पहले आगे की डिमांड को देखते हुए लिख दिया जाता तो आज ए पी एल का गेहूं जो आप 6.80

(श्री चन्द्रशेखर बैद)

रुपये प्रति किलो में देते हैं, आज बाजार के अन्दर साढ़े बारह रुपये प्रति किलो मिल रहा है और सारा का सारा गेहूं, इससे इनडायरेक्ट इन्फरेंस यह निकलता है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको लाभान्वित करने के लिए जान-बूझकर के आपने गेहूं का आबंटन होते हुए भी उसका उठाव नहीं किया।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बैद साहब, ऐसा नहीं है। एक मोटी सी बात, आप इसमें ध्यान देंगे कि जो अगस्त से पहले का टाइम है, अगस्त से पहले के टाइम पर जो ए पी एल राशन कार्ड होल्डर्स थे वो भी मांग नहीं करते थे। उनकी मांग नहीं थी, ए.पी.एल. राशनकार्ड होल्डर एक करोड़ से ऊपर हैं, जब उनकी मांग नहीं थी तो हमने भारत सरकार को पत्र लिखना ठीक नहीं समझा, नम्बर एक। दूसरा, स्टाक्स में उस समय गेहूं था, जितनी हमें जरूरत पड़ती थी तो जब भी लगा कि मार्केट में गेहूं जैसे ही बढ़ गया और भारत सरकार ने इम्पोर्ट किया तो उसके कारण से भी कुछ फर्क पडा और इम्पोर्ट के कारण जैसे ही भाव मार्केट में बढ़ गया तो हमने यह पत्र लिखे और पत्र का बराबर प्रयास किया और उसके बाद भी, आज भी मैं आपको बताऊं, स्टाक में एफ.सी.आई. का गेहूं नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी जो फिगर दिये कि जनवरी में 2129 एम.टी. रिलीज किया गया, फिर आपने 932 एम.टी. ही क्यों उठाया?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने अभी जनवरी का फिगर दिया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक ही माननीय सदस्य बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह मैं हूं या कोई और है?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): ...14 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है तो अब ए.पी;एल. को गेहूं मंत्री महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, 2800601 एम.टी. अपने को कोटा अलाट हुआ था और इसमें से कहीं पर 10 प्रतिशत, पांच प्रतिशत, सात प्रतिशत, आठ प्रतिशत आपने उठाया है तो अब मेरा निवेदन है कि गांव में 12-13 रुपये किलो गेहूं मिल नहीं रहा है और गांव में हाहाकार मचा हुआ है गेहूं के लिए तो अब आप गेहूं जो कोटा अलाट हुआ

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

है, वह मंगवा रहे हैं या गांवों में भिजवा रहे हैं या नहीं भिजवा रहे हैं? आप यह स्थिति स्पष्ट करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार यह बात कह रहे हैं, मैं संयमजी की बात का जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब साथ ही आने दो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, मैं यह जानना चाहता हूं, आपने अपने उत्तर में कहा है कि दिसम्बर, 2005 तक का आप यह बता रहे थे कि इतनी मांग नहीं थी, जनवरी के अन्दर आपने अभी उत्तर में बताया है कि 2129 एम.टी. आपका गेहूं रिलीज किया गया ए.पी.एल. का, फिर 932 एम.टी. ही क्यों उठाया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रिलीज नहीं किया है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): रिलीज नहीं किया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने अभी अपने उत्तर में बताया है, आप माहवार बता दो कि आपने रिलीज कितना किया है और आपने उठाया कितना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आबंटन किया हुआ है वह है। वह आबंटन का है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं मंथवाइज बता दूं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, बता दो। यह आबंटन का नहीं है, यह रिलीज का है, आबंटन का फिगर दूसरा है, यह मैं बता सकता हूं। आबंटन तो 161219 एम.टी. है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अभी मैं बताता हूं। आप बैठ जाओ। मैं जनवरी का ही बता देता हूं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाह रहा हूं। पिछले दो महीने का गेहूं कोटपूतली के लिए नहीं उठाया गया है, कोटपूतली को सप्लाई

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

नहीं हुआ है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए भी आप क्या कर रहे हैं? दो महीने का कोटा ही छोड़ दिया गया है, वह उठाया ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं? संयमजी के सवाल का जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय मंत्री महोदय, मेरा भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जो मेरे डूंगरगढ़ में गेहूं अलाट हुआ, बीकानेर में जो गेहूं बिका, उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हो, क्या कार्यवाही करने जा रहे हो? क्या वह गेहूं वापस डूंगरगढ़ को मिलेंगे या नहीं? जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: वह अलग से प्रश्न है। माननीय हरिमोहनजी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। जनवरी, 2005 में... संयमजी, आप 2006 का पूछ रहे हो या 2005 का पूछ रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जनवरी, 2006, मैं 2006 पूछ रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जनवरी, 2006 में कागजों में आबंटन हुआ 161219 एम.टी. और रिलीज हुआ मात्र 932 एम.टी। वास्तव में डिमांड...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और उठाया आपने 932 एम.टी. है। रिलीज कितना हुआ है, यह बताओ आप तो। आपने उठाया 932 एम.टी., रिलीज 2132 एम.टी. हुआ है, आप वह उठा नहीं सके। नहीं देखिये, यह लिखा है, आपने उठाव 932 एम.टी. का है, यह आपके जवाब में है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, रिलीज है। नहीं, रिलीज है। आपको मैं एक्चुअल डिमांड बता देता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): डिमांड नहीं, आप तो केवल बताओ कि रिलीज कितना हुआ और आपने उठाया कितना?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह रिलीज ही है। मतलब गेहूं है नहीं। जितना आ रहा है, उतना ही हम उठा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी तो आपने जवाब में जब तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे, तब आपने जनवरी का जो फिगर दिया है, वह 2129 एम.टी. दिया है और अपने ही फिगर से पलट रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): गेहूं होगा तो उठायेंगे ना। कृत्रिम अभाव बनाया गया और जो आटा मिल वाले हैं, उनको केन्द्र ने गेहूं दिया है और उसमें घोटाला हुआ है यह, कृत्रिम अभाव बनाया गया है और गरीबों का गेहूं है, वह बड़े लोगों को दिया गया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय कमजोर नहीं है। आप बिराजो। आपकी जरूरत नहीं है मंत्री को।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसकी जांच होनी चाहिए। असली बात तो यह है कि गेहूं रिलीज तो करते हैं और कोटे में गेहूं है नहीं, यह धोखा किया है केन्द्र सरकार ने।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): संयमजी, हमारी जो डिमांड है...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप जनवरी में गेहूं नहीं उठा सके। वह गेहूं किसने बेचा था केन्द्र सरकार ने? एन.डी.ए. सरकार ने बेचा था। डीलरों को गेहूं किसने बेचा था? एन.डी.ए. सरकार ने बेचा था।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमने तो कलक्टर्स और....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी एन.डी.ए. सरकार ने भेजा है। 2006 में एन.डी.ए. सरकार ने गेहूं भेजा है, वह उठाया नहीं। आपके पास किराये के पैसे नहीं है, वह गेहूं पड़ा रहा सड़कों पर, वह रूकता रहा, आपने व्यवस्था नहीं की। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपने जो गेहूं नहीं उठाया है... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरे राजस्थान के अन्दर घोटाले करवा रहे हो मिड-डे मील के अन्दर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पेसिफिक पूछा है कि रिलीज कितना हुआ और उठाया कितना है? जवाब तो दिलाओ आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। वे जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, यह ए.पी.एल. और बी.पी.एल. की दरों को अलग-अलग करने का काम किस सरकार ने किया था? ये सारा बता रहे हैं, मेरा एक सवाल है। यह ए.पी.एल. और बी.पी.एल. की दरों को अलग-अलग करने का कौनसी सरकार ने निर्णय किया था जबकि पूरे देश में एक ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी और बी.पी.एल. और ए.पी.एल. की अलग-अलग दरों को करने का निर्णय किस सरकार में किया था, वह भी बता दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): पिछले दो महीने से जो गेहूं सप्लाई नहीं हुआ, वह आटा मिल को सप्लाई हो गया। मैं यह भी मानूं कि पिछले दो महीने का गेहूं सप्लाई नहीं हुआ, वह किसी आटा मिल को चला गया, लोगों को नहीं मिला, हाहाकार मचा हुआ है कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री हरिमोहनजी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हरिमोहनजी, आप एक मिनट बैठो। संयमजी ने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दे दूं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन महीने से पंचायतों में कोटा नहीं उठाया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं, बी.पी.एल. के गरीब लोगों का गेहूं चार-चार महीनों से, पांच-पांच महीनों से राशन के जो डीलर हैं, वह खा जाते हैं गेहूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह मामला ए.पी.एल. का है, बी.पी.एल. का नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ए.पी.एल. की भी यही हालत है, गेहूं उठ नहीं रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह मामला ए.पी.एल. का है, बी.पी.एल. का नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संयमजी ने पूछा है, आपको अलाट हुआ 161913 एम.टी. और एक्चुअल डिमांड थी...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): रिलीज कितना हुआ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक्चुअल डिमांड थी 78874 एम.टी., जब इतना गेहूं यह एफ.सी.आई. में नहीं था और हमने पैसा जमा कराया और पैसा जमा कराने के बाद में हमको मात्र 932 एम.टी. गेहूं मिला। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप घुमाइये मत, आप यह बताओ, सरकार में रिलीज कितना हुआ? 2129 एम.टी. गेहूं भारत सरकार से रिलीज हुआ और आप मात्र 932 एम.टी. गेहूं उठा सके, यह है सरकार के निकम्मेपन का सबूत। जितना गेहूं रिलीज किया, उतना आप उठा नहीं सके। क्या आंकड़े बता रहे हो आप?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने 15 महीनों के अन्दर जितना गेहूं रिलीज किया गया भारत सरकार के द्वारा, उतना गेहूं उठाया नहीं गया और राजस्थान का आम आदमी उस महंगाई के बोझ से दबता रहा, आप फिगर बता दो। मिस-कोट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। आप बताओ, रिलीज कितना हुआ, माहवार बताओ आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप भाषण तो दो मत। आप जवाब मेरे से ले लो। (व्यवधान) मेरे पास सभी 32 जिलों के फिगर हैं। उनका डी.डी. जमा है, उसका पैसा जमा है और 932 एम.टी. गेहूं दिया और हम मांग रहे हैं, हमारी 78000 एम.टी. रोज की मांग है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरी मंत्रीजी को चुनौती है, 2129 एम.टी. गेहूं रिलीज किया गया जनवरी के अन्दर और आपने 932 एम.टी. उठाया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं दुबारा कह रहा हूं, 78000 एम.टी. गेहूं रोज, आप बैठ जाओ, जवाब सुन लो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप वह बताओ। आबंटन उठाया, रिलीज कितना हुआ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप जवाब सुन लो। मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लो। मैं कह रहा हूं, जवाब सुन लो, भाषण मत दो। जवाब सुन लो। उपाध्यक्षजी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इनको बैठाओ। ऐसे ही करते हैं रोज। जवाब सुनना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐसे मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। आप ऐसे मुझे धमकाने की कोशिश मत करो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरा जवाब सुन लो। मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए सदन में उत्तेजना फैलाने की कोशिश मत करो मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं उत्तेजना। जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, बीच में उत्तेजना नहीं हो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से एक प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। सरकार रिलीज और उठाव के फिगर बता दे, नहीं तो मैंने फिगर बताये हैं आपको।

श्री उपाध्यक्ष: वह जवाब दे रहे हैं सारा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना गेहूं अलाट किया गया, जितना रिलीज किया गया, उतना उठाया ही नहीं आपने।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरी बात तो सुन लो आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप जवाब सुन लो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं इसका कोई राजनीतिकरण नहीं देना चाहता।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप जवाब सुन लो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आबंटन हुआ है 161000 एम.टी., हमने कलक्टर्स और कमिशनर्स से सूचना मांगी तो उनकी वास्तविक डिमांड थी 78000 एम.टी. और हमें दिया उन्होंने मात्र 932 एम.टी. गेहूं। अब जितना दिया, उतना ही उठाया, उतना ही रिलीज हुआ, उतने का पैसा दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कई विषय ऐसे होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने के होते हैं। हम सब लोगों को मिलकर केन्द्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि राजस्थान के गरीब लोगों को गेहूं मिले।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जनवरी महीने में 2129 एम.टी. गेहूं रिलीज किया गया और इसके विपरीत सरकार वह गेहूं उठा नहीं सकी और मात्र 932 एम.टी. इस सरकार ने गेहूं उठाया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा तो एक ही प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्ध हो गया, केन्द्र सरकार गेहूं नहीं दे रही है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए पैसे जमा है, डी डी जमा है, पैसे और डी डी जमा है, आप केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा राजनीतिक वह है, केन्द्र सरकार गेहूं नहीं दे रही है और हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): मंत्री महोदय ने आयात करने की भी बात असत्य कही है। (व्यवधान) अभी जो केन्द्र सरकार ने पांच लाख मैट्रिक टन आयात करने का आदेश दिया है, वह भी आयात अभी तक नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) एक आदमी। माननीय सदस्य, पहले आपको बोलने दीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, मैं बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को अपने-अपने ढंग से राजनैतिक रूप से प्रस्तुत कर रही है यह सरकार। मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो आंकड़े आपने दिये हैं, 28 लाख 62 हजार 638 का जो आबंटन किया है और यह आपके कलक्टर्स ने और डिस्ट्रिक्ट जो आफिसर्स हैं उन्होंने 2 लाख 82 हजार पूरे साल में उठाया है तो भारत सरकार ने तो पूरा आपको कोटा आबंटित कर दिया, उठाया आपने नहीं और राजनैतिक रूप से आप यह कहते हैं नवम्बर-दिसम्बर में जाकर कि केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, यह आपका जवाब है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: आबंटन केन्द्र सरकार ने नहीं किया। (व्यवधान) यह आबंटन करके उन्होंने गेहूं दिया क्या, बात करते हो आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: यह आपका रिकार्ड है, निकालो यह आप। यह आपका रिकार्ड है। (व्यवधान) आप केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये गेहूं को उठा नहीं पाये। (व्यवधान) आप उठा नहीं पाये उसको।

श्री अमराराम (धोद): राजस्थान की जनता का गेहूं नहीं उठाकर (व्यवधान) राजस्थान की जनता के लिए गेहूं नहीं उठाकर राजस्थान की सरकार ने अपवित्र कार्य किया है और खड़े होकर...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: यह रिकार्ड है, आप उस गेहूं को उठा नहीं पाये और अपनी गलतियां छिपाने की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्ध हो गया कि भारत सरकार राजस्थान की गरीब जनता पर अत्याचार कर रही है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने गेहूं नहीं दिया है, उसका दोषारोपण राजस्थान सरकार पर करना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप उठा नहीं पाये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर: पाप केन्द्र सरकार ने किया है और दोषारोपण

(श्री मदन दिलावर)

हमारे ऊपर कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। पाप इन्होंने किया है उपाध्यक्ष महोदय, दोषारोपण हमारे ऊपर कर रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। (व्यवधान) आप असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) और खुद ही बात करो...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 22 लाख टन आबंटित हुआ और 2 लाख उठाया, ऊपर से यह कह रहे हैं कि अलाटमेंट नहीं हुआ..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: केन्द्र की कांग्रेस सरकार राज्य सरकार के प्रति दोगला रवैया अपनाकर वह गेहूं का कोटा पूरा रिलीज नहीं कर रही है और राजस्थान सरकार को मतलब केन्द्र सरकार ने...(व्यवधान) आप अपने आकाओं को केन्द्र में पूछो कि गेहूं का कोटा पूरा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए..(व्यवधान) यह गवर्नमेंट का रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: गेहूं का कोटा पहले पूरा दो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: चावल नहीं उठा पाये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात सुनिये आप पहले।

श्री बंशीलाल खटीक: केन्द्र की केन्द्रीय सरकार राजस्थान की सरकार के प्रति दोगला रवैया रख रही है और अपना निर्धारित कोटा रिलीज करे और फिर बाद में यह बोलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, ए पी एल के लोग चौदह रुपये किलो में गेहूं खरीद कर खा रहे हैं...(व्यवधान) सरकार ने उठाया नहीं, ढाई लाख अलाट और मात्र नौ लाख...(व्यवधान) राज्य के व्यापारियों के हितों

(श्री अमराराम)

को सुरक्षित करने के लिए, यह चौदह रुपये किलो खरीद कर के ए पी एल के लोग गेहूं खा रहे हैं, यह राजस्थान की सरकार ढाई लाख के अलाटमेंट के विरूद्ध...(व्यवधान) उन व्यापारियों को मुनाफा देने की नीयत से गेहूं नहीं उठाकर राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात किया है राज्य सरकार ने। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: ए पी एल, बी पी एल और अन्त्योदय योजना में चूरू जिले के...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा: एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मंत्रीजी यह बता दें कि...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: इन्होंने टोंक जिले में ए पी एल परिवारों को गेहूं देने बाबत...(व्यवधान) आप पढ़ो इसको।

श्री उपाध्यक्ष: बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह बार-बार केन्द्र सरकार को (व्यवधान) गेहूं नहीं दिया गया, केवल आबंटन किया गया और गरीबों का गेहूं अमीरों को देकर और उनको...(व्यवधान) और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और गरीबों के नाम पर केवल यहां पर भाषण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: आप महावीरजी, खाद्य मंत्री...

श्री बृजकिशोर शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये पहले। पहले स्थान ग्रहण कीजिये। नहीं सुनूंगा। पहले स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामनारायण मीणा: एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। क्या खाद्य मंत्रीजी अक्षम हैं जो मुख्य सचेतक को जवाब देना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा: क्या आप खाद्य मंत्रीजी को अक्षम मानते हैं? अक्षम।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, पहले

(श्री उपाध्यक्ष)

बैठिये आप। बैठिये माननीय सदस्य, पहले स्थान ग्रहण कीजिये। मंत्री महोदय का जवाब सुन लीजिये पहले। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट: किसानों के साथ अन्याय हो रहा है...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक क्वेश्चन यह है कि क्या सरकार को 2129 टन मिला ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब सुनें। (व्यवधान) पहले आपकी बात सुनें। बाकी की बात किसी की रिकार्ड नहीं होगी। आप उनको सुनें पहले माननीय सदस्य।

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: देंगे। पहले आप बैठिये, आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सुरक्षा चाहूंगा, थोड़ा तसल्ली से सुन लें। मैं ज्यादा नहीं, 32 जिलों के कलक्टर्स के लैटर...

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

डा. किरोड़ी लाल मीणा: फिर चिल्ला रहे हैं। मैं 32 जिलों के कलक्टर, केवल तीन-चार कलक्टर्स के आपको लैटर पढ़कर सुनाऊंगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये पहले।

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते क्या हैं? माननीय सदस्य, क्या चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: ×××(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बद्रीलाल जाट: ×××(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में व्यवधान मत करें, आप नहीं, बीच में नहीं। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, माननीय सदस्य।

श्री बृजकिशोर शर्मा : ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको किस ने कहा, माननीय सदस्य, आप किसकी परमिशन से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आपकी बात सुनें आप पहले। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। यह आंकड़े इन्होंने बता दिये, कितना रिलीज हुआ, कितनी डिमांड हुई थी, इसमें विवाद किस बात का है। I am calling next question.

डा. चन्द्रशेखर बैद: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या विवाद है इसके अंदर, किस बात की सूचना चाहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन: ×××(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: ×××

श्री धर्मपाल चौधरी: ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़: ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले सुन लीजिये आप। जवाब आप तसल्ली से सुन लीजिये। इसमें आपको कोई आंकड़ों में गलती हो तो बतायें।

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: कौन सी गलत बताई...

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये पहले।

श्री हीरालाल निवाई: ×××

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: दिल्ली की सरकार दोषी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये आप। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: तो काहे से संतुष्ट होंगे, जवाब देने से संतुष्ट नहीं होंगे।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब तो लिखित में जो आ रहा है...

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: तो क्या है, और क्या है।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)। आपका प्रश्न क्या है। माननीय सदस्य, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप प्रश्न स्पेसिफिक क्या पूछना चाहते हैं, भाषण नहीं, आप भाषण दे रहे हैं, आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं, बताइये आप, कोई है तो।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, बताइये।

श्री रामनारायण मीणा: सरकार को डाइरेक्शन दें कि वह कलक्टर की चिट्ठी नहीं, जवाब ढंग से देंगे, कृपा कर...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: विराजो, विराजो, मैं देता हूं जवाब, आपको पता ही नहीं, सवाल क्या है। आपको पता ही नहीं सवाल क्या है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: यह दिल्ली में किस की सरकार है, यह संघीय

(श्री रामनारायण मीणा)

शासन है, संघीय शासन, मंत्रीजी, दिल्ली की भी सरकार प्रजातंत्र है, यहां भी आपकी है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: बिराजो, आपको पता ही नहीं सवाल का, बैठ जाओ। आप भाषण मत दो, बैठो, बैठो। (व्यवधान) विराजो, विराजो।

श्री रामनारायण मीणा: केन्द्रीय सहायता का सवाल नहीं है, आप देश को तोड़ने की बात करें, पार्टी की बात...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: उसने यह कह दिया, उसने यह कह दिया...

डा. किरोड़ी लाल मीणा: अब विराज जाओ। आपके हाथ जोड़ रहा हूं, विराज जाओ।

श्री रामनारायण मीणा: इसलिए कृपा करके सही जवाब दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कलक्टर, बांसवाड़ा का मैं लैटर पढ़ता हूं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) बात सुनना नहीं चाहते। आप मंत्रीजी को सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ***

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान)... आप सुनेंगे तो जवाब दिया जायेगा पूरा।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनना ही नहीं चाहते । आप सुनिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं लिखित में कलक्टर ने क्या लिखा है क्या कोरेस्पोंडेंस हुई । आप बोलने ही नहीं देते ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप काहें के लिए रोकते हैं बीच में? जवाब देंगे अपने तरीके से।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि जवाब किस तरह से देना है। आप बीच में डिक्टेट कैसे कर रहे हो? यह कोई बात है क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में जवाब देते वक्त यह नहीं कह सकते कि जवाब में इस प्रकार लैटर क्यों पढ़ रहे हो। यह तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, सुनिये जवाब सुनिये आप।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब सुनें। आप सुनना ही नहीं चाहते। जवाब पूरा सुनें आप। जवाब पूरा सुनें । माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बैठ जाइये आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अगर जवाब नहीं सुनना चाहते हैं शांतिपूर्वक तो आपकी मर्जी है। आप जवाब नहीं सुनकर बीच में हर मामले में खड़े होते हैं ऐसे भी उचित नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा उसका मैं पहले जवाब दे देता हूं। वैसे 32 कलक्टरों के लैटर हैं बराबर हम गेहूं मांग रहे हैं हमारे प्रमुख शासन सचिव मांग रहे हैं, मैं मांग रहा हूं, मुख्यमंत्रीजी का पत्र जा रहा है। बराबर हम चिन्ता कर रहे हैं कि 22 पत्र चले गये। इस लिस्ट में शायद पन्द्रह पत्र हैं और 78 एट लीस्ट 78 हजार मीट्रिक टन हमारी मांग है पर मंथ और 1 लाख 61 हजार मीट्रिक टन उन्होंने कागजों में अलॉटमेंट कर दिया और दिया मात्र 932 है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप जितना देंगे उतना ही तो उठायेंगे। हमने इनका पैसा जमा कराया ... थोड़ा ध्यान से सुन लें, अजमेर ने पैसा जमा कराया 24-12-2005 को, अलवर ने कराया 19-12-2005 को ...(व्यवधान) बता रहा हूं सुनें तो सही आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी। नैक्स्ट क्वेश्चन।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पहले मैं आपका जवाब दे दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): प्रश्न संख्या 63. ...(व्यवधान) आपकी सरकार ने केन्द्र में सरकार है उसने गेहूं दिया नहीं और अगला प्रश्न किसानों से संबंधित है बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): प्रश्न संख्या 63 माननीय मंत्रीजी। माननीय उपाध्यक्षजी, प्रश्न संख्या 63 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है किसानों के हित में। ये केन्द्र सरकार ने गेहूं दिया नहीं और केन्द्र सरकार देती नहीं है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है किसानों के लिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, स्थान ग्रहण कर लीजिये। मैंने नैक्स्ट क्वेचश्न पुकार लिया है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इनका किसानों कि हित से कोई ताल्लुक़ात नहीं है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। दूसरे प्रश्न का जवाब आ रहा है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में काहे को...

स्थगित प्रश्न

(20 मार्च, 2006)

अलवर जिले की कस्टोडियन भूमि के गैर खातेदारों को जारी पट्टे

63. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कस्टोडियन भूमि कितनी है? सूची सदन सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 में पूर्व सरकार द्वारा कस्टोडियन भूमि के पट्टे किस दर पर जारी किये गये और उसके बाद क्या दर तय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा नई दर तय करने के बाद कितने किसानों ने कस्टोडियन भूमि पर गैर खातेदार के रूप में कब्जाधारी होने के बाद नई दर से पट्टे जारी करवाये? सूची सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, (डा. किरोड़ी लाल मीणा) : (1) अलवर

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

जिले में 53,665 बीघा 15 बिस्वा कस्टोडियन भूमि है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) (A) वर्ष 2004 से पूर्व कस्टोडियन भूमि पर काबिज अथवा आबंटियों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर पट्टा जारी करने की कार्यवाही की गई है-

1. दावेदार विस्थापित व्यक्ति
2. गैर दावेदार विस्थापित व्यक्ति
3. स्थानीय काश्तकार/पट्टेदार

1. उक्त प्रथम श्रेणी के दावेदार विस्थापितों को नि:शुल्क पट्टे जारी किये गये हैं।

2. दूसरी श्रेणी के गैर दावेदार विस्थापितों/आबंटियों को रुपये 150/- प्रति स्टेण्डर्ड एकड़ की दर से जारी किये गये हैं।

3. तीसरी श्रेणी में कस्टोडियन भूमियों पर काबिज स्थानीय पट्टेदारों को अवधि/कट आफ डेट के आधार पर खातेदारी अधिकार देने हेतु पांच श्रेणियां बनाई गई :-

(i) भारत विभाजन 1947 के समय 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्तकार।	नि:शुल्क
(ii) भारत विभाजन के समय 12 वर्ष से कम समय से काबिज काश्तकार।	रुपये 450 प्रति एकड़
(iii) भारत विभाजन के बाद परन्तु 1.7.1957 से पूर्व के आबंटी/स्थानीय काश्तकार।	रुपये 450 प्रति एकड़
(iv) 1.7.1957 के बाद एवं 31.12.1976 से पूर्व के आबंटी/स्थानीय पट्टेदार।	रुपये 900 प्रति एकड़
(v) 31.12.1976 के बाद के आबंटी काश्तकार।	रुपये 1000 प्रति एकड़

(B) वर्ष 2004 के बाद नये नियम राजस्थान भू राजस्व (निष्कान्त कृषि भूमि के स्थायी आबंटन द्वारा निक्क्रान्त कृषि भूमि के आबंटी द्वारा अवैध हस्तान्तरण/कीमत चुकाने में विफल आबंटी/अनाधिकृत कब्जे की भूमि के नियमन तथा खाली भूमियों के आबंटन हेतु संबंधित क्षेत्र की बाजार दर की अलग-अलग दरों के साथ शास्ति सहित राशि निर्धारित की गई है तथा एससी/एसटी/बीपीएल व्यक्तियों से उक्त कीमत की 50 प्रतिशत राशि

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

निर्धारित की गई है । उक्त विभिन्न दरें पूर्ण विवरण के साथ परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है ।

(3) अलवर जिले में 18 गैर खातेदार किसानों को पट्टे नई दर से जारी हुए थे । सूची परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है ।

(सूची/विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 19.2.2005 से पहले जो जमीन किसानों को अलाट की जा रही थी वह सवा छह सौ रुपये कीमत और सवा छह सौ रुपये ब्याज लेकर साढे बारह सौ पर की जा रही थी । आप 2004 में एक नई कमेटी बनाकर उन किसानों से जो भारत सरकार ने आपको भूमि दी थी, राजस्थान को दी थी सवा छह सौ रुपये बीघा में दी थी । उस भूमि पर जो किसान 50 साल से काबिज है, गैर खातेदार के रूप में अपनी कृषि भूमि पर कब्जा करके खेती कर रहे हैं आप उन किसानों से क्या सरकार को इतना बड़ा धन उपलब्ध करा कर कहां ले जाना चाहते हो उन गरीब किसानों का पैसा लेकर ।

दूसरा, आपने 2004 में कानून लागू किया उसके बाद पूरे अलवर जिले में आपके पास जो जमीन है वह 53665 बीघा 15 बिस्वा और आपके पास 18 नहीं जो लिस्ट आपने दी है वह 8 आदमियों की दी है और 8 आदमियों ने 14 बीघा जमीन आपसे खातेदार के रूप में कराई है । पूरे राजस्थान में यह अलवर जिले में अकेला ऐसे पूरे राजस्थान में कस्टोडियन भूमि पर किसानों का पिछले 50 साल से कब्जा है और उन किसानों ने अगर आपने पट्टा आबंटन नहीं किया तो पूरे राजस्थान में एक तरह से आंदोलन हो जायेगा। अभी तक किसानों को यह है कि क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि कहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये जो कीमत आपने किसानों की 25 परसेंट और 50 परसेंट रखी है यह गलत है इस पर आप पुनर्विचार रखते हैं या नहीं रखते ।

(12.01 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं इनका जवाब दे दूं आप विराज जाये ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, कस्टोडियन में मेरे भी 15 गांव आ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में आपने जो रेट तय की है 20-20 हजार रुपये प्रति बीघा जमीन पर पड़ रहा है कोई भी काश्तकार 5-5 बीघा के एक-एक, दो-दो लाख रुपये जमा करा कर उस जमीन का मालिक नहीं बन सकता जो पिछले 50 साल से उस जमीन पर काबिज है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां विराजी हुई हैं, कि राजस्थान के किसानों का मामला है आप सहानुभूति पूर्वक, 2004 से पूर्व की जो स्थिति है उसका ब्याज लगाकर अगर सरकार ले-ले तो किसानों का बहुत भला होगा कस्टोडियन के मामले में मंत्रीजी आप बतायें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मौटा सा जवाब यह है कि यह जो एक्ट है इसको भारत सरकार ने रिपील कर दिया । जब भारत सरकार ने रिपील किया तो उसमें राजस्थान की सरकार कुछ नहीं कर सकती । जब तक कोई एक्ट नहीं बनायें तब तक कोई रूल नहीं बन सकता इसलिए अब राजस्थान की सरकार के लेवल पर अलाटमेंट किया जाना संभव नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ । प्रश्नकाल समाप्त हुआ । माननीय सदस्यगण प्रश्नकाल समाप्त हुआ । 12 बजकर तीन मिनट हो गये प्रश्नकाल 12 बजे तक के लिये ही है ।

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, जो स्थानीय काश्तकार हैं उनके लिये केन्द्र सरकार ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें, आसन पांवों पर है ।

(श्री अध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति

बंशीलाल श्री, पूर्व मुख्य मंत्री हरियाणा

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बंशीलाल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं ।

हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बंशीलाल का जन्म 26 अगस्त, 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ ग्राम में हुआ । आपने पंजाब विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा एल एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं। आपको कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय द्वारा डाक्टर आफ ला तथा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टर आप साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया ।

श्री बंशीलाल वर्ष 1967, 1968, 1972, 1986, 1991, 1996 तथा 2000 में हरियाणा विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए । आपने मई, 1968 से मार्च, 1972 मार्च, मार्च 1972 से नवम्बर, 1975, जून, 1986 से जून 1987 तथा मई, 1996 से जुलाई, 1999 तक हरियाणा के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे । आपके नेतृत्व में हरियाणा में विकास के नये आयाम स्थापित हुए । आप वर्ष 1960 तथा 1976 में पंजाब से राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । आप सातवीं, आठवीं एवं नौवीं लोक सभा में हरियाणा के भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे । श्री बंशीलाल वर्ष 1975 से 1977 तक केन्द्रीय रक्षा मंत्री एवं 1984 से 1986 तक केन्द्रीय रेल तथा परिवहन मंत्री रहे। आप संसद की राजकीय उपक्रम समिति तथा प्राक्कलन समिति के सभापति भी रहे ।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री बंशीलाल जिला कांग्रेस कमेटी, हिसार, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति तथा कांग्रेस संसदीय बोर्ड के प्रेसीडेंट रहे । आपने वर्ष 1996 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया । अधिवक्ता रहे श्री बंशीलाल 1957-58 में भिवानी बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट रहे । आप वर्ष 1943-44 में प्रजा मंडल, लोहारू स्टेट के सचिव भी रहे । आपको आपातकाल के पश्चात् जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी।

श्री बंशीलालजी का दिनांक 28 मार्च, 2006 को निधन हो गया । श्री बंशीलालजी के निधन से हरियाणा में एक दबंग एवं विकास को समर्पित लोकप्रिय जन नेता एवं कुशल प्रशासक की कमी महसूस की जाती रहेगी ।

(श्री अध्यक्ष)

मैं, दिवंगत श्री बंशीलालजी को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे ।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें ।

(तदनन्तर सदन ने मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही 12.25 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.08 बजे 12.25 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(समय : 12.25 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्षः मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री जितेन्द्र सिंह एवम श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से जिला अलवर के ग्राम मुसाखेड़ा थाना किशनगढ़बास में दिनांक 24.11.2005 को दो परिवारों में हुए झगड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जीतमल खांट एवम तीन अन्य सदस्यों की ओर से माही परियोजना का पानी जालौर ले जाने से पूर्व बांसवाड़ा-डूंगरगढ़ जिलों की भूमि सिंचित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्तावों की परिधि में नहीं आते अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं लेकिन फिर भी श्री जीतमल खांट को दो मिनिट में अपनी बात कहने की अनुमति होगी।

दो परिवारों के झगड़े में आप क्यों पड़ रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रही है बात?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह भी 2005 का।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, झगड़ा नहीं, एक मिनिट का समय देंगे तो आपको स्वयं को लगेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सदन जो है किसी खास, किसी भी पक्ष की पैरवी के लिए नहीं है। दो परिवारों के झगड़े के अंदर आप...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप इसको आगे पूरा पढ़ते तो आपको स्वयं को लग जाता...

श्री अध्यक्ष: श्री जीतमल खांट।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं आपके चैम्बर में आकर दुबारा निवेदन कर दूंगा। यह झगड़े की बात नहीं है, चार महीने से बच्चे और औरतें घरों से बाहर हैं उनको बसाने के...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, यहां डिसकस नहीं होगा क्योंकि कोर्ट के अंदर विचाराधीन है मामला । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वैसे भी कोर्ट में विचाराधीन है तो आपको यहां उठाना ही नहीं चाहिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन आप एक मिनिट (व्यवधान) सवाल, मुकदमें की बात ही नहीं कर रहा मैं तो यह कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो- नो, अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××*

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, कोई आवश्यकता नहीं है जवाब देने की। अंकित नहीं हो रहा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमारे स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था, आप कल स्टेटमेंट...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले जीतमल खांट को दो मिनिट बोलने दें। आपका, चार बजे मंत्रीजी इस बारे में वक्तव्य देंगे। श्री जीतमल खांट।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांइट आफ ओब्जेक्शन... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में पहली बार नई बात आई है। पहली बार नई बात सुन रहे हैं पाइंट आफ ओब्जेक्शन ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां नई ।

श्री अध्यक्ष: गलत बात है। नियमों के विरुद्ध .....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पाइंट आफ आर्डर सुना है, पाइंट आफ इनफोरमेशन सुना है, नई बात पाइंट आफ ओब्जेक्शन.. (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, नई आयेगी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): पाइंट आफ ओब्जेक्शन किस रूल में है ?

माही का पानी जालौर ले जाने के लिए सर्वे

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा और मंत्री जी का भी । राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में एक खबर छपी, उस खबर का टाइटल था बांसवाड़ा जिले की प्रमुख नदी माही का पानी जालौर ले जाने के लिए सर्वे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान का दक्षिणी सुदूरवर्ती बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दोनों जिलों के बीच जो राजस्थान की प्रमुख नदी है, और उस बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में माही का जो निर्माण 1960 के आस पास तत्कालीन वित्त मंत्रीजी मोरारजी देसाई के करकमलों के द्वारा वहां का शिलान्यास हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब आप भूमिका पर मत जाओ, अब आप अपनी बात कहो।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): और माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा जिले के अन्दर, राजस्थान और गुजरात सरकारों के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत बांध का निर्माण हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है 506279 हैक्टेयर भूमि है, जिसमें से खरीफ की फसल लगभग 2 लाख 32 हजार हैक्टेयर पर एवं रबी की फसल एक लाख 20 हजार हैक्टेयर पर हो रही है। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम

(श्री जीतमल खांट)

से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि माही डेम से सिंचाई केवल 60-70 हजार भूमि पर हो रही है। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़, सज्जनगढ़, पीपलखूंट, यह जो पंचायत समितियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बांसवाड़ा जिले की मैं एक स्थिति स्पष्ट कर दूं, बांसवाड़ा की इन पंचायत समिति क्षेत्रों के अन्दर एक इंच भूमि के अन्दर वहां पर सिंचाई नहीं होती है। दूसरी ओर बांसवाड़ा जिले की घाटोल, बागीडोरा, बांसवाड़ा अनन्तपुरी और गढ़ी पंचायत समितियों के अन्दर माही डेम के पानी से मात्र 40 और 30 फीसदी पानी से ही वहां पर सिंचाई होती है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस माही डेम पर जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर से होते हुए, यह जो बहुत बड़ी दोनों जिलों की एक प्रमुख नदी है, जो डूंगरपुर जिले की आसपुर, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा तहसीलों के पास से होकर गुजरती है और गुजरात के सीमावर्ती इलाके पंचमहल के अन्दर वहां पर कडाणा डेम पर भी, वहां पर एक बहुत बड़ा डेम बंधा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का और पूरे हिन्दुस्तान का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। किसी भी बड़ी नदी, नाले का पानी कहीं भी सरकार पहुंचाये लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे बांसवाड़ा जिले के अन्दर 5 लाख हैक्टेयर भूमि है और माही डेम से मात्र 65 और 70 हजार हैक्टेयर सिंचाई हो रही है। सरकार ने पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जिस तरीके से माही बेसिन का सरप्लस पानी बताकर जालौर और बाड़मेर में ले जाने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इसी सदन के अन्दर आये दिन भुखमरी, गरीबी, बेकारी, लाचारी, बेबसी की हालत का बार-बार यहां जिक्र किया जाता है और बार-बार भूख और कुपोषण का शिकार होकर आदिवासी की इस हालत में मौत हो गयी। यह बार-बार इस सदन में जिक्र किया जाता रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि हमारा माही का सरप्लस जो पानी है वह सबसे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर की असिंचित धरती को मिले।

श्री अध्यक्ष: आपको 2 मिनट दिये थे, आप आधे मिनट में पूरा करिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): और उसके बाद माही का सरप्लस पानी

(श्री जीतमल खांट)

चाहे बाड़मेर ले जाएं, जालौर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं। लेकिन यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अरनौद, और प्रतापगढ़ का कम से कम 30 लाख जनता का भविष्य नदी के साथ में जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर के सारे किसानों में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है कि हम तो घर के लोग भूखे मर रहे हैं और पड़ौस को पानी देने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ट्राइबल सब-प्लान का पूरा इलाका शांतिप्रिय इलाका है। हम जब भी सरकार की कोई योजना हो, कार्यक्रम हो, हम पूरा सहयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया, आप समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): लेकिन जब हमारे घर के सदस्य भूखे रहें, घर के लोग भूखे रहें और हमारा पानी बाड़मेर और जालौर जाए यह हमारे लिये कितने शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को भी इस पर बोलने का मौका दिया जाए। यह बांसवाड़ा जिले का मामला है। मेरे को...

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर सबको नहीं बोलने दिया जाता है। पर्ची के माध्यम से आपने अपनी बात उठायी। ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं कहना चाहूंगा, यह हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अरनौद, प्रतापगढ़ की पूरी जनता के साथ जुड़ा हुआ मसला है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा और हमारे मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, क्योंकि 30 लाख जनता का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपने अपनी बात कह दी, स्थान ग्रहण करें, आप।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज भी वहां पर लोगों की हालत ऐसी है कि आज भी दो टाइम उनको रोटी नहीं मिलती है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मामला है और माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को पानी नहीं मिले और दूसरे जिलों में पानी जाए, उन जिलों में पहले पानी देकर के बाकी को भी दे दें। माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य की बात को गहराई से लें।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिये महाराणा प्रताप के साथ हम लोगों ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको दो मिनट का समय दिया था, अब आप बैठ ही नहीं रहे हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अब मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पूरे इलाके के आदिवासी काश्तकारों का हित जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अब मैं कहूंगी कि अंकित नहीं करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य का अंकित नहीं करें, अंकित नहीं होगा।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): एक मिनट बोलने का मेरे को मौका दिया जाए, एक मिनट, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में उन्होंने कह दी ना बात तो।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): एक मिनट बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपको एक नहीं मैं दो मिनट देती हूं। 12 बजकर 38 मिनट पर बैठ जाना पड़ेगा आपको। 12.38 पर बैठ जाना पड़ेगा, चलिये, बोलिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रवचन में स्वयं को शामिल करता हुआ बोलना चाह रहा हूं कि मेरा ऐसा आग्रह है कि सन् 1991 में यह राजस्थान की विधान सभा में तय हुआ था कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर का पानी माही डेम में डाला जाएगा, इसके बाद यह जालौर के सर्वे पर विचार किया जाए, ऐसा निर्णय था। अतः मेरा यह आग्रह है कि गांधी सागर का पानी अभी माही डेम में नहीं आया है और मध्य प्रदेश में जगह-जगह डेम बनाये जाकर नदी-नालों

(श्री नवनीता नीनामा)

का आना रोक दिया गया है। माही में अभी पूरा पानी नहीं आ रहा है। अतः मेरा आग्रह है कि बांसवाड़ा जिले की जो जमीन सूखी पड़ी हुई है तो माही डेम में पानी अन्य प्रान्त से आने से रोक लगी हुई है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि जालौर के सर्वे को अभी रोक दिया जाए। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह आज पढ़ी हुई मान ली गयीं। क्योंकि आज कई संकल्पों पर विचार होना है।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर सिंचाई मंत्रीजी विराजे हुए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर का भविष्य जुड़ा हुआ है और वहां पर 30 लाख जनता के साथ, आदिवासी लोगों के साथ खिलवाड़ होकर के...(व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र का पानी जालौर-बाड़मेर की तरफ ले जाने के ऊपर एतराज किया है। आज कल माननीय सदस्य ही नहीं हर जगह यह एतराज, क्योंकि हमारी सोच दिन-प्रतिदिन बनती जा रही है, इसमें कोई आपका और मेरा कसूर नहीं है। लगभग सब जगह यही है कि एक प्रान्त का पानी दूसरे प्रान्त पर, एक जिले का दूसरे जिले में, एक गांव का दूसरे गांव में... तो थोड़ा सा इसमें व्यापक दृष्टिकोण लाने की बात है। (व्यवधान) मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप।

जहां तक माही के पानी का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हम बहुत कम पानी रोक पाये हैं और जो भी पानी हमने रोका है, उसमें लगभग 80 हजार हैक्टेयर के अन्दर तो आपके एरिये को हमने लिया है। सागवाड़ा कैनाल जो 21 हजार हैक्टेयर को सिंचाई सुविधा उदयपुर और बांसवाड़ा जिले के अन्दर सिंचाई करेगी इसके अलावा माननीय सदस्य, जो पीछे खड़े थे, उनके एरिये का खमेरा और पीपलखूंट उसमें आ जाएगा। जब नर्मदा बना था तब हमारा समझौता हुआ था गुजरात से कि नर्मदा के पानी से जो माही के पानी से इर्रिगेट गुजरात की जमीन हो रही है, वह उससे होने लग जाएगी उसके बाद उस पानी के ऊपर भी हमारा अधिकार है। यह सरप्लस

(श्री सांवर लाल)

वाटर भी हम लेंगे और इसके बारे में हमने कार्यवाही चालू कर दी है। इसके अलावा भी मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारा केचमेंट पूरे एरिये का पानी कडाणा और गुजरात होकर समुन्द्र के अन्दर जाता है तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस पानी को रोकें राजस्थान की सीमा में। रोकने के बाद में पहले जो आपके जिले हैं जहां पर पानी पहुंच सकता है, चाहे कुशलगढ़ हो, चाहे दूसरा एरिया हो, लिफ्टिंग के द्वारा भी, हां, कोई भी एरिया हो, मैं यही तो कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं आपसे, लिफ्ट से भी जरूरत होगी तो वह वहां पहुंचाएंगे और उसके बाद अगर सरप्लस पानी है तो उसको तो राजस्थान में इस्तेमाल करने की इजाजत आप दीजिए अगर वह पानी समुद्र में जाएगा तो उसमें तो हम किसी को लाभ नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद): उसका आब्जेक्शन नहीं है। वहां जितना पानी का उपयोग हो सकता है, उसको करने के बाद अगर बचता है तो जालौर ले जाएं। 6500 करोड़ की योजना ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं कह रहा हूं कि जितना सम्भव होगा पहले उस क्षेत्र में काम लेंगे और उसके बाद सरप्लस वाटर को ले जाएंगे।

श्री अमराराम (धोद): बाद में बचता है तो ले जाएं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): बाद में बचा हुआ पानी ले जाएं। बिलकुल बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, 6500 करोड़ रुपये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर इस तरह से चर्चा नहीं हुआ करती है।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी का ... (व्यवधान) हमने सर्वे कराने की कार्यवाही चालू कर दी है।

श्री अध्यक्षः अब पर्ची पर है। नो, अब कोई नहीं बोलेगा।... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सर्वे के बाद सारी स्थिति और बता दूंगा। (व्यवधान) सदन में आप और हम रहेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर इस तरह की चर्चा नहीं हुआ करती है। उन्होंने कहा कि दो मिनट में अपनी बात कहने का मौका दें और मैंने उन्हें दे दिया लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर इस प्रकार न मंत्री का उत्तर होता है और न इस प्रकार से चर्चा होती है। पर्ची पर श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं, आप पर्ची होने दें। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। देखिये आपको तीन मिनट में अपनी बात कहनी है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): दो मिनट में कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष: सब हठधर्मी करने लग जाएंगे, इस तरह से तो काम चलेगा ही नहीं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मन्दिरों में बिजली का चार्ज घरेलू दर से लिया जाये

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): दो मिनट में करता हूं। आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विषय यह है कि गांवों में, हर एक गांव के बीच में कोई न कोई एक ऐसा धर्म स्थान होता है, धर्म स्थल होता है, मन्दिर होता है, जिस मंदिर के साथ में पूरे गांव की अस्मिता जुड़ी हुई होती है। पूरा गांव उस मंदिर से केन्द्रित रहता है अगर उस मंदिर में किसी भी कारण से अंधेरा रहे तो यह उस गांव के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहता है इसलिए मेरा एक निवेदन है कि यह मंदिरों में जो कामर्शियल चार्ज इलेक्ट्रिक का लगता है, जिससे मंदिरों के बिल है, वे चार हजार, पांच हजार, छह हजार रुपये आते हैं। गांवों के मंदिरों में कोई आय नहीं होती है। वह मंदिर भर नहीं पाते हैं और कनेक्शन कट जाता है इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन है कि यह गांव में जो भी देवस्थान हैं, जो पूजा स्थल हैं, जो हमारे अराध्य स्थल हैं, उन स्थानों पर डोमेस्टिक चार्ज, फ्री नहीं करें तो कम से कम घरेलू चार्ज जो लगता है, वह उसमें बिलों पर

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

लगाया जाए जिससे उन मंदिरों में उजाला रहे और गांवों का जो आराधना केन्द्र है वह अच्छा आराधना केन्द्र बने, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मदन राठौड़ (अनुपस्थित) श्री खुशवीर सिंह ।

उच्च अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से गाड़ी पर लाल बत्ती लगाया जाना

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद में हमारा राष्ट्र बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना हुई और हमने सोचा कि प्रजातंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, शासन उनके हाथों में होगा लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह आजादी से पूर्व अंग्रेज हुकूमत में जब उनका लार्ड साहब जिसको कहते थे वायसराय, वह निकलता था तो हिन्दुस्तान के वासियों को अपने हाथों में मशालें लेकर उलटे खड़े रहना पड़ता था। मुंह भी सामने नहीं कर सकते थे और आज उसी की तर्ज पर इस राष्ट्र के अन्दर वही शासन की बागडोर जन-प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं होकर इन अधिकारियों के हाथ में है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त पिछली जो गयी, उसमें मैं और मेरे साथ एक माननीय सदस्य और थे, हम भी सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहुंचे और यह देखने के लिए कि राष्ट्रीय कार्यक्रम, लेकिन मुझे यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बात नहीं करें। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो मुख्य द्वार था और जो प्रवेश करने की बात थी वहां पर तो बड़े अधिकारी, बड़े बाबू लोगों को जाने का अधिकार था और माननीय विधायकों को 23 नम्बर द्वार से जो सामान्य द्वार था, वहां से उनको प्रवेश करने की अनुमति दी गयी थी, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और उनके लिए बाकायदा सोफे लगे हुए थे । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आज प्रोटोकोल की सूची में अगर हम देखते हैं तो विधायक मुख्य सचिव से भी ऊपर आता है और मुख्य सचिव के लाल-बत्ती लगती है। सैक्रेटरीज के लाल-बत्ती लगती है और जिला कलक्टर के लाल-बत्ती लगती है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपके कहने का मतलब लाल-बत्ती आपके भी लगायी जाए?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लाल-बत्ती, हमारे लाल-बत्ती लगाने की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात नौकरशाही हावी हो रही है उसकी है। आज जन-प्रतिनिधियों, मुख्य मंत्री के, राष्ट्रपति के, प्रधान मंत्री के, गवर्नर के और माननीय अध्यक्ष महोदय के और मंत्रियों के लाल-बत्ती की तो बात समझ में आती है। न्यायाधीशों के लाल-बत्ती लगती है तो बात समझ में आती है लेकिन उन अधिकारियों के लाल-बत्ती किस बात पर? आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस स्वतंत्र भारत को कि आप इन अधिकारियों को लाल-बत्ती लगा रहे हैं। मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी लाल-बत्ती बंद की जाए, उतारी जाए और गुजरात की तर्ज पर पीली बत्ती लगायी जाए जिससे यह कम से कम पता चलेगा कि यह न्यायाधीश के लाल-बत्ती है, हमारे जन प्रतिनिधि, जो मंत्री है, मुख्य मंत्री है, राष्ट्रपति है, गवर्नर्स हैं, उनके लाल-बत्ती है, पता चलेगा और इन अधिकारियों के अगर लगानी ही है तो आप पीली बत्ती लगाइये, लाल-बत्ती नहीं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है और इसमें मेरे ख्याल से राजस्थान की विधान सभा के 200 यह पूरे, मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से मेजें थपथपाई जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी गम्भीरता का आप खुद स्वयं पता लगा सकती हैं। मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा कि जिला प्रमुख के जब लाल-बत्ती लगती है, जो मात्र दस हजार, पन्द्रह हजार वोटों से जीतकर आता है। एक म्युनिसिपल अध्यक्ष के अगर लाल-बत्ती लग सकती है तो क्यों नहीं आपके इन विधायकों के लाल-बत्ती लगायी जाए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पुरजोर शब्दों में सदन से अनुरोध है कि आज यह निर्णय लिया जाए और इन अधिकारियों की लाल-बत्ती तुरन्त बंद करवायी जाए और इसकी जगह पीली बत्ती लगायी जाए। यही मैं अनुरोध करना चाहूंगा। अधिकारियों के और नहीं तो पीली बत्ती, नहीं तो लाल-बत्ती तो कम से कम बंद करवा दें।

यह आजाद भारत है। आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस स्वतंत्र भारत की जनता को? क्या आज अधिकारी, वही अंग्रेजों की हुकूमत में जो

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

होता था, वही हुकूमत इनकी है, हम तो मात्र एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते एक दिखावे में हम कार्य कर रहे हैं?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आपकी बात का समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन माननीय सदस्य से इस प्रकार का व्यवहार किया गया है कि इनको वहां साधारण दरवाजे से जाना और आम आदमी की तरह ट्रीट करना तो माननीय सदस्य की स्थिति क्या रहेगी? यह गम्भीर प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपकी आज्ञानुसार हम वही आचरण करेंगे लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि यह गम्भीर मामला है और निश्चित रूप से माननीय सदस्य का स्वाभिमान और जन-प्रतिनिधि होने के नाते उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वह बरकरार रहनी चाहिए और सम्मान होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ताईद करता हूं कि हमारा, मैं जा रहा था एक बार कार्यक्रम में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें, आपने अपनी बात कह दी। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): कल के कार्यक्रम में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जन-प्रतिनिधियों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की, हालांकि मैं नहीं पहुंच पाया जरूरी काम से चला गया था, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी। वह पर्ची की तो केवल आपके ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अधिकारियों के लिए अलग थी और जन-प्रतिनिधियों के लिए अलग व्यवस्था की, उसका तो मैं धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है आपकी बात।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप सुनिये तो सही, आसन की तो व्यवस्था सुन लीजिए।

वैसे तो गृह मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं। गृह मंत्रीजी, कुछ विधायकों ने तो लगा रखी है लाल-बत्ती वैसे भी। मुझे मालूम है, मैं यह नहीं बताऊंगी कि किसने लगा रखी है लेकिन ... (व्यवधान) नहीं, कुछ विधायकों ने लगा रखी है, सब जानते हैं आप लोग, देखते हो रोजाना। मैं क्या बताऊं? कुछ विधायकों ने लगा रखी है या तो वह बत्तियां हटाई जाए, कायदे की बात है और वरना फिर सबको ही परमिशन दी जाए कि भाई, जो चाहे लगा लें क्योंकि कोई धींगामस्ती करें और अपनी मर्जी से लगा लें। चाहे रुतबे के लिए लगाये, चाहे किसी और वजह से लगाये, कोई उलटा धंधा करने की वजह से लगाता होगा या कोई रुतबे के कारण से लगाता होगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह तो अधिकारी भी कर सकते हैं उलटे धंधें तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: या तो उनको हटा दी जाए और नहीं हटाये तो फिर सबको लगाने की इजाजत दी जाए, बात तो सही है तो ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो दूसरे भी कर सकते हैं। यह आजकल हाइवे पर आने-जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, ट्रेफिक इतना रहता है कि वहां पर ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): विधायक तो प्रोटोकोल में चीफ सैक्रेटरी से ऊपर होने के बाद भी ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी से जो प्रोटोकोल में ऊपर है। प्रोटोकोल में ऊपर है। उनकी तो लाल-बत्ती ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उतारने को कह रहे हैं। मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। प्रोटोकोल के मुताबिक व्यवस्था होगी।

श्री अमराराम (धोद): हमारे पास तो गाड़ियां ही नहीं हैं। ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में विधायकों को भी लाल बत्ती लगाने की अनुमति है। इसलिए राजस्थान में भी अगर किसी ने लगा रखी है तो खुद के पैसे से लगा रखी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह लाल बत्ती अहंकार की प्रतीक है और जन प्रतिनिधि जनता के प्रथम सेवक हैं इसलिए लाल बत्ती विधायकों को नहीं दी जानी चाहिये। विधायकों को नहीं दी जानी चाहिये। ..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती लगे या हरी लगे या कैसी लगे, जो नियमों में प्रावधान है उसी के अनुसार लगनी चाहिये। कुछ लोग इसका दुरूपयोग जरूर कर रहे हैं । एक तो यह हो सकता है कि इसका टोटल दुरूपयोग बंद कर दिया जाये, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, एक रास्ता तो यह है। दूसरा, यदि अपन यह चाहते हैं कि जन प्रतिनिधि को दें तो अब जन प्रतिनिधियों की लिस्ट अपन शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं उसकी सीमाएं बांधना इतना आसान नहीं होगा। आज अगर हम करेंगे तो कल जिला प्रमुख मांगेंगे, प्रधान मांगेंगे ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिला प्रमुख तो है आलरेडी। जिला प्रमुख के तो आलरेडी है। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): जिला प्रमुख तो आलरेडी लगाते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नहीं, हमारे तो मत लगाओ लेकिन हमारे से प्रोटोकोल में जो नीचे हैं, उनकी तो उतार दो आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह मेरे से नाम निकल गया होगा जिला प्रमुख का। मेरा मतलब है प्रधान भी है, नगरपालिका का चेयरमैन भी है, पार्षद भी है, कल सरपंच भी मांगेगा और भी मांगेंगे । जन प्रतिनिधि तो सारे ही हैं। इसलिए फिर भी इस विषय को गंभीरता से हम बैठकर विचार करेंगे कि इन सब में क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं । जो भी हमको बैठने के बाद लगेगा कि यह इस तरह से किया जा सकता है वह जरूर करेंगे और अगर वह नहीं किया तो कम से कम आपकी इस बात से तो मैं सहमत हूं जिसको आज की तारीख में जिस प्रकार की बत्ती लगाने का अधिकार है, वह उसका दुरूपयोग न करें, चाहे आप हों, मैं हूं, कोई भी हों, दोनों में से कोई रास्ता जरूर तय होगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है..(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं ..(व्यवधान) सुभाष जी, एक मिनट..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दो एक साथ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नाम गिनवाये हैं । अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने जितने नाम गिनाये हैं उनके सबके लाल बत्ती लगती है चाहे वह जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे नगरपालिका के चेयरमैन हों, उन्होंने पहले से ही लगा रखी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विधायकों को ही बाकी रख रखा है । (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, यह इस कानून में विसंगति है । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एक प्रोटोकोल बुक बनी हुई है और प्रोटोकोल बुक में कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, यह कानून बना हुआ है। मेजर बेस प्रोटोकोल माना जाता है और उस प्रोटोकोल बुक को छोड़कर नये नियम बना दिये गये, जिसमें कौन बत्ती लगायेगा, कौन नहीं लगायेगा। इस लाल बत्ती लगाने का परपज माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि हाइवे है, विदेशों की तरह हमारे यहां हाइवेज और सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था तो ट्रक बहुत ज्यादा चलते हैं, जन प्रतिनिधियों को दौरे करने के लिये एक स्थान से लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है कई बार दिन में, कई बार रात में तो इसलिए उनको ट्रक साइड नहीं देते हैं, कई बार बस साइड नहीं देती, कई बार फंस जाते हैं ट्रेफिक में और कई लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं हमारे सदस्यों के साथ, चाहे एम.पीज. हों चाहे एम.एल.ए. हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा जैसा माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा आज म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को जरूरत ही नहीं है क्योंकि वह शहर-शहर के अंदर घूमेंगे । अध्यक्ष महोदय, आप पंचायत समिति ..(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: आपकी पर्ची थोड़े ही है इस पर। आपकी पर्ची नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ विधायक हो, आपकी पर्ची नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं यही तो कह रहा हूं उसको दे रखी है। देखिये, विषय बहुत गम्भीर आ गया तो मैंने कानूनन बात आपको कही है। यह कानून में विसंगति है। इस कानून की विसंगति को आप दूर करिये। छोटे-छोटे अधिकारी बत्ती लगाकर घूम रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर जो पुराने नियम बने हुए हैं, उनमें आप परिवर्तन करिये। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मेरा इससे हटकर

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

थोड़ा सा निवेदन है। थोडा हटकर निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों की इज्जत का सवाल है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो-नो, अब कोई चर्चा नहीं होगी। अब इस विषय पर चर्चा बंद। एक पर्ची श्री मदन राठौड़ की आई थी। मैंने जब नाम पुकारा तब आप थे नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा गया था।

श्री अध्यक्ष: यू हैव मिस योअर अपार्चुनिटी, फिर भी आप दो मिनट में अपनी बात को बोलेंगे। दो मिनट से तीसरा मिनट नहीं। दो मिनट में आपकी बात खतम हो जाएगी 12.56 पर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो आधा मिनट लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्यों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार ब्यूरोक्रेसी करती है, यह उनके सम्मान के लिये ठीक नहीं और हर जगह देखने में ऐसा मौका मिलता है। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी में आप सबसे ऊपर बताते हैं दूसरी तरफ यही ब्यूरोक्रेसी हमारे माननीय सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। मैं आपसे, आसन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस प्रकार के निर्देश दें कि माननीय विधायकों, सांसदों के सम्मान में कोई किसी प्रकार की ..

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: आप बोलते ही चले गये। अब आपने शुरू ही कर दिया। श्री मदन राठौड़।

पोसालिया और छीपागांव में फर्जी रपट/सड़क का कागजों में निर्माण

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अभी श्री गौतमजी मंदिर, सिरोही में दर्शन करने के लिये जा रहा था कि रास्ते में पोसालिया और छीपागांव के बीच में नदी पर रपट टूटी हुई थी। थोड़ा आगे गया तो आगे एक पत्थर लगा हुआ था शिलालेख और उस शिलालेख पर यह लिखा हुआ था कि यह सड़क 2003 में बन चुकी, जिसका उद्घाटन हुआ था, उस पर लिखा हुआ है मुख्य अतिथि माननीय सरदार बूटासिंह, अध्यक्षता श्रीमान् संयम लोढ़ा, विधायक, विशिष्ट अतिथि श्रीमान् राजेश यादव, जिला कलक्टर सिरोही और

(श्री मदन राठौड़)

इसमें, अध्यक्ष महोदय, फिर मैंने पता किया कि यह सड़क तो है नहीं, रपट भी बनी हुई नहीं, थोड़ी बहुत बनी हुई है, जो टूटी हुई थी। मैं कलेक्ट्रेट में गया और मैंने वहां पता किया कि क्या हुआ इस रपट का। अध्यक्ष महोदय, बहुत आश्चर्यजनक तथ्य सामने आये कि अकाल राहत के तहत 91 लाख 95 हजार रुपये अकाल राहत के तहत स्वीकृत हुआ था और यह ठेके से काम करवाया गया । थोड़ा काम ठेके में हुआ फिर बरसात आ गयी और बहकर चली गयी वहां पर आश्चर्यजनक स्थिति यह बन गयी कि वहां एम.एल.ए. ने सात हजार रुपये स्वीकृत किये अपने फण्ड से और तीस हजार रुपये यानि समझ में नहीं आया 41 लाख 95 हजार स्वीकृत हुआ था और सड़क वहां बनी नहीं, रपट बनी नहीं, ठेके से काम किया तो उसके बाद जब मैंने वहां पता किया तो हलचल मच गयी। अध्यक्ष महोदय, इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात तो अब हुई कि जब वहां पर चर्चा हो गयी, जब वहां हलचल मच गयी तो आनन-फानन अब वहां काम करवाया जा रहा है। अब वहां पर रातों-रात काम चल रहा है जिसकी फोटोग्राफी मैं करवा कर लाया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): इन नूरा पहलवानजी से पूछा जाये, संयम लोढ़ाजी से । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, मशीनें लगी हुई हैं, वहां पर काम चल रहा है। रात और दिन काम चल रहा है। अभी मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दें । इसकी जांच होनी चाहिये। अकाल राहत का काम ठेके से कैसे करवा दिया ? मस्टररोल फर्जी तैयार किये गये और यह सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि काम ठेके पर हुआ, आश्चर्यजनक स्थिति है। मैं यह सदन के पटल पर रखना चाहूंगा फोटोग्राफ, जिसमें वहां पर अभी सीमेंट की बोरियां पड़ी हैं, मशीनें लगी हुई हैं, मशीनों से काम हो रहा है । ताजी सड़क का निर्माण हो रहा है। आठ-दस मजदूर दिन-रात काम कर रहे हैं और इसकी जांच करवायेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने वहां पर आंकड़ा लेना चाहा तो एक मद में एम एल ए फण्ड से 33 हजार रुपये स्वीकृत हुआ, एक मद में 7 हजार रुपये तो मैं सोचता हूं 7 हजार रुपये तो इस शिलालेख पर खर्च हुआ होगा, इससे ज्यादा तो कुछ लगता नहीं। अध्यक्ष महोदय, इससे भी ज्यादा स्थिति और उन दोनों की है कि जब लगभग

(श्री मदन राठौड़)

84,913 क्विंटल गेहूं का गबन हुआ था कांग्रेस सरकार में और जिसमें से हमारी सरकार ने लगभग 13,738 क्विंटल गेहूं वापस बरामद भी किया । यही नहीं लगभग 23 लाख 44 हजार 305 रुपये हमारी सरकार ने उस समय गबनकर्ताओं से वसूला। यही नहीं कइयों के लाइसेंस भी जब्त किये लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अभी तो यह विषय मैं चाहूंगा, वह तो जांच हो रही है और जांच हो जाएगी लेकिन अब जो काम हो रहा है, वह किस मद में हो रहा है, कहां की स्वीकृति है ? बिना स्वीकृति के काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी निश्चित रूप से जांच करवायें और यह मैं सदन के पटल पर फोटोग्राफ रखना चाहूंगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): मैं माननीय सदस्य के जवाब में यह कहना चाह रहा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची खोली थी। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था दिलायें। माननीय मंत्री बिराजमान हैं अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा इसमें आप कुछ निर्देश दिलाइये। इसमें जांच करवाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: आपने बात खतम कर दी। आपने अपनी बात कह दी। मंत्रीजी हैं नहीं किससे जांच करायें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी हैं यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के पास इनकी भावना पहुंचा देंगे, बता देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे क्षेत्र का मामला उठाया है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच करवा लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): न्यायाधीश से जांच तो नहीं करवा पायेंगे अगर आप कहोगे तो जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): यह तो नूरा कुश्ती की जांच होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. के एस.ई. से करवा दें। पी.डब्ल्यू.डी. से करवा दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, जांच करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा, आपने जो अपनी पर्ची के माध्यम से विषय उठाया है, एक सप्ताह में आप दो बार पर्ची के माध्यम से उठा चुके हैं। और जब एक सप्ताह में दो बार आपकी पर्चियां आ गयी हैं तो मैं तीसरी बार आपकी पर्ची के माध्यम से आपको इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवदेन यह है कि एप्रोप्रिएशन बिल पर ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: आप सप्ताह में दो बार पर्ची के माध्यम से उठा चुके हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पर भी मेरा नाम दिया था मुझे बोलने का मौका आसन ने नहीं दिया और अब यह एक्साइज पालिसी के माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नियमों में है, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के घोटालों के 15 ध्यानाकर्षण हमने दिये हुए हैं, नियम में तीन दिन में सरकार को जवाब देना चाहिए, 35-35 दिन हो गये सरकार जवाब नहीं देती, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो क्या करें?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तीन साल बाद तो आप अब काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल बाद यह अब काम करवा रहे हैं। तीन साल बाद पहले जो काम स्वीकृत हो गया, अकाल राहत के तहत तीन साल पहले जो काम पूरा हुआ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलते बहुत अच्छा हैं लेकिन आसन की अवहेलना करते हैं आप, उससे मैं आपको आगाह करना चाहती हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: कि आपको भी कभी बेस्ट लेजिस्लेटर का मिल सकता है अवार्ड लेकिन आप आसन की अवहेलना कर के इसे खो लेते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य, विषयान्तर करने की कोशिश नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है आपसे पांच मिनट। दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आपको बोलने का नहीं कुछ भी। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। मैं नियमों के विपरीत अब कैसे जा सकती हूं। यह आसन तो नियमों से बंधा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब तीन पर्ची इनको लगानी ही नहीं चाहिए, आपने दो बार मौका दे दिया। (व्यवधान) तीन पर्ची लगानी ही नहीं चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इतना बड़ा एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किया आपने, घोटाला एक्साइज के अन्दर फिर मुझे बोलने देना नहीं चाहते आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं क्षमा चाहती हूं, आसन नियमों से बंधा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप सोमवार को आओ। सोमवार को पधारो, सोमवार को आओ न। ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): नहीं, आपने उसका हिसाब-किताब क्यों नहीं दिया इनको।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष: अब आपको क्या तकलीफ हो गयी। क्या है?

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा नवीं कक्षा हेतु स्वीकृत हिन्दी पुस्तक में आपत्तिजनक टिप्पणियां

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, राजस्थान का शिक्षा विभाग किस प्रकार की शिक्षा दे रहा है? एक पुस्तक है कक्षा नौ के लिऐ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा भारती भाग नम्बर एक गद्य पद्य संग्रह पढ़ायी जाती है। शिक्षा मंत्रीजी, इसमें एक लेख है पाठ सात पर कि अगर गधे के सिर पर सींग होते, गोपाल प्रसादजी व्यास इसके राइटर हैं और इसमें जो आगे लिखा हुआ है, जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो मैं आपके सामने पढ़ कर के सुनाता हूं और उसमें यह लिखा है कि हमारे यहां पशुओं में गाय को बड़ा मान दिया गया है, हम हिन्दू उसकी मां की तरह पूजा करते हैं पर यह कैसी माता है जो बिना चारे-पानी के दूध नहीं देती? गाय मरने पर वैतरणी पार कराती होगी, हमारे सहज सिद्ध गर्धवराज तो अपने आश्रयदाता को लाडी सहित इस जीवन में वैतरणी पार कराते रहते हैं।

अब महत्वपूर्ण इसके बाद दूसरा, ''भारतीय नेताओं की तरह गधे की खाल बहुत मोटी होती है। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ लगा दे मगर यह एकदम निश्चल और निर्विकार, नेता तो मौके-बेमौके रैंक कर ...

एक माननीय सदस्य- रैंक कर।

श्री अध्यक्ष: हां, रैंक कर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): रैंक कर मुसीबत खड़ी कर देता है लेकिन हमारे गधे देवता तो ऐसी खराब आदत नहीं, वो कभी भी बेमौके भाषण नहीं देते। नेता तो जिम्मेदारी की कुर्सी पाकर, यानि उनके शब्दों में...

श्री अध्यक्ष: आप बेमौके भाषण क्यों दे रहे हो, आप बेमौके क्यों दे रहे हो भाषण?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह प्रमाणित कर रहे हैं। (व्यवधान) उन्होंने लिखा है वो प्रमाणित कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय नेता, चाहे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे उसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, चाहे इन्दिरा गांधी हों, चाहे राजीव गांधी हों और चाहे वी.पी. सिंह हों और चाहे आडवाणीजी हों, उन नेता, भारतीय नेताओं का गधे से

(श्री हरिमोहन शर्मा)

तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अगर मुख्य सचेतक इस बात की पैरवी करें और राजस्थान के बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती रहे और इसकी पैरवी करें तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं पैरवी तो नहीं करता पर मैं यह जरूर कहता हूं कि नेताओं की कवि सम्मेलन में, जगह-जगह टिप्पिणयां की जाती हैं, उस पर विचार करना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सुनिये तो सही।

श्री अमराराम (धोद): यह तो पुस्तक है, यह पाठ्य पुस्तक है, कवि सम्मेलन नहीं है। पाठ्य पुस्तक का मतलब करोड़ों विद्यार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं। कवि सम्मेलन तो एक क्षण के लिए किसी शहर में होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सपोर्ट किया है ...(व्यवधान) अब आप प्लीज स्थान ग्रहण करिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक पैरा और है जो नेताओं की जिम्मेदारी की कुर्सी पाकर, यानि उनके शब्दों में सेवा का फल मिलते ही आंखें भी फेर लेता है और हाथ नहीं रखने देता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आप कृपा करो, आप और हमारी जमात एक ही है। कृपा करो। (व्यवधान) नहीं, आपकी और हमारी जमात एक है, हम सभी के लिए कहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप इसको सुनो। मगर गधों पर जैसे-जैसे उत्तरदायित्व आता है, आप सुनो इसको, जैसे-जैसे उत्तरदायित्व आता है, यानि बोझ पड़ता है वैसे ही विनय, सेवाभावी होता जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कवि बहुत ज्यादा कहते हैं। (व्यवधान) आपको और हमारे को सोचने की जरूरत है। यह अख़बार भी लिखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अख़बार भी लिखते हैं, साहित्यकार भी लिखते हैं, कवि भी बोलते हैं ...(व्यवधान) अभी तो लिखते ही हैं, लोग गधे की तरह घसीटते थे हमको। यह भी सोचना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो नेता तो केवल चुनाव के वक्त काबू में आता है और गधे को जब चाहो टांग पकड़ कर खींच लीजिए, वह

अत्यन्त सेवाभावी है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, परसों के रोज कक्षा नौ के पाठ्यक्रम में जो उनका एग्जामिनेशन था, उसके पेपर सैटर ने उन बच्चों से प्रश्न संख्या 29 के माध्यम से यह सारा उद्धरण, निम्नलिखित गद्यांश की स:प्रसंग व्याख्या कीजिए:- 'भारतीय नेताओं की तरह गधे की खाल बहुत मोटी होती है', जो मैंने पढ़ा वो बच्चों को है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ..

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: हां, पाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): बच्चे पढ़ रहे हैं। (व्यवधान) कवि सम्मेलन नहीं, करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं नवीं के। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कवि इससे भी ज्यादा कहते हैं। (व्यवधान) हमारे को सोचने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, अगर आप भारतीय नेताओं की, जिन्होंने आजादी दिलायी, इस देश को मार्गदर्शन दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को मंजिल पर पहुंचाया, उनकी तुलना गधे से करने की बात बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप राजस्थान के बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपने बात कह दी अपनी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दुर्भावनापूर्वक उनको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और उन नेताओं की तुलना करने के बाद अगर माननीय शिक्षा मंत्रीजी चुप बैठे रहें तो हमारे लिए इससे शर्म की बात अभी कुछ नहीं हो सकती।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ आर्डर। सरकारी मुख्य सचेतक ने पाइंट ऑफ आर्डर उठाया है। नो नो, बैठिये आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय,, जीरो आवर में अलाऊ करेंगी न पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: जीरो आवर खतम हो गया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जीरो आवर में आप पाइंट आफ आर्डर अलाऊ करेंगी?

श्री अध्यक्ष: जीरो आवर खतम हो गया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बस ठीक है।

श्री अध्यक्ष: जब उन्होंने पाइंट आफ आर्डर उठाया तब ही खतम हो गया था, नहीं क्यों उठाने देती मैं उन्हें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि यह जो जिसने भी लिखा है उसको तो शिक्षा मंत्रीजी देखेंगे, लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए पर जो इन्होंने बोल दिया, यहां वो तो पूरी प्रोसिडिंग पूरी की पूरी यों की यों आयेगी कि भारतीय, हमारे नेता कैसे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैंने तो वो बोला है जो बच्चों ने पढ़ा है यहां और जो आपके किताब में है। (व्यवधान) यह गलत नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): बिलकुल गलत लिखा है ... (व्यवधान) आप इसको देखो। जो लिखा है, बच्चों को पढ़ाया है, बहुत गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बच्चों को पढ़ायी जा रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बच्चों को पढ़ायी जा रही है, यह किताब है। यह बच्चों को पढ़ायी जा रही है। (व्यवधान) प्रश्न पत्र है।

एक माननीय सदस्य: इसकी जांच कराओ, उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): खेद व्यक्त करिये ...(व्यवधान) आप तो खेद व्यक्त कीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ऐसे पाठ को हटाया जाए, इस पाठ का समर्थन हम कोई नहीं करते हैं। ऐसे पाठ को हटाया जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): इस बोर्ड ने, शिक्षा के पाठ्यक्रम को, ऐसा पाठ पढ़ाने के लिए जिसने भी इसको एप्रूव किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। बच्चों को ऐसा नहीं सिखाया जाए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और उस लेखक के खिलाफ, माननीय मंत्रीजी, आप कार्यवाही करें। उस लेखक के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिसने इस प्रकार की भाषा लिखी है और यह पाठ्यक्रम जिसने सलैक्ट किया है उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी पाठ में, यह आदमी सातवीं कक्षा तक पढ़ा है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, नौवीं की किताब है, आगे लिखता है कि भारत की पतिव्रता स्त्रियों के बारे में जिस तरह का कमेंट किया है, यह खतम हो गयी हैं। गऊ के लिए कहा है, जिसको भारतवासी मां मानते हैं, आप और हम सब मानते हैं कि अमृत देती है इसके लिए इसी पाठ में लिखा हुआ है और इस तरह की बात सातवीं पास ने, किसने यह जारी की...

श्री अध्यक्ष: अब उठा दिया उन्होंने, अब आप क्या कहना चाहते हो?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसने यह जारी की, किसने रिकमण्ड किया, आप कृपा कर के मुकदमा दर्ज कराकर के, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ...

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): इन्होंने जो कहा, बिलकुल सही बात है, अगर वाकई में सत्यता है तो इसकी जांच कराओ, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह लिखा हुआ है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): शिक्षा मंत्रीजी, आप जवाब दीजिए। गृह मंत्रीजी, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): गऊ माता का अपमान, नेताओं का अपमान इसलिए, माननीय मंत्रीजी आप मुकदमा दर्ज कराते हो गलत किताब के मामले में।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): वो बोल रहे हैं न, बोलने दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी, बताइये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): गऊ के लिए कहा है, पतिव्रता स्त्रियों के लिए भर्त्सना की है, आप कृपा कर के मुकदमा दर्ज करायेंगे इसका, उसको सज़ा देंगे।

श्री अध्यक्ष: वो कह रहे हैं, वो खड़े होकर कुछ कहना चाहते हैं, आप मौका ही नहीं दे रहे हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसने जारी की है, उसके बारे में किसने रिकमण्ड किया है ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर प्रिविलेज मोशन लाया जाना चाहिए, इसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, उसको खड़ा किया जाना चाहिए बुलाकर। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सही सजेशन। कार्यवाही होनी चाहिए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप कार्यवाही करिये, इस तरह की भर्त्सना करना, क्या भारत का भविष्य बना रहे हैं यह।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रीजी, खड़े होइये और कुछ बोलिये।

एक माननीय सदस्य: तुरन्त इस पाठ को हटाया जाए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): पेज नम्बर 79 है ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकों का चयन का एक तरीका बना हुआ है। चार आदमियों की कमेटी बनती है ..... (व्यवधान) No, no, I am not ... मैं प्रक्रिया बता रहा हूं कि मंत्री के पास सारा, जानकारी मुझे नहीं रहती इसलिए कह रहा हूं। समिति बनती है फिर बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन और पाठ्य पुस्तक मण्डल अपने आप में विषयों का और पाठ्यक्रम का चयन करते हैं।

हमने अब एक कमेटी राज्य स्तर पर भी बना दी है कि उनकी चयन की भी पुस्तक आने के बाद में उस पर एक-एक बारीकी से देख लेते हैं ताकि

किसी को मानहानि का और किसी सम्प्रदाय के खिलाफ या किसी महापुरुष के खिलाफ कोई बात नहीं आए। इसका तय करने के लिए माननीय सदस्य अभी मेरे ध्यान में लाए हैं। मुझे अभी यह पता नहीं है कि यह कौनसी पुस्तक है । आपने नाम बताया है मैं उस पुस्तक को मंगवा लेता हूं । दो प्रकार की पुस्तकें हैं एक तो जिस दिन कल्ला साहब बता रहे थे वह आती है ना पासबुक सीरीज वाली वह है तो उन पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए तो सही ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप सुनो तो सही। अगर यह बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन द्वारा पाठ्य पुस्तक मण्डल में प्रस्तावित है और पढ़ाई जा रही है फिर आपने जिस लेखक का नाम लिया है गोपाल प्रसादजी व्यास एक बहुत बड़े लेखक व्यंग्यकार भी है उनकी है या दूसरे गोपाल प्रसादजी व्यास है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): व्यंग्यकार ही हैं व्यंग में ही लिखी गई है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): व्यंग्यकार बहुत बड़े हैं आप भी जानते होंगे। यत्र तत्र सर्वत्र हिन्दुस्तान में बहुत वर्षो तक उनका चलता रहा है। पद्म विभूषण और पद्म श्री भी उनको मिला है तो वह गोपाल प्रसादजी हैं या एक दूसरे गोपाल प्रसादजी हैं जिन्होंने आपके बारे में ऐसी बात लिखी है ।

श्री अमराराम (धोद): आप बच गए क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप बैठो तो सही । तो मैं इसको देखूंगा और कल तो है नहीं, विधान सभा दो या तीन तारीख को तब इसके बारे में सारी बात आपको स्पष्ट करूंगा और इसलिए इसमें कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है आपके सम्मान की पूरी रक्षा करेंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तुलना गलत कैसे की है ?

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विधायी कार्य–विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक,2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

जो पक्ष में हों हां कहें ।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

अनेक माननीय सदस्य: नौ।

श्री अध्यक्ष: Do you want division ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): yes.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अपने यहां नियम नहीं है पुर:स्थापित पर डिवीजन नहीं होता है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसमें क्या तकलीफ है ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पुर:स्थापित पर अपने यहां परम्परा नहीं है विचारार्थ पर कर लेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पुर:स्थापित पर नहीं होता ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाद में कर लेना ।

(स्वीकृत)

पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्रीजी ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी । प्रभारी मंत्रीजी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर उठाया था, आपने रूलिंग रिजर्व कर दी थी । आप आज देंगे या कल, जैसा आप उचित समझें ।

श्री अध्यक्ष: मैं इस पर तीन तारीख को दूंगी ।

सूचना

सीकर से आने वाली माननीय सदस्या के पति के अपहरण का प्रयास

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा विषय है जो हमारे सीकर से माननीय विधायक राजकुमारी शर्मा आती हैं उनके पति को इसलिए अपहरण करने की कोशिश की गई क्योंकि इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य वह जनता की दु:ख और तकलीफ की आवाज को यहां उठाएं और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके इस बात के लिए भयभीत किया जाए कि वह ऐसे अपराधी लोगों के खिलाफ इस सदन में आवाज नहीं उठाएं। वह परसों गृह मंत्रीजी के सामने सीकर के एक कपड़े के व्यपारी कान्हाराम जिसका 21 तारीख को अपहरण हुआ और आज तक उन अपहरणकर्ताओं का पुलिस पता नहीं लगा पाई है और न उन अपराधियों को पकड़ पाई है 21 से 31 तारीख हो गई और उन्होंने यहां रखा है। वेलेन्टाइन डे के दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने सीकर की किसी दुकान में तोड़-फोड़ की, उन्होंने उनके खिलाफ किया उनका सहारा लेकर के वह अपराधी जो कान्हाराम एक व्यापारी का 21 तारीख को अपहरण किया उनका एक दिन का अपहरण नहीं है। सीकर जिले में अनेक अपहरण करके, हत्या करके उनको जला कर उसकी राख को बिखेरने गये। मंगलूना के एक वृद्ध जोधाराम का मर्डर किया और जीण माता में लाकर उसको जलाया, उसकी राख को बिखेर दिया, उसके सबूत मिटा दिए। भानूडा में एक रामेश्वर की हत्या की, दातारामगढ़ में हत्या की, मौलासर में नागौर में ले जाकर जला कर उसकी राख को ...

श्री अध्यक्ष: आप अपहरण की करते-करते आगे बढ़ रहे हो, जलाने तक पहुंच गये।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए कि सदन के माननीय सदस्यों का..

श्री अध्यक्ष: अपहरण का है ।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 200 माननीय सदस्य जनता की आवाज निर्भीकता से इस सदन में उठा पाएं और वह अपराधी उन माननीय सदस्यों के परिवारजनों को अपहरण करने की कोशिश करें और वह भी एक जुलूस में से जिला हैडक्वार्टर पर उनके परिवारजनों को अपहरण करने की कोशिश करें। वह तो गनीमत है कि लोगों ने उनको छुड़वा लिया, अपहरण नहीं करने दिया वरना अगर वह अपहरण करने में सफल हो जाते तो वही घटना जो जोधाराम और रामेश्वर की और दूसरे साथियों के साथ हुई है वही घटना मैं समझता हूं रामअवतारजी शर्मा के साथ होती । यह केवल साधारण घटना नहीं है। एक माननीय सदस्या के पति के अपहरण की घटना है इसलिए क्योंकि सीकर में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रोज-रोज जो घटनाएं हो रही हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हो, अपराधी पकड़े नहीं जाएं, उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए उनको इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, मैं समझता हूं यह सदन के माननीय सदस्यों का सबसे बड़ा अपमान है ।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फार्मेशन दे दिया।

श्री अमराराम (धोद): वह निर्भीकता से अपना दायित्व इस सदन में नहीं उठा पाएं क्योंकि ..

श्री अध्यक्ष: ठीक है विधायक का मामला है गृह मंत्रीजी ध्यान देंगे इस पर ।

श्री अमराराम (धोद): क्योंकि नौ महीने से जो अपराधी हैं जो अपराध में ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप पूरी कहानी क्यों कह रहे हैं?

श्री अमराराम (धोद): कहानी नहीं, मैं गृह मंत्रीजी को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि कान्हाराम के अपहरण में जो अपराधी इन्होंने चिह्नित किए हैं उनका एक नहीं चार अपहरण हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्यों बीच में बोलते हैं ?

श्री अमराराम (धोद): नौ महीने पहले एक मर्डर हुआ विजयपाल का राणोली के थाने पर हुआ, नौ महीने में नहीं पकड़ा गया ।

श्री अध्यक्ष: हो गई बात आपकी, आपने बात उठा दी, जवाब तो देने दीजिए मंत्रीजी को ।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन उनके मर्डर हैं अपहरण के केस हैं आज तक उन पर कार्यवाही नहीं हुई और यह भी अपहरण की कार्यवाही उनके माध्यम से ही है । यह अपराधी गिरोह जो भू-माफिया के इशारे पर कृत्य करते हैं इनके खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो सीकर की आम जनता तो खौफनाक है और अपराधी खुले घूम रहे हैं क्योंकि 302 के मुकदमें होने के बाद ग्यारह दिन पहले आकर के धमकी दी है ..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): महावीर सरपंच को ...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी खड़े हैं ...(व्यवधान) नो, नो,अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो घटना उठाई कि माननीय सदस्या के पति का अपहरण और उनके कपड़े फाड़ने की घटना हुई निश्चित रूप से हुई उसके खिलाफ 74/6 मुकदमा दर्ज हुआ, 143, 382, 323, 427, 151 और इसमें मुलजिम जो हैं दो मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम जगदीश पुत्र गंगाराम नायक 19 वर्ष, महेन्द्र पुत्र मांगीलाल नायक उम्र 18 वर्ष इन दो को गिरफ्तार कर लिया गया है । मैं सोचता हूं कि घटना हुई इसको मैं ना नहीं कह रहा हूं पर घटना के होने के बाद जो कार्यवाही पुलिस को करनी चाहिए वह पुलिस ने कार्यवाही की है। आपने जो आज सारी घटनाएं सुनाई और आप मुझे पहले किसी नोटिस के द्वारा देते तो मैं इसमें से प्रत्येक का जवाब देने की स्थिति में हूं लेकिन चूंकि आपने एट रेण्डम उठाया यह विषय तो चूंकि आज अख़बार में आया था आपने एकदम खड़ा किया लेकिन फिर भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैंने इसकी जानकारी पहले से ही कर ली थी यह विषय आ सकता है तो जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया मैं सोचता हूं इससे अधिक और कोई कार्यवाही हो नहीं सकती और बिना आपकी पूर्व सूचना के भी मैं सामने लेकर सदन में उपस्थित हुआ हूं। बाकी जो घटनाएं हैं आपकी, उन कई घटनाओं में मैंने कार्यवाही की है। आपकी शायद हो सकता है अपेक्षा के अनुसार नहीं हुई। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज भी मैं इस बात पर वचनबद्ध हूं कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। यह मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। कभी-कभी किन्हीं कारणों से जांच में देरी होने का प्रकरण जरूर चल पड़ता है लेकिन अपराधी नहीं बचेगा, यह मैं आपको पूरा यकीन दिलवाता हूं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता।

श्री अमराराम (धोद): गृह मंत्रीजी, मैं यह नहीं कह रहा कि इसमें आपने नहीं पकड़ा। जिस तरह के दिन दहाड़े सीकर में अपहरण हो रहे हैं बेबाराम काण्ड, कानाराम काण्ड ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल जवाब होने लगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके सीकर जिले की स्थिति समझ रहा हूं और मैं आपको सदन में विश्वास दिला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इनफोर्मेशन के नाम पर यह प्रश्न उठाया, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, अब आप क्या प्रश्न जवाब कर रहे हैं ?

श्री अमराराम (धोद): नहीं, प्रश्न नहीं कर रहा हूं मैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो फिर पाइंट आफ इनफोर्मेशन से यह होगा ? मुझे बताइये पाइंट आफ इनफोर्मेशन से व्यवस्था होती है क्या ?

श्री अमराराम (धोद): मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस तरह के अपहरण रोज हो रहे हैं, अपहरण करके मर्डर, एक घटना नहीं है और माननीय सदस्य ने आपके पास रखा..

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको मौका मिला था पुलिस की डिमांड के रोज। पुलिस की मांग के रोज आपको मौका मिला था। उस दिन तो सारी की सारी बात आपने कहीं नहीं और आज आप उठा रहे हैं पाइंट आफ इनफोर्मेशन के आधार पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं उसके बाद भी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, निश्चित रूप से सीकर जिले में ऐसे कुछ अपराध हैं जो हम अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाये हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त कर रहा हूं सारे प्रकरण, जो भी सीकर में पिछले एक साल में दर्ज हुए हैं, जो अनट्रेस्ड है उन सबको इकट्ठा करके उसकी मानीटरिंग करूंगा और उसमें जिसका भी दोष होगा, बड़े से बड़ा अधिकारी भी अगर दोषी होगा तो निश्चित रूप से उसे दंड मिलेगा। इसमें कोई छूट नहीं होगी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): आदरणीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलना नहीं चाहता। मैं तो आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने गंभीर मुद्दे और एक विधायक के पति का अपहरण करने की कोशिश करके, अन्य प्रान्तों में विधायकों को जो गनमैन दिये हुए हैं, गनमैन उपलब्ध कराओ ना आप एम.एल.ए. को।

श्री अध्यक्ष: गनमैन तो विधायक के साथ रहेगा, पति के साथ थोड़े ही रहेगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): वह पति की भी डर से कर देगा। पति की भी सुरक्षा कर देगा वह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: साथ होना अलग बात है। साथ होना अलग बात है।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदया भी उसी जुलूस में थीं और उनके पति भी उसी जुलूस में थे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. को गनमैन उपलब्ध कराओ ना। सुरक्षा की दृष्टि से अगर गनमैन दिया जाए तो उसका क्या दुरुपयोग होता है ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: नो, अब कोई पाइंट आफ इनफोर्मेशन नहीं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना मैंने पहले कई बार आपको निवेदन किया है ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। मेरे पास में सबूत ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई पाइंट आफ इनफोर्मेशन नहीं। अब नहीं। कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब सूचना नहीं। मैं आपको, कोई सूचना नहीं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, यह पाली के पोल्यूशन का मामला है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के ... (व्यवधान) अब कुछ नहीं। संकल्पों पर विचार होगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वह टेबल पर रखना चाहते हैं, उसको आप टेबल पर रखें। सबको बोलने का मौका देते हैं ना। पाली जिले के प्रदूषण का मामला है। हजारों काश्तकार बर्बाद हो रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गैर सरकारी दिवस है और गैर सरकारी दिवस में गैर सरकारी संकल्प आये हैं उन संकल्पों पर मैं चर्चा कराना चाहती हूं इसलिये मैं एक..

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड। पिछले सवा दो साल से पहला गैर सरकारी दिवस आज है। उस पर कई संकल्प आये हुए हैं। मैं चाहूंगी उन संकल्पों पर अब चर्चा प्रारम्भ की जाए। संकल्प पांच आये हैं ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का ही मामला है ..(व्यवधान) माननीय सदस्य, दो मिनट में ही बोल रहे हैं1 प्रदूषण का मसला है। पाली के हजारों काश्तकार बर्बाद हो रहे हैं, जहरीला पानी पी रहे हैं..

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको मैंने.. (व्यवधान) पिछली बार..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और आप उनकी बात दो मिनट में सुन लें..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन कर रहा था। एक मिनट बिराजो। मैं निवेदन कर रहा था। दो गैर सरकारी संकल्प पहले के हैं जिन पर विचार अभी अधूरा है और तीन अब नये इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो तीन अब नये अभी आये हैं इनको तो आप इंट्रोड्यूज करा दें और दो जो पहले के पैंडिंग हैं उन पर आप चर्चा करवा लें और दोनों को मिलाकर चर्चा करवा लें। पुराने जो आपके पास हैं, दोनों को मिलाकर चर्चा करा लें, तीन को इंट्रोड्यूज करा लें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, हमारा विनम्र निवेदन है कि आप पाली ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, परम्परा नहीं है जो अधूरे रहे गये उन पर दुबारा चर्चा करायी जाए। आज जो संकल्प निकले हैं इन पर ही चर्चा होनी चाहिये। यह कभी पहले नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ई टीवी द्वारा जो सीडी बनायी गयी है जिसके अन्दर हजारों काश्तकार ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ई टीवी ने बहुत ही मेहनत करके यह बहुत महत्वपूर्ण सीडी बनायी है और इसको हम आपको टेबल करना चाहते हैं। सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, कल ई टीवी की न्यूज में था एक वेबसाइट के बारे में भी, वह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं अगर आप अनुमति दें तो और एक सूचना मैं देना चाहता हूं राजस्थान सरकार के सचेतक बदल गये हैं। उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि श्री लालकृष्ण आड़वाणी राजस्थान सरकार के नये मुख्य सचेतक हैं। मेरे पास में, मेरे हाथ में पत्र है और यह श्री महावीर प्रसाद जी जैन का लिखा हुआ है कि माननीय श्री लालकृष्ण आड़वाणी राजस्थान के मुख्य सचेतक की यात्रा ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या लिखा हुआ है ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपके हाथ का लिखा हुआ पत्र है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह संकल्प जो है यह पिछले सदन में था ... (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सूचना है, मैं बहुत देर से आपसे निवेदन कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह क्या है ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आपका पत्र लिखा हुआ है श्री लालकृष्ण आड़वाणी मुख्य सचेतक ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खारची से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि लालकृष्ण आड़वाणी, मुख्य सचेतक, यह आपके हाथ का लिखा हुआ है। ऐसी असत्य सूचनाएं हैं ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मेरे पास में प्रतिलिपि है, मैं टेबल करता हूं। आप पढ़कर सुना दें अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप मुझे दीजिये। यहां रखिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले तो आप माननीय अध्यक्षजी को दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर यह गलत निकला तो इनको प्रताड़ित करना अध्यक्ष महोदय।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): और सही निकली तो ? और सही निकली तो क्या होगा ?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): प्रताड़ित कर देना और सही निकली तो आप क्या करोगे ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): सही निकली तो क्या करोगे आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं निकलेगी। हम ... (व्यवधान) करेंगे। हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। हम अपनी बात वापस ले लेंगे। नहीं निकली तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं यह कहूंगा जो कर लें ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): बिलकुल मैं तैयार हूं। प्रताड़ित अगर किया जाता है गलत हो तो ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अगर गलत हो तो आप प्रताड़ित करना, नहीं तो मुख्य सचेतक जी को हटाना।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इसको पढ़कर सुनाओ, अब सदन को बताओ क्या है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें इन्होंने कब कहा कि मैं मुख्य सचेतक हूं उनका ? कहां कहा है ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, हमें पढ़कर सुनाएं। आप पढ़कर सुना दो। आप अध्यक्ष महोदय, पढ़कर सुनाओ ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने जो कहा था ... (व्यवधान) पहले कहा है कि मुख्य सचेतक लालकृष्ण आड़वाणी होंगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपने जो कुछ कहा, आसन के लिये कोई आवश्यक नहीं है कि उसे पढ़कर सुनाएं। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य।

एक विशेष समुदाय के बारे में वैबसाइट पर जारी आपत्तिजनक सामग्री

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): I am on a point of information. एक वेबसाइट है राजपूताना. एचटीएमएल डोट कोम। इस वेबसाइट के माध्यम से एक विशेष वर्ग को राजस्थान को जिसमें राजपूत नाम से ऐसी कमेंट्रीज हैं under the topic of "Needs for Sovereign", "Destruction of Rajasthani Language", "any relation of Rajput families" जिसमें later the first Prime Minister of India Mr. Nehru and Brahamin families ko और कम्युनिटीज के बारे में इतनी रांग इनफोर्मेशन इतनी इरोनियस इनफोर्मेशन फ्लोट की जा रही हैं यह स्क्रोअल्स पिछले कुछ दिनों से यहां ई टीवी चैनल्स भी प्ले कर रहा है। इतनी आपत्तिजनक चीज है, लिटरेचर है कि मैं यह चाहता हूं कि कम से कम होम डिपार्टमेंट, आदरणीय गृह मंत्रीजी इस चीज को दिखाएं। इससे सारी की सारी जो वैमनस्यता फैलायी जा रही है सामाजिक समरसता के अन्दर। इस तरीके की जो इनफोर्मेशन आती है, यह लिटरेचर आता है, हमारे डिसप्यूटस पैदा करते हैं। It is totally erroneous. It is a character as such initiated of a community at large. Somebody, I donn't know with not proper antecedent is aware what he is doing. मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं इसके बारे में जो भी ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जैसे ही कल यह ध्यान में आया, हमने अपने विभाग को इसके बारे में जानकारी करके किसके द्वारा यह सारा षडयंत्र हुआ और ई टीवी पर यह कैसे आया, उसकी जांच हम कर रहे हैं। जांच के बाद जहां से भी इसका सोर्स पकड़ में आयेगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हमने जैसे ही इसको देखा, देखने के साथ ही कार्यवाही शुरू कर दी।

श्री अध्यक्ष: ठीक।

बी पी एल सूची की स्पष्टता के अभाव में चिकित्सा में होने वाली परेशानी

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सूचना निवेदन कर रहा हूं बी पी एल परिवारों के बारे में। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, बहुत ही आवश्यक सूचना है। उनकी चिकित्सा नहीं हो पा रही है। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बी पी एल परिवारों का सर्वे हो रहा है। मई तक सूची जारी होगी और जो परिवार इस वक्त इलाज कराने के लिये अस्पतालों में जा रहे हैं उनके लिये राज्य सरकार ने यह सूचना भेज दी है कि पुरानी सूची निरस्त कर दी गयी है। अब जो परिवार बी पी एल हैं, उनको न तो पुरानी सूची से चिकित्सा मिल रही है और न वर्तमान सूची में उनका नाम आया है। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा संवेदनशील मामला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि उन गरीब परिवारों को, जब सरपंच यह लिखित में दे रहा है कि इनका नई सर्वे सूची के क्रम संख्या इतने पर नाम दर्ज कर दिया है और संबंधित विधायक भी उसको प्रमाणित कर रहा है तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि राज्य सरकार उस सूची को प्रमाणित माने या कोई और तरीका निकालकर के उस बीपीएल परिवार को चिकित्सा का लाभ दिलायें । मेरे यहां का मालौजी पंचायत का बसई क्षेत्र का दयाराम बावरिया पुत्र मिशाराम बावरिया है । उसको इलाज के लिए मैने खुद ने सर्टिफाई करके दिया है । ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा करा जा चुका है और अस्पताल के अधीक्षक से हमारी बात हो गयी । इतना सब कुछ होने के बाद अब उन्होंने इलाज करने के लिए मना कर दिया । ऐसे बीपीएल और गरीब परिवारों की चिकित्सा के लिए सरकार कोई न कोई निर्देश जारी करें वरना दो महीने में तो इस गरीब परिवार की

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

हालत दयनीय हो जायेगी और ज्यादातर गरीब इलाज के अभाव में मृत्यु के कगार पर पहुंच जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप निर्देश देंगे ।

अशासकीय संकल्प

1. **राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम**
2. **राज्य में जल संरक्षण के लिए आवश्यक कानूनी कदम**

श्री अध्यक्ष: तारीख 21 अप्रैल, 2005 को जिन गैर सरकारी संकल्पों में विचार-विमर्श यहां हुआ था, वाद-विवाद, वह श्री रामनारायण मीणा एवं श्री रामकिशोर मीणा इन दोनों द्वारा दिया गया था और वह था कि यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई व्यवस्था करें यह था श्री रामनारायण मीणा की ओर से।

श्री रामकिशोर मीणा का था कि यह सदन संकल्प करता है कि राज्य में जल की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार जल संरक्षण के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठायें। इन दोनों पर श्री नाथूसिंह जी गुर्जर अपनी चर्चा कर रहे थे । उनकी चर्चा अधूरी थी इसलिए माननीय सदस्य, आप पहले बोल चुके हैं, आप दस मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें, चर्चा प्रारम्भ की जाये ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष: आप प्रारम्भ तो करें ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें हम तो आज चिंता जाहिर कर रहे हैं । समय समय पर बड़ी-बड़ी एजेंसीज ने भी इसमें चिंता जाहिर की है । अध्यक्ष महोदय, प्रकृति में पूरे भू-मंडल में दो तिहाई भाग पर जल है तो एक तिहाई भाग पर धरातल है । प्रकृति में व्याप्त इस जल का 97.2 प्रतिशत भाग यह जितने भी महासागर हैं इनमें हैं और 2.2 प्रतिशत भाग यह बर्फ के रूप में हैं और बाकी पानी या तो खारा है और कुछ पीने लायक है वह मिलाकर के कुल 1.2 प्रतिशत के आसपास है । केवल एक प्रतिशत से भी कम पानी मानव के उपयोग के लिए है । यह जितने भी लोगों ने इस पर रिसर्च की है, तीन स्रोत हैं जल के एक धरातलीय स्रोत हैं, भूमिगत जल है और सामान्य जल है । इसमें धरातलीय स्रोत हैं, नदियां, झीलें, तालाब, जलाशय, कुण्डिकायें, संचित

(डा. एन. एस. गुर्जर)

वर्षा जल में टांकें, तलाई, कुंड आदि हैं । भूमिगत जल में कुए और झरने आदि हैं । सागर के अंदर 97 प्रतिशत के आसपास पानी स्थित है और मानव उपयोग की दृष्टि से केवल नदियां, झीलें, तालाब, झरने, कुए आदि ही पीने के लिए काम आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्टस हैं, अभी डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट है, उनके निर्धारित मानदंड आये हैं । वर्ल्ड बैंक ने इस पर रिपोर्ट दी है । मैं इसके आधार पर जिन्होंने इसका आंकलन करवाया और उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, मैं भारत पर आ रहा हूं 1760 घन मीटर प्रतिवर्ष और जल संसाधनों की गुणवत्ता आंकलन में भारत का स्थान 180 देशों में 120वां है । भारत की आबादी जहां विश्व की आबादी की 16 प्रतिशत है, वहां जल संसाधन मात्र 2.45 प्रतिशत हैं । मैं राज्य पर आता हूं, राज्य का क्षेत्रफल 10.4 प्रतिशत है, आबादी 5.4 है । मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि इस विषय की गंभीरता को बताने के लिए कि आगे क्या स्थिति होने वाली है । बार-बार लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्व होगा तो जल को लेकर होगा । पानी को लेकर होगा इसलिए कितनी गंभीर स्थिति है । इसलिए मैं आंकड़े सदन की जानकारी के लिए देना चाहता हूं । यहां पर हमारी आबादी राजस्थान की 5.4 प्रतिशत है, पशुधन 18.7 प्रतिशत और सतही जल उपलब्धता केवल 11.6 प्रतिशत है जिसका 60 प्रतिशत सतही जल हम उपयोग नहीं कर रहे हैं । अब जो भू-जल है वह 1.7 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत है वर्षा का वह है 1200 मिली मीटर प्रतिवर्ष है । वहीं राज्य की वार्षिक वर्षा का औसत 531 मिली मीटर प्रति वर्ष है ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 वर्षो में कहीं न कहीं राज्य में 43 बार अकाल पड़ा है अगर पिछले 50 वर्षों का लेखा-जोखा देखें । राज्य का दो तिहाई भाग मरूस्थलीय है । जो थार मरूस्थल का हिस्सा है । यह एक पैटर्न है कि हर पांच साल में केवल एक साल वर्षा होती है । चार साल अकाल की स्थिति में रहते हैं । कहीं न कहीं अकाल रहता है । राज्य में कुल 14-15 नदियों के बेसिन हैं । यहां यह सभी वर्षा पर निर्भर हैं । राज्य के 13 डिस्ट्रिक्ट मरूस्थलीय है । उसमें वर्षा का औसत 150 मिली मीटर से 2450 मिली मीटर के मध्य में है और इसका टोटल औसत देखा जाये तो 318 मिली मीटर बैठता है । इसी तरह से सभी 13 जिलों में वर्षा का औसत 400 से 950 मिली मीटर के मध्यम मैं है । यह औसत 688 मिली मीटर बैठता है । सतही

(डा. एन.एस. गुर्जर)

जल की कुल उपलब्धता 21.71 है डीसीएम के हिसाब से देखें तो यह है जिसमें से केवल 16.05 डीसीएम ही उपयोग में लिया जा सकता है । जो उपलब्ध है उसमें से भी, बाकी औद्योगिक, तकनीकी एवं भौगोलिक, आर्थिक दृष्टि से उपयोग नहीं हो रहा है । इसका जो बाकी है इसके विरूद्ध राज्य का सतही जल की भंडारण क्षमता केवल 11.29 डीसीएम है । अगर इस सतही जल का भंडारण हम करें तो मैं यह आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि कितनी भयावह स्थिति है । शेष जल को संग्रहित किया जाता है और इसके लिए जहां प्रति व्यक्ति न्यूनतम जल की आवश्यकता आंकी गयी है यह एक हजार क्युबिक मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति है । यह नेशनल है । वही राज्य में इसकी उपलब्धता मात्र, यह तो आवश्यकता बतायी है प्रति व्यक्ति और राज्य की जो उपलब्धता है वह 800 क्युबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है । उससे भी कम है । आज कितनी गंभीर स्थिति राजस्थान में पानी की है ।

अध्यक्ष महोदय, एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2045 में जल की उपलब्धता केवल 436 क्युबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होने की संभावना है। आज हमें एक हजार क्युबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आवश्यकता है और कहीं 436 यानि आधे से भी कम है । जितनी आवश्यकताएं हैं उससे पानी की उपलब्धता हमारे पास रहेगी । यह बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिये । यदि हम भू-जल की स्थिति देखें सतही जल के बारे में बतायें, भूमि जल की स्थिति और भी कम है । आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल की उपलब्धता है, जो निर्भर है वह भू-जल पर 85 प्रतिशत निर्भर है । वहीं शहरी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत इसके ऊपर निर्भर है । 237 ब्लाक्स में से 220 ब्लाक्स में भू-जल निरन्तर गिर रहा है । केवल 32 ब्लाक्स ही ऐसे हैं 237 में से जो असुरक्षित नहीं है । भू-जल का दोहन इतना ज्यादा होने लग गया कि एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है दूसरी तरफ भू-जल नीचे जा रहा है । उसकी उपलब्धता कम हो रही है और उसका दोहन बढ़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां 1984 में 35 प्रतिशत भू-जल का दोहन था ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह कम है तभी तो यह संकल्प लाये हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): कितना कम है ।

श्री अध्यक्ष: आप तो संरक्षण कैसे किया जाये, यह बतायें ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: उसी पर आ जायें आप तो ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं दो मिनट में ही आ रहा हूं । लेकिन बैक ग्राउंड की भी बता रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं और यह तो पढ़ रहे हैं ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आकंड़े ही पढ़कर के बताऊंगा । आंकड़े भी कभी टिप्स पर याद रहते हैं क्या..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है वह तो मुझे कहनी ही पड़ेगी कि प्रतिपक्ष के नेता आपको यह कहना चाहते हैं, इसलिए आप मुद्दे पर आ जाओ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको अवार्ड इसलिए दिया है कि पढ़कर बोलो?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल आंकड़ों को पढ़कर बोल रहा हूं, इसके अलावा कोई पढ़कर नहीं। मैं पार्लियामेंट में भी रहा हूं और इस सदन में भी वर्षों रहा हूं अगर आंकड़े कोई देखता, अगर मैं आंकड़े वैसे बोलूंगा, फेंका-फांकी मारूंगा और आंकड़े गलत रिकार्ड में आ गए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वह जिम्मेदारी मेरी होगी इसलिए मैं यह आंकड़े देखकर बोल रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, चिट ले सकते हैं, इतना बड़ा कागज लेकर खड़े नहीं हो सकते, आंकड़े नोट कर लो उस पर, चिट ले लो, आंकड़े ले लो, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा खरड़ा पढ़ रहे हो, अगर पूरा खरड़ा पढ़ने की अनुमति देते हैं तो मर्जी है आपकी, हमको तो कोई आपत्ति नहीं, हमने तो आपको पाइंट आउट किया है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैंने पूरे लम्बे कागज में आंकड़े लिख लिए, इन्होंने कहा कि पर्ची में लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आगे से कम्प्यूटर ले आऊंगा आप कहेंगे तो छोटा।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष और मेरी उम्र को देखते हुए तो आंकड़े याद नहीं रहे तो समझ में आती है बात लेकिन आपको तो आंकड़े याद भी रहने चाहिए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): याद रहने चाहिए लेकिन इतने

(डा. एन. एस. गुर्जर)

सारे आंकड़े हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने सारे आंकड़े कौन याद रख सकता है?

1988 में बढ़कर यह 69 प्रतिशत हो गया, 2001 में 104 प्रतिशत हो गया और 2004 में यह 125 प्रतिशत हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूजल इसलिए लगातार नीचे जा रहा है, मैं यह बता रहा हूं कि उसका दोहन कितना बढ़ गया है। इसके लिए जो कृषि योग्य भूमि है वह 257 लाख हैक्टेयर है हमारे राजस्थान में। इसमें से जल से सिंचाई अधिकतम 51 लाख हैक्टेयर भूमि में हो सकती है और इस समय इसके विरुद्ध हमारे यहां 31.66 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की पूरी व्यवस्था को हम अर्जित कर रहे हैं। शेष वर्षा या भूजल पर निर्भर है। इसलिए नहरों से सिंचाई की क्षमता केवल 20 लाख हैक्टेयर की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक तो उत्तरदायित्व, जाग्रति की कमी व एजूकेशन नहीं होने से परम्परागत तरीकों से सिंचाई करते हैं, पानी को फैला कर सिंचाई करते हैं खेतों में, जिसके कारण हमारा सिंचाई का पानी वेस्ट जाता है और भूजल का अधिक दोहन होता है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ज्यादा सिंचाई करने से कई जगह सेम की समस्या, वाटर लोगिंग की समस्या पैदा हो गई है। बिकाज आफ टू रीजन्स, उत्तरदायित्व, एजूकेशन और जाग्रति का अभाव। उक्त उपलब्ध जल के गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पानी के लिए

श्री अध्यक्षः आप तो संरक्षण पर आओ अब।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संरक्षण पर ही आ रहा हूं। खारा पानी है। आज हमारे यहां जापानी बैंक्स आफ इन्टरनेशनल कारपोरेशन ने 415 लघु सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 612 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

श्री अध्यक्ष: आप तो आज एक दूसरे से होड़ कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा हो रही है आपकी तो जैकिटो में। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पहले राव राजा थे, वह दो बनवाया करते थे, अब हमारे यजमान हैं, दो बनवाते हैं, एक हमको दे देते हैं, एक खुद पहन लेते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) एक उसमें से लेकर आते हैं, इनके यजमान जिन्दाबाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप भी तो उनमें ही हो।

श्री अध्यक्ष: यजमान आप ही तो हो इनके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप ही तो हो हमारे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनके अनेक हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सब ही म्हारा है, म्हे खुद कोनी, बाकी सब है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, क्या आप सारे कपड़े यजमानों के दिए हुए ही पहनते हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसमें ईमानदारी की बात तो यही है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह ब्राह्मण ब्राह्मण कार्य वाला नहीं है, वास्तविकता तो बोलो सदन में, सत्य बात बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यजमानों से कुछ लेने का आपका अधिकार ही नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि यजमानों का दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं, इनको अधिकार ही नहीं है। यह कर्मकाण्डी ब्राह्मण ही नहीं है, यह पूजा पाठी ही नहीं है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह की बात कहें तो या तो यह अपने शब्द वापस लें या मुझे भी इस तरह की बनवाकर दें।

श्री अध्यक्ष: किसी यजमान से लेकर इनको भी दे देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): दे देंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ब्राह्मण तो दूसरों से पूजा पाठ करवाने वाले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो खुद दाता हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं साहब, लाकर तो दे देता लेकिन हमारी स्थिति यह हो गई कि हमारे जितने भी यजमान हैं वह तो हो गए पिछड़े और हम रह गए अगड़े, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह हो गई।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): लेकिन आप तो दूसरों से पूजा पाठ करवाते हो न?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करके कह रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह ब्राह्मण तो दूसरों को दक्षिणा देने वाले हैं, आप वास्तविकता पर आओ, मैं गवाह हूं इसका।

श्री अध्यक्ष: मावली से आने वाले माननीय सदस्य, वह केवल अध्यक्ष की तरफ नहीं, आप भी यजमान हो उनके।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आप पिछड़े हो गए और ये अगड़े रह गए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी अगड़ों के भी काम आता है और पिछड़ों के भी काम आता है।

जापानी बैंक्स आफ इन्टरनेशनल कारपोरेशन के साथ एक समझौता हुआ 415 लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए, 612 करोड़ रुपये की उन्होंने सहमति प्रदान की। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो पैसा आया है उस पैसे का तुरन्त सदुपयोग करके काम शुरू करे ताकि पानी का संरक्षण हो सके।

जितने भी इन्टर स्टेट समझौते हैं और उनमें राजस्थान को जितना पानी मिला हुआ है, मध्य प्रदेश के साथ हमारा समझौता है, गांधी सागर में आज पानी कम हो गया, 150 के आसपास उन्होंने एनीकट बना लिए, इसके बाद मध्य प्रदेश के साथ एक समझौता हुआ, एक बार राजस्थान ने पानी को रोका, कि आपने कैसे बना लिए उन्होंने कहा कि हम तोड़ देंगे, उन्होंने तोड़े नहीं और उसके बाद एक बैठक हुई पिछले दिनों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने एक बैठक करके जो तीन नदियां थी पार्वती, काली सिन्ध और चम्बल उनको बनास से लिंक करने के लिए एक समझौता किया ताकि केवलादेव में आज पानी का जो संकट है वह भी मिट जाए और जो झगड़े चल रहे हैं, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा में, इनका भी पानी जो फालतू जा रहा है, चम्बल नदी में उसका उपयोग हो सके। उसके लिए भी सहमति बनी है लेकिन समझौता नहीं हुआ है। मैं सुझाव देना चाहता हूं और सरकार से मांग भी करना चाहता हूं कि इसका समझौता तुरन्त किया जाकर इसको एक्जीक्यूट करने की तरफ कदम जल्दी से जल्दी बढ़ाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह सालदा, यमुना, साबरमती नदियों

(डा. एन. एस. गुर्जर)

को जोड़कर लिंक नहर बनाई जाए ताकि राज्य को अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब के साथ हमारा समझौता हुआ 1981 में, माननीय शिवचरणजी माथुर, चीफ मिनिस्टर थे। 1.06 एम ए एफ जल राजस्थान को आबंटित हुआ और उसमें एक शर्त जोड़ दी कि जब तक राजस्थान अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर इसको यूज करने के लिए तैयार नहीं करेगा, इस एक्सेस पानी को पंजाब यूज करता रहेगा। आज हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया लेकिन पंजाब हमको पानी नहीं दे रहा है और इसके लिए बार-बार हमने यहां प्रस्ताव भी पास किए हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं, दिल्ली की केन्द्र सरकार पर भी पक्ष और विपक्ष मिलकर दबाव बनाए इस बात की आवश्यकता है, ताकि वह पंजाब से कहे कि जितना हमारा हिस्से का पानी है वह हमको दे। इसका एक नुकसान हमें और हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के साथ हमारा यमुना नदी को लेकर समझौता हुआ।

श्री अध्यक्ष: आप जल संरक्षण पर तो आओ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): संरक्षण पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह संरक्षण नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यह पानी तभी तो उपलब्ध हो पाएगा, हमारा जो पानी छूटा हुआ है, यह पानी उपलब्ध होगा तभी तो होगा।

श्री अध्यक्ष: इन्टरस्टेट नदी जल विवाद जो चल रहे हैं, उनसे पानी नहीं मिलेगा। यह जल संरक्षण नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): पानी कैसे लें।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): पानी आएगा तभी तो संरक्षण होगा।

श्री अध्यक्ष: पानी जो बरसता है, उसे कैसे संरक्षित करें प्रश्न यह है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर भी आ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जो मिला है 1.119 बी सी एम पानी है यमुना का। हरियाणा कह रहा है कि पंजाब नहीं दे रहा है इसलिए हम भी नहीं देंगे। यह खुशी की बात है कि पिछले दिनों नरेन्द्र मोदी यहां आए और उन्होंने

कहा कि गुजरात पानी देने को तैयार है इसलिए गुजरात से 0.617 बी सी एम पानी जून, 2006 तक राजस्थान को मिलना प्रारम्भ हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आप कह रही थी, उस पर मैं सुझाव देना चाहता हूं कि रिमोट सेंसिंग से हमने जल संरक्षण का एक नक्शा तैयार करवाया है कि कहां-कहां और कितना हो सकता है। इसके आंकड़े राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि एक तो हमारे जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, गांवों की बावड़ियां हैं, उनकी सफाई करवाकर यदि उनके पानी में कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसको दवाई डालकर ठीक कैसे किया जाए। उसको पीने के योग्य बनाया जाए, इस तरह का कदम सरकार को उठाना चाहिए।

इसी तरह से सतही जल का संग्रहण करने के लिए जगह-जगह व्यवस्था करें। किसानों को बताएं खेतों में वे संरक्षण करें। जहां नाले बहकर आते हैं वहां अधिक से अधिक एनीकट्स बनाये जाएं। पहाड़ों से बहकर जो पानी आता है उस पानी को रोकने की व्यवस्था सरकार करे। इसके साथ-साथ शहरों के अंदर भी जो बड़े-बड़े मकान हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके पानी को रोककर उस पानी का संरक्षण किया जाए। इसी तरह से गांवों में किसानों के खेतों के अंदर कई जगह ऊंचा-नीचा है, फालतू में पानी बहकर चला जाता है उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाए कि आजकल जैसे भूजल के दोहन के लिए टैंक बना लिया है उस तरह अगर जमीन के अंदर वे टैंक बना लें और उसके बाद इंजन से सिंचाई में काम लें, पीने के पानी में काम लें तो वह संरक्षण किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जैसे पुराने जमाने में, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं गांव में कुओं का पानी निकालकर लोग स्नान करते थे और एक खेली बना देते थे। सारा पानी उस खेली में जाता था और पशु और पक्षी उसमें पानी पीते थे। आज वह सिस्टम बंद हो गया, आज हैण्ड-पम्प लग गये। हैण्ड-पम्प का पानी बेकार जाता है, अगर साथ में नाली के सहारे खेलियां बना दी जाएं तो जो पानी बेकार जाता है उस पानी का यूज होगा और इसके संरक्षण की व्यवस्था सरकार करेगी।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

इसी तरह से पानी का संरक्षण करने के लिए सरकार कानून तो बनाये, लेकिन कानून के साथ-साथ उस कानून में यह चीज भी जोड़े कि जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं, जितनी भी पंचायत राज संस्थाएं हैं, जितने एनजीओज् हैं, जितने और इंस्टीट्युशंस हैं उन सबको इससे जोड़ा जाए, जोड़कर इसमें मास पार्टिसिपेशन का सहयोग लिया जाए ताकि हर क्षेत्र में पानी का संरक्षण हो सके और हम जल का संरक्षण कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ प्रदेश में वर्षा हो, चाहे पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटीज् हो, सरकारी विभाग हों उनको सरकार को निर्देश देने चाहिए, सरकार जल संरक्षण का कानून बनाए उसमें इस बात का प्रोविजन करें कि ज्यादा से ज्यादा वे पेड़ लगाएं और वे पेड़ लगाएंगे तो हमारे यहां वर्षा ज्यादा होगी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और जल संरक्षण अपने आप ही होगा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। दो मिनट आपसे चाहूंगा, अगर आप समय दें तो मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप संरक्षण पर तो आ नहीं रहे हैं, और-और बात कर रहे हैं आप।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यही कह रहा हूं किस तरह से किया जाएगा। संरक्षण के लिए पानी किस तरह से बचाएं यही तो संरक्षण हुआ। उसका संग्रहण कैसे करें यही तो संरक्षण हुआ। इसके लिए हमारा जो फसल चक्र है उस फसल चक्र को भी बदलने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा पानी नष्ट न हो। अध्यक्ष महोदय, इसकी मोनीटरिंग के लिए एनीकट्स बन रहे हैं, भू-संरक्षण के, पानी को रोकने के, संग्रहीत करने के जगह-जगह काम चल रहे हैं। इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए जितना पानी रुकना चाहिए वह पानी रुक नहीं सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर कोई मोनीटरिंग की व्यवस्था करें।

आज करोड़ों रुपया भू-संरक्षण के नाम पर खर्च हो रहा है। केन्द्र से डेजर्ट समाप्त करने की योजना आ रही है, दूसरी आ रही है। पानी का संरक्षण तब होगा जब मोनीटरिंग की हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। इसके लिए ठीक ढंग का कानून बनाया जाए और उस कानून में सारी चीजों का समावेश करके जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसके आधार पर जल का संरक्षण किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मोनीटरिंग वाली बात कही, आप मोनीटरिंग वाले कहां से लाआगे मोनीटरिंग करने के लिए? कहां से उनको इम्पोर्ट करोगे?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मोनीटरिंग के लिए कमेटी बनायी जा सकती है जिसमें जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। मोनीटरिंग के लिए जन-प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाकर पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर, म्युनिसिपैलिटी स्तर पर, गांवों में पंचायत स्तर पर यदि जन-सहभागिता से आफिसर्स और जन-प्रतिनिधियों की कमेटी बना दी जाए तो वे लोग अपने आप ही इस पर अंकुश कर लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये भी जन-प्रतिनिधि हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, ये जन-प्रतिनिधि ही हैं। एनीकट्स ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें बना रही हैं, इन पर किसको बिठाओगे?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): कई जगह देखें, अगर वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप सबकी मिली-जुली कमेटी बना देंगे तो नहीं होगी, यह प्रोविजन भी है पंचायत राज एक्ट में।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसमें यह होगा कि ठिकाना बिसाऊ के 175 गांव हैं वहां ठिकाने में दूध आता था। दूध के अंदर पानी की मिलावट आने लग गई तो दरबार, बिसाऊ ने यह कहा कि कामदार जी, दूध पतला कैसे आ रहा है, तो बोले, महाराज, कल एक सुपरवाइजर बिठा देंगे। एक सुपरवाइजर और बिठा दिया। फिर दो दिन बाद पूछा, वह तो उससे भी पतला आ रहा है, यह क्या बात हुई? हुई क्या वह सुपरवाइजर और मिल गया, वह अपना हिस्से का पानी और मिलाने लग गया।

श्री अध्यक्ष: सुपरवाइजर एक गिलास पी लेता और एक गिलास पानी मिला देता।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब ये सुपरवाइजर बिठा रहे हैं वह कहां से लाओगे? 'हर शाख पर उल्लू बैठा है, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तां' ।

श्री अध्यक्ष: शेर तो अधूरा ही पढ़ा। आपने शेर तो पढ़ा, लेकिन अधूरा पढ़ा। (व्यवधान) 'हर शाख पर उल्लू बैठा है बर्बादे गुलिस्तां करने को।'

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है पूरे सभासद प्रतिपक्ष के नेता से इस शेर को दुबारा सुनना चाहते हैं, सब लोगों की इच्छा है। इतना सामयिक शेर है, सुनाओ।

श्री अध्यक्ष: कह दिया उन्होंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जो इसमें मूल तत्व था वह यह था इन्होंने संबोधित करके कहा कि एक ही उल्लू काफी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): गुलिस्तां को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी है और यहां तो हर शाख पर उल्लू बैठा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य को मंत्री तो बना नहीं रहे हैं ऐसे क्या शब्द बोल रहे हो? (व्यवधान) आप उनके रास्ते में सहायक बनो, अवरोधक मत बनो। (व्यवधान)

(13.50 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बहुत माननीय हैं, ये जो बोल देते हैं, जो भी सुझाव दें वह बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान) मेरे लिए नहीं, मैंने तो जनरल बात कही है, मैं तो यह कह रहा हूं कि जितने आप यहां बोल रहे हैं इन सबका एक संग्रह करके एक पुस्तक छाप दी जाए और जनता के अंदर बंटवाई जाए कि ये कितने महान हैं, कितने महत्वपूर्ण सुझाव आपके सदन में आते हैं, बहुत अनुभवी हैं और इनके विधान सभा क्षेत्र में भी बंटवायी जाए ताकि वहां लोग गुणी हों, ज्ञानी हों और सबको उसका लाभ मिले और जितने माननीय सदस्य बुद्धिजीवी हैं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं हमारी सतर्कता समितियां पंचायत व्यवस्था है ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सर्वश्रेष्ठ विधायक महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह नहीं है, राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ जानते हैं। यह टोडारायसिंह नहीं है, एक बार जीत गये, एक बार हार गये, एक बार जीत गये और एक बार हार गये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं तो इसलिए आपकी तारीफ कर रहा हूं आप तो बहुत प्रकाण्ड हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वहां बंटवाने की जरूरत नहीं है वहां सब जानते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वहां गुर्जर नहीं है। गुर्जर और जाट का बैलेंस नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजेन्द्र सिंहजी तो जानते हैं क्या बंटवाओगे वहां।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं आलरेडी पंचायत राज ..(व्यवधान) केन्द्र जब 73वां व 74वां अमेण्डमेंट लाया ..(व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब 73वां और 74वां अमेण्डमेंट आया इसमें सतर्कता समितियों की व्यवस्था है, लेकिन सतर्कता समितियां या तो बनती नहीं, अगर बनती हैं तो उनसे इफेक्टिव काम नहीं लिया जाता। वे क्यों बनायीं? इसलिए बनायीं कि यह पंचायत राज संस्थाएं भी गलत काम करें ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सर्वश्रेष्ठ विधायक महोदय, मुझे मालूम है, मैं यह कह रहा हूं सतर्कता समितियों के पर्सोनल को कहां से इम्पोर्ट करोगे, कहां से लाओगे? इस देश में, इस प्रदेश से ही तो लाओगे? जब जनप्रतिनिधियों पर आप आरोप लगाते हो कि भारी भ्रष्टाचार है तो क्या सतर्कता बिठाओगे?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैंने तो नहीं लगाया आरोप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने लगाया कि एनीकट्स में बड़ी भारी धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैंने यह नहीं कहा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने यह कहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैंने उस योजना के बारे में कहा जहां-जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होता रहे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो नहीं चाहते।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैंने सुझाव दिया है, मैं तो चाहूंगा आप इस पर बोलेंगे कि जहां-जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए इस तरह की समितियां बने। जो नदियां जोड़ने का कार्यक्रम पिछली केन्द्र सरकार ने शुरू किया था अगर राजस्थान को बचाना है तो नदियां जोड़ने

(डा. एन. एस. गुर्जर)

का काम जो पिछली सरकार ने किया था, राज्य सरकार को दबाव डालकर नदियों को जोड़ने की योजना अगर लागू हो गई, एक तरफ तो असम के अंदर बाढ़ आ रही है और एक तरफ यहां सूखा पड़ रहा है इसलिए वहां बाढ़ रुकेगी और यहां सूखा रुकेगा, इसका उपयोग होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से सरकार जल संरक्षण के लिए कानून बनाए ताकि राजस्थान में पीने का पानी जनता को उपलब्ध हो सके, सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सके, इसके लिए व्यवस्था करें। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री भरत सिंह।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बोल रहे थे बाढ़ का पानी बंद कर रहे हो। जहां बाढ़ आती थी वहां रुक गई तो वहां हालत देखो क्या है?

हमारे कांटली नदी यहां से बहती थी, पूरे जिले के अन्दर बह कर जाती थी, राजगढ़ तक जाती थी, अब उसको बंद कर दिया, हमारे पानी की शार्टेज हो गई, कुएं सूख गये और जहां आप बाढ़ रूकवा रहे हो, जब रूक जाए तब देखना वहां क्या हालत बनेगी। बाढ़ के भी फायदे हैं, उसके भी बेनिफिट्स हैं, डिस-एडवांटेज ही नहीं, एडवांटेज भी हैं उसके, दोनों बराबर चलते हैं, बाढ़ रोक दो, बाढ़ रोक दो, क्या रोक दो ? पढ़ो जिओग्राफी आप।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप तो सब को ही बंद करवा दो, आप तो ऊपर जाकर सुझाव दो कि जो चला रखा है उन सब को ही जाकर बंद कर दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने सुझाव दे रखा है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप तो यह कह दो और आप यह भी कहो...

श्री उपाध्यक्षः श्री भरतसिंह ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): कि यह सतर्कता समितियों की व्यवस्था कानून में भी है, कांस्टीट्यूशन में इसको भी ये उठा लें। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पंचायती राज बढ़िया काम कर रहा है, पंचायत राज इतना बढ़िया काम कर रहा है, उनके ऊपर सतर्कता

समिति किसकी बैठाओगे ? यह आईएएस, आईपीएस इनको बैठाओगे ? जब पंचायती राज में जन प्रतिनिधि बैठे हैं, पंचायत में बैठे हैं, पंचायत समिति में बैठे हैं, जिला परिषद् में बैठे हैं, यहां पर हम बैठे हैं विधान सभा में और पार्लियामैंट के अन्दर हमारे एम पी बैठे हैं, पूरा तंत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस पर किसको बैठाओगे लाकर ? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में ही नहीं आता। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह नहीं समझ आएगा आपके ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, मेरे समझ में नहीं आ सकता, आपके आ गया होगा, मेरे तो नहीं आ सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो बात आप इनकी अनुपस्थिति में कह चुके हो, अब दुबारा बोलो वही बात। बोलो, देखें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सर्वश्रेष्ठ के ऊपर क्या है ? (व्यवधान) सर्वश्रेष्ठ कोई चीज हो जाए उसके ऊपर क्या है बताइए, समझ में कैसे आएगा जब आप सर्वश्रेष्ठ के ऊपर पहुंच गये, अब ऊपर कहां जाओगे ? (व्यवधान) हां, कहां है, आकाश है यह भ्रम है, स्पेस है फिर तो उड़ते रहो, सर्वश्रेष्ठ आप बन गये उसके बाद क्या है ?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये सर्वश्रेष्ठ के बाद भी मंत्री तो आपको बनावें नहीं क्योंकि आपको प्रदेश में उपाध्यक्ष बना दिया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपके ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह सब लोग बैठे हैं, आपको मंत्री तो बनने नहीं देंगे। यह तय है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपके ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के ऊपर इस सदन में चर्चा हो रही है, दुर्भाग्य से उससे संबंधित मंत्री नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, मैं हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नोट कर रहे हैं।

श्री भरत सिंह (दीगोद): नहीं, आप हैं तो स्वागत है, मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री और पी.एच.ई.डी. मंत्री अगर सदन में उपस्थित होते क्योंकि अभी राजस्थान में ठीक एक जल नीति बननी है और एक जल अभियान पूरे राजस्थान में चल रहा है, जगह-जगह जिलों में रैलियां निकल रही हैं और एक अत्यन्त गंभीर विषय को हम एड्रेस कर रहे हैं, दुर्भाग्य से आज सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर जितने सदस्य चर्चा में भाग लेने चाहिए वह नहीं हैं मगर मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा कि जब हम जल की बात करते हैं तो जल की कल्पना, राजस्थान वह प्रदेश है जिसमें वर्षा का अभाव है, अकाल इस साल भी 22 जिलों के अन्दर है और पिछले 50 साल में जैसा कि अभी एक सदस्य ने बताया कि 40 साल से ज्यादा इस प्रदेश में अकाल रहा है इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात तो हमारी नीति की इसमें जो हमारा केन्द्रित विचार होना चाहिए वह यह है कि हमें राजस्थान में जब 1.6 प्रतिशत ही वर्षा जल उपलब्ध है और आजादी के 6 दशक बाद हम उस वर्षा जल को, उस 1.6 प्रतिशत वर्षा जल को रोकने में जिसमें पिछली सरकार और यह सरकार, सरकारें पलट रही हैं मगर हम उस 1.6 परसेंट जल, वर्षा जल का 60 प्रतिशत या 55 प्रतिशत पानी बहकर इस राजस्थान से बाहर जा रहा है तो इस प्रदेश के लिए और खास कर के इस प्रदेश में शासन करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमें जो कुदरत ने जितना सा पानी दिया है उसको रोकने में हम विफल रहे हैं। हम सफल रहे हैं इस बात में कि हमको जो दूसरे प्रदेश से पानी मिलना चाहिए उसको लाने के लिए तो हम सफल रहे हैं और उसके लिए हम संकल्प भी पारित कर रहे हैं, हमारे हिस्से का पानी पंजाब में अगर रूक जाता है तो हम संकल्प पारित कर उस पानी को लेने की तो चिंता जाहिर कर रहे हैं मगर जो हमारे प्रदेश का पानी बह कर जा रहा है जिसके बारे में हमको किसी को भी कोई संकल्प पारित नहीं करना, हमें अपने आपसे संकल्प पारित करना है वह संकल्प हमने कभी मन में नहीं लिया और खास कर के उस जिले में जहां से मुख्य मंत्री आती हैं उस जिले में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है कि वहां का 80 प्रतिशत वर्षा जल बहकर जा रहा है और वहां पर जो जितनी बड़ी योजनाएं हैं उनका पिछले तीन बजट में कोई उल्लेख नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि जिसके हाथ में लगाम है वही घोड़े को दिशा नहीं दे सकता तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी?

(श्री भरत सिंह)

दूसरी बात इसके ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने क्योंकि सिंचाई विभाग का नाम ही जल संसाधन विभाग किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं कि आपका मकसद राजस्थान का जो लक्ष्य होना चाहिए वह सिंचाई ही नहीं क्योंकि आपकी अधिकांश सिंचाई जो हो रही है 68 प्रतिशत आपकी भूजल से सिंचाई हो रही है और भूजल से सिंचाई होने के कारण ही इस अकाल के साल के अन्दर भी हमारा जो रबी का प्रोडक्शन है वह प्रभावित नहीं हुआ है, हमारे जो जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं उसमें भी हमने इस अकाल के साल के अन्दर पिछले साल से ज्यादा उत्पादन पैदा किया है इसलिए किसान खरीफ के अन्दर तो उसके हाथ में नहीं है क्यों वर्षा के ऊपर निर्भर है उसमें हमारा प्रोडक्शन डाउन है मगर रबी का सवाल है, किसान अपने साधनों से जमीन के अन्दर पानी सींच रहा है और जमीन का ग्राउण्ड वाटर लेवल बैठता जा रहा है इसलिए प्रदेश में आवश्यकता यह है कि ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हो क्योंकि अधिकांश लोग-बाग़ ग्राउण्ड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, सबसे ज्यादा खेती का जो खर्चा आता है वह अपने सिंचाई के जो साधन कर रहे हैं ग्राउण्ड वाटर से जो पानी निकाल रहे हैं जो बिजली के पम्प चला रहे हैं, डीजल के पम्प चला रहे हैं, उनके खर्चा का जो फ्लो इर्रिगेशन का आता है जो सिंचाई सरकार के माध्यम से हो रही है वह तो जहां ही है और जो आदमी अपने खून पसीने से पैसा लगाकर पैसा कमाई कर रहा है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है इसलिए सरकार का ध्यान केन्द्रिय इस बात पर होना चाहिए कि अधिक से अधिक हम पानी रोकें। आप जो पानी रोकने की, जो लघु सिंचाई योजना की बात करते हैं वह सिंचाई नाम हटा दीजिए जहां भी पानी रोकने की आवश्यकता है उसको कास्ट से नहीं जोड़ें और सरफेस वाटर को जहां भी रोका जा सकता है उसको पानी रोकें क्योंकि वह इनडाइरेक्टली पानी ग्राउण्ड वाटर को चार्ज करेगा और उससे लोग बाग़ जमीन से पानी निकाल रहे हैं उसको उसका लाभ मिलेगा।

दूसरी चीज, हमारे प्रदेश में प्राथमिकता कम पानी से पैदा होने वाली फसल को देनी चाहिए और राजस्थान के किसानों ने कम पानी से पैदा होने वाली फसल को अपनाया और पूरे हिन्दुस्तान में एक कीर्तिमान स्थापित किया शायद सरसों के अन्दर, सबसे ज्यादा सरसों की खेती 45 प्रतिशत, 35 से 40 प्रतिशत सरसों जो पैदा होती है इस देश के अन्दर पिछले 25 साल के अन्दर

(श्री भरत सिंह)

किसानों ने उस दिशा में प्रगति कर और आज हिन्दुस्तान में राजस्थान एक मस्टर्ड स्टेट कहलाता है मगर क्या बीती उस किसान के साथ, कहां राजस्थान के विधायकों ने और कहां सांसदों ने हमने हमारे किसानों को लेट डाउन किया है, इस सदन के दो सौ सदस्य और मेम्बर आफ पार्लियामैंट ने कभी इकट्ठा होकर हमारी बात केन्द्र सरकार के सामने इस रूप में नहीं रखी कि मस्टर्ड के सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, सरसों की खेती के मामले में किसानों के सामने जो परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करें, आवश्यकता थी कि नेपाल और श्रीलंका से तेल का बिना उसकी रोक टोक के जो आयात हो रहा है उससे हमारे किसान प्रभावित हो रहे हैं। आज समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद करने की व्यवस्था सरकार को इसलिए करनी पड़ रही है, समर्थन मूल्य क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैक्सिमम मार्केट प्राइस हो जाए तो यह स्थिति पैदा होती है। आज हम सर्कस में देखते हैं कि वहां पर जो हवा में झूले में काम करते हैं उनके लिए नीचे जाल रहता है अब अगर कहीं ऊपर से सर्कस में झूले में झूलने वाला आदमी गिर जाए तो जमीन पर नहीं गिरे और उस जाली पर रह जाता है ताकि उसकी मृत्यु नहीं हो, सपोर्ट प्राइस तो उस जाल के समान है मगर यहां तो पूरा सर्कस ही जाल पर हो रहा है, पूरी दावेदारी उस सपोर्ट प्राइस के ऊपर हो रही है।

नतीजा यह हो रहा है कि आपके आज की तारीख में राजस्थान का काश्तकार, सहकारी के माध्यम से तो आप तीन परसेंट बैंक की व्यवस्था कर दें बाकी बाजार में व्यवस्था, आढ़तिये से, व्यापारी से साहूकारों से लेकर किसान को करनी पड़ती है और आज, मैंने कल ही आंकड़े लिये हैं कम से कम जितनी सपोर्ट प्राइस उस आधार पर आपने सरसों खरीदी है उतनी सरसों काश्तकारों ने खुले बाजार के अन्दर व्यापारियों को 1400, साढ़े 1400 रुपये की कीमत पर बेची है। आप किसान को अगर सरसों की पैदावार में हतोत्साहित करेंगे, बाजार की व्यवस्था उसको हतोत्साहित करेगी तो उसे मजबूर होकर गेहूं जैसी फसल करनी पड़ेगी जो पानी ज्यादा उपयोग करती है और जब ज्यादा पानी उपयोग करती है तो हम जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस विषय पर चर्चा चल रही है उसके विपरीत हम जाएंगे इसलिए आवश्यकता यह है कि कम पैदावार की जो सरसों की फसल करनी है उसके संरक्षण में इस राजस्थान की विधान सभा में यहां से संकल्प पारित किया जाए और कलेक्टिवली कांग्रेस

(श्री भरत सिंह)

और बी.जे.पी. जो भी पार्टीज हैं वह लोग-बाग़ दिल्ली में इस बात पर जोर दें कि हमारे राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश को इसके लिए आवश्यक है कि यह बिना बेहिसाब 8 हजार करोड़ का एडिबल आयल जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, नॉन एडिबल आयल भी आ रहा है, एक जोधपुर के सदस्य ने कहा था कि तेल से कुछ बनाते हैं तो वह जम जाता है।

इसलिए जम जाता है कि नॉन एडिबल ऑयल, हर किस्म का ऑयल बाजार में आ रहा है और बाजार में जब व्यक्ति जाता है तो दो पैसे जिसके कम लगते हैं वह चीज लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसका बजट सीमित है।

इसके अलावा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जो यह जल अभियान चलाया गया, इसमें जो स्टेट लेवल पर कमेटी बनाई, जिला लेवल पर कमेटी बनाई, वन मंत्री यहां विराजमान हैं, मुझे आश्चर्य है कि फोरेस्ट डिपार्टमैंट को उस जल अभियान से जोड़ा ही नहीं है, न तो स्टेट लेवल पर जोड़ा है और न डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जोड़ा है। आप कल्पना कैसे कर सकते हैं पानी की, अगर आप वनों का संरक्षण नहीं करेंगे। वनों के साथ-साथ जो मार्जिनल लैण्ड थी, जो मार्जिनल आपकी भूमि है, चाहे चरागाह की भूमि है, चाहे बंजर भूमि है उसको भी वृक्षों के ऊपर, जितना भी आपके स्टेट का बजट कंजरवेशन ऑफ फोरेस्ट और कंजरवेशन ऑफ वेस्ट लैण्ड पर केन्द्रित करेंगे तो वर्षों से आपको उसका लाभ मिलेगा।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार तो बातों में मशगूल है और कितने महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्य दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: सब दे रहे हैं ध्यान।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं इनके, आप बातों में मशगूल हो रहे हो।

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपके यहां प्रदेश में यह हो रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर अधिक ध्यान जो बैंक से लोन भी लिया जाता है, चाहे विश्व बैंक से लिया, अब यह जापान बैंक से लोन की बात करें, 600 करोड़ का हम लोन ले रहे हैं पर लोन किसके लिए ले रहे हो ? जो एग्जीस्टिंग सिंचाई परियोजनाएं हैं

(श्री भरत सिंह)

उनको हम चलाकर उनसे राशि वसूल नहीं कर सके। एक व्यवस्था जो हमने क्रियेट की उसी के ऊपर हम दूसरा लोन लेकर के खराब काम को ठीक करने के लिए लोन ले रहे हैं। नई दिशा में तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जो चीज हमने डवलप कर ली, आज जब तक सिंचाई विभाग जो शुल्क वसूल करता है उससे और जो पम्प के माध्यम से ग्राउंड वाटर से जो सिंचाई होती है उसमें जो खर्चा होता है, जब तक इसमें कहीं न कहीं संतुलन नहीं होगा वहां तक उन किसानों के साथ घोर अन्याय है जो अपने बलबूते के ऊपर ग्राउंड वाटर से अपनी खेती कर रहे हैं। रात-दिन का अन्तर है। जो किसान फ्लो इर्रिगेशन से काश्त कर रहा है उसको जो चार्जेज देने पड़ते हैं उसकी तुलना में जो ग्राउंड वाटर से सिंचाई कर रहा है उसको चार्जेज देने पड़ते हैं उनमें बहुत अन्तर है और उसके बाद अभी सिंचाई खतम हुई, बिजली के बिल आ जाएंगे, दुनिया भर की वसूली होगी और जो लोन भी लिया जाता है वह भी सिंचाई विभाग के लिए। सिंचाई विभाग तो एग्जिस्ट ही उन लोगों के लिए कर रहा है जो ग्राउंड वाटर से सिंचाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो भू-जल डिपार्टमैंट है, भू-जल डिपार्टमैंट का काम ही सिर्फ जल का दोहन करना रह गया है। एक हैण्डपम्प लगाता है उसमें 50 हजार रुपये खर्च कर रहा है। भू-जल डिपार्टमैंट का जो साल का खर्चा स्टेट में होता है उसका लगभग आधा खर्चा जल संरक्षण विभाग पर विभाग करे। वह तो जल दोहन डिपार्टमैंट हो गया। उस डिपार्टमैंट का काम ही यह रह गया कि हम किस तरह से पानी निकाल सकें। जाना तो हमें एक दिशा में है और हम जा दूसरी दिशा में रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल संरक्षण हो। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी निवेदन कर जाऊंगा, और भी माननीय सदस्य विचार रखना चाहेंगे, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी यह जल नीति राज्य सरकार बनाये, जब भी कोई लाये इसके लिए यह पर्याप्त नहीं है कि आपने एम.एल.ए. से सुझाव पूछ लिये क्योंकि पूरी अक्ल एम.एल.ए. में ही नहीं धरी हुई है। आपकी जो भी योजना है उसको समाचार पत्र में प्रकाशित करें और पूरे राजस्थान की जनता से सुझाव मांगे। जिला परिषद में जाए यह महत्वपूर्ण विषय है, उस सम्बन्धित विभाग के मंत्री जाएं और जिला परिषद के सम्भाग स्तर पर बैठक लें क्योंकि जो योजना हाड़ौती में लागू हो सकती है वह बीकानेर के लिए कारगर नहीं होगी और जो वहां कारगर होगी वह हमारे यहां लागू नहीं होगी। इसलिए पूरे राजस्थान में अलग-अलग जो डिवीजन हैं उस

(श्री भरत सिंह)

हिसाब से आपको इस पर चिंतन करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़। एक व्यवस्था सुनिये थोड़ी। राठौड़ साहब, एक मिनट। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ और श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, दोनों की तरफ से बोलने के लिए पर्ची आई है पर मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि पिछली बार आप इस विषय पर बोल चुके हैं इसलिए अब असमर्थता जाहिर है। अन्य कोई सदस्य बोलना चाहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अनुमति नहीं है क्या उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं है। श्री मदन राठौड़ और डा. जालमसिंह रावलोत संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प संख्या 14/2005 के स्थान पर निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दूसरा तथ्य रखना चाह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: बात तो वो की वो है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सारी स्थिति बदल गई है। सरकार कानून लेकर के आ गई। जिस मंतव्य के साथ माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा था उसके बाद सरकार ने उस सन्दर्भ में कानून बना लिया। सारी स्थिति बदल गई है। अगर आप अनुमति दें तो बोलूं, अनुमति नहीं दें तो कोई खास बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, आप जल संसाधन मंत्री हो क्या ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): "यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में प्रदूषण निवारण सुनिश्चित करे।"

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्राइवेट मैम्बर डे में एक सदस्य के नाते मेरा अधिकार है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, है। यस, राइट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मदन जी, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह व्यवस्था आपसे चाहते हैं, यह तो चर्चा कर रहे हैं सदन में जो पुराने संकल्प थे उन पर। ये जो नये लाटरी में संकल्प निकले हैं इन संकल्पों को आप प्रस्तुत करायेंगे क्या ? क्या होगा इसके बारे में तो कोई व्यवस्था दें। सारे सदस्यों में यह भ्रांति है, कुछ तय ही नहीं किया आपके सैक्रेटेरिएट ने।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर वाद विवाद, बहस पूरी होने के बाद में दूसरे संकल्प लिये जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज ही लिये जाएंगे न ?

श्री उपाध्यक्ष: आज ही लिये जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम यह चाहते थे कि आप रख तो दें क्योंकि ये लैप्स तो होते नहीं। जब कभी भी प्राइवेट मैम्बर डे आयेगा उस पर चर्चा हो जाएगी अर्कोडिंग टू असेम्बली रूल्स। ये संकल्प रखवा लेने चाहिए थे।

श्री उपाध्यक्ष: आज ही रखवा लेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प संख्या 14/2005 के स्थान पर निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाय: "यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में प्रदूषण निवारण सुनिश्चित करे।"

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी व्यवस्था फाइनल है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: हां, इस सम्बन्ध में फाइनल ही मानें। संशोधन वगैरह आ रहे हैं, कोई बोलना चाहेंगे तो बुला देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अपने यहां नियम बना हुआ है कि स्पीकर वो सर्वश्रेष्ठ है जो सबसे कम बोले और आप सबसे कम बोलते हो और आपने यों कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री जालम सिंह रावलोत। हां, मदन जी, आपने रख दिया ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने एक रखा है, दूसरा भी रखना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प संख्या 16/2005 के स्थान

(श्री मदन राठौड़)

पर निम्न प्रकार प्रतिस्थापित करें:- "यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में जल संरक्षण सुनिश्चित करे।" पहला मैंने रखा था कि "यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में प्रदूषण निवारण सुनिश्चित करे।" बोलने की अनुमति नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष: रखने दो यह। डाक्टर जालम सिंह रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प संख्या 16/2005 की तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "के लिये आवश्यक कानून बनावें" के स्थान पर शब्द "को सुनिश्चित करें", प्रतिस्थापित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: इस सम्बन्ध में कोई सदस्य बोलना चाहे ? संशोधन जो उन्होंने दिया है, आप बोलिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है। केवल अपन जयपुर को ही देखना चाहें वायु प्रदूषण के बारे में तो एम.आई. रोड और उसके आस-पास में जो लोग निवास करते हैं उन्होंने भी बहुत शिकायतें की हैं। स्वयं पर्यावरण मंत्रीजी भी पहले एम.आई. रोड के पास में किसी क्वार्टर में, नम्बर तो मझे ध्यान नहीं, वहां रहते थे तो वहां के लोग यह बताया करते हैं कि जब वो अपने मकानों के ऊपर या मकानों में कपड़े सुखाते हैं तो चिटकनी लगाते हैं तो जहां चिटकनी लगी होती है उसका कलर अलग रह जाता है और बाकी कपड़े का कलर अलग हो जाता है। यानि यह बहुत गंभीर समस्या है वायु प्रदूषण की। जल प्रदूषण के बारे में भी हम जानते हैं कि कई कारखाने इस प्रकार के हैं, कोई तो एल्कोहलिक वाटर निकालते हैं, कोई एसेडिक वाटर निकालते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। जल प्रदूषण के बारे में अभी ई टीवी में भी कई माननीय सदस्य बता रहे थे, कई स्थानों के कारखानों के बारे में बताया कि वहां जमीन बंजर हो रही है। उस पानी में यदि कोई जानवर निकल जाए तो उसके खुर खराब हो जाते हैं। यही नहीं, कुओं में भी कलर्ड वाटर निकलता है, रंगीन पानी कुओं में भी मिल रहा है। तो इसका समाधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। यद्यपि हमारी सरकार बहुत सावधान है, वह प्रयास कर रही है, जल प्रदूषण निवारण संयंत्र लगा रही है, करोड़ों रुपये लगाकर के इस प्रकार के संयंत्र तैयार किये जा रहे हैं लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है।

(श्री मदन राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर एल्कोहलिक वाटर को शुद्ध करने के लिए जो संयंत्र लगाये जा रहे हैं, वहां पर एसिडिक वाटर को निकालने के लिए जो सिंथेटिक इकाई लगी हुई है, सिंथेटिक इकाई उसका पानी निकाल रही है, एसिडिक वाटर को वहां पर निकाल रही है, यह बात बिलकुल सही है कि इसका भी अनुपात बराबर हो तो न्यूट्रल होकर पानी के शुद्ध होने की सम्भावना बनती है लेकिन आजकल सिंथेटिक कपड़े बनाने के कारखाने बहुत ज्यादा लग गये हैं तो सिंथेटिक कपड़ा जहां तैयार होता है तो वह एसिडिक वाटर बाहर निकलता है तो एसिडिक वाटर बाहर निकालने के लिए प्रदूषण निवारण संयंत्र बिलकुल फेल है। इस प्रकार की समस्या बहुत देखने में आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में एक बांध बना हुआ है नेड़ा बांध, उस बांध को यदि आप जाकर देखें तो उस बांध पर पूरा का पूरा रंगीन पानी फैला हुआ है, उस बांध पर एसिडिक पानी फैला हुआ है। वास्तव में यह बात बिलकुल सही है। इसके निवारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत बड़ी समस्या है ध्वनि प्रदूषण की। यदि कहीं भी किसी प्रकार का भोंपू बजायेंगे तो हम जानते हैं कि आज कई वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और वैज्ञानिक खोज भी कर रहे हैं और वह इस प्रकार की खोज कर रहे हैं कि रामायण काल के भगवान राम के शब्दों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने क्या बोला था, उन शब्दों को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पकड़ पाने में सफल भी हुए हैं तो आपके माध्यम से मेरा निवेदन करना यह है कि जब उस काल में बोले हुए शब्दों को भी पकड़ने की कोशिश चल रही है तथा इस पर भी खोज चल रही है, इसका मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं, वह ध्वनि वातावरण में निश्चित रूप से विद्यमान रहती है, वह समाप्त नहीं होती है तो आज जिस प्रकार की ध्वनि चारों ओर से, माइक के माध्यम से, भोंपू के माध्यम से, हार्न के माध्यम से जो ध्वनि फैलती जा रही है, यह ध्वनि निश्चित रूप से वातावरण में गुंजायमान है और वातावरण में गुंजायमान है तब यह स्थिति एक समय आएगी कि पूरा वातावरण, पूरा आभा मण्डल सब जगह यह ध्वनि आपस में टकराकर क्या स्थिति बनेगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में निश्चित रूप से चिंता करने की आवश्यकता है।

(श्री मदन राठौड़)

यह रोक लगी हुई है कि आपके कहीं अस्पताल हो, उसके बाहर भोंपू नहीं बजायेंगे। कहीं स्कूल-विद्यालय हो तो वहां भोंपू नहीं बजायेंगे लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, आजतक कितने भोंपू बजाने वालों के खिलाफ में कोई चालान किया गया? तो मैं सोचता हूं कि इस बारे में कोई चालान नहीं किया गया, इसकी अनदेखी की जा रही है, यह ठीक नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यह ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस बारे में प्रदूषण नहीं फैलने दिया जाये। हालांकि उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हम यह देख रहे हैं कि एक सांस्कृतिक प्रदूषण भी हो रहा है। यह भी एक प्रदूषण है, इस पर...(व्यवधान) नहीं बोलूं इस पर? तो ये मना कर रहे हैं, सांस्कृतिक प्रदूषण से शायद इन्हीं के ऊपर चोट हो सकती है। सांस्कृतिक प्रदूषण भी बहुत खतरनाक है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां सांस्कृतिक प्रदूषण की बात है, हमको एक बात यह समझनी पड़ेगी....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): चोट वाली बात मत बोलो, बिना चोट के ही अपनी बात कह दो। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह गैर सरकारी संकल्प पर विशेष जोर देकर के, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह शुक्रवार को गैर मेम्बर डे रहा है, इसके लिए बहुत जोर था कांग्रेस पार्टी की ओर से और माननीय अध्यक्ष महोदय भी इस बात को चाहती थी कि यह संकल्प का दिन होना चाहिए, लेकिन मुझे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी गम्भीर नहीं है, इस विषय पर न तो कोई अमेंडमेंट आये हैं, न बोलने वालों की लिस्ट है। अब इसका मतलब यह है कि यदि यह सदन पांच बजे चला जायेगा तो यह होगा कि आपका इरादा ठीक नहीं है इसलिए कम से कम, नहीं और हैं, पहले इस पर डिसीजन होगा। अब डिसीजन होगा तो....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक के स्टेटमेंट से मैं सहमत नहीं हूं कि हम सक्रिय नहीं हैं, सजग नहीं हैं, विजिलेंट नहीं हैं। आपका प्रस्ताव इतना अच्छा है, अपने आपमें वह कम्प्लीट है, परफेक्ट है, इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है और कोई जरूरत नहीं होती है कि संशोधन आये। कोई कमी हो तो ही संशोधन आते हैं। आप इसमें सीधी बहस करवा दीजिये, हम तैयार हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तो बहस में ही भाग नहीं ले रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम भाग लेंगे। हम बैठे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप यह कम्प्लीट है तो फिर बताओ तो सही कि क्यों कम्प्लीट है? यह रामनारायणजी ने रखा है प्रस्ताव, वह यहां है नहीं, प्रस्तावक ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं कि रामनारायणजी ने रखा है या महावीरजी ने रखा है...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप 120 में से 20 हो। नहीं नहीं, आप 120 में से 20 हो और हम 55 में से 10 हैं, देख लो आप संख्या, कौन गम्भीर है और कौन नहीं है मुख्य सचेतक महोदय।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह रामनारायणजी नहीं है तो दूसरे रामनारायणजी तो हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम आपके मूल प्रस्ताव पर ही सहमत हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जल संरक्षण के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किये....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं जगे हुए की बात कर रहा हूं, सोने वालों की बात नहीं कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: हम सब जगे हुए हैं, कोई नहीं सो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप जालमसिंहजी को बोलने दीजिये। आपकी बात आ गई।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, जल संरक्षण की बात रह गई।

श्री उपाध्यक्ष: जल संरक्षण की बात एक ही है। श्री जालमसिंहजी रावलोत। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): उपाध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हमारे राजस्थान प्रांत में जल की बहुत कमी है, जल बहुत सीमित है। मानव जीवन में आक्सीजन के बाद में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत रहती है तो वह पानी की रहती है और उसके लिए निश्चित रूप से यह संकल्प उचित है और सदन की भी इस बारे में चिंता स्वाभाविक है। कई माननीय सदस्यों ने जल संरक्षण के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, मैं उसी

(डा. जालम सिंह रावलोत)

विषय पर आना चाहता हूं पर पिछली बार जब यह संकल्प आया, उसके बाद में हमारी सरकार ने जल अभियान चालू किया है, वह उसी भाव को ध्यान में रखते हुए किया है और आज जल अभियान का पहला चरण पूर्ण होने जा रहा है और दूसरा चरण कल से चालू होने वाला है। उसके माध्यम से सरकार, जल अभियान के माध्यम से राजस्थान में जयपुर जैसे बड़े शहर से लेकर गांव-ढाणी तक इस जल अभियान के माध्यम से जल संरक्षण की ओर पूरा ध्यान दिया गया है और इसमें सभी जन प्रतिनिधियों का समावेश किया गया है और पूरे सरकारी तंत्र को इसमें लगाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और वह काफी हद तक सफल हो रहा है। चूंकि हमारा राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या का भी बड़ा हिस्सा राजस्थान में रहता है लेकिन पानी की अतिरिक्त आवश्यकता है, उसको देखते हुए पूरे प्रयत्न सरकार ने किये हैं चाहे वह नर्बदा जल का मामला हो चाहे पंजाब-हरियाणा से पानी लाने का मामला हो या अभी जैसा टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मध्य प्रदेश से भी जल को लाने के प्रयत्न हो रहे हैं लेकिन मुख्य विषय जल संरक्षण का है, उस बारे में भी हमें चिंता व्यक्त करनी है और उसके माध्यम से कोई हल निकालना है। जैसे हमारे यहां पर एनीकट निर्माण कार्य, बांधों का निर्माण कार्य और खास तौर से जो परम्परागत जल स्रोत हमारे राजस्थान में मुख्य आधार थे जल स्रोत के रूप में और वह काफी समय से खास तौर से पीएचईडी को काम पता है, उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है यानी बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। गांव में मुख्य आधार भी कुएं और बावड़ियां ही रही हैं। अब इनकी ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर से जल संरक्षण के हिसाब से, एकदम जन जागरण के रूप में यह काम लिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन समय में हम सबको जानकारी है कि हमारे गांवों में जल संरक्षण के हिसाब से कितने शानदार कानून थे जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति जल संरक्षण में बाधा पहुंचाता था तो कड़ा कानून उस पर लागू होता था लेकिन वर्तमान समय में जितनी जल की आवश्यकता है, जल संरक्षण की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको ग्रामीण स्तर पर कानून, पंचायत के द्वारा या सामान्य स्तर पर जो ग्रामीणों द्वारा बनाये जाते हैं, उसकी सिविल न्यायालय के द्वारा, एक तरह से रक्षण होना चाहिए नहीं तो गांव में तो कोई किसी को जेल डालने का प्रावधान या आर्थिक दण्ड का प्रावधान हो लेकिन सिविल न्यायालय के द्वारा उसका यदि संरक्षण नहीं होता है तो फिर वह कारगर नहीं हो पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सदन में यह संकल्प को पारित करायें ताकि हमारे यहां जल संरक्षण के कार्य को प्रभावी बनाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीलाल खटीक।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन के बारे में, वह चूंकि मैं संकल्प रखने वाला हूं, मेरे संकल्प को आपने स्वीकार किया, उसके बाद में मैं बोलूंगा या सबको बुलाकर आप मेरी बात सुनेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, संशोधन के पक्ष में, विपक्ष में आप बोलेंगे कि संशोधन रखा है या नहीं रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन पर आप बोलेंगे, बुलायेंगे आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यहां तो आप प्रभारी मंत्री की तरह जवाब दोगे। यह संकल्प आपने रखा है। जैसे किसी बिल पर कोई संशोधन रखता है तो मंत्री कहता है कि संशोधन सही है या नहीं। यह किताब देख लीजिये, आपके प्रस्ताव पर, संकल्प पर चूंकि संशोधन किसी ने रखा है, आप उससे एग्री हो या नहीं हो, जवाब आपको देना है।

आप उससे एग्री हो या नहीं हो, यह आपको देना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आपने संकल्प प्रस्तुत किया है, जवाब तो देने वाले देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद: जवाब यही देंगे, आप नहीं देंगे, देख लीजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़: नहीं-नहीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: इसमें आप देख लीजिये नियम, यह जिसने संकल्प रखा है, उसका संशोधन सही है या नहीं है, वह देगा जवाब। यह, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपको जानकारी सही नहीं है, यही देंगे खुद ही। यह गैर सरकारी का और मतलब क्या हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: सब जानकारी है, यह जान बूझ कर...

मोहम्मद माहिर आजाद: नहीं-नहीं, यह अभी संसदीय कार्य मंत्रीजी कह रहे थे कि जवाब तो हम देंगे, इनको यह गलतफहमी है कि यह गैर सरकारी बिल का जो, यह बिल के रूप में रखा जाता है और यह बिल जिस मेम्बर ने रखा है उसके बारे में जो अमेण्डमेंट आये हैं, उन अमेण्डमेंट्स से वह एग्री करता है या नहीं करता है, डिसएग्री करता है तो किस आधार पर करता है, वो ही यहां पर जवाब देगा।

श्री उपाध्यक्ष: हां, यह आपके बोलने के बाद में जवाब देना है, कह रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद: हां, बिलकुल।

श्री रामनारायण मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्य ने जो इसका संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसके बारे में आपको दो

(श्री रामनारायण मीणा)

बात करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल संकल्प है, यह सदन संकल्प करता है कि राज्य सरकार राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे, इनका इसमें संशोधन है, यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में प्रदूषण निवारण सुनिश्चित करे। दोनों भावनाएं एक ही हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह वास्तविकता है शिक्षा मंत्रीजी और आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, दिल्ली में चार-पांच साल पहले जब आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला नहीं दिया था सीएनजी बसें चलाने का, कितना प्रदूषण था। आज सीएनजी बसें चलीं, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सरकार कोई सी भी हो दिल्ली की, किस पार्टी की थी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, चूंकि आप समझदार हैं और कुछ कर सकते हैं मंत्रिमण्डल में बैठकर, उस आधार पर आपको अर्ज कर रहा हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी विराजमान हैं ही, सरकार की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ, गांधीजी ने यही तो कहा था, हर सिर के ऊपर छप्पर होगा, पाठशाला होगी और पंचायत होगी। आज जमाना बदल गया। यदि प्रदूषणमुक्त आपका एनवायर्नमेंट नहीं हुआ, पाली की बात कह रहे थे राठौड़ साहब, बिलकुल सही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली में जो स्थिति है, आज सिल्क के कपड़ों की, इनकी जो इण्डस्ट्रीज चल रही हैं, जिस तरह से बांध में पानी पोल्यूटेड हो गया पूरे का पूरा, सिंचाई के लिए काम नहीं आ सकता, तो यह जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में क्या किया जायेगा सरकार के द्वारा, क्या किस तरह से अपने मूल एक्ट में संशोधन करके पूरे सदन को विश्वास में लेकर के हमने हमारी भावना अर्ज आपको की है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में आप देखिये, सरकार बिना कानून देखे, मैं गया था बारां, यहां पर्यावरण मंत्रीजी बैठे हैं, काली सिंध में एनीकट बन गया, नीचे के मोतीकुआ और दूसरे गांव जो हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, खुजलियां चल रही हैं, इतना पोल्यूशन हो गया, जो पानी बहकर जा रहा था उस पानी में अवरोध आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बहती नदियों में इस तरह से किसी भी इण्डस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए न एनीकट बनाया जायेगा, न अवरोध पैदा किया जायेगा। जगह-जगह अवरोध पैदा हो रहे हैं। आप जयपुर में देख लीजिये, नालियां नहीं बहती तो आज कितना, आपके इस नाले में कितना गंदा पानी आ गया, जंगल कट रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपकी भावना से मैं प्रसन्न हूं, आपने सेज का मामला इसलिए उठाया था कि कोई तो ग्रीन लैण्ड होगी, कोई तो एरिया होगा, जयपुर के आसपास जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से प्लाट काटे जा रहे हैं, जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से ग्रीन

(श्री रामनारायण मीणा)

लैण्ड को खतम किया जा रहा है, हरा-भरा जयपुर, मुझे तो कागजों में भी दिखाई नहीं देगा थोड़े दिनों बाद। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही अर्ज करना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन से और सरकार से कि जो तरीका अपनाया जा रहा है, मेरा जहां तक ख्याल है मेरी बात से गृह मंत्रीजी भी इत्तफाक करेंगे, जयपुर की बसावट जैसी हिन्दुस्तान के या वर्ल्ड के नगरों में शायद ही किसी की हो। आज जयपुर इसीलिए पिंक सिटी कहलाया जाता है कि यहां जिस तरह से चौड़े रास्ते हैं, पहाडियां हैं, एनवायर्नमेंट मिलता है हमारे को, उस एनवायर्नमेंट का क्या होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि ग्रीनरी रहे, ग्रीन लैण्ड रहे, पैराफेरी बेल्ट रहे। भवनों को आप चार-चार, पांच-पांच मंजिल पहुंचा रहे हैं आस-पास, उसकी कोई रोकथाम नहीं, इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प पेश किया है माननीय मदनजी राठौड़ ने, प्रदूषण निवारण का संशोधन प्रस्तुत करा, मूल संकल्प में रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करें, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए इस संशोधन के मूल जो प्रस्ताव हैं, उन्हीं की भावना के अनुरूप मैंने पेश किया है, उन्हीं की भावना नहीं है, पूरे राजस्थानवासियों की भावना देखते हुए, सदन की भावना है, इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि जो यह प्रस्ताव है, इसको मूल का मूल ही रहने दिया जाय और इसके बारे में हम सुनिश्चित करें, सरकार को आदेशित करे यह सदन कि इसके बारे में जो भी उचित हो, सरकार के द्वारा किये जाने योग्य हो, उसको करे और राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके ऊपर जो भी करना हो, इस सदन का अधिकार है, उस सदन की भावना के मुताबिक सरकार काम करे और बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था करे, यह मेरा आपसे अर्ज करना है और इसी भावना के साथ मैं आग्रह करूंगा सदन से भी, सरकार से भी कि यह हमारी भावना को समझे, यह भावना मेरे अकेले की नहीं है, पूरे राजस्थान की है। इसी के साथ, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने प्रस्ताव किया है, आज मात्र राजस्थान और हिन्दुस्तान के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, पूरे विश्व के लिए पर्यावरण प्रदूषण, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हिन्दुस्ताचन में सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान समय में है, एक तो जनसंख्या की बढ़ोत्तरी और दूसरी पर्यावरण। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईश्वर ने प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे का पूरक बनाया है और प्रकृति के

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

साथ जब कभी भी मनुष्य ने खिलवाड़ करने की कोशिश की, पर्यावरण को असंतुलित करने का प्रयास किया, प्रकृति ने हमारा साथ देना बंद कर दिया। एक प्रकार का संकेत, एक प्रकार की चेतावनी, एक प्रकार का संदेश हमें मिल रहा है, हम देख रहे हैं, सुनामी लहरों का आना, ढेसर का पिघलना, ओजोन परत में छेद, तापमान का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना, वनों का कटना और नदियों का जल स्तर सूखना और वाटर लेवल पर नीचे जाना, एक प्रकार का हमारे लिए, मनुष्य मात्र के लिए एक प्रकार की चिंता है और मनुष्य ने जब कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, प्रकृति ने हमारा साथ देना बंद कर दिया। वर्तमान समय में पर्यावरण, राजस्थान सरकार चाहती है, राजस्थान के समग्र विकास के साथ में संतुलित विकास, ऐसा विकास किया जाय कि एक तरफ उद्योग बढ़ें और दूसरी तरफ पर्यावरण को संतुलित रखा जाय, यह मात्र सरकार का दायित्व नहीं है, आमजन का भी दायित्व है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पुरखे और हमारे पूर्वज जो पर्यावरण का संतुलित रखने के लिए एक छोटे से डेढ़ सौ घरों की बस्ती का मैं रहने वाला व्यक्ति हूं, मेरे को आज भी याद है, जब मैं छोटा था, उस गांव के पंच, गांव के मुखिया ने गांव के अंदर दो सौ बीघा जमीन के लिय यह निर्णय लिया था कि यह निर्णय है, बायासों का ओरण, उसके पीछे भगवान की ऐसी धारणा ताकि उस अभयारण्य को और वन को सुरक्षित रखने के लिए एक आस्था कायम की गई थी, उस आस्था को आज भी मेरे गांव में कायम किया जाता है, गांव का साधारण बालक भी है, उसकी एक डण्ठल नहीं तोड़ता है। इस प्रकार का पर्यावरण का जो वातावरण है, हर व्यक्ति को बनाने की आवश्यता है। जो हमारे पुरखे, जो हमारे पूर्वज जो गावं-गावं के अंदर ओरण की व्यवस्था, गोचर की व्यवस्था और रास्ते की व्यवस्था जिस हिसाब से करते थे, उनकी सोच आज की इस वैज्ञानिक सोच से भी बहुत आगे थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संकल्प प्रस्तुत किया गया, यह वास्तव में चिंता का विषय है, राजस्थान सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए चिंता का विषय है। 1972 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इस प्रकार की चिंता सबसे पहले प्रकट की गई थी।

पिछली बार बायोमेडिकल व्यवस्था के बारे में पूरे एक वर्ष तक बायो मेडिकल वेस्ट के बारे में चर्चा की गयी थी और राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के बारे में हमने जगह-जगह अपनी तरफ से प्रयास किये । राज्य सरकार ने जल के प्रदूषण को रोकने के लिए जल प्रदूषण अधिनियम, 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम, 1971, पर्यावरण अधिनियम, 1976 और परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 1989, जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 1998 और नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000, ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 इत्यादि जो लागू किये हैं इनका राज्य सरकार अपनी

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

तरफ से प्रयास कर रही है कि जल प्रदूषण नहीं होवे, वायु प्रदूषण नहीं होवे और ध्वनि प्रदूषण नहीं होवे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा की गयी थी पाली के जो उद्योग हैं उन उद्योगों के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पाली में कुल उद्योग 667 हैं जिसमें रेड लाइन में 582 और नारंगी 85 हैं । संयुक्त उच्छिष्ट की मात्रा और घ्रुणता में परिवर्तन लाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास कर और इसको अपग्रेडेशन के लिए एक कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी और उस कार्य योजना के आधार पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और 2007 तक पाली के अन्दर उच्छिष्ट अपग्रेडेशन ट्रीटमेंट का अपग्रेडेशन हो जाएगा। राज्य सरकार पूरी तरह प्रयासरत है राजस्थान में ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, जहां-जहां छोटे-छोटे उद्योग हैं वहां पर संयुक्त उपचार संयंत्र लगाने के लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं चाहे जसोल के अन्दर और पाली के अन्दर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर 270 लघु वस्त्र उद्योग हैं जो रेड लाइन में थे हमने 33 ए के तहत उनको जल और बिजली के कनेक्शन काटने के लिए आदेश पारित किये थे। कुछ ऐसे प्रकरण जो राजस्थान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त हैं, स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं राज्य के अन्दर वायु प्रदूषण जल प्रदूषण, अपनी तरफ से जीरो जल प्रदूषण तो हम नहीं कह सकते इसका तो आश्वासन नहीं दे सकते पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि खेतों में आने वाले जल के अन्दर जो प्रदूषण हो रहा है उसके फैलाव को हम अपनी तरफ से रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से यह वातावरण बन रहा है यह वातावरण को सुधारने का दायित्व अगर कोई है तो पूरे राजस्थान के तमाम माननीय सदस्यों का है, राजस्थान की 6 करोड़ जनता का है । हर व्यक्ति से इस प्रकार की जागृति आनी चाहिए, हर लोगों में सहभागिता की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एक अच्छा राजस्थान बने। राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है जिसमें सौ साल से 26 साल अकाल पडा, बारिश की मात्रा औसतन से भी कम बारिश है और राजस्थान में फोरेस्टेशन 9.49 है। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार के केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्रीजी की अध्यक्षता में पूरे भारतवर्ष के वन मंत्रियों की कांफ्रेंस हुई थी उस कांफ्रेंस में भी मैंने अपनी तरफ से निवेदन किया कि आप जो कल्पना करते हैं कि राजस्थान में 33 प्रतिशत का फोरेस्टेशन हो वो तब हो सकता है जब भारत सरकार पूर्वांचल के प्रदेश हैं उनको जिस हिसाब से पैकेज देती है उसी तरह राजस्थान को, अन्य प्रदेशों का और राजस्थान का जो विस्तृत

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

भौगोलिक क्षेत्रफल जहां दो तिहाई मरुस्थलीय क्षेत्रफल है इसको दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान को स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए। राजस्थान को स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि राजस्थान में फोरेस्टेशन बढ़े और एक ऐसा अच्छा वातावरण मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आक्सीजन हमारी प्राणवायु है और इसको अगर कोई गुरुत्तर दायित्व संभालते हैं तो हमारे वन अधिकारी, हमारे फोरेस्ट के अधिकारी और 35-40 किलोमीटर वन क्षेत्र में एक फोरेस्ट हमें मिला हुआ है। 1986 के बाद में अभी तक भर्ती नहीं हुई है राजस्थान सरकार से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि पर्यावरण की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सके, अच्छा फोरेस्टेशन हो सके और 9.49 फोरेस्टेशन की बढ़ोतरी और जहां राज्य सरकार के विद्यालय हैं, जहां चिकित्सालय हैं, जहां चरागाह है, जहां राजकीय भूमि है उस भूमि में भी हम पलांटेशन को बढ़ाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं इसके साथ में हम यह भी कर रहे हैं कि जिन गांवों के पास में फोरेस्ट है उन गांवों के अन्दर वन सुरक्षा समितियों की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। राजस्थान में 4244 सुरक्षा समितियां हैं जो अच्छे ढंग से वहां पर वनों की देखभाल करती हैं, जिन क्षेत्रों में नहीं हैं उसके लिए भी हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो यह चिन्ता प्रकट कर यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है राज्य सरकार कानून सम्मत जो 1974 और एयर एक्ट, वाटर एक्ट के जो भी प्रावधान हैं उनको पूर्णतया लागू करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि जो आपने प्रस्ताव किया इसको पारित किया जाए तो इसमें कोई एतराज नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामकिशोर जी मीणा, सदस्य विधान सभा...।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ा... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आये थे इसके बारे में मुझे निवेदन करना है। दो माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये थे कि इसमें जल...।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसमें 112 है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल 112 आप पढ़ें कि उसी टाइम पर संशोधन प्रस्ताव जो होना था हो गया, अब दुबारा होना नहीं चाहिए था मैं यहां के सैक्रेटेरिएट की काबिलियत के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता लेकिन इतने दिनों बाद में कोई संशोधन प्रस्ताव पास नहीं होता है, जो संशोधन प्रस्ताव होना था उसी टाइम हो गया इसलिए कृपा करके जो संशोधन प्रस्ताव, वो तो इसी से मिलता जुलता है अलग भी नहीं है...।

श्री उपाध्यक्ष: अलग नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसलिए यह मूल प्रस्ताव को एज इट इज मेरा जहां तक ख्याल है, रामकिशोरजी मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं क्योंकि हो गया और संशोधन प्रस्ताव दे दिया वो अभी कागज में आ गया, बाकी वास्तव में अब इतने दिनों बाद में संशोधन प्रस्ताव का इन संकल्पों में कोई नहीं होता है रूल्स के हिसाब से ।

श्री उपाध्यक्ष: कर रहे हैं, उसको वैसे भी अस्वीकार कर रह रहे हैं। श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो माननीय सदस्यों ने।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष: इस संशोधन के बारे में ही बोलना चाहते हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं यह जो संशोधन है और जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में बोलना चाहता हूं कि जो यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है जल संरक्षण का, जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाए एवं बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करें। यह बहुत प्रोग्रेसिव और एक अच्छा संकल्प है। जैसा माननीय मंत्रीजी ने भी स्वीकार किया है कि आज हमारा, वैसे जल संरक्षण और पर्यावरण एक दूसरे से मिलता हुआ विषय है लेकिन आज तक इस प्रदूषण नियंत्रण पर और जल सरंक्षण पर किसी प्रकार का भी ध्यान नहीं दिया गया इसकी वजह से हमारा प्रदूषित वातावरण बिगड़ता चला गया। इस कारण से जो हमारे जल संरक्षण के कदम उठाये गये वो निष्फल हो गये इसलिए यह चिन्ता जो की गयी है यदि प्रारम्भ से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहां हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से दस प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का है और पानी के हिसाब से एक प्रतिशत पानी राजस्थान में आता है इसलिए हमारे यहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है लेकिन दुर्भाग्य है कि ये हम नियंत्रण की बात करते हैं और उसके सुपरविजन की बात करते हैं लेकिन वास्तव में जो सुपरविजन हमको राजस्थान विधान सभा के हिसाब से जो कमेटियां हैं जो हमारे मंत्रिमंडल को करना चाहिए था वो नहीं करके हमने केवल भाषणों से अपनी इतिश्री कर ली है। हमने प्रयास भी किया, हिन्दुस्तान सरकार ने राजस्थान सरकार ने प्रयास किये हमारी इस दृष्टि से इंदिरा गांधी कैनाल बनायी गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इस दृष्टि से हमारे यहां पर माही डेम बनाया गया और जल संरक्षण को किया गया लेकिन कहीं पर्यावरण के नाम पर, कहीं इस नाम पर पर्यावरण, यदि जल संरक्षण होता है तो पर्यावरण बढ़ता है परन्तु वहां पर पानी रोकने की बात आये तो हम रोकने की इजाजत नहीं देते, इस प्रकार की विसंगतियां हमारे कानून में रह जाती हैं जिसका हमने आज तक ध्यान नहीं दिया और इस पानी के उपयोग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1962 में जो इंदिरा गांधी कैनाल और जिसका हमारे पानी का उपयोग हमको करना चाहिए था और सात साल में यह योजना पूरी हो जानी चाहिए थी, यह कह कर पूर्व सरकारों ने कि हमारे पास, वहां तो सांप हैं, बिच्छू हैं, कंछले हैं और हमारे इंजीनियर्स काम नहीं कर सकते। प्रभावी ढंग से तो हमने नियंत्रण नहीं किया और जो केवल 67-62 करोड़ रुपये की योजना थी आज उसमें लगभग दो हजार करोड़ रुपये खर्च हो गये। एक तरफ तो हम पैसे की बचत की बात करते हैं और दूसरी तरफ अनाप-शनाप पैसा हमने खर्च किया। इसी प्रकार माही डेम का हम देखते हैं माही डेम जो इतना बड़ा डेम है जिसमें आधा हिस्सा हमारा और आधा हिस्सा गुजरात का है । 1983 में जो माही डेम बनाया गया, 1983 में वह डेम बनकर पूरा हो गया उसमें 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होना था उसके बाद 1 लाख 24 हजार हैक्टेयर क्षेत्र का उसमें विस्तार करना था लेकिन उस पानी को पड़ा हुआ रखा, उसके उपयोग की किसी ने नहीं सोची । हम अपराधी हैं एक तरह से यह हमने देरी से विचार किया । आज आप यह कह रहे हो इसका मैं समर्थन कर रहा हूं लेकिन हमने इसमें सुधार किया, हमने इसको माना कि नहीं, इसको लाना चाहिये । इतना पानी हमारे पास पड़ा हुआ है हम एक तरफ तो कहते हैं कि पानी की कमी है, राजस्थान में सरफेस पानी नहीं है और दूसरी तरफ जो पानी है उसका उपयोग नहीं किया, केवल 10 परसेंट पानी का हमने उपयोग किया है । जो उसकी नहरें बन जानी चाहिये थी आज उस माही डेम पर एक पेयजल की स्कीम नहीं है और इतना पानी है । बीसलपुर में जितना पानी है उससे दोगुना पानी माही डेम में है । बीसलपुर में 1/3 पानी केवल सिंचाई के लिये है और 2/3 पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिये है लेकिन माही डेम में दोगुना पानी होते हुए भी बीसलपुर का जितना 1/3 भाग जो सिंचाई के लिये है उतना पानी माही डेम में केवल 80 हजार हैक्टेयर पानी का उसमें रखा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

है वह 80 हजार हैक्टेयर भी आज तक 1982 में बांध बनने के बाद आज तक 80 हजार हैक्टेयर की सिंचाई भी हम नहीं कर सके इसके लिये कौन दोषी है। हम केवल भाषणों से ठीक नहीं कर सकते, हमको कहीं न कहीं कड़े कदम उठाने पडेंगे 1 हमको इसके लिये रेस्पोंसेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी । जब तक हम यह रेस्पोंसेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे कि जो इसके लिये जिम्मेदार है उसको कड़ी सज़ा के प्रावधान किये जाने चाहिये । मैं कहता हूं कि जो बीसलपुर बांध है यह पिछले 12 साल से, यह केवल राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं पिछले 12-15 साल से बीसलपुर के बांध में पानी भरा हुआ है । हम यहां पर मजाक करते हैं ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): टोरडी सागर वाला भी बता दें ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मुझे याद है 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और 1998 तक रही थी । 8-9 साल वो थे और 5-7 साल यह थे इसलिए किसी पार्टी को और व्यक्ति को दोष नहीं दें अपन ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पार्टी को कौन दोष दे रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने कहा ना कि यह पूर्ववर्ती सरकार । पूर्ववर्ती सरकार के तो वहां उप राष्ट्रपति बन गये । इसलिए कृपया करके लाइन में चलिए, वैसे भी आप सरकार के मुख्य सचेतक हैं ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): टोरडी सागर तक ले जाने का था वह भी बताना आप ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह भी बताऊंगा । आपको तो कुछ नोलेज है नहीं ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप मेरे पर कृपा करोगे कि नहीं करोगे । मेरे नैनवां के 110 गांवों को जोड़ो कृपा करके, आप सरकार में बैठे हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको ख्याल नहीं है कि आप कहां बोल रहे हो । पूर्ववर्ती सरकार 20 साल तक रही है जिसमें 10 साल आपका है और 10 साल इधर का है । 10 साल में आपने भी कुछ नहीं किया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पूर्ववर्ती सरकार 50 साल, 20 साल नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 8 साल तक तो भैरोंसिंह जी राज करके गये हैं और ढाई साल से अब आप कर रहे हो, साढे 10 साल और कांग्रेस की सरकार रही 1982 के बाद 1990 तक, 8 साल ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम सन् 1952 से बात करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 1952 की कहां बात कर रहे हो, बात आपकी हो रही है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह जो इंदिरा गांधी केनाल है वह तो 1962 में शुरू हुई है ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 1982 के बाद की बात है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप कांग्रेस की सरकार का समय ही घटा रहे हो ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कांग्रेस की सरकार ने ही यह सब कुछ किया है आपने कुछ नहीं किया महाराज ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस की सरकार का समय ही कम कर रहे हो ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कांग्रेस की सरकार का ही सब कुछ किया हुआ है यह डेम, सागर, महासागर सब कांग्रेस का ही किया हुआ है, आप तो उसी में से खींच-खींच कर नालिया निकाल रहे हो, कांग्रेस का ही किया हुआ है, आपने क्या किया, बताइए । दिल्ली में भी आप 8 साल रहे, आप नदियों को बांधते-बांधते चले गये । 20 साल में गरीबी मिटाना था इधर चले गये, यहीं छोड गये । आपने जो नूर बरसाये वह बता दो कि हमने यह नूर बरसाये थे, कुछ है ही नहीं ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): टोरडीसागर भी खाली रख दिया ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने मुझे याद दिलाया कि आपने क्या नूर बरसाये । प्रतिपक्ष के नेता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1952 से लेकर 1977 तक तो बिना व्यवधान के आपने एक छत्र राज किया। सारी योजनाएं आपने बनाई हम इसको स्वीकार करते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इंदिरा गांधी किसकी है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह भी मैं स्वीकार कर रहा

हूं, मैं कह रहा हूं लेकिन उसको हमने समय पर पूरा नहीं किया इसके लिये कौन अपराधी है । उसमें पैसे का दुरुपयोग हुआ उसके लिये कौन अपराधी है । यह माही डेम आपके समय का है उसके पानी का उपयोग नहीं हुआ उसके लिये कौन अपराधी है । आज बिजली वहां पैदा हो सकती थी वहां बिजली पैदा नहीं की इसके लिये कौन अपराधी है । यही मैं कहना चाहता हूं कि 77 के पहले कोई मोनीटरिंग नहीं थी । जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो यह चाहते थे कि सारा काम हम ही पूरा कर दें और इनके लिये कुछ नहीं बचे, केवल राज के मजे लेते रहे । कुछ परिश्रम करो आप भी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1977 में जब हम सत्ता में आये तब यह देखा कि सारी सिंचाई की योजनाएं बंद पडी है । मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कि 1977 से पहले इन योजनाओं पर किसी ने मोनेटरिंग नहीं की । हमारे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और मेवाड से आने वाले माननीय सदस्य इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पानी के जितने सोर्सेज वहां पर हैं, जितने बाँध के प्रस्ताव वहां पर विचाराधीन थे वह सारे प्रस्ताव थे उस पर थोड़ा-थोड़ा पैसा खर्च कर के उन योजनाओं को ...

डा. सी. पी.जोशी (नाथद्वारा): सोमकमला आपने बनाया, माही आपने बनाया, एक तो नाम बताओ । मेवाड़ वालों ने कुछ नहीं किया, एक दो नाम तो बताओ । खाली बात कर रहे हो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं यही कह रहा हूं कि सोम कमला, माही यह सारा आपने बनाया लेकिन जो योजनाएं थीं उस योजना का 10 गुणा, 20 गुणा पैसा खर्च किया उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, जो समय पर योजनाएं पूरी नहीं हुई, जो उसका लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिला उसके लिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो कमियां हम में रह गईं वह हम न करें इसके लिये कह रहा हूं । हमारे राजस्थान में आपने जो कमियां छोड दीं और मौज मस्ती आपने की, मौज-मस्ती नहीं करते ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह पूरा सप्ताह मौज-मस्ती हम ही कर रहे होंगे और आप देख रहे होंगे, बात कर रहे हो ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप पैरैलेल राजस्थान केनाल निकाल दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पैरेलल राजस्थान केनाल नहीं, 7 साल का प्रोजेक्ट था यह । माननीय रामनारायणजी चौधरी साहब, आप उस समय मंत्री थे । आपने सोचा नहीं और यदि सोचा तो आप बोले नहीं। उस समय केवल आप प्रशासन तंत्र से बंधे हुए थे । रामायण काल और महाभारत काल में जिस प्रकार वह सारे पात्र मौन थे कि हम तो राज सत्ता से बंधे हुए हैं उस प्रकार आप केवल उनके गुलाम बन कर रहे, अगर आपने किया होता तो आज हमको यह दिन देखने नहीं पड़ते ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आपको कल बुलाया गया क्या अलबर्ट हाल में। जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया उस पर आप फूल बरसा रहे थे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कौन बरसा रहा था, मैं तो वहां गया ही नहीं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सही है कि आप वहां नहीं गये लेकिन उन्होंने तो किया ना ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप गये वहां फूल बरसाने, आप जिस विदेशी की बात करते हो, मैं स्टेज पर बैठता तो सरकार के मेहमान की तरह बैठता मेरी सीट ऊपर थी आपसे, आप चले गये वहां देखने, फूल बरसाने आप वहां चले गये और मुझे कह रहे हो ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया । इतने पटाखे छोड़े कि विद्याधर नगर में सांस लेना दूभर हो गया ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी बहादुरी के क़ायल हैं कि निमंत्रण होने के बावजूद भी ठीक ढंग से आपने उस आयोजन का मूक रहकर उसका बहिष्कार करके विरोध किया, यह हिम्मत आप में ही है, इसकी तो हम तारीफ करते हैं ।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): आपको तो बहुत पीछे धकेल रखा था ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे न तो आपकी तारीफ चाहिये, न मेरे को विरोध की चिंता है ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): जिनके पुरखों ने भारत को गुलाम रखा, आप किसी मित्र सेना के राष्ट्र के नायक को बुलाते, राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते, आप जगुआर से फूल बरसा रहे हो, बड़े दुर्भाग्य की बात है जैन साहब और आप तो पीछे बैठे थे आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फिर वही कह रहे हो, मैं नहीं गया वहां (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। जिसमें हमारे स्वर्गीय सरदार बल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने राजस्थान की एकता की नींव डाली, जिन्होंने एकीकरण किया उस गुलामी से मुक्त होने का जो प्रोग्राम था...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने बहिष्कार क्यों किया, आप क्यों नहीं गये? आपने कहा मैं नहीं जाऊं इस प्रोगाम में ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं गया अलग बात है, पर मैंने बहिष्कार...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाता हूं, आप कह रहे हो ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अपनी जबान को मेरी जबान में डालना चाहो, यह तो होगा नहीं ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): हमारे शिक्षा मंत्रीजी उदास थे। देखो यह बहुत गड़बड़ हुआ है। (व्यवधान) अनाप-शनाप पैसा खर्च हुआ है, उस समय जब देश में, प्रदेश में अकाल पड़ रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): गलत बोल रहा हूं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आप तो हमारी भावनाओं से वाकिफ थे इसलिए तो बहिष्कार किया आपने । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में यदि वन क्षेत्र घटा है, यदि राजस्थान में जल का संरक्षण नहीं हुआ, राजस्थान में जल का संरक्षण हुआ और उसका उपयोग नहीं हुआ तो यह इसका बहुत ठोस कारण है जिस पर जाने की आवश्यकता है। मैं कोई राजनीति से बात नहीं करता।

हमारी सरकार में यदि ठीक प्रकार से काम नहीं होता है तो मैं उन व्यक्तियों में हूं जो हमारी सरकार को कहने में न तो शंका करता हूं और न

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

ही करूंगा। मुझे यहां पर छोड़कर जाना पड़े तो चला जाऊंगा लेकिन मैं गुलामों की तरह नहीं रहूंगा, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह बात राठौड़ साहब को दुबारा कहिये, सुना नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राठौड़ साहब तो स्वाभिमान के प्रतीक हैं, आप इनकी क्या होड़ कर सकते हो। (व्यवधान) यह तो यहां की शान है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई गोरे और कालो की लड़ाई थोड़े ही है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, जितना चिंता का विषय है, पानी के कारण, पर्यावरण के कारण, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रोग्रेसिव, मैं तो समर्थन कर रहा हूं, रामनारायण जी और रामकिशोरजी जिस प्रस्ताव को लेकर आये उसका समर्थन कर रहा हूं लेकिन उसके लिए तर्क तो देना पड़ेगा कि हमारी कहां कमियां रह गई, यदि हम कमियों को नहीं ढूंढेगे तो...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पास करा दीजिए ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पास तो हो जाएगा लेकिन हम उन भावनाओं में नहीं जाएंगे, पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप और हम सब जब एक मत हैं तो पास होने में क्या दिक्कत है। पर जब तक इन भावनाओं पर नहीं जाएंगे कि कहां कमी-खामियां रह गई, जब तक उस पर नहीं जाएंगे तब तक राजस्थान का भला नहीं करेंगे।

आज पर्यावरण नष्ट हो रहा है, इसमें कौन योगदान कर रहा है, इतने कठोर कानून है, जंगलात में कोई घुस जाए अब हम क्या करते हैं, हमारे यहां स्टाफ की कमी है, सिपाही की कमी है। एक सिपाही से लोग इतना डरते हैं, जितना एसपी से नहीं डरते उतना एक गार्ड से डरते हैं, केटल गार्ड से डरते हैं। हमारे पास इतने पावर दिये हुए हैं उसका उपयोग तो करते नहीं है और केवल कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वन कटता है तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी पंचायत को देते हैं, पंचायत स्वयं पेड़ काटने में लग जाती है। एक तरफ हम लाखों-करोड़ों रूपये खर्च करके पेड़ लगाते हैं दूसरी तरफ पंचायत,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सरपंच उनको बेच रहे हैं अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ठहराएंगे हम, केटल गार्ड कहेगा, वहां का डीएफओ कहेगा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है हमने तो ट्रान्सफर कर दिया पंचायत को, यह कह कर हरेक आदमी बचने की कोशिश करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बचने की कोशिश नहीं करें। हमारे ऊपर विश्वास करके जनता हमें भेजती है, हमारे ऊपर लोगों का विश्वास है। जिस दिन यह विश्वास खतम हो जाएगा उस दिन इस विधान सभा और लोक सभा की कोई कीमत नहीं होगी, इसलिए यह विश्वास बना रहे उसके लिए हमको अपनी और से शुरू करना पड़ेगा। हम जो अपनी जिम्मेदारी दूसरों को ट्रान्सफर करते हैं उस जिम्मेदारी को हम अपने ऊपर जब तक लागू नहीं करेगें, अब हम भ्रष्टाचार रोकने की बात करें, चाहे पानी के सरंक्षण की बात करें, चाहे किसी भी कानून की बात करें, हम यदि बात करना चाहते हैं तो इससे पहले स्वयं को संकल्प लेना पड़ेगा । हम राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति ठीक है अपने स्थान पर है, यह संसदीय व्यवस्था भी है कि आप हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे लेकिन सत्ता आपको नजदीक दिखाई देती हो तो संघर्ष करो, बिलकुल ऐसी स्थिति आ रही है कि हमारी जा रही है तो आप इधर आने की कोशिश करो कहां दिक्कत है लेकिन कोई इश्यू ही नहीं है। सरकार परिवर्तन होती नहीं, होगी नहीं । जब यह जानते हैं तो आप केवल विरोध करें और हम पक्ष में रहे इसकी बजाए ऐसे विषयों पर गम्भीरता से चर्चा करें जिससे लोगों का भला हो। अब इसमें हम नहीं करके हर मामले में राजनीति, अब मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि पिछली सरकार की कमियां रह गई तो उसको कहो ही मत, बोलने ही नहीं दे रहे। मैं कोई आपसे विद्वान भी नहीं हूं यह बात भी सही है । मैं आप सबसे कम योग्य हूं यह बात भी सही है, परन्तु अपनी बात कहने का मुझे अधिकार है कि नहीं ?

मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारी जो कमियां रह गई उसको स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये और आगे कोई कमियां नहीं रहे । मेरा इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि चाहे अब हम, नये हैण्डपम्प लगाने की बात है, एक तरफ हम कहते हैं कि पानी का दोहन हो रहा है, जलस्तर नीचे जा रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है, एक तरफ यदि हमारी जेब से हजार रूपये भी खर्च करने पड़े तो हम उसमें खर्च नहीं करे क्योंकि हैण्डपम्प बड़ी मात्रा में हमारे को अधिकार दे दिया, जहां आवश्यक नहीं

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

है, अच्छा पानी भी नहीं है, कोई मांग कर रहा है उसको खुश करने के लिए हैण्डपम्प लगा रहे हैं।

एक तरफ जल का दोहन कर रहे हैं दूसरी तरफ संख्या बढ़ा रहे हैं अनावश्यक। आवश्यक हो वह जरूर करें लेकिन अनावश्यक रूप से हम जल का दोहन करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी ? पानी का सवाल नहीं है हमारा अण्डरग्राउण्ड वाटर इतना नीचे जा चुका है जो कि चिंता का विषय है, अब उसको रिचार्ज करना बहुत आवश्यक है, रिचार्ज कहां हो सकता है उसके लिए भी हम प्रयत्न नहीं करते। मान लीजिए हमारे पास माही में पानी भरा हुआ है, बीसलपुर में पानी भरा हुआ है उसकी चिंता नहीं करते।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पीना बंद कर दें क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पियो तो सही लेकिन ढोलो मत।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कहां ढोलते हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ढोलते हैं। जयपुर में बीसलपुर का पानी 2001 में ले आएंगे, बीसलपुर का पानी हम यहां ले आयेंगे, वहां पर शिलान्यास कर आये सांगानेर में, हम शिलान्यास कर आये रामनिवास बाग़ में, क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो ? बीसलपुर का पानी, हम घोषणा कर आते हैं, हमारी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): टोरडी सागर बांध में पानी पहुंचाने की बात भी बताना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह भी बता रहा हूं ना। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, टोरडी सागर, आपने आपकी सरकार के समय यह तय कर दिया कि बीसलपुर में कितना पानी किसको मिलेगा। उसमें आपने यह तय कर दिया कि 2/3 पानी पेयजल के लिए, 1/3 सिंचाई के लिए। अब 2/3 पानी अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ और बीच में पड़ने वाले गांव और जयपुर में आपका वह पानी आये। 2021 में जो जनसंख्या होगी उसमें कितने पानी की आवश्यकता होगी उसका केलकुलेट करके आपने कह दिया कि 16 टीएमसी पानी तो हम जयपुर, अजमेर इनमें देंगे और 8 टीएमसी पानी हम सिंचाई के लिए देंगे। सिंचाई के लिए पानी था उसमें आपने सारा क्षेत्र खोल दिया। उसमें 80 हजार नहीं, एक लाख हैक्टेयर जमीन से वहां पर, सिंचाई हो गई यह हमारे आते ही हमने सबसे बड़ी उपलब्धि की है।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बीसलपुर का पानी बेकार पडा था वह एक लाख बीघा जमीन इस साल और पिछले साल, आते ही मैंने संकल्प किया था कि बीसलपुर का पानी यदि हम नहीं लाएंगे तो विधान सभा में नहीं जाएंगे। हम एक साल में पानी लेकर आए। एक लाख बीघा जमीन सिंचित की, 500 करोड़ रूपये की अतिरिक्त पैदा होगी, आप वहां जाओ, फसल लहरा रही है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आदरणीय, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप बांसी भी जाते हो, नैनवां भी जाते हो, आपके रिश्तेदार भी हैं ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रिश्तेदार से क्या लेना देना है ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं भी आपका रिश्तेदार हूं। आपके भाईबंध है...

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह कहिये ना, मेरे रिश्तेदार हो आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कृपया करके 110, राइटमेन केनाल थी पूरी की पूरी, 110 गांव उडाने में आप....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब काहे के लिए उस स्कीम में जा रहे हो ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है । मुख्य सचेतक है सरकार के, आप हमारा ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, यह बता दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप तो उसमे चले गए, पूरी योजना में ही।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप हमारा ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे ? रखेंगे न वादा तो करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी जो मामला उठा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पानी है, ईसरदा डेम में दो प्रावधान है। ईसरदा डेम बनाकर जयपुर में पानी लाया जाए और बीसलपुर से पानी लाया जाए। बीसलपुर से पानी लाने का काम तो प्रारम्भ हो रहा है। सैकण्ड फैज में, ईसरदा से पानी लाया जाए, वह ईसरदा डेम आपने यहां देखा कि स्वीकृत हो गया । यदि ईसरदा डेम जल्दी बन जाए, मेरा यह मानना है, मैं ना तो सिंचाई मंत्री हूं, ना मुझे अधिकृत रूप से इसकी कोई जानकारी है, पर जितना मोटा-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मोटा मैं जानता हूं, उतना कह सकता हूं कि यदि ईसरदा से जयपुर में पानी लाया जा सकता है और उसमें इतना पानी है कि जयपुर में पर्याप्त मात्रा में पानी आ सकता है तो बीसलपुर का जो पानी बचा हुआ है, जो ड्रिंकिंग वाटर, जो जयपुर लाना चाहते है, अजमेर ले जाना चाहते हैं उस पानी से और अतिरिक्त सिंचाई जिसमें चाहे रामनारायणजी कह रहे हैं, चाहे वह टोरडी सागर का मामला, टोरडी सागर के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बहुत प्रयत्न चल रहे थे, इसमें बाधा उत्पन्न की कांग्रेस पार्टी ने, बिना सोचे समझे उसमें लोगों को उकसाया, लोगों को लाठी और तलवारों से लेकर... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप यह बता दो कि प्रिंसिपली आप एग्री करते हो क्या। (व्यवधान) प्रिंसिपली आप... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने केवल उकसाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को उकसाकर आ गये और उनको छोड़ दिया अपने हाल पर, कांग्रेस नेतृत्व गायब हो गया। सोयला में इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया, लाठियां और फर्सियां लेकर, बंदूकें और तलवारें लेकर, जब आप यह समझिये कि जब बंदूकें चलेंगी, जब पत्थर बरसाये जाएंगे, जब लाठियां लेकर खड़े हो जाएंगे तो यह स्थिति किसने बिगाड़ी। हम बहुत दुःखी हैं कि वहां जो कुछ हुआ, वह अच्छा नहीं हुआ। (व्यवधान) लेकिन उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को उकसाकर बिना योजना के प्रदूषण को भड़काया और वहां पर आन्दोलन करवाया। खुद भाग गये, किसानों को मरवा दिया। वहां पर सोनिया गांधीजी को ले गये आसूं बहाने के लिये। किया कुछ है नहीं। अब आप ले आओ। केन्द्र से अब करवा दो। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह दोनों प्रस्ताव...।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, फालतू की बात नहीं। संकल्प के विषय पर बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फालतू की बात है क्या यह? बिलकुल संकल्प का विषय है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोनों प्रस्ताव प्रोग्रेसिव हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इसका मतलब आप टोरडी सागर में बीसलपुर का पानी पहुंचाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पर आप व्यवस्थाएं तो गड़बड़ कर आये। आपने जो फिक्स किया, सिंचाई के लिये तो केवल आपने 8 टी.एम.सी. पानी स्वीकृत किया है। जो 32 टी.एम.सी. पानी आप माही डेम से 80 हजार हैक्टेयर को सिंचित करवा रहे हो, 8 टी.एम.सी. पानी में एक लाख बीघा सिंचित कर रहे हैं। कोई गुनाह कर रहे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जितना मांगा था, उतना मिल गया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कितना मांगा था, वह तो आपके समय तय हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां तो उतना मिल गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 1982 में प्रोजेक्ट बना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो धन्यवाद देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को कि आपने जितना मांगा था, उन्होंने दिलाया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 1984 में शिवचरणजी माथुर उसका शिलान्यास करके आये। भाटा लगाकर आये, फिर उखाड़ा वह, फिर 1986 में लगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके जितना पानी मांगा था, वह आपको मिल गया। उसके लिये धन्यवाद नहीं देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सर्वसम्मति से क्या?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): संकल्प जो पारित किया था, तो धन्यवाद नहीं देंगे आप?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): हां, यह संकल्प, विधान सभा में जो संकल्प पारित किया कि यह पानी का हमारा अधिकार है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी सहयोग किया। उसके लिये मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सहयोग नहीं, पानी दिलवाया आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दिलवाया नहीं, वह तो चलती नहीं आपकी वहां। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि संकल्प के कारण आपके हमारे साथ रहने के कारण उसमें और जोर आया। वरना तो हम

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कई बातें कहें, लाओ स्वीकार करा लाओ। वहां मिलने का तो समय ही नहीं देते और आप कहते हो, हम करवा लाये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब विराजें जरा।

(15.13 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिये अध्यक्ष महोदय, क्योंकि दोनों प्रस्ताव ऐसे प्रगतिशील प्रस्ताव हैं और आज की आवश्यकताओं को देखकर इस संकल्प को पास कराने में हमको मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है और जिन बातों की ओर मैंने इंगित किया है इस पर जरा विचार करके इसका अच्छा प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार प्रकट करता हूं, आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिये धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस संकल्प के साथ अपनी भावनाएं सम्मिलित करते हुए कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने जो गैर सरकारी संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसके साथ मैं अपनी भावनाएं मिलाते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण आज की आवश्यकता है । आवश्यकता इसलिये भी है कि अगर समय रहते हुए हमने इस ओर समुचित कदम नहीं बढ़ाये तो मानव सभ्यता के सम्मुख एक बड़ी चिन्ता खड़ी हो जाएगी। यही कारण है कि हमारी चिन्ता उस समय और बढ़ जाती है जब पर्यावरणविद् यह बात करते हैं कि जल का संकट और अगले विश्व युद्ध की बुनियाद इस पानी को लेकर होगी। अध्यक्ष महोदय, अभी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ भी यहां हिन्दुस्तान में आये थे। उन्होंने भी बयान में एक बात कही, उन्होंने यह कहा था कि पाकिस्तान को कश्मीर से ज्यादा चिन्ता कश्मीर से बहकर आने वाले उस पानी की है जो कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ आता है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व इस जल संकट से त्रस्त है और उसकी चर्चाएं अलग-अलग मंचों पर चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जिस तेजी से गिरी है, हमारे सामने सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। 1950 में 5000

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता थी। 2005 में घटकर 1869 हो गया। निश्चित रूप से जब हम राजस्थान की चर्चा करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अब देश के अन्दर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश 10.4 प्रतिशत और जनंसख्या की दृष्टि से 5.5 प्रतिशत और सतही जल की दृष्टि से सबसे गरीब प्रदेश मात्र 1.16 प्रतिशत। अध्यक्ष महोदय, इसलिये आज जो सतही जल प्रदेश में उपलब्ध रहता है, वर्तमान कठिन परिस्थितियों के अन्दर भी उसका उपयोग मात्र 52 प्रतिशत होता है। शेष जल या तो बहकर चला जाता है या वाष्प बनकर उड़ जाता है। अध्यक्ष महोदय, भू-जल का अति दोहन, इस दोहन से मैं समझता हूं सदन के सारे सदस्य चिंतित भी हैं और परिचित भी हैं। भू-जल पर हमारी जो निर्भरता है, वह निर्भरता भी चाहे पेयजल की दृष्टि से हो, सिंचाई की दृष्टि से हो वह निर्भरता भी बहुत अधिक है, लगभग 90 प्रतिशत पेयजल की उपलब्धता राजस्थान के अन्दर भू-जल पर निर्भर करती है। चाहे वह क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बने, या गांव के ट्रेडिशनल सोर्स को इलेक्ट्रिफाइड करके उससे पानी लेने की बात करें। आज जितना इर्रिगेशन हो रहा है, सिंचाई हो रही है चाहे किसी योजना-परियोजना से हो, 79 प्रतिशत सिंचाई हमारी बिजली से हो रही है, शेष सतही जल से हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सब परिचित हैं कि भूगर्भ के अन्दर जितना जल वह एक तरह से बैंक के अन्दर हम जितनी राशि डालते हैं और उतनी निकालें तो उतनी ही रहती है। अगर दोहन ज्यादा करें और पुनर्भरण कम होगा तो निश्चित तौर पर जल नीचे गिरता चला जाएगा । आज स्थिति ऐसी है कि सबसे नीचे की सतह जिसको हम डीप इको अफेक्ट कहते हैं वहां भी हम पाताल तोड़ कुआं लगाकर पानी खींच रहे हैं, लगातार वाटर टेबल ज्यों-ज्यों नीचे जा रहा है, त्यों-त्यों हम बड़ी से बड़ी मोटर लगाकर नीचे का पानी ऊपर ले रहे हैं। इन सभी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता के साथ अपनी चिन्ता मिलाते हुए The Rajasthan Regulation And Control Of The Development And management Of The Ground Water Bill, 2006 इसका आर्डिनेंस पारित किया है। इसके पीछे मंतव्य यह है कि कब तक आँखें मूंदे यह देखते रहेंगे कि आज नहीं तो कल बढ़ती हुई जनंसख्या और विकास की दृष्टि से जो भी काम हो, इन सब कामों की सबसे पहली आवश्यकता है तो इसकी आवश्यकता है पानी। पानी के अन्दर जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि सबसे अधिक पानी का दोहन कहीं हमारा है और हमारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निर्भरता है तो वह है हमारे भू-जल पर। अध्यक्ष महोदय 2001 के अन्दर पूरे राजस्थान के अन्दर अलग-अलग जोनों के अन्दर, भूजल कितना-कितना है इसका एक भूजल विभाग ने सर्वे करवाया था। उसमें पूरे राजस्थान के अन्दर जो 236 पंचायत समितियां हैं, उसमें 2001 में मात्र 21 प्रतिशत पंचायत समितियां सुरक्षित श्रेणी में थीं और उसमें 79 प्रतिशत या तो सेमी क्रिटिकल जोन में थीं या क्रिटिकल जोन में थीं या ओवर-एक्सप्लोयटेड जोन, अति दोहित जोन में थीं। इसके पीछे मुख्य कारण भी यह रहा कि हम जितना जल निकाल रहे हैं उसके एवज में जो वास्तविक भू-जल पुनर्भरण है वह मात्र बहुत-कम है। अभी 2004 में 31 मार्च, 2004 में जो भू-जल विभाग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें हमारी चिन्ता और बढ़ना स्वाभाविक है। आज 236 पंचायत समिति में मात्र 14 प्रतिशत पंचायत समितियां ऐसी हैं जिसको हम सुरक्षित जोन कह सकते हैं । जहां से जल का दोहन हम कर सकते हैं। शेष 86 प्रतिशत पंचायत समितियां क्रिटिकल जोन में, सेमी क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लोयटेड जोन में आ गयीं।

ऐसी स्थिति के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी आवश्यकता हो गयी कि निश्चित तौर पर इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की जाए। जिस तरह से सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने एक गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सदन में चिन्ता की है और उन्हीं भावनाओं को लेकर राजस्थान की सरकार यह कानून लेकर आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 के अन्दर जो संरक्षण है, उसमें चिन्ता इसलिए भी और बढ़ जाती है कि उसमें प्रतिवर्ष जल दोहन और जलग्रहण की जो तुलना है उसमें से 125 परसेंट हम जल का दोहन कर रहे हैं और उसकी एवज में जो जलग्रहण हो रहा है, पुनर्भरण हो रहा है, वह कम हो रहा है। आज स्थिति यह बन गयी है कि 2001 के अन्दर जो सुरक्षित क्षेत्र हमारे 49 थे, वे घट कर 32 हो गये। सेमी क्रिटिकल क्षेत्र जो 21 थे वे घट कर 14 हो गये क्योंकि उनमें बहुत से ओवर एक्सप्लायटेड जोन में चले गये। क्रिटिकल जोन 80 थे वे घट कर 50 हो गये पर सबसे बड़ी चिन्ता जिसको हम कहते हैं कि अति दोहित जोन, जहां पर इतना दोहन हमने कर लिया जल का कि अब वाटर टेबल भी इतनी तेजी से नीचे चली गयी कि अब और जल का दोहन करना वहां पर सम्भव नहीं हो सकेगा। आज नहीं तो कल इस भूगर्भ में जितना जल है वह भूगर्भ का जल अगर हम सारा निकाल लेंगे तो कल को ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाएगी कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कुछ ऐसे जोन हैं, ओवर एक्सप्लायटेड जोन हैं, जिनमें जल की मात्रा भू-गर्भ में भी बिलकुल सीमित रह जाएगी, वह 140 हो गये। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगायें कि 236 में से इस राजस्थान की धरती पर 140 जोन ऐसे हैं जो अति दोहित हैं। अब हम कहां ले जाना चाहते हैं और इसलिए आज जो हम पूरी पंचायत समितियों को देखें तो उनकी संख्या में भी 21 परसेंट में, 2001 में पंचायत समिति, राजस्थान की पंचायत समिति के जो क्षेत्र है उसमें 21 परसेंट ऐसी जगह थी, जिसको हम सुरक्षित जोन कह सकते हैं, वह घट कर 14 परसेंट रह गये और लगातार राजस्थान के अन्दर 24 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से 1984 से वाटर टेबल नीचे गिर रही है। आप अन्दाजा लगा लें, कोई वर्ष नहीं, चाहे वर्षा ज्यादा हुई हो, कम हुई हो और उसका पूरा औसत निकला, जब उसमें 24 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गिरावट आ गयी और हमारे देखते-देखते जल स्तर कई मीटर नीचे चला गया और इसके पीछे मुख्य कारण यह रहा कि कुछ तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर चाहे हम कुछ भी कहें, जिस ग्लोब पर राजस्थान स्थित है, उस ग्लोब में आज आप वर्षा का आकलन कर लें, बरसात हमेशा, हमारी नियति रही है कि बरसात कम होती है और एरिड जोन हो या सेमी एरिड जोन हो, आज सबसे बड़ा संकट यह आ गया कि सिंचाई के क्षेत्र में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि जल का अति दोहन कम होना चाहिए। सरकार चाहे किसी भी पक्ष की रही हो, कहीं ड्रिप इर्रिगेशन की बात हुई, स्प्रिंकलर की बात हुई, यह जरूर आ गये, क्षेत्र जरूर बढ़ गया पर जल का दोहन कम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप तो स्वयं उस क्षेत्र से पधारते हैं, आपने देखा होगा कि चूरू और झुन्झुनूं में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्प्रिंकलर में तो जल और खराब होता है क्योंकि आपरेट ज्यादा होता है। ऑपरेशन ज्यादा होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आपरेशन ज्यादा होता है पर उसमें ज्यादा क्षेत्र के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई भी होती है पर उसमें उन क्षेत्रों में जहां टीले थे, जहां पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था उन टीलों के अन्दर भी गेहूं की फसल होने लग गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही कारण रहा कि एक तरफ जब हम ड्रिप इर्रिगेशन की बात करते हैं, एक तरफ जब हम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्प्रिंकलर की बात करते हैं और दूसरी तरफ, यह स्वाभाविक भी है कि हमारे खुद की सबकी मंशा रहती है कि ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, ज्यादा उपज हो तो यह ज्यों-ज्यों क्षेत्र ज्यादा बढ़ता रहा, उसके साथ-साथ जो हमारा जल स्तर था उस क्षेत्र का वहां नीचे जाता चला गया और आज राजस्थान की स्थिति क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप एक्सप्लायटेशन की बात तो बता रहे हैं कि बहुत हो रहा है, आप जरा यह भी बताइये कि जब संकल्प को आप प्रस्तुत कराएंगे तो क्या-क्या स्टेप्स लिये जाने चाहिए, जल संरक्षण के लिए यह जरूरी है। आवश्यकता तो यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, वह बताइये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा जो संकल्प आया है, इस संकल्प के साथ राजस्थान की सरकार ने अपनी चिन्ता को मिलाते हुए द राजस्थान रेगुलेशन एण्ड कण्ट्रोल आफ द डवलपमैंट एण्ड मैनेजमैंट आफ ग्राउण्ड वाटर बिल, 2006, मंत्रिमण्डल ने इसको पारित कर दिया और इसके अन्दर सारे वह प्रावधान किये, हमने राज्य के अन्दर भूजल प्राधिकरण का गठन कर दिया। हमने पूरे राजस्थान के अन्दर जल संवर्द्धन के लिए जल संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग कैसे हो, इसके लिए हम अभियान चला रहे हैं। राजस्थान के अन्दर एक नहीं, राजस्थान के अन्दर हमने 200 करोड़ रुपये खर्च करके 2165 वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य स्वीकृत कर दिये और इसके पीछे मंशा यही है कि हमारा जो भूजल है वह धीरे-धीरे आगे बढ़े। हमारे वह पुराने ट्रेडिशनल सोर्स, जिन सोर्स के आधार पर हमारे पुरखों ने कभी सिंचाई की थी, जिसका पानी पीया था, उनका पुनर्निर्माण करने का काम सरकार ने हाथ में लिया है और मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की महती आवश्यकता और जिस तरह का आर्डिनैंस राजस्थान की सरकार लेकर आयी है, इन्हीं भावनाओं के साथ निश्चित तौर पर यह सर्व-सम्मत संकल्प पारित होना चाहिए और सर्व-सम्मत संकल्प पारित ही नहीं, राजस्थान के अन्दर जिस तरह माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है, जो जल अभियान वे चला रही हैं, उस जल अभियान के साथ हम राजनीतिक परिधि से ऊपर उठ कर हम सब जुड़ें। राजस्थान के आम-अवाम को हम यह कहें कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह जल राजस्थान का एक तरह से प्राण है। यह प्राण जब नहीं रहेगा तो मानव सभ्यता और संस्कृति के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और इस चीज की चिन्ता कोई राजस्थान में ही नहीं है, पूरे संसार में की जा रही है। एक तरफ जल तेजी से नीचे जा रहा है वहीं दूसरी ओर जल स्तर प्रदूषित भी हो रहा है। अब आवश्यकता इस बात की आ गयी, अब वह समय आ गया माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमें वाटर हार्वेस्टिंग के साथ-साथ रि-साइकिलिंग आफ वाटर की बात भी करें। अब जिस तरह की राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की सरकार ने प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उसकी रिकमण्डेशन राजस्थान की सरकार के पास आयी है और उसका अध्ययन भी कर रहे हैं और उसी के अनुसार यह पहला जो बिल, मैंने जिस तरह कहा, द राजस्थान रेगुलेशन एण्ड कण्ट्रोल आफ द डवलपमेंट एण्ड मैनेजमैंट आफ ग्राउण्ड वाटर बिल, इसी आधार पर वह बिल लेकर आये हैं और उसमें सबसे बड़ी बात जो प्रोफेसर व्यास ने की है कि जल संवर्द्धन, जल संरक्षण कोई सरकार के माध्यम से नहीं, जन चेतना से होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से हमारा शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, आज गांव के गांव सिमट कर शहरों में सम्मिलित होते जा रहे हैं और शहरों के अन्दर जो मकान बन रहे हैं, शहरों के अन्दर जिस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है, शहरों के अन्दर जिस तरह से इसके साथ-साथ औद्योगीकरण की जब हम बात करें, चाहे शहरीकरण हो और औद्योगीकरण हो, इन सबकी बुनियाद पानी पर है और पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, इसके संवर्द्धन के लिए, संरक्षण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक जन-चेतना के माध्यम से हम लोगों को यह भी बतायें कि अपनी छत का पानी हो या अपने घर का पानी हो, उसका भी समुचित उपयोग हो और इसके लिए मैं समझता हूं कि जो संकल्प आप लेकर आये हैं, निश्चित तौर पर वह स्वागत योग्य है और सरकार उसी मंशा के अनुसार उसी दिशा में कदम भी बढ़ा रही है और हम सब लोगों को मिलकर राजस्थान में जन-चेतना के लिए राजनीतिक विचारों से ऊपर उठ कर सबको कोशिश करनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है उसकी महत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है पर प्रश्न यह उठता है कि पचास साल में जो हम सरकार में रहे हैं और सरकार के बाहर रहे हैं, वे क्या स्टेप उठा सकते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह क्रिटिकल जोन कितनी पंचायत समितियों में है, कितना पानी घट रहा है, यह हम सरकार में थे तो हमें भी जानकारी है, आज आप सरकार में हो तो आपको भी जानकारी है। वह कानून, आप सुनिये। (व्यवधान) कानून का कोई मतलब नहीं है, कानून समझना पड़ेगा। सरकार जो, स्वयं सरकार है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिये। (व्यवधान) उस सरकार को कुछ अपने आप में निर्णय करने पड़ेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, और सबसे पहले यह निर्णय करना पड़ेगा राजस्थान की, क्या राजस्थान में हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र को बढ़ायें या हम राजस्थान को एनीमल हस्बेंड्री का बेस बनायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की जो सारी इकोनोमी है वह पहले से एनीमल हस्बेंड्री के ऊपर बेस्ड थी और आजादी के बाद हमने एक टेम्पटेशन ले लिया कि इंदिरा गांधी केनाल का पानी लाएंगे हम। इंदिरा गांधी केनाल के पानी से हम एग्रीकल्चर की पद्धति को बढ़ाएंगे और एग्रीकल्चर का क्षेत्र बढ़ाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इंदिरा गांधी केनाल का पानी राजस्थान में केवल मात्र ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को केटर करने के लिए है। आने वाले समय में जिस तरह की पापुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, आप इंदिरा गांधी केनाल से खेती नहीं कर सकते। जब इंदिरा गांधी केनाल से आप खेती नहीं कर सकते तो आज राजस्थान सरकार को यह फैसला करना पड़ेगा कि हम इंदिरा गांधी केनाल से कैसे ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स केटर करें। यदि आपका प्रोजेक्शन अगले 10-15 साल का है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वाटर अलाउंसेज का जो आप सोच रहे हैं, उसके संबंध में आपको दूसरी बार नया निर्धारण करना पड़ेगा। अभी तो गंगानगर का आन्दोलन खड़ा हुआ है, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आन्दोलन और आगे बढ़ेगा। आज राजस्थान सरकार को संकल्प लाकर लोगों में जाग्रति लाने की आवश्यकता है कि राजस्थान केनाल आने वाले वर्षों में ड्रिंकिंग वाटर के अलावा कोई नया एग्रीकल्चर के फील्ड को केटर नहीं कर सकता। हम यह काम नहीं करना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम हमारे जो राइट्स हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, 8.06 एम.ए.एफ. पानी का, उसमें आज मैं पढ़ रहा था एक मिस्टर सिंघवी ने केस किया, जो

(डा. सी. पी. जोशी)

रिटायर इर्रिगेशन इंजीनियर हैं, उसमें राजस्थान सरकार को जो स्टेप लेनी चाहिए थी, वह स्टेप आज हमने नहीं ली राजस्थान सरकार ने। आज 1981 का राजस्थान का जो एग्रीमेंट बना हुआ था, वह एग्रीमेंट आज रेलेवेंट है या नहीं है? क्या इस एग्रीमेंट को खतम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, राजस्थान के पानी का जो हिस्सा था, 1955 में नाथूरामजी मिर्धा जब इर्रिगेशन मिनिस्टर थे वह राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा था, उस हिस्से के बाद पंजाब बना, पंजाब के बाद हरियाणा बना, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश बना, पेप्सू बना। आज राजस्थान का जो हिस्सा है, वह सब इस नये एग्रीमेंट के बाद कम हुआ है। क्या राजस्थान सरकार इस बारे में सोचने के लिए तैयार है कि जितना वाटर, इण्टर-रिवर में पानी का हमारा जो शेयर बनना चाहिए, क्या हम उस पानी को लाने की स्थिति में हैं? क्या आज पंजाब हमारे पानी का उपयोग नहीं कर रहा है? क्या बी.बी.एम.बी. के अन्दर जो हैड-वर्क्स हैं, वे हमारे कण्ट्रोल में हैं? मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो हमारा जो पानी का हिस्सा है, उस हिस्से को एस्टेब्लिश्ड करने के लिए हमें एक संकल्प लेकर निर्णय करना पड़ेगा कि हम राजस्थान के इण्ट्रेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें और उसके बाद में राजस्थान में यह फैसला करना पड़ेगा कि राजस्थान में आने वाले वर्षों में उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइस कम करनी पड़ेगी जो ज्यादा पानी से पैदा होती है।

कम पानी में खेती से जो फसल होती है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखकर राजस्थान सरकार को इंसेंटिव देना पड़ेगा। हम तो यह काम नहीं कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं जिस सरकार में पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार ने फैसला किया है, आज वेस्टर्न राजस्थान में अण्डर ग्राउंड से पानी लाने के लिये 50 हॉर्स पॉवर, 75 हॉर्स पॉवर की आप परमिशन दे रहे हो। आपको जब मालूम है पानी अवेलेबल नहीं है तो फिर 85 हॉर्स पॉवर के कनेक्शन क्यों दे रहे हो? क्या टेम्पटेशन ले रहे हैं ? हमने हर साल 80 हजार कुओं को एनरजाइज कर दिया, यह हमारा अचीवमेंट है। राजस्थान में यदि पानी अवेलेबल नहीं है तो हमें ब्लेकेंट फैसला करना पड़ेगा कि आने वाले समय में कुओं को एनरजाइज करें या नहीं करें। यदि हम राजस्थान में कुओं को एनरजाइज करना चाहते हैं, हमारी बिजली का गैप बढ़ाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं राजस्थान की इकोनोमी को हम कैसे ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है, माननीय

(डा. सी. पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था कैसे करें ? पीने के पानी की व्यवस्था के लिये सरफेस वाटर का उपयोग लें। पीने के पानी के वास्ते अंडर ग्राउंड वाटर की स्कीम लें, पीने के पानी के लिये हैण्डपम्प का उपयोग लें। पिछले दस साल के आंकड़े उठाकर देख लें, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर साल राजस्थान में जितने हैण्डपम्प ड्राई हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब लगायें तो अभी तक राजस्थान में करीब 500 करोड़ रूपये खर्च कर चुके हैं हैण्डपम्प के नाम पर। आज आपके पास ट्रेडीशनल सोर्स था, कुए थे, बावड़ी थी, उसको हमने रिनोवेट नहीं किया। हैण्डपम्प के नाम पर एक नया काम शुरू कर दिया और हैण्डपम्प पानी जितना नीचे जाता है, अध्यक्ष महोदय, उसमें जो मिनरल कंटेन आते हैं वह हैल्थ के लिये हजार्डियस होते हैं। हम काहे को इस चीज पर जाना चाहते हैं कि हम हैण्डपम्प से पानी पिलायेंगे। हमें फैसला करना पड़ेगा, हम हैण्डपम्प से पानी नहीं पिलायेंगे। आज भी हिन्दुस्तान में ऐसा कोई गांव नहीं जहां हेवीटेशन के साथ पानी की व्यवस्था नहीं। किसी भी गांव में चले जाएं आप, वहां कुआं होगा, बावड़ी होगी और यदि रॉ-मैटेरियल का उपयोग करने के लिये वहां सब जगह देखिये वहां पर उन्होंने नाडी बना रखी है, तालाब बना रखा है। हमने एक वेस्टर्न कान्सेप्ट ले लिया कि रॉ-मैटेरियल का उपयोग उसी तरह करेंगे जिस तरह से पानी को प्यूरीफाई करके कर रहे हैं। यदि आपने नई योजना बनाई दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर तो आइये नया उदाहरण दीजिये राजस्थान के अंदर कि राजस्थान के अंदर इन गांवों में हम रॉ-वाटर के उपयोग और ड्रिंकिंग वाटर के उपयोग के अंदर अन्तर करेंगे। यदि राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर के उपयोग और रॉ-वाटर के उपयोग में अंतर नहीं किया तो आने वाले समय में पानी की समस्या और ज्यादा खड़ी होगी । कैसे हम बीसलपुर का पानी जयपुर में ला रहे हैं, कैसे जोधपुर में इंदिरा गांधी कैनाल का पानी ला रहे हैं, कैसे मानसी-वाकल का पानी उदयपुर में ला रहे हैं ? what is the per unit cost? क्या हम एफोर्ट कर सकते हैं? गांव के गरीब आदमी की औरत चार कि.मी., पाँच कि.मी. की दूरी से सिर पर पानी लेकर आये और शहर में रहने वाले की औरत घर पर नल से पानी लेगी, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है? क्या राजस्थान में विषमता पैदा नहीं होगी, क्या कॉस्ट को इक्वेट करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सरकार को, कोई भी सरकार हो, सबसे पहले करना पड़ेगा कि ड्रिंकिंग वाटर की हमारी पॉलिसी क्या बने? ड्रिंकिंग वाटर की

(डा. सी. पी. जोशी)

पॉलिसी में हमने ठीक ढंग से काम नहीं किया, अध्यक्ष महोदय, तो अंडर ग्राउंड वाटर को तो हमने हार्वेस्ट कर लिया, आने वाले समय में सरफेस वाटर को भी हार्वेस्ट कर लेंगे तो और ज्यादा प्राब्लम खडी हो जायेगी। इसलिए सबसे पहले ड्रिकिंग वाटर की पॉलिसी सदन के बीच में आनी चाहिये कि ड्रिकिंग वाटर की हमारी स्कीम क्या है?

दूसरा, एग्रीकल्चर के संबंध में सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में हम कुओं को एनरजाइज करें कि नहीं करें, हमें फैसला करना पड़ेगा कि यदि किसान कम पानी से जो फसल की खेती कर रहा है, उसको मिनिमम सपोर्ट राजस्थान सरकार इंसेंटिव देगी तो किसान अपना क्रोप पैटर्न बदलेगा क्योंकि सरफेस पानी उपलब्ध हो गया तो पंजाब की गवर्नमेंट क्रोप पैटर्न को बदलने के लिये लोगों को मोटिवेट कर रही है और राजस्थान की सरकार पानी कम होने के बाद क्रोप पैटर्न को बदलने की बात नहीं कर रही है। आपको दूसरा सबसे बड़ा फैसला करना पड़ेगा कि क्रोप पैटर्न को बदलने के लिये राजस्थान में कम पानी से जो फसलें उगती हैं, उसको राजस्थान सरकार सपोर्ट प्राइस देगी तब किसान डाइवर्ट होगा उन फसलों से, जो ज्यादा पानी से पैदा होती है। आपको दूसरा फैसला करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। तीसरा फैसला करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, आपको कि पिछले वर्षो में जब पानी जैसलमेर और बाड़मेर में नहीं होता था तो रिन वाटर को रिटेन करने के लिये, उसको बचाने के लिये टांके की स्कीम बना रखी थी और लोग उस पानी का उपयोग करते थे। अब साउथ राजस्थान में पानी की प्राब्लम आ गयी है। आज राजसमंद जिले में पानी की भयंकर प्राब्लम है। अब हमको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि जैसे जैसलमेर और बाड़मेर में 100 साल के पहले लोग पानी को रिटेन करते थे बरसात में, क्या हम उसी स्कीम को मोडिफाई करके राजसमंद में उस स्कीम को लागू करना चाहते हैं? हम खाली कह दें कि वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिये, पर वाटर हार्वेस्टिंग की नई तकनीक आज दिन तक ईजाद नहीं कर सके जो जैसलमेर और बाड़मेर में वाटर हार्वेस्टर स्ट्रक्चर से बैटर हो। यदि सरकार यह काम करे और यह कहे कि आने वाले वर्षों में वाटर हार्वेस्टर का यह काम करना पड़ेगा तो लोग मोटिवेट होंगे और रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिये आगे आयेंगे। इसलिये सबसे बड़ी आवश्यकता है, आज सर्व शिक्षा अभियान में आपको पैसा मिल रहा है, आप हर स्कूल में जो आज

(डा. सी. पी. जोशी)

सर्व शिक्षा अभियान के स्कूल हैं उनमें आप वाटर हार्वेस्टर का एक स्ट्रक्चर खड़ा करिये। उसका पार्ट बनाइये जिससे छोटा बच्चा पढ़ने के साथ समझ सके कि बरसात के पानी को कैसे रोक सकते हैं? कम से कम स्कूल में उससे पेड़ लगाने के लिये काम कर सकें तो समझ में आयेगा। बरसात के पानी को हम दो महीने की जगह बारह महीने रख सकते हैं। इसलिए आपको दूसरा सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा कि जो सरकारी बिल्डिंग है और खास तौर से स्कूल की बिल्डिंग, जहां भारत सरकार बहुत पैसा दे रही है आपको, उस पैसे से वाटर हार्वेस्टर का आप प्रोविजो करिये जिससे छोटा बच्चा इस बात को समझ सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता, सब माननीय सदस्यों ने राय व्यक्त की है पर प्रेक्टिकल सरकार को आगे आकर बताना पड़ेगा । हमने यह वाटर का बिल पास कर दिया । इस बिल में क्या पास किया, इस बिल में कोई इंसेंटिव आपने नहीं दिया है कि आदमी कम पानी उपयोग में लेगा तो क्या करेंगे। आज ट्यूरिज्म की दृष्टि से राजस्थान में फाइव स्टार, सिक्स स्टार की होटल लेकर आ रहे हैं। आज राजविलास की होटल है, होरिजेंटल होटल बनी हुई है, कितना पानी वह हार्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पानी का पैसा वह चार्ज कर रहे हैं? आपको फैसला करना पड़ेगा कि जो फाइव स्टार और थ्री स्टार होटल हैं, इनमें ठहरने वाला आदमी यदि पानी का कंजम्पशन कर रहा है, उस पर टैक्स की रेट लगायेंगे हम बनिस्पत उस गरीब आदमी के बजाय । आपको फैसला करना पड़ेगा हम ट्यूरिज्म के नाम से होटल बना रहे हैं, उसको बेतहाशा पानी का उपयोग करने का मौका देना चाहते हैं, वह पूरा प्रोफिट उठाकर चला जाये और हम कहें कि राजस्थान में पानी एक प्रतिशत है तो हमें नये सिरे से सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इस पर टैक्स लगायें। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार ने जो स्टेप लिये जैसे ग्रीन टैक्स का आपने प्रस्ताव लिया, मैं सहमत हूं। आपने जो व्हिकल है उस पर टैक्स लगाकर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की, प्रदूषण रूके। ठीक इसी प्रकार राजस्थान में यदि पानी के संबंध में हमें चर्चा करनी है तो सरकार को ब्लू प्रिन्ट लेकर आगे आना पड़ेगा कि सरकार की क्या स्थितियां बनी हुई हैं, तब जाकर हम लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे। सरकार बात करे कि हमने व्यास कमेटी बना दी है, व्यास कमेटी एन.जी.ओ. के माध्यम से कर लेगी। जन चेतना बनानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानती हैं आजादी के बाद से शराबबंदी को

(डा. सी. पी. जोशी)

रोकने के लिये हम जन चेतना कर रहे हैं पचास साल से और पचास साल से रेवेन्यू जनरेट करने के लिये दारू के ठेके दे रहे हैं। ऐसी पॉलिसी बनाकर हम लोगों को जन चेतना के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में हम जागरूक करना चाहते हैं तो सरकारें पचास साल पहले भी फेल हो गयी हैं, आने वाले पचास साल में भी फेल हो जायेंगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं एक अच्छे उद्देश्य से जो संकल्प रखा गया है, उस अच्छे उद्देश्य के संकल्प को पारित करने के लिये सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा आती है। सरकार ब्लू प्रिन्ट लेकर आये कि इस संकल्प को लागू करने के लिये सरकार के मन में क्या कल्पना है ? यदि वह आगे बढ़कर काम करेगी तो निश्चित तौर पर जो हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, वह जन जागृति में आपके साथ भागीदारी निभायेंगे। सरकार आपके पास है, बजट आपको बनाना है, बजट का प्रोविजन आपको करना है, आपको आगे आकर सरकार को प्रेक्टिकल बताना पड़ेगा कि हमने यह स्टेप लिये । मैं समझता हूं इस दृष्टि से यदि सरकार आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम राजस्थान में पानी के संरक्षण में उचित कदम उठा पायेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान पानी के संरक्षण के बारे में दुनिया को एक उदाहरण प्रस्तुत कर चुका है जैसलमेर और बाड़मेर में। उस उदाहरण का लाभ उठाकर हम राजस्थान में जन चेतना के माध्यम से संरक्षण का तो काम करें और सरकार आगे बढ़कर ऐसी पॉलिसी बनाये जिससे पानी का ज्यादा दुरूपयोग हो तो दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति बनेगी । इसलिये सरकार स्वयं आगे आकर उस तरह की नीति बनाये कि चाहे वह एग्रीकल्चर के कनेक्शन का सवाल हो, चाहे एग्रीकल्चर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सवाल हो, चाहे वाटर स्कीम के अन्तर्गत सरफेस वाटर के लिये पानी की व्यवस्था करने की बात हो। सरकार आगे आकर कुछ मूलभूत चीजों के सामने ब्लू प्रिंट रखेगी तो संकल्प की सार्थकता होगी और अंत में यही कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इंटर वाटर रिवर में राजस्थान सरकार को आगे आकर कदम उठाना चाहिये जिससे आने वाले समय में पानी का जो अधिकार है, वह पानी हमारे पास मिलेगा। आज नर्मदा का पानी आ रहा है तो जालौर में उसका फायदा मिलेगा। आने वाले समय में माही के पानी का गुजरात से बचाकर उसका उपयोग लेना चाहते हैं, उसका फायदा मिलेगा। पाइंट 6 एम.एफ. पानी मिलता है, एडिशनल उसका फायदा राजस्थान को मिलेगा । इस दृष्टि से हमें तात्कालिक

(डा. सी. पी. जोशी)

दृष्टि से और दीर्घकालीन स्टेप उठाकर हमारे राइट्स के प्रति भी जागरूकता अपनानी चाहिये जिससे पानी का आने वाले समय में सदुपयोग कर सकें । मुझे पूरा भरोसा है इस संकल्प की सार्थकता के लिये सरकार कुछ आगे आकर कदम उठायेगी जिससे लोग मोटिवेट होंगे और आने वाले समय में हम पानी का संरक्षण कर सकेंगे, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सिर्फ एक-दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डार्क जोन की बात, अंडर ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। इसके मूल में कारण क्या है और बारिश कम हो रही है, पानी का दोहन ज्यादा हो रहा है। यह बात सही है लेकिन एक आसपेक्ट जो बड़ा इम्पोर्टेन्ट आसपेक्ट है, उसको मैं अभी सोच रहा था बैठा-बैठा कि चौधरी चरण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री थे, उन्होंने वह चकबन्दी कानून बनाया था । चकबन्दी कानून का फायदा क्या था कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपजाऊ जमीन, घनी आबादी और जमीन का पिगमेंटेशन होता चला जा रहा था। आज यहां राजस्थान के अंदर भी वही स्थिति है, आबादी बढ़ रही है। बदकिस्मती से राजस्थान के अंदर देश के अन्य प्रान्तों की तुलना में आबादी ज्यादा बढ़ रही है और जमीन का बंटवारा होता जा रहा है। आज चार भाई हैं, वह अलग हुए। पहले एक कुए से सारी सिंचाई होती थी, भाइयों में प्रेम न रहने के कारण सबको अलग कुए चाहिये। एक कुए से पानी हो सकता था, जब ज्यादा पानी का दोहन होगा तो निश्चित रूप से पानी का दुरूपयोग होगा। यहां स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है, किसान लाभ उठाये। कई समस्याएं हैं लेकिन चकबन्दी कानून का मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदेश के अंदर अगर आप चकबन्दी कानून बनायेंगे तो लोगों की एक होल्डिंग हो जाएगी। चकबन्दी सिस्टम का मूल सिद्धान्त क्या है कि जगह जगह लोगों की जमीन पड़ी हुई है । वह एक स्थान के ऊपर ही उसका एक चक बना दिया जाता है। और लोग वहां जमीन मिल जाती है तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है, खेती के लिए वेस्ट जा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रहा है वाटर वह वेस्ट पानी नहीं जायेगा, पानी की बचत होगी इसलिए सरकार को इसके बारे में भी, चकबंदी कानून के बारे में भी अन्य उपायों के साथ, प्रदेश के अन्दर चकबंदी कानून, और उत्तर प्रदेश में सफलता मिली, एक विफलता का कारण वहां पर लिटिगेशन बढ़ा कि लोग जमीन को बड़ी मुश्किल से पार्टविद करना चाहते हैं, यह लोगों की जमीन वहां पर होल्डिंग्स पहले से ही छोटी थी, जब होल्डिंग पहले से ही छोटी थी तो लोगों के अन्दर झगड़े हुए, टंटे हुए लेकिन आखिर में सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन हुआ। राजस्थान के अन्दर 1962 के अन्दर कई जिलों के अन्दर चकबंदी की शुरूआत हो गयी थी लेकिन किन्हीं कारणों से उस वक्त इसको ड्राप कर दिया गया उत्तर प्रदेश के लड़ाई-झगड़े को देखते हुए तो आप किन्हीं जिलों के अन्दर, जहां पर कि जमीन के ऊपर आबादी का भार ज्यादा है आप उन जिलों के अन्दर इस चकबंदी कानून को एक जिले में मॉडल के रूप के अन्दर अगर प्रारम्भ कर सकें तो इसके निश्चित रूप से नतीजे अच्छे आयेंगे, पानी का दोहन कम होगा और उसका दुरुपयोग रुकेगा।

यही छोटा सा सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूं और सरकार इसके ऊपर विचार करेगी, यह मैं मानकर चलता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का, उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

चूंकि आपको ध्यान होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस बार बजट के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य भू-जल प्राधिकरण के गठन की घोषणा की थी, उसके पीछे मन्तव्य यही था जिस तरह से नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पाँच सितारा होटलों के अन्दर पानी का उपयोग या दुरुपयोग ज्यादा हो, तो कहीं न कहीं इस चीज पर पूरे वातावरण को देख कर के कहीं न कहीं इंसेंटिव-डिइंसेंटिव की बात हमें प्रारम्भ करनी पड़ेगी इसीलिए उद्योगों पर वाणिज्यिक उपयोग पर शुल्क लगाने के लिए सरकार ने इस राज्य भू-जल प्राधिकरण के माध्यम से यह कार्यवाही प्रारम्भ की थी।

श्री अध्यक्ष: तो यह प्रस्ताव, संकल्प आप मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं या प्राइवेट हैसियत से?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, मंत्री की हैसियत से।

श्री अध्यक्ष: मंत्री की हैसियत से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उत्तर देना था आज, सिंचाई मंत्री महोदय को कहीं जाना पड़ गया।

श्री अध्यक्ष: तो वो तो वही बोलेंगे, आप कैसे बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, मैंने आज्ञा लेकर, आज्ञा लेकर बोला है।

श्री अध्यक्ष: संकल्प तो उनका है। नहीं, आप तो बोल चुके ना, संकल्प तो उनका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, बिना आज्ञा तो बोल ही नहीं सकता। मैं आपका, आसन है...

श्री अध्यक्ष: नहीं, बोलें आप। नहीं, लेकिन मैं कह रही हूं संकल्प उनका, कायदे से तो उनको बोलना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में पहले ध्यान नहीं था कि सरकार की तरफ से उसका उत्तर भी आता है इसलिए जब मुख्य सचेतकजी ने अभी अधिकृत किया कि आप कहो, इसलिए कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, वो तो ठीक है, सांवर लालजी की जगह बोलें उसमें कोई एतराज नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डबल रोल में हो आप, पहले तो राजेन्द्र सिंहजी बोले, अब सिंचाई मंत्रीजी की हैसियत से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप जलदाय मंत्री की जगह बोलें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन चूंकि यह संकल्प तो प्राइवेट है इसलिए इसको पायलेट करने की जिम्मेदारी भी प्राइवेट मैम्बर की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वो उन्होंने किया न।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी राय से वाकिफ करा सकते हैं कि, भाई, सरकार..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, सरकार की, मैं सरकार की राय से ही वाकिफ करा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, वो ठीक है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह डबल रोल में हैं, पहले तो बोले हैं राजेन्द्र सिंहजी मंत्री की हैसियत से, अब राजेन्द्र सिंहजी ईरिगेशन मिनिस्टर के हिसाब से बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे वर्षों से जानते हैं, मैं तो कभी डबल रोल और सिंगल रोल, मेरा जैसा सीधा-सादा आदमी राजस्थान की विधान सभा में ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्री और सदस्य ...(व्यवधान) मुबारक हो।

श्री अध्यक्ष: आदमी तो सीधा-सादा हूं लेकिन रोल सब प्ले कर लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की है। 1981 में रावी-व्यास के जल के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ, 8.6 एम.ए.एफ. पानी की जगह 0.6 एम.ए.एफ. पानी उस वक्त तत्कालीन किन्हीं परिस्थितियों के अन्दर छोड़ कर आ गये, उसकी भी आपने चिंता व्यक्त की है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी नोर्थ जोन कौंसिल हुई थी उस नोर्थ जोन कौंसिल में पंजाब के सामने जब हमने यह सारी बात रखी कि हमारे हिस्से का पानी क्यों नहीं देते तो उन्होंने कहा उस वक्त आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री और नेताओं ने यह कहा था कि आपके पास सिस्टम डवलप नहीं है और जब आपके पास सिस्टम डवलप हो जायेगा पंजाब राजस्थान के हिस्से का पानी दे देगा। हमने उस वक्त भी जोरदार तरीके से कहा था कि हमने सिस्टम डवलप कर लिया है और उन्होंने यह हमें आश्वस्त भी किया था कि अगर राजस्थान सिस्टम डवलप कर लेता है तो 0.6 एम.ए.एफ. पानी दे देंगे, उसके मिनिट्स भी आ गये परन्तु अभी भी पंजाब के साथ हमारा झगड़ा जारी है।

इसी तरह से यमुना वाटर की चिंता भी व्यक्त की, निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो उस ऐतिहासिक समझौते की साक्षी रहीं हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1994 में हमें 1.116 बी.सी.एम. पानी यमुना से मिलना था, समझौता हो गया, अब हरियाणा की सरकार आज उस एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर नहीं कर रही और यही नहीं, हरियाणा सरकार यही नहीं कर रही, उस समझौते के बाद जिस बाँध से हमें पानी दिया जाना चाहिए था उसकी स्ट्रीम में कई दूसरे बाँध लगा कर पावर जनरेशन करने के लिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगा लिया। अब हमारा यह भी झगड़ा चल रहा है कि उन हाइडल पावर प्रोजेक्ट में भी हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए।

तो मैं समझता हूं कि यह जो दोनों भावनाएं हैं बिलकुल ठीक है, अन्तरराज्जीय विवाद के अन्दर जहां कहीं भी राजस्थान का हिस्सा है उस हिस्से को प्राप्त करने के लिए पहले भी कोशिश की गयी थी और आगे भी कोशिश की जाती रहेगी और मैं तो यह कहूंगा बी.बी.एम.बी. पर भी हमारा कंट्रोल पंजाब रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 के तहत उसी वक्त हो जाना चाहिए था स्वतंत्र इकाई का, आज भी पंजाब बी.बी.एम.बी. पर अपना कंट्रोल करके इस पूरे पानी का रेगुलेशन जैसा चाहे वैसा करता है इसी कारण कई बार पंजाब सरकार से हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि इस बार सर्वसम्मत संकल्प पारित कर के राजस्थान की आम अवाम की आवाज को दिल्ली की और पंजाब की सरकार तक पहुंचाने के लिए पूरे सदन ने कार्यवाही की।

इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यह प्रोग्रेसिव बात है, राजस्थान की सरकार इसके लिए कानून लेकर भी आ रही है, इसको सदन को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। आपने पानी की बात बतायी लेकिन चम्बल के बारे में भी बता दो, 152 एनीकट मध्य प्रदेश में बने हुए हैं जिसमें चम्बल का पानी रुक रहा है। इसको वापस छुड़ाने के लिए क्या कार्यवाही करेगी सरकार?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जरा आप यह मालूम कर लें कि वो एनीकट बने कब थे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपकी सरकार ने पूछा है उसका ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, यह आपकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जानकारी नहीं है, नहीं तो आप जरा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लो, इसके बारे में पहले सदन में चर्चा हो चुकी है, वो उधर भी आप विराज रहे थे और इधर भी आप विराज रहे थे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एनीकट हटाने के बारे में कोई प्रस्ताव तो लाओ।

श्री अध्यक्ष: बोलिये खुशवीर सिंहजी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बात जल के अत्यधिक दोहन की है और इसमें मेरे छोटे-छोटे सुझाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बारिश आयेगी कहां से, इसके बारे में हमें सोचना होगा। पहले जो बारिश होती थी जंगलों में तो वह बारिश जाड़ी की वजह से, घास की वजह से जमीन के अन्दर पानी जाता और कुएं में, अण्डर ग्राउण्ट वाटर चार्ज होता लेकिन आज बढ़ते हुए इस अंग्रेजी बबूल की वजह से पूरी की पूरी घास समाप्त हो चुकी है, नष्ट हो गयी और जो पानी बरसता है वो यों का यों बह कर आगे चला जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां जंगल हैं वहां इन अंग्रेजी बबूल को जड़ मूल से नष्ट करवाएं तब वापस घास होने की संभावनाएं पैदा होंगी और घास होगी तो निश्चित रूप से पानी जमीन में जायेगा।

दूसरा, मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी में मेरा एक अनुरोध है कि हम जो फसलें फ्लड इर्रिगेशन द्वारा पिलाई कर रहे हैं अगर वही फसल हम बूंद-बूंद सिस्टम से अगर सिंचाई करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं इजराइल गया और वहां पर हमें बताया गया कि जहां 100 लीटर पानी का उपयोग फ्लड इर्रिगेशन से हम पौधों में करते हैं और वो ही पानी अगर बूंद-बूंद ड्रिप इर्रिगेशन सिस्टम से अगर हम काम लें तो आठ से बारह लीटर पानी के अन्दर उससे ज्यादा सुव्यवस्थित ढंग से और अच्छी यील्ड वो पौधा दे सकता है।

तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में आप विचार करें और

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

अधिक से अधिक, हालांकि कुछ फलोद्यान के लिए व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने अनुदान की बात कही है लेकिन उसमें मेरा एक सुझाव है कि इसके लिए आप ड्रिप इर्रिगेशन में अधिक से अधिक अनुदान दें उनको ताकि हर किसान इसको उपयोग में ले सकें।

दूसरी बात, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह, जिस गति से जल की दुर्गति हो रही है, इसके ऊपर कोई न कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। मर्जी आये जो जितना 1000 फीट, 800 फीट, जिसके पास पैसे हैं उसके हिसाब से वह ट्यूबवैल खोद कर उस पानी का दोहन कर रहे हैं, दुरुपयोग हो रहा है उस जल का तो उसके लिए कोई न कोई नीति बनानी होगी कि जितने डैफ्थ तक, गहराई तक ट्यूबवैल इससे अधिक नहीं खोदे जाएं, और हैं तो उनको तुरन्त बंद किया जाए।

इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जल आएगा कहां से, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं और साक्षात अगर आप वहां जाए येरूशलम शहर के ईस्ट में एक पहाड़ी है वहां हम खड़े हो जाते हैं और वहां से अगर हम देखते हैं पूरी नेकेड हिल से। तो उस तरफ बरसात का औसत बीस से चालीस मिलीमीटर है और उसके वेस्ट में जब हम नजर घुमाते हैं घूम कर, तो हरा भरा सा शहर है और खूब झाड़ी है हालांकि वहां पौधे जमीन राक्स के अन्दर ट्यूबवैल की तरह ड्रिल करके मिट्टी डालकर पौधे लगाए हैं उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना हरा-भरा कर दिया। उन्होंने झाड़ी लगाई है, वहां 400 से 600 मिलीमीटर बरसात सालाना होती है। यह प्रत्यक्ष है, चाहे आप सभी सदस्य वहां जाकर देख सकते हैं कि जब तक हमारे जंगल नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे और झाड़ी नहीं होगी और घास नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है और यह जो बारिश होती है, यूं का यूं बहकर पानी चला जाता है। जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं और प्राइवेट हैं उन सबके लिए एक कम्पलसरी कर दिया जाना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो होना ही है चाहे प्राइवेट भी हों, बड़ी होटल्स हैं, बड़े-बड़े जितने भी मकान हैं उन सब पर यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ताकि पानी पूरा जमीन के अन्दर जाए सीधा, तब ही चार्ज होगा क्योंकि नदियां बहनी बंद हो गई हैं । नदियों के अन्दर हम यह जो मार्बल और जितनी भी पत्थर की पिसाई होती है उसका जो स्लेरीज है वह नदियों में डाला जा रहा है और उससे वह छिद्र बंद हो रहे हैं । जब तक पानी नदी में

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

नहीं बहेगा तब तक जमीन के अन्दर पानी चार्ज नहीं हो सकता है । अन्य दूसरी जमीन पर कितना ही पानी आ जाए लेकिन जमीन के अन्दर वह पानी नहीं जाएगा। पानी जमीन के अन्दर तो नदियों के द्वारा ही जाएगा।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी भी व्यवस्था की जाए कि नदियों में जो यह मलबा डाला जा रहा है उनको भी किसी न किसी प्रकार से ऐसा सख्त कानून बनाकर रोका जाए क्योंकि नदियों के द्वारा ही जमीन में पानी चार्ज होता है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जो जल अभियान चल रहा है, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वह सब में सारी अवेयरनैस, उसी के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए यह प्रगतिशील कानून हम लेकर आ रहे हैं और इसीलिए हमने राज्य भू-जल प्राधिकरण का गठन किया है ।

श्री अध्यक्ष: कानून तो आप जब लाओगे न, जब संकल्प पास हो जाएगा। यह तब लाओगे न कानून तो ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मंत्रिमण्डल की स्वीकृति हो चुकी है, विधान सभा में लेकर ...

श्री अध्यक्ष: संकल्प जब पास हो जाएगा उसके बाद लाओगे न कानून तो आप। कानून तो बाद में लाओगे।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संकल्प पर पिछले सेशन में भी माननीय सदस्यों ने बहुत गंभीरता से विचार करके इस आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जल का किस प्रकार से संरक्षण किया जाए इसके ऊपर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं । चाहे वह पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों सभी माननीय सदस्यों ने वैसे तो पूरे विश्व में आज जल संरक्षण की आवश्यकता है लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां राजस्थान में हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए इसके ऊपर कानून बनाना आवश्यक है । सरकार की ओर से भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस बारे में सरकार जल्दी ही कानून बना रही है लेकिन जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं कि इस कानून में इन सारी चीजों का जब तक समावेश नहीं किया जाएगा राजस्थान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तब तक हम उसका पूरा वातावरण

(श्री रामकिशोर मीणा)

बनाकर के उसको जब तक हम अमली जामा नहीं पहनाएंगे तब तक हमारा जो बहुत ही अच्छा संकल्प है उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में ज्यादा पानी वाली खेती को हतोत्साहित करने की जरूरत है उसके लिए इस प्रकार की खेती की नीति बनानी पड़ेगी जिसके कारण से शुष्क खेती और विशेष तौर से कम पानी के द्वारा उपज देने वाली खेती को हम जल्दी से जल्दी प्रोत्साहित करके सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देंगे तो कानून बनाने के द्वार पर इसमें हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से खेती के साथ-साथ राजस्थान में पशुधन हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा मुख्य आधार है और उसके लिए भी हमको इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे बाड़मेर और जैसलमेर में सेवण घास है उसको खाने के बाद जानवर बहुत कम पानी पीते हैं । इस प्रकार से जैसे यह सेवण घास है इस प्रकार के और भी चिंतन करके और कोई इस प्रकार की पद्धति डवलप की जा सके जिससे कम पानी के द्वारा हमारे पशुधन को हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सकें इस प्रकार की भी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी।

पेड़ जितने प्रकार के पहले हमारे वन विभाग ने लगाये हैं, पहले हमारे यहां पर दलदल वाली स्थिति रहती थी, पानी की ज्यादा आवक रहती थी उस समय सफेदे के पेड़ों को ज्यादा लगाया था सरकार अब नहीं लगा रही है लेकिन इस प्रकार के पेड़ जिनके कारण से नीम है, पीपल है, बील्व पत्र है इस प्रकार के पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा सरकार लगाए तो एक तो हमारी अर्थव्यवस्था में वह योगदान देंगे ही लेकिन इसके साथ-साथ वाष्प बनाकर के वातावरण को ठीक करके ज्यादा वर्षा राजस्थान में हो सकेगी, इस प्रकार की भी व्यवस्था उसमें हो सकेगी।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी 10 दिसम्बर को एक इस बारे में जल अभियान की बहुत बड़ी यहां पर गोष्ठि की और इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज पूरे प्रदेश में चाहे जन प्रतिनिधियों के मार्फत हो चाहे सरकारी कार्यक्रमों के मार्फत हो, जल संरक्षण की बात बढ़-चढ़कर की जा रही है। जन जागरण का एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया जा रहा है। विभाग भी इसका एक किया गया है ताकि इसको सुचारू ढंग से किया जा सके।

जो संकल्प माननीय सदस्यों ने दिया है ..

श्री अध्यक्ष: संशोधन, संकल्प तो आपका ही है, संशोधन।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): संशोधन दिए हैं उनके बारे में निवेदन है कि जो माननीय श्री मदन जी राठौड़ ने दिए हैं जल संरक्षण सुनिश्चित करें, केवल सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं होगा जब तक कानून बनाकर के उसको दायरे में नहीं लायेंगे तब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से डा. जालम सिंह जी ने जो संकल्प में संशोधन किए हैं कि वह आवश्यक कानून बनाने की जगह पर सुनिश्चित करें शब्द को प्रतिस्थापित करने को कहा है इसको भी मैं समझता हूं ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपने संकल्प में जो संशोधन दिए हैं उनको वापस करें । मैं सरकार का तथा माननीय जितने भी सदस्यों ने समस्त सदन का जिन्होंने इसकी गम्भीरता को लेकर और आप स्वयं इस मामले की गम्भीरता को देखकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के सरकार जो कानून बनाने जा रही है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं तथा राजस्थान के हित में इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और सारी बातें जो माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उनको इसमें समाहित किया जाए तो वह बहुत ज्यादा बेहतर होगा।

मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस संकल्प को पारित किया जाए।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष: वैसे तो माननीय सदस्य जिन्होंने संकल्प रखा था, जवाब दे दिया।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): दो मिनट में कह दूंगा मैं। मेरा निवेदन है कि एक तो जिस भी गांव में चरागाह सिवाय चक के ऊपर पेड़ लगाए गए हैं उसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव लाएं ऐसी सख्ती की जाए उन लोगों पर जो उन पेड़ों को धड़ा-धड़ काट रहे हैं, निश्चित रूप से सारे पेड़ काटकर के एकदम वहां पर जंगल साफ हो गए हैं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हैण्ड पम्प का पानी है, आज हैण्ड पम्प का पानी पूरी तो रोड को तोड़ रहा है, रोड के ऊपर पानी चला जाता है, आना-जाना बंद हो रहा है या तो सोफ्ते की कोई व्यवस्था, ऐसा कोई प्रावधान किया जाए जिससे पंचायतें उसमें सोफ्ते में वह

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

पानी जमीन के अन्दर जा सके, बहकर के बेकार जाता है । खेली बनाते हैं तो उसमें भी साबुन का पानी भी डाल देते हैं तो पशु पानी भी नहीं पी सकते इसलिए खेली का प्रावधान नहीं करके उसमें जमीन के अन्दर वह पानी जा सके । साथ ही मेरा निवेदन है कि जो जयपुर का पूरा पानी गटर लाइनों का भी जो गंदा पानी जाता है नदी में ढूंढ नदी में जाकर के मिल जाता है पानी और इस पानी के लिए लोग झगड़ते हैं आपस में । उससे जो अनाज पैदा होता है झगड़ने वाले लोग न तो उस अनाज को खाते, जितने भी गांव हैं वह खाते नहीं हैं ।तो इस प्रकार से प्रदूषित जो पानी है उसको सही करने के लिये ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। इस पानी से इतने मच्छर पैदा हो गये हैं, बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे पानी के लिये कोई व्यवस्था की जाए जिससे पानी जो बहकर जा रहा है उसका भी कोई ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर स्वच्छ पानी बनाया जाए।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भी टंकियां बनी हुई हैं...

श्री अध्यक्ष: आप तो एक मिनट में बात कर रहे थे। आप तो एक मिनट में ही बात कह रहे थे। एक मिनट में ही बात समाप्त कर रहे थे।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): जैसे हमारे ज्योति नगर में जो टंकियां हैं, पानी एक-एक घंटे तक खुला रहता है। पानी ऊपर से बहता रहता है। टंकियों के ऊपर वाल्व नहीं लगे हुए हैं। कई बार कहा जाता है, नहीं रोका जाता है, तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी कण्ट्रोल किया जाए। एक तरफ तो पानी नहीं है और एक तरफ पानी फालतू बह रहा है। धन्यवाद।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, चार बजे स्टेटमेंट का था। चार बजे आपने स्थगन प्रस्ताव पर स्टेटमेंट देने के लिये बोला था।

श्री अध्यक्ष: बस, इसको कर लें पूरा, उसके बाद लेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, उन सब सुझावों को सम्मिलित करते हुए इसको पारित किया जाए। यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: यह बात सही है कि जब यदि सरकार अपना बिल लाए, वह तो संकल्प प्रस्तुत किया है। सरकार लायेगी क्योंकि सरकार मान रही है

(श्री अध्यक्ष)

कि लायेंगे हम, तब जो-जो सुझाव हैं उन सबको सम्मिलित किया जाए। क्योंकि जल के संरक्षण के तो बहुत सुझाव हैं, मुझे तो मालूम नहीं। मैं तो थी नहीं, सारा मैंने सुना नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सरकार विचार करेगी सबको सम्मिलित करने वाली बात। (व्यवधान) इस सदन में बात आ जायेगी जब ही विचार कर दिया। आप संकल्प तो पारित करा दें।

श्री अध्यक्ष: मैं यहां तो कह रही हूं इन सबको। (व्यवधान) यह कह रही हूं मैं तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया था कि इस विधान सभा के सत्र में वह बिल लेकर आयेंगे। आज सदन में इतनी सारी चर्चा हो गयी है, सबको सम्मिलित करें तो कानून बहुत बड़ा हो जायेगा इसलिये इन पर विचार करके जो आवश्यक हो और जल संरक्षण में उनको सम्मिलित करके सरकार लाए तो वह बात समझ में आती है।

श्री अध्यक्ष: तो संरक्षण के लिए जो आवश्यक सुझाव हैं उन्हीं को तो लाओगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सारे नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष: और क्या मतलब है? (व्यवधान) अब आप क्या कहना चाहते हो? वह तो कह दिया, उन्होंने जवाब दे दिया ... (व्यवधान) कायदा यह है वह दे दिया उन्होंने। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): पहला मेरा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मदन राठौड़ एवं डा. जालम सिंह रावलोत ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम विषयक संकल्प का पारण

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री रामकिशोर मीणा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

यदि सरकार स्वीकार कर रही है तो आप कह रहे हैं ना तो ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, हम पूर्व में कानून लेकर आ गये हैं जिस कानून को अमली जामा पहनाने के लिये शीघ्र ही विधेयक पेश विधान सभा में करेंगे और निश्चित तौर पर यह समय की मांग भी है और इसके सरकार आवश्यक कदम उठायेगी।

राज्य में जल संरक्षण के लिए आवश्यक कानूनी कदम विषयक संकल्प का पारण

श्री अध्यक्ष: राज्य में जल की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार जल संरक्षण के लिए आवश्यक कानून बनाये

ठीक है। जो संकल्प श्री रामकिशोर मीणा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

हां, मैं समझ गयी हूं। सुनिये। अब मैं चाहूंगी कि चार संकल्प और प्रस्तावित हुए हैं (व्यवधान) पहले आप स्टेटमेंट दे दें।

शासकीय वक्तव्य

तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के वेतन भत्तों में विसंगित

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट देने से पहले मैं इनसे एक बार सुन लूं। मेरी समझ में ही नहीं आ रही है इसलिये। मेरी सारी तैयारी है पर एक बार इनसे सुन तो लूं, बात क्या है ?

श्री अध्यक्ष: हां, सुन लीजिये। हां, ठीक है। सुन लीजिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, 2.6.2004 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का एडवरटाइजमेंट निकाला और उसके परिप्रेक्ष्य में सलेक्शन भी किया पर राजस्थान सरकार ने फेजेज में अपाइंटमेंट दिये इस कारण 1 जून, 2005 से कुछ लोग कोर्ट में चले गये और कोर्ट के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। राजस्थान सरकार ने इस बीच में 11.3.2006 को गवर्नमेंट आफ

(डा. सी. पी. जोशी)

राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट, रूल्स डिवीजन में रूल्स मोडिफाई कर दिये। रूल्स मोडिफाई करने के कारण 2.6.2004 के अन्तर्गत जो भर्ती हो रही हैं उसमें विसंगतियां पैदा हो गयी। 1 जून, 2005 के कोर्ट के आर्डर के पहले तो थर्ड ग्रेड के टीचर बन गये उनको तो पूरी पे स्केल मिलेगी और कोर्ट के आर्डर के बाद जिनको अपाइंटमेंट दे रहे हो, जिनकी संख्या लगभग तीन हजार है उनको कंसोलिडेटेड पे मिलेगी। यह एनोमोलीज आपने जो रूल्स में अमेंडमेंट किया उसके कारण हो गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान 309 का जो रेफरेंस दिया उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह कांस्टीट्यूशन में 309 का जो प्रोविजन है, वह प्रोविजन करता है कि

''309. Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State. Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State.”

यह जो 2.6.2004 को आपने विज्ञप्ति निकाली, इस विज्ञप्ति से आप शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, उनकी दो तरह की सर्विस कंडीशन आप नहीं कर सकते। कांस्टीट्यूशन का प्रोविजन 309 यह कहता है कि आप रेगुलेट कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस भी आप कर सकते हो लेकिन आप एक विज्ञप्ति से अपाइंटमेंट किये हुए टीचर्स को दो तरह की सर्विस कंडीशन में लागू नहीं कर सकते हैं। मुझे पता नहीं सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है या नहीं रखा ? लेकिन इस फाइनेंस रूल के अमेंडमेंट के कारण तीन हजार अध्यापक जो 2.6.2004 को आपकी आर पी एस सी परीक्षा में बैठे हैं, पास भी हो गये, उनका अपाइंटमेंट किन्हीं कारणों से बाद में हुआ । ये वे लोग हैं जिनकी मैरिट उन से भी ज्यादा है । उनको डबल नुकसान हो रहा है । इन लोगों की मैरिट जो लोग अपाइण्ट हो गये उन से भी ज्यादा है । और केवल मात्र रूल्स का आधार लेकर यदि हम इनको कन्सोलिडेटेड सैलेरी दे रहे हैं तो यह संविधान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के भी खिलाफ है । मैं नहीं समझता क्योंकि आपने रूल्स में प्रोविजन कर दिया है और उस प्रोविजन का सहारा लेकर आप करवाना चाहते हैं Rules cannot override the Proviso of the Constitution. इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो कानून की विसंगति पहले पैदा हो गयी है, इसलिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप केवल मात्र यह घोषणा करें कि 2.6.2004 की विज्ञप्ति के

(डा. सी. पी. जोशी)

अन्तर्गत जितने अध्यापक नियुक्त हुए हैं, चाहे वे एक जून, 2005 के पहले हुए या एक जून, 2005 के बाद हुए हैं, उन सभी अध्यापकों को सैलेरी जो आपने निकाला इसमें स्केल नौ मिलेगी, वह पूरी सैलेरी मिलेगी, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। और उन लोगों को यह डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो श्रेय आप शिक्षक रिक्रूटमेंट का ले रहे हैं उस श्रेय में यह श्रेय भी लेंगे आप कि इन लोगों के साथ विसंगति नहीं हो और व्यवस्था है उसके अन्तर्गत इनको यह लाभ मिले ।

इसी तरह से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: विसंगति का कारण बता दें, यह कारण है । सब थोड़े ही बोलेंगे । नो, नो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें कोई डिबेट थोड़े ही होनी थी। आपने यह कहा था मंत्री महोदय स्पष्टीकरण, आपने स्पष्टीकरण मांगा है, स्टेटमेण्ट भी नहीं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इनका भी नाम है ।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये । स्थान ग्रहण करें । नो, नो। अब इनको कहने दीजिए । माननीय मंत्री जी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन से व्यवस्था यह थी, मंत्री महोदय स्पष्टीकरण देंगे सारे मामले के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: तो आप क्या बता रहे हैं मुझे ? माननीय मंत्री जी ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): समझ के लिए हैल्प कर रहे थे वह तो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, मैंने तो समझ के लिए इनको कहा था। मेरे भी समझ में आ गयी यह बात ।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिनांक 2.6.2004 को 33936 अध्यापकों की भर्ती और इनका 10 परसेंट जो अपन ने पास किया था विधवा और परित्यक्ताओं की अलग से, उन दोनों के हमने नोटिफिकेशन निकाले । एक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से और एक स्टेट लेवल की कमेटी बनाकर विधवा, परित्यक्ताओं के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए जिसमें 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत परित्यक्ताओं के लिए भर्ती का कार्यक्रम चालू कर दिया । आयोग द्वारा दिनांक 5.1.2005 को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम दो प्रकार से घोषित किया गया, परीक्षा परिणाम में यह नहीं था अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) आप एक बार सारी बात सुन लें मेरी । परीक्षा परिणाम में यह नहीं था कि कौन-कौन पास हुआ और कौन कौन फेल हुआ है। परीक्षा परिणाम में यह था कि सारे के सारों के यह नम्बर आए हैं जिसके दस नम्बर आए उसका भी घोषित कर दिया जिसके बीस नम्बर आए उसका भी घोषित कर दिया, जिसके 100 नम्बर आए उसका भी घोषित कर दिया और वह अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से कर दिया । यह जनरल कैटेगरी है, यह ओ बी सी की है, यह एस सी की है, यह एस टी की है। फिर उन कैटेगरीज में महिलाओं का रिजर्वेशन, विकलांगों का रिजर्वेशन, भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन वह सारा करके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से निकाल दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट में आये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विभाग को उपलब्ध कराये जाने पर दिनांक 1.6.05 से पूर्व 30201 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गयी । उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आयी । इसके बाद में समस्या पैदा यह हुई कि बहुत सी रिट याचिकाएं जो भिन्न स्तरों पर न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में चली गयी । उसमें से एक याचिका जो थी वह बी.एस.टी.सी. और बी.एड. इसके भेद पर थी । दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला था और एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी था और एनसीईपी ने कुछ नियम बना रखे थे जिसके अंतर्गत बी.एस.टी.सी. के लोग प्राथमिक को पढ़ायेंगे और बी.एड. के लोग उच्च प्राथमिक को पढ़ायेंगे, यह निर्णय था । इस निर्णय को हमने जो विज्ञप्ति निकाली थी उसमें हम बी.एड., बी.एस.टी.सी. ऐसा करके निकाल दिया था । इस पर जब रिट याचिकाएं माननीय न्यायालय के सामने आयी तो उसमें न्यायालय में पेश करने वाले थे श्री कैलाश चन्द्र एवं अन्य कुछ लोग, मनोज कुमार, श्री भगवती प्रसाद एवं चन्द्रशेखर, इन लोगों ने याचिकाएं दी। इनकी याचिकाओं पर 25.11.04 को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार से पुर्नविचार याचिका दायर करने की छूट मिल गयी । यह जो 25.11.2004 का जो फैसला हुआ यह ऐसा फैसला था जो अपने आप में ...।

श्री अध्यक्ष: 2004 में ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जी हां, यही बोला हूं कि 25.11.2004 को निस्तारित करते हुए जो फैसला दिया था 4.2.2005, हां, यही था, यह जो फैसला हुआ इस फैसले में उन्होंने अपने निर्णय की ही पुर्नविचार की याचिका पेश करने के लिए राज्य सरकार को कह दिया । एक तरफ तो निर्णय कर दिया और फिर कहा कि पुर्नविचार राज्य का प्रस्तुत करो । जब स्टे मिला नहीं तो सरकार ने नियुक्तियों का क्रम जारी रखा । हमने नियुक्तियों को नहीं रोका । लेकिन उसके बाद में जब हमने महाधिवक्ता के माध्यम से याचिका कर दी तो 1.6.2005 को उच्च न्यायालय ने भर्ती पर रोक लगा दी । तब अध्यक्ष महोदय, इसमें दो-तीन बातें हुई । कुछ लोग जिनकी नियुक्ति हो गयी थी उनसे भी मेरिट में ज्यादा थे वह कोई कागज-पत्र समय पर पेश नहीं कर पाये थे । इसलिए उनकी नियुक्ति रूक गयी । जबकि वह बी.एस.टी.सी, बी.एड. वाले चक्कर में नहीं आ रहे थे । इसके कारण से उनकी रूक गयी और कुछ लोगों की नियुक्ति पर ही रोक लगा दी गयी । हमने नियुक्तियां कर दी थी इसलिए इस पर जब फैसला हुआ अंत में, एक इसमें फैसला हुआ 23.1.2006 को उन सभी मूल रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्ती थी उनको भर्ती करने के लिए हमको आदेश मिल गया । हमारे पास कुल 2394 ऐसे अभ्यर्थी बच गये थे कि जिनको नियुक्ति मिलना शेष था और उनको हमने नियुक्ति के आदेश दे दिये। यहां तक शिक्षा विभाग था, शिक्षा विभाग की इसमें कोई गलती नहीं थी । इसके पश्चात वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया। वित्त विभाग की आज्ञा संख्या टीएफ-12डी/एफडी रूल्स दिनांक 16.2.2000 के अनुसार उन्होंने कहा कि जो फिक्स रेमुनरेशन है उस पर लोगों को लगाया जाये और वह यहां भी चला गया ।

श्री अध्यक्ष: यह उन्होंने कब किया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह उन्होंने किया, मैं बता रहा हूं 20.1.2006 को। (व्यवधान) वह चला गया, उसके कारण से माननीय सदस्यों के मन में भी और जो अभ्यर्थी थे उनके मन में भी शंका पैदा हो गयी । इस शंका का हमने वित्त विभाग से भी और शिक्षा विभाग से भी, कार्मिक से भी सबसे इसमें जानकारी प्राप्त कर ली है। जैसा माननीय सदस्य जोशी जी ने कहा कि आर्टिकल 309 के अंतर्गत एक ही विज्ञप्ति निकली हो, एक ही कॉमन टेस्ट हुआ हो और एक ही आदेश से नियुक्ति हुई हो तो उसमें कोई भेदभाव

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं किया जा सकता है । इसलिए राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि यह जो विज्ञप्ति निकली थी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इसमें जितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, अब कंपलीट हो गया काम, उन सबको स्केल 9 ए के अंतर्गत, जो स्केल का पैसा सबको मिला है वही सारे जो नियुक्ति वाले हैं उनको मिलेगा । किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। डा. श्रीगोपाल बाहेती । आप भी अपना संकल्प रखें ।

अशासकीय संकल्प

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिये जाने का प्रावधान करे

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं । यह सदन संकल्प करता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिये जाने का प्रावधान करे ।

श्री अध्यक्ष: अब श्री मोहम्मद माहिर आजाद, आप भी रखें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, अब बोलूं इस पर?

श्री अध्यक्ष: मैं पहले सबको बुलवा दूं फिर बोलना । रखवा देती हूं हाउस में ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गैर सरकारी संकल्प हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि इन्होंने संकल्प क्यों रखे हैं, प्रस्तावना तो रखें ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं यह कह रही हूं कि मैं तीनों को पेश करवा दूं और बाद में वह अपना रख देंगे ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, सही है ।

श्री अध्यक्ष: पेश करवा देती हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहले एक-एक का रखवा दें फिर प्रस्तावना साथ रख लेते ।

श्री अध्यक्ष: टाइम हो जायेगा फिर । बात यह है कि फिर समय हो जायेगा इसलिए मैं चाहती हूं कि यह पेश हो जायें । पेश होने के बाद फिर कहें । पेश तो करने दो ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको तो मेरा नाम आते ही कुछ होता है ।

राज्य में मादक द्रव्य, तम्बाकू गुटखा की सार्वजनिक बिक्री व उपयोग को प्रतिबन्धित करने विषयक

श्री अध्यक्ष: वह खास दोस्त हैं ना आपके ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक बात है । बदल गये मंत्री बनने के बाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं, 'यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से मादक द्रव्य, तम्बाखू, गुटके की सार्वजनिक बिक्री व उपयोग को प्रतिबंधित करे' ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, आप भी कर दें । प्राइवेट प्रेक्टिस वाला ।

राजकीय सेवारत चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबंध

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं, 'यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में राजकीय सेवारत चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाये'

श्री अध्यक्ष: डॉ. बाहेती ।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अभी मेरा संकल्प है । अध्यक्ष महोदय, एक संकल्प है, मेरा संकल्प ।

श्री अध्यक्ष: आपका कौन सा है ?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): छठा है ।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये । श्री प्रहलाद गुंजल ।

प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़-मूल से समाप्त करने विषयक

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि 'यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़-मूल से समाप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था करें'

श्री अध्यक्ष: डॉ. बाहेती ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री अध्यक्ष: आपने अपना प्रस्ताव ही नहीं रखा । संकल्प ही प्रस्तुत नहीं किया आपने अपना ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अपने नियमों की परंपराओं का पालन करते हुए पाँच साल तक जो परंपरा टूट गयी थी उसको पुर्नजीवित कर दिया है इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इसके लिये अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष जी ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार है कि यह परंपरा कायम की, विधायकों को अपने विचार रखने का मौका दिया ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इसके लिए अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की जो विधान सभा है वह इसी प्रकार आयाम स्थापित करती रहेगी । अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए रखा कि आप सब जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है और भारत की आत्मा गांवों में हैं । जब मुल्क आजाद हुआ तो हमारे राष्ट्रपिता ...(व्यवधान) कह दिया ना वह तो कह दिया ना मैंने ।

श्री अध्यक्ष: आपका तो ग्रामीण भत्ता है, सरकारी कर्मचारियों का ग्रामीण भत्ता ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं उसी पर बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: बोल दीजिये, तो बोल दीजिये । एक-एक को बुलवा देती हूं इनको । अपने-अपने जो संकल्प हैं उन पर बोल देंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वह बात तो ठीक है लेकिन मूल रूप तो जब संकल्प प्रस्तुत हो गया, यह जायेगा इसलिए जिनको संशोधन देना है वह संशोधन देंगे । फिर उस पर विचार आयेगा ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मुझे आपने कहा है न प्रस्तावना के लिए, तो प्रस्तावना रख दी है मैंने ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): प्रस्तावना रखी है ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैंने क्यों रखा है ? आपने कहा है न कि प्रस्तावना रखें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर आयेंगे ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उसके बाद माननीय

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

विधायकों का यह अधिकार है कि वह अपना संशोधन पेश करें और उसके बाद वह बोलें ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर संशोधन तो दे दिया गया था, प्रस्तुत कर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष: संशोधन तो मेरे पास आ गए इनके।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट मदनजी, मैं बोल रहा हूं, मैं खड़ा हूं, मेरी बात सुनिए तो सही, जो बात आप कह रहे हैं, मैं भी वही बात तो कह रहा हूं1

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): संशोधन तो आ गए लेकिन बिना प्रस्तुत किए कैसे आ गए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना प्रस्तुत किए कैसे आ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: लेकिन अब तो नोन ऑफिशियल डे तो आएगा नहीं, नेक्स्ट सेशन में आएगा तब संशोधन दे देंगे, तब दे देंगे, तब संशोधन हो जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जब भी आएगा, उसमें पहले संशोधन दे देंगे, तब विचार शुरू होगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हमने जो संशोधन दिए हैं और फिर हमारे संशोधनों का क्या हुआ, हमने जो संशोधन दिए हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वरना तो अभी इन संशोधनों पर विचार होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आपने कहा प्रस्तावना के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अपन नियमों का गम्भीरता से पालन करें।

श्री अध्यक्ष: वह तो उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया था, उस समय उसकी भाषा में आ गया था, संकल्प की भाषा में, तब भी नहीं बोले थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मुख्य सचेतकजी। (व्यवधान) मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। आपको तो बीमारी है कुछ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बीमारी नहीं है। मैं तो बाहेतीजी को बैठा रहा हूं आपके लिए। बीमारी तो आपको है दिमाग में थोड़ी।

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, टेक योर सेंस। (व्यवधान) आप विराजे, बोलने दें उनको।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपनी बीमारी को दूसरों पर थोपना चाहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पहले जिस दिन कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आया कि 31 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा, उस रोज माननीय सदस्यों ने अपने संकल्प प्रस्तुत कर दिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लॉटरी कब खुली?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रस्तुत होने के बाद आपने लॉटरी निकाली।

श्री अध्यक्ष: लॉटरी तो 28 को हो गई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लॉटरी निकाली गई, उसमें यह आ गया। (व्यवधान) एक मिनट। मेरी बात तो पूरा कर लेने दो। लेट मी कम्पलीट।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लॉटरी निकाली उसके बाद माननीय सदस्यों ने संकल्प प्रस्तुत किए। यह तो आज ही माननीय सदस्यों को मालूम हुआ, उससे पहले तो माननीय सदस्यों को मालूम ही नहीं था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मुख्य सचेतकजी, लेट मी कम्पलीट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्यों को सूचना चली गई, अमेण्डमेण्ट दे दिए वह दूसरी बात है, सदन में तो अभी प्रस्तुत हुआ है। सदन की सम्पत्ति तो अब बना है, यह सदन में पहले प्रस्तुत थोड़े हो गया?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): 28 मार्च को कर दिया न?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, एक मिनट मेरी बात सुनिए।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात तो फिर सुनेंगे। 28 तारीख को लॉटरी

(श्री अध्यक्ष)

निकाली, उसके बाद यह संकल्प माननीय सदस्यों को भेज दिया गया। माननीय सदस्यों ने उसी आधार पर अपने संकल्प पेश कर दिए इसलिए उन्हें बोल लेने दीजिए, अब क्या दिक्कत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लॉटरी निकल गई, उन्होंने अपने संकल्प दे दिए, लेकिन सदन में तो अब प्रस्तुत हो रहा है, कोई भी विधेयक चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, इण्ट्रोड्यूस तो अब हो रहा है, बिना इण्ट्रोड्यूस हुए...

श्री अध्यक्ष: इण्ट्रोड्यूस तो करने जा रहे हैं, उन्होंने भाषा नहीं पढ़ी, उन्होंने अपना संकल्प, पूरी भाषा नहीं पढ़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इण्ट्रोड्यूस के बाद समय देना चाहे, संशोधन देने के लिए।

श्री अध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती ने अपने संकल्प की पूरी भाषा ही नहीं पढ़ी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी इण्ट्रोड्यूस हुआ है तो माननीय सदस्यों को संशोधन के लिए समय देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: संशोधन आ गए, आपको समझ लेना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आ गए अध्यक्ष महोदय, आप देख लें नियमों और प्रक्रियाओं के तहत आए हैं तो।

श्री अध्यक्ष: नियमों और प्रक्रिया को देख लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष: नियम और प्रक्रिया देख ली, जब 28 तारीख को लॉटरी निकाली, लॉटरी के अंदर आ गए, माननीय सदस्यों को भेज दिया गया, माननीय सदस्यों ने अपने संकल्प में संशोधन दे दिए, इसमें कहां गलती है, आप और देख लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन कर रहा था। जैसे ही लॉटरी निकाली कि यह संकल्प आ गए, वह आपने हमें सूचित कर दिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसमें यही है कि प्रस्तुत कर सकेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो प्रस्तुति में अपनी प्रस्तावना तो बताएगा।

श्री अध्यक्ष: अब फरमाने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी बात एक मिनट में पूरी हो रही है, मेरी बात तो पूरी हो जाने दें, मैं तीन बार खड़ा हो गया।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, तो कोई बात नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब 28 तारीख को लॉटरी निकल गई और सदस्यों को विधान सभा सचिवालय ने सरकूलेट कर दिया, मैम्बर्स ने पढ़ लिया कि यह संकल्प है और 31 तारीख को यह आएगा फिर उन्होंने अपने संशोधन दे दिए। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन है, जिसको देना था वह दे देता और इसमें कहां दिक्कत की बात आ गई? (व्यवधान) जिस तरीके से बिल इण्ट्रोड्यूस करते हुए गैर सरकारी संकल्प कोई मैम्बर प्रस्तुत कर रहा है तो उसकी प्रस्तावना और भूमिका तो बताएगा तभी तो उस पर चर्चा होगी, आपको बाद में भी देना था तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, आप विराजे, बाद में दे देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अपने नियमों में व्यवस्था है वह यह है कि कार्य सूची में जिस दिन सदस्य के नाम में संकल्प हो, वह सिवाय इस दशा में जबकि उसे वापस लेना चाहता हो, पुकारे जाने पर संकल्प प्रस्तुत करेगा और उस अवस्था में कार्य सूची में दिए गए रूप में औपचारिक प्रस्ताव के साथ अपना वह भाषण प्रारम्भ करेगा।

श्री अध्यक्ष: बस तो क्या दिक्कत आ रही है आपको, मुझे बताइए आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिए मैं उसे ठीक कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है, मैंने सोचा आप हमेशा उलट बात कहने के लिए खड़े होते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं काहे के लिए खड़ा होता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, वह जो कहते हैं कि आप विवाद करने के लिए खड़े होते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो सही बात के लिए भी खड़ा होता हूं न?

श्री अध्यक्ष: नहीं होते, सही है लेकिन वह कई बार गलती कर देते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): गलती करते हैं तो मैं ठीक करने के लिए ही तो करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो बिलकुल ठीक हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात प्रमाणित हो गई कि मुख्य सचेतक महोदय जब भी खड़े होते हैं तो सही बात के लिए ही खड़े होते हैं। गोपाल बाहेतीजी, मान लिया न आपने?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): बिलकुल साहब, सिर माथे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो मुझे इजाजत है?

श्री अध्यक्ष: पूर्व में भी ऐसी ही व्यवस्था रही है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैंने यह प्रस्ताव, यह संकल्प इसलिए प्रस्तुत किया कि देश की आजादी के 58 साल बाद भी आज हम देख रहे हैं कि गांव और ढाणी में रहने वाला व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: करा दो आप अपना। सो दैट, लोगों के समझ में आ गया। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी प्रस्तावना तो बताऊं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो यह देख रहे हैं कि सदन में प्रतिपक्ष के नेता के साथ पूरा प्रतिपक्ष ही गायब है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मुझे प्रस्ताव के साथ पूरा समय दें, कि इसकी मूल भावना क्या है। मैंने केवल बराए नाम।

श्री अध्यक्ष: पहले आप अपना संकल्प प्रस्तुत तो करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं। यह सदन संकल्प करता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिए जाने का प्रावधान करे।

श्री अध्यक्ष: अब बोलें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा संकल्प मैंने प्रस्तुत किया। इसके पीछे मेरी मूल भावना यह है कि देश की आजादी के 58 वर्ष बाद आज हम देखते हैं कि गांवों में चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे कोई और सुविधाएं हों, उनसे आज भी वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र बहुत दूर है। शहर और गांव में एक सीधी लाइन दिखती है कि गांव का व्यक्ति किस प्रकार अभाव में जी रहा है। हमने देखा कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारे देश की आजादी के दीवानों ने इस बात की कल्पना की थी कि भारत गांवों में बसता है तो यह आजादी गांवों तक भी पहुंचे और यह संकल्प था हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधीजी का कि ग्राम स्वराज जब तक नहीं आता है तब तक आजादी बेमानी है, ग्राम स्वराज के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो सुविधाएं आज जयपुर और दिल्ली में हम भोगते हैं उससे कम सुविधाएं गांवों में व्यक्ति नहीं भोगे तब मानकर चलना कि आपको इस बात का अधिकार है कि आप वह सब सारी सुविधाएं भोगे अन्यथा जिस बात को लेकर आजादी का संघर्ष लड़ा गया वह संघर्ष पूरा नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वर्तमान सरकार से कि कम से कम 25 ऐसी स्कीमें हैं जिनके माध्यम से गांवों में काम होता है और अभी जब हमने बजट पास किया था तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सी स्कीमों का पैसा लैप्स हुआ, पैसा लगा नहीं, उसकी वजह क्या है? इसकी सीधी-सीधी वजह यह है कि गांव में कार्यरत सरकारी कर्मचारी साधनों के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में पूरा काम वहां कर नहीं पाता है। हमारे राजस्थान के अन्दर 6 लाख 80 हजार कुल राज्य कर्मचारी हैं जिनमें से 5 लाख 40 हजार शहरों में काम करते हैं और कुल 1 लाख 50 हजार गांवों में काम करते हैं।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को शहरी भत्ता मिलता है और पूरा मकान किराया मिलता है 15 प्रतिशत जबकि गांव में रहने वाले इसके उलटे सरकारी कर्मचारियों को न ग्रामीण भत्ता मिलता है और किराए के नाम पर कुल 5 प्रतिशत किराया मिलता है जिसमें आजकल गांव में मकान ही नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आप यह भी देखें कि हमारे संविधान के चालीसवें अनुच्छेद में जो आजादी की अवधारणा थी कि आजादी का मतलब ग्राम स्वराज है, ग्राम स्वराज का मतलब ग्रामीण व्यवस्था की स्वायत्तता और उसी परिप्रेक्ष्य में स्वर्गीय राजीव गांधी 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाए जिसके अन्दर हमने पंचायतीराज को वह सब अधिकार दिए जिसके तहत गांव का विकास गांव में हो। गांव के विकास की कल्पना गांव में है और गांव के राज्य कर्मचारी की एसीआर, उसकी नौकरी पर कंट्रोल गांव के आदमी का हो, लेकिन अभी तक पंचायतों को वह अधिकार नहीं दे पाये और वे सब डिपार्टमेंट उनको नहीं दे पाये। इस वजह से हमने देखा कि जो हमारी आजादी का सपना था वह आज भी हिचकोले ले रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में गत वर्ष गुरु गोलवलकर के नाम पर और इस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आदर्श गांव की कल्पना की है। आदर्श गांव की कल्पना तब सार्थक होगी जब गांव के रहने वाले को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उसे चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क की सुविधाएं मिलेंगी तब जाकर गांव के आदमी का भला होगा और यह तब संभव होगा जब वहां का राज्य कर्मचारी वहां रहकर गांव में काम करेगा।

आपके बजट भाषण में एक परिकल्पना यह भी है कि सरकार यह चाहती है शहर और गांव का भेद मिटे और हम यह चाहते हैं गांव का शहरीकरण हो बजाय इसके कि आप शहरों को और बड़ा करें। मेरा निवेदन यह है कि जब तक आप गांव बड़े नहीं करेंगे और गांव को वो सुविधा नहीं देंगे जो शहर में है तब तक समस्याएं जस की तस रहेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

मैं यह बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि राज्य कर्मचारी वहां रहे इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए राज्य कर्मचारी को कम से कम सरकार ग्रामीण भत्ता दे, जो मकान किराया शहर में मिलता है उसी के अनुरूप उसको दे। उसके अलावा गांव में काम करने के लिए उसे हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी दें और सरकार इससे आगे पहल करे कि ग्रामीण कैडर की सर्विस अलग प्रारंभ करें ताकि जो पक्षपात गांव के व्यक्ति के साथ हो रहा है, किसान के साथ हो रहा है, गरीब के साथ हो रहा है उस विद्यार्थी के साथ हो रहा है जो विद्यार्थी गांव में रह रहा है वह न हो। आप कल्पना करें मुझे यह बात क्यों करनी पड़ी, क्योंकि गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थी को बिजली चार घण्टे और शहर में पढ़ने वाले व्यक्ति को बिजली 24 घण्टे। यह हमारी आजादी है। पीने का पानी गांव में नहीं, सड़कें गांव में नहीं, उसके बाद गांव के जो राज्य कर्मचारी हैं उसका भत्ता नहीं देना चाहें, कोई सरकार यहां पर रही हो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज आजादी को 58 साल हो गये, यदि वह भत्ता उसको नहीं देंगे ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः संकल्प तो सरकारी कर्मचारियों पर है, बच्चों की पढ़ाई पर नहीं है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): बिना अध्यापकों के कौन पढ़ाएगा? बिना बिजली कैसे पढ़ेंगे। यह बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि गांव के प्रति हमें सहिष्णु होना पड़ेगा और गांव के प्रति सहिष्णु नहीं हुए तो आजादी के 58 साल बाद भी इस देश के अंदर कभी भी वर्ग संघर्ष खड़ा हो सकता है जिसमें आप और हम सबको दिक्कत हो सकती है। तो मेरा निवेदन यह है कि जब सदस्यों के प्रस्ताव आएंगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन मेरी दृढ़ मान्यता है कि पूरा सदन और सरकार इस बात का संकल्प पास करें कि हम ग्रामीण कर्मचारियों को वो सब सुविधाएं दें जो शहरों में देय हैं ताकि वो मन लगाकर गांव की जनता की सेवा कर सकें। आपने संकल्प प्रस्तुत करने का जो मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री मोहम्मद माहिर आजाद। पान गुटखे का मामला है। इनका संकल्प ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो संकल्प प्रस्तुत किया है, पांच माननीय सदस्यों ने किया है, ये और भी बोलेंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो पांच लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं उनको भी बुलाओ आप।

श्री अध्यक्ष: कौन-कौन हैं और इसमें? (व्यवधान) नहीं, नहीं, श्री भरत सिंहजी हैं, संयम लोढ़ा, सी.पी. जोशी। भरत सिंहजी को बोल लेने दो। (व्यवधान) ये थोड़े ही हैं। आपके में तो ये ही हैं। मोहम्मद माहिर आजाद, हरिमोहन शर्मा, सीपी जोशी, संयम लोढ़ा, भरत सिंह, डा. श्रीगोपाल बाहेती, श्री महीपाल सिंह यादव। आपने कर दिया, अब भरत सिंहजी को बोल लेने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं संकल्प तो रखूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं आपका ध्यान पेज दो की ओर दिलाना चाहूंगा, इसमें डा. श्रीगोपाल बाहेती ने रखा है, उसमें दूसरा नाम है खुशवीर सिंह जोजावर, फिर हरिमोहन शर्मा, फिर भरतसिंहजी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्षजी का आशय यह है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं तो दूसरे का कह रही हूं, आप पहले पर कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहला तो पूरा कराएं। डा. श्रीगोपाल बाहेती के बाद में दूसरे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप कोई दूसरा पढ़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप खुद मुलाहिजा फरमा लें।

श्री अध्यक्ष: यह है श्री मोहम्मद माहिर आजाद। दूसरा श्री हरिमोहन शर्मा, तीसरा सीपी जोशी ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मोहम्मद माहिर आजाद को तब पुकारो। पहले वाले सब माननीय सदस्यों का अधिकार है। मैं तो जोजावर साहब के लिए कह रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): संकल्प तो रखवा रही हैं अध्यक्षजी। अध्यक्षजी का तो यह है कि संकल्प आ जाए उस पर चर्चा होगी तब दूसरे मेम्बर बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं संकल्प प्रस्तुत करवा रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहले वाले को तो कंपलीट करें माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पहले वाला कंपलीट कर दिया ना प्रस्ताव। अब नेक्स्ट। इस पर भी विचार होगा। इस पर भी होगा, यह ज्यादा इंपोर्टेंट है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बाकी बोलने के हिसाब से बाद में बोल लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वे यह तो कह दें ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उन माननीय सदस्यों का राइट है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल लेंगे बाद में।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बोल लेंगे बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह प्रस्ताव तो रखाओ।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद वे बोल लेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप कई बार वास्तव में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं प्रस्तुत कराऊंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कराओ।

राज्य में मादक द्रव्य, तम्बाकू, गुटखा की सार्वजनिक बिक्री व उपयोग को प्रतिबन्धित करने विषयक

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प यह था कि राज्य सरकार राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से मादक द्रव्य, तम्बाकू, गुटखा की सार्वजनिक बिक्री व उपयोग को प्रतिबन्धित करे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): शराब नहीं लिखी इसमें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जो संकल्प है अभी उसकी बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज खासकर युवा पीढ़ी में गुटखे की, तम्बाकू की और बीड़ी, सिगरेट की इतनी लत लग गई है कि इससे राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तम्बाकू के जो रूप हैं इसमें जर्दा, गुटखा, खैनी, तम्बाकू मंजन, तम्बाकू पेस्ट, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम और नशवार है। ये इतने तम्बाकू के रूप हैं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है यह सिगरेट और तम्बाकू उत्पादन बिल, 2003 है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी शुरूआत भी राजस्थान से हुई। राजस्थान को इसका श्रेय यों जाता है कि इण्डियन कौंसिल फार मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर और इण्डियन अस्थमा केयर सोसाइटी की 1994 की रिट पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्रेय जाता है या बुराई की जड़ है राजस्थान।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कानून लाने का। श्रेय कानून बनवाने का है। मैं निवेदन कर रहा हूं सोसाइटी की रिट पर बहस के दौरान तम्बाकू लॉबी के वकीलों ने दलील दी थी कि खाने की तम्बाकू नुकसानदायक नहीं है। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने केन्द्र सरकार से विशेषज्ञ समिति से खाने की तम्बाकू से नुकसान के बारे में अध्ययन करने को कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस डाइरेक्शन के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक, भारत सरकार की इस समिति ने खाने की तम्बाकू को नुकसानदायक मानते हुए इस पर प्रतिबंध की सिफारिश सेंट्रल कमेटी फार फूड स्टेंडर्ड को की। सेंट्रल कमेटी ने इसको नुकसानदायक मानते हुए इस पर प्रतिबंध हेतु संसद में कानून बनाने की सिफारिश की। इसी का परिणाम निकला कि हाल ही में सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादन बिल, 2003 पास हुआ। यह बिल सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कानूनी अपराध केन्द्रीय अधिनियम (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम) 2003 जो राज्य में एक मई, 2004 से लागू किया जा चुका है, इस अधिनियम के अंतर्गत धूम्रपान पर आडिटोरियम, अस्पताल, डिस्पेंसरी भवन, रेलवे प्रतीक्षा कक्ष, मनोरंजन केन्द्रों, पुस्तकालयों, जन सुविधा केन्द्रों, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालय भवनों, शैक्षिक संस्थानों तथा आम जनता द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों आदि में रोक है। सार्वजनिक स्थानों के मालिकों, प्रबंधकों अथवा प्रभारी व्यक्तियों को स्वीकार्य भाषा में न्यूनतम 60 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर आकार पर धूम्रपान रहित क्षेत्र या धूम्रपान करना अपराध है, लिखना अनिवार्य होगा। धूम्रपान रहित क्षेत्र में अगर कोई इस चीज का प्रदर्शन करेगा तो 200 रुपये जुर्माना होगा। शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के आसपास इसको प्रतिबंधित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: आज आपको क्या हो गया है जो आप पढ़कर ही बोल रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पढ़ नहीं रहा हूं। उल्लंघन करने वाले से अधिकृत अधिकारी द्वारा एक हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा और दो से पांच साल तक की सज़ा दी जाएगी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक्ट आने के बाद राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इसको गंभीरता से लिया।

मुख्य मंत्रीजी ने भी 20 जनवरी को एक समारोह में तम्बाकू, गुटखे, बीड़ी सिगरेट आदि के सेवन से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए समाज के सभी वर्गों में जन चेतना अभियान चलाने का आह्वान एक कार्यक्रम में दुर्लभजी अस्पताल के अन्दर उन्होंने किया।

श्री अध्यक्ष: आप इसीलिए लाए हैं यह संकल्प।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या ?

श्री अध्यक्ष: आप मुख्य मंत्रीजी के कहने से लाये हैं यह संकल्प।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ऐसा नहीं है, मैं तो अपने मन से लाया हूं।

श्री अध्यक्ष: उनके कहने से भी लाये हैं तो क्या बुरी बात है ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, ऐसा नहीं है। (व्यवधान) आप मैं आगे जो कह रहा हूं, वह भी सुनिए कि मुख्य मंत्रीजी 13 अक्टूबर को तो एक कार्यक्रम में जाती हैं और वहां यह कहती हैं कि इसके ऊपर जन चेतना अभियान चलाना चाहिए और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए और कैंसर रोगियों में जब गई उसी रोज गई तो वहां भी यह कहा कि यह कैंसर भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखे के कारण है और इसके ऊपर किसी भी तरीके से सोच विचार करके करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप तो अपनी बात कहो न, उन्होंने क्या कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अपनी ही कह रहा हूं लेकिन उसके बाद में यह भी कह रहा हूं, उसके बाद जब 13वें रेड एण्ड व्हाइट के बहादुरी पुरस्कार समारोह में जो कि रेड एण्ड व्हाइट कम्पनी ने आयोजित किया तो मुख्य मंत्रीजी को इस कार्यक्रम में भी नहीं जाना चाहिए था क्योंकि यह पहले जब जाकर के इन्होंने आह्वान किया तो उससे लोगों को ऐसा लगा कि

(मोहम्मद माहिर आजाद)

राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी भी इस बारे में सख्त कदम उठाने के लिए तत्पर हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिए सिगरेटों पर टैक्स बढ़ा दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): टैक्स तो बढ़ा दिया लेकिन उसके कार्यक्रम में भी नहीं जाना चाहिए था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पर उस कार्यक्रम से कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कार्यक्रम में जाकर उन्होंने यह कहा कि सिगरेट पिया करो ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): साहब, स्पोंसर्ड तो रेड एण्ड व्हाइट कम्पनी कर रही थी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी जाएं तो प्रेरणा तो मिलती है न, साहब, रेड एण्ड व्हाइट सिगरेट के में जाएं तो वह तो गलत काम है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खर्चा तो सारा वो ही कर रही थी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह कोई कल्चरल प्रोग्राम भी कर सकते हैं, कोई और प्रोग्राम भी किसी को मान सम्मानित करने का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ये कोई बात थोड़े ही हुई ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन बच्चों ने अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाई ऐसे 16 बच्चों को चिन्हित किया, उन बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए वह गई थी, अब ऐसी चीजों को जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई उन्हें शाबासी देने के बजाय इस तरह की बात कर रहे हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको पता है अमिताभ बच्चन को किस लिए नोटिस दिया गया है इसलिए दिया गया है कि उसने शराब के विज्ञापन के ऊपर, उसने प्रचार किया।

श्री अध्यक्ष: तो इन्होंने विज्ञापन पर अपना थोड़े ही किया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन्होंने प्रचार किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो शराब कम्पनी भी कोई कार्यक्रम आयोजित करे उस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसमें एक बच्चे को तो मरणोपरांत पुरस्कार था, आप उनके लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ? ऐसे कार्यक्रम में जाना चाहिए मुख्य मंत्रीजी को।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खूब भेजो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अपनी जान हथेली पर रखकर जो लोग दूसरों की जान बचाकर और एक बच्चा अपनी जान दे दे, मरणोपरांत उसको पुरस्कृत करने के लिए मुख्य मंत्री राजस्थान की जाती हैं तो सारे राजस्थान के बच्चों को प्रेरणा मिलती है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा, और आगे सुनिए, मैं मेरी बात कह रहा हूं, आप अपनी बात कहो, जब कह देना, मैंने अच्छे कार्यक्रम में गई उसकी भी तारीफ की और मैंने कहा, मेरी राय है कि उसमें जाने से लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, किसी की बहादुरी का प्रोग्राम था, दारू की कम्पनी कोई प्रोग्राम आयोजित करे उससे क्या मतलब है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने 500 मीटर की परिधि में रणथम्भौर के पास पाइप लाइन में होटलों की परमिशन दी उसको भी आपने कंडेम किया इसलिए आप बधाई के पात्र हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बात तो हो रही है गुटखे पर और तम्बाकू पर प्रतिबंध की, आपको क्या रणथम्भौर याद आ रहा है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं करना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार यह विज्ञापन दे रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री नहीं की जाए, प्रतिबंधित हैं, द प्रिवेंशन आफ फूड एडल्टरेशन एक्ट, 1954 और रूल 1955 की किताब है, इसमें पेज 60 पर यह लिख रहा है कि "every package of pan masala & advertisement relating..." (व्यवधान) इसको तो मेरे को एक मिनट कम्पलीट तो कर लेने दो, यह आसन का काम है कि आपका काम है, फिर वह अध्यक्षजी कर लेंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्षजी से ही कह रहा हूं कि ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बीच-बीच में ही कहना है क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बीच-बीच में, आप तो बोलते रहो।

श्री अध्यक्ष: आपको पूरा मौका मिलेगा न।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि द प्रिवेंशन आफ फूड एडल्टरेशन एक्ट, 1954 में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का विज्ञापन लगाने पर प्रतिषेद्ध करार दिया गया है लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यह मैं पान मसाले का, 'पूरे 27 साल के लम्बे इंतजार के बाद लौट आया है मेरा पहला प्यार, पान बहार, पान मसाला', यह विज्ञापन है। (व्यवधान) यह विज्ञापन जयपुर विकास प्राधिकरण के पास ही विज्ञापन लग रहा है।

श्री अध्यक्ष: तो जयपुर विकास प्राधिकरण कुछ भी करेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरे खास तो आप भी हो राजेन्द्रजी।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जी से कैसे रिलेटेड हो गई यह ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह कहना चाहता हूं जयपुर विकास प्राधिकरण ने क्यों मंजूरी दी इसकी ? (व्यवधान) क्या हो गया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके खास हैं पर गड़बड़ क्या है ?

श्री अध्यक्ष: आप बेखास जैसी बात कर रहे हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): आप खूब टोका-टोकी करते हो, राजेन्द्रजी तो आपके अनन्य मित्र हैं फिर भी आप क्यों ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, इन्होंने कहा, आप भी मेरे खास हो लेकिन लगा दिया इन्होंने, यह है दिक्कत। (व्यवधान) गड़बड़ क्या हो गई, यह चिंता हो गई हमको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप कौन?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लेकिन क्या हुआ ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह दिलों की बात आप नहीं जान पाओगे, महावीरजी, आपके वश की बात नहीं है यह।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे अलावा किसी और के वश की है भी नहीं।

श्री अध्यक्ष: अलग-अलग पार्टी में जाने के बाद दोस्ती-दोस्ती ना रही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोस्त-दोस्त ना रहा, पर प्यार-प्यार तो है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने कैसे कहा? पति पत्नी ही अलग-अलग पार्टी में हैं। वसुंधराजी बी.जे.पी. में थी, माधव राज सिंधिया कांग्रेस में थे, भाई-बहन अलग-अलग पार्टियों में रहे हैं। आपको पता है अब्दुल हादी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और उनके खास भाई ने जनता पार्टी से 1977, में अब्दुल हक ने उनके सामने चुनाव लड़ा था, यह राजनीति-राजनीति की जगह है, चुनाव तक है। बाकी जो संबंध हैं वह संबंध अपनी जगह पर रहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और आप निर्दलीय हो पर बिराज रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): फिर आप, मतलब आपकी तो आदत है, राजेन्द्रजी, कहीं न कहीं कोई बात कहने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि तम्बकू उत्पादों के प्रतिबंध पर वित्त विभाग फिर से कवायद करे।

श्री अध्यक्ष: अब थोड़ा ही समय रह गया है, उनको तीसरा और रख लेने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे बाद में फिर दुबारा मौका मिलेगा क्या ? क्या करूं तो फिर मैं, यह तैयारी करके आया हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको मिलेगा न समय, पूरा समय मिलेगा, पूरी तैयारी करके आना और कई किताबें लेकर आना, ये तो दो ही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): चलो तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गैर सरकारी संकल्प के जरिए यही कहना चाहता हूं कि राज्य की जनता पर इस तम्बाकू, गुटखे व सिगरेट से जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकने के लिए हम सब को मिलकर....

श्री अध्यक्ष: जो कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इनमें, मैगजींस में आपने भी पढ़ा होगा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कहीं आता है कि कोई मरी हुई छिपकली मिला रहा है, कहीं कोई क्या-क्या चीज मिला रहा है और आपको पता है इस गुटखा व्यापारी धारीवाल को एक साल की सज़ा इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। आज पूरा विश्व इस चीज के लिए चिंतित है, जापान में और अमेरिका में नये-नये तरीके उन्होंने इस चीज के अख्तियार किये हैं तो हिन्दुस्तान में और खास कर के हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं कि हमारे राज्य के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, हम सब को मिलकर सामूहिक प्रयास करने चाहिए और...

श्री अध्यक्षः सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक गैर सरकारी संकल्प इस सदन को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः बिलकुल।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ताकि इसके जरिए हम लोगों का आह्वान कर सकें कि इन चीजों को जिनसे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव रहे, इनसे दूर रहें, इनसे छुटकारा पाएं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, आप भी अपना संकल्प प्रस्तुत कर दें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब मंगलाराम जी कहां हैं ? वे अभी है नहीं यहां, प्रश्न यह है, he is not here.

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मैं साथ में हूं, मेरा और उनका दोनों का साथ में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पहला है तो क्या है ? वह हैं नहीं. He is absent.

राजकीय सेवारत चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबंध

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं। यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में राजकीय सेवारत चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए। अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे तो निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

आमजन को उचित वातावरण में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास किये जाते रहे हैं, अनेकों स्थानों पर पीएचसीज और सीएचसीज की स्थापना कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, बड़े-बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल हैं और रेफरल हास्पिटल हैं लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के होने के बावजूद भी, राज्य सरकार द्वारा खर्च किये जा रहे प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की राशि के बावजूद भी, यह देखने में आ रहा है कि आमजन को उचित वातावरण में इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

और उसका कारण मंथन और चिंतन करने की बात हम देखें तो एकमात्र यही है कि आमजन को पदस्थापित डाक्टर इसलिए सेवा नहीं दे पाता कि या तो अगर उसको ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित किया जाता है तो नजदीकी शहर में उसकी दौड़ने की इच्छा रहती है। वह अपना स्थानान्तरण कराने के प्रयास में रहता है कि मैं अगर नजदीकी शहर में पोस्टेड रह जाऊंगा तो न सिर्फ मुझे अच्छे वहां पर एडिशनल एलाउंस मिलेंगे बल्कि उसके साथ-साथ प्रेक्टिस भी उनकी वहां पर ज्यादा अच्छी चलेगी। उसके साथ-साथ दूसरा पक्ष आता है कि वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर पीएचसीज खाली रह जाती हैं और उनके निचले स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं ऐसे में उनको खुली छूट मिल जाती है आने वाले मरीजों का दोहन करने की। उनका वहां पर अपने स्तर पर इलाज करने की चाहे वो कम्पाउंडर हों, चाहे वो एएनएम हों। उससे अलग हटते हुए, अध्यक्ष महोदय, जो हमारे शहर के हास्पिटल्स हैं वहां पर मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आने वाले मरीज का जितना आउटडोर में इनफ्लो रहता है, लगभग देखने में आता है कि तकरीबन उतना ही इनफ्लो सम्बद्ध डाक्टरों के घरों पर रहता है। डाक्टरों की एकमात्र सोच रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रेक्टिस करे। ऐसे में जो सेवा का जज्बा लेकर के वो ये कार्य शुरू करते हैं, इस नौकरी में आते हैं वो सारा जज्बा करने की भावना उनकी बदल जाती है और उनका एकमात्र उद्देश्य यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करना और अपनी प्रेक्टिस जमाये रखने के लिए एक ही स्थान पर पोस्टेड रहने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं कि उनका कभी स्थानान्तरण न हो जाए और अगर स्थानान्तरण कर भी दिया जाता है तो वो उसके दूसरे माध्यम निकाल लेते हैं। या तो कहीं डेपुटेशन करा लिया जाता है या अगेंस्ट पोस्ट वो कहीं से अपने आपको वहां पर मेंटेन रखते हैं। मैं सार में अध्यक्ष

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

महोदय यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार अपनी इच्छा का प्रदर्शन करते हुए ऐसे डाक्टरों को सेवा में लेती है और सेवा में लेने के उपरांत उनको प्रतिमाह एक उचित राशि उनको सेवा शुल्क के रूप में देती है, ऐसे में अगर हम वास्तविक रूप से आमजन को सही इलाज की सुविधा देना चाहते हैं तो हम इन डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस के ऊपर बैन कर दें तो हम यह देखेंगे कि उनका एकमात्र ध्येय होगा कि आने वाले मरीज की नि:स्वार्थ भाव से सेवा करें। इसका उदाहरण हम देखते हैं, अध्यक्ष महोदय, तो दिल्ली का ऑल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज ऑल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अन्दर डाक्टर्स जिस सेवा भाव से, जिस समर्पित भाव से आने वाले मरीज की देखभाल करते हैं वह अपने आपमें एक अनुकरणीय उदाहरण है। उसी तर्ज पर आने वाले समय में हम जोधपुर में भी एम्स की स्थापना करने वाले हैं। मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि हम इस बात का चिंतन करें, हम इस बात को सभी भली प्रकार से जानते हैं, आज किसी भी डाक्टर के पास में चाहे वह जयपुर के एस एम एस हास्पिटल की बात करें, चाहे बीकानेर के पी बी एम अस्पताल की बात करें, चाहे कोटा के अस्पताल की बात करें, चाहे जोधपुर के अस्पताल की बात करें, अगर मरीज को भर्ती होना है तो उसको सबसे पहले...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय समय बढ़ाना है क्या ? एक संकल्प और है। मेरा ख्याल है 10-15 मिनट बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट के लिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

15 मिनट सदन का समय बढ़ाया गया।

अशासकीय संकल्प

राजकीय सेवारत चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबंध

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रोजाना तो 10-10, 11-11 बजे तक बैठते हो, आज 15 मिनट में क्या हो रहा है ? उनको भी बोलने दो। फिर गुंजल का भी है न।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी क्रम में निवेदन कर रहा था कि जब मरीज को भर्ती होना होता है तो उसको सबसे पहले उस सरकारी डाक्टर के निवास पर जाना पड़ता है। वहां जाकर के वह जब तक उनको कुछ भेंट-पूजा नहीं करता, जब तक डाक्टर के लैटर हैड पर उसकी प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख दी जाती तब तक उसका अस्पताल में भर्ती होना मुश्किल है। अगर वह भर्ती हो भी जाए और उसको जरूरत है आगे किसी तरीके की शल्य चिकित्सा की तो यह तय है कि उसको पुन: आपरेशन की डेट तय कराने के लिए भी डाक्टर के घर जाना पड़ता है और एक मोटी राशि उसको भेंट करनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, अगर उसको शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है तो भी वह पेशेंट वार्ड के अन्दर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको अटेंड नहीं किया जाता। डाक्टर के जो अधीनस्थ रेजीडेंट डाक्टर्स होते हैं उनको अगर मरीज का अटेंडेंट बार-बार एप्रोच भी करता है तो वो उसको इनडायरेक्ट-वे में एक ही मैसेज करते हैं कि डाक्टर साहब से आप सम्पर्क करें। तो मेरा निवेदन है कि एक मरीज जो अपने आपको आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करता है, जो अच्छे से अच्छे डाक्टर से इलाज करवाना चाहता है उसके पास में अगर कोई मार्ग है तो या तो अपने स्थानीय पी एच सी, सी एच सी तक जाए या अपने नजदीकी शहर के अस्पताल में जाए। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जेब का किराया खर्च करके वहां तक पहुंचता है और अपने आपको वहां पर बनाये रखने के लिए उसको कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं इसको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज सरकार ने अपने प्रावधान करते हुए हर वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी की तनख्वाह इतनी बढ़ा दी है कि उनके बूते पर वो अपने परिवार का लालन-पालन अच्छे वातावरण में कर सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि जो लोग सेवा करने का जज्बा रखते हैं उनको आपस के कम्पीटिशन के अन्दर भी उस बात को देखते हुए, एक डाक्टर देख रहा है कि पड़ौस में तो बहुत भीड़ लगी है, उसके यहां 50 मरीज आ रहे हैं तो न चाहते हुए भी प्रेरित

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

हो रहा है कि मेरे यहां पर भी मरीजों की संख्या बढ़े। कुछ विभाग तो ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय, कि वो विशुद्ध रूप से डाक्टरों की निजी प्रेक्टिस के ऊपर चल रहे हैं जिसके अन्दर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक तो दंत रोग चिकित्सक जितने भी हैं, अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में इलाज करने की इनकी कोई व्यवस्था नहीं, घर पर उनके अस्पताल से ज्यादा बेहतरीन व्यवस्था रखते हैं। इसी तरीके से नेत्र रोग चिकित्सकों की अगर हम बात करें, अधिकांश वो भी घरों में ही देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम चाहे गायनिक की बात करें, पीडियाट्रिक की बात करें, हम किसी की भी बात करें, मेरा सार में निवेदन करना यह है कि हम आम जन की बेहतरी के लिए यहां प्रयास कर रहे हैं, राज की सोच यह है कि हम जो कुछ भी राशि खर्च कर रहे हैं उस राशि का समुचित उपयोग हो। डाक्टरों की भावनाओं को शुद्ध रखने के लिए हमारा यह प्रयास रहे कि हम डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस के ऊपर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगायें और हम उसको कम्पनसेट करने के लिए निश्चित रूप से चाहे उसका नॉन प्रेक्टिस एलाउंस तय कर दें तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो यह फायदा होगा कि जो डाक्टर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर पदस्थापित किया जा रहा है वह शहर की ओर भागने की सोच नहीं रखेगा क्योंकि शहर के डाक्टर की प्रेक्टिस जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण वहां से ज्यादा रहती है और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी वो डाक्टर एक ही स्थान पर बने रहने की सोच नहीं रखेगा जिसकी वहां पर प्रेक्टिस चल रही है। समान रूप से समान सोच के साथ में हर डाक्टर की यह सोच रहेगी कि मुझे जहां पर भी पोस्टेड किया जाना है, मुझे इतने ही पैसे मिलने हैं तो न तो वह ट्रांसफर के लिए चक्कर खायेगा न वह आने वाले मरीज को भटकाने की कोशिश करेगा और पूरे मनोयोग से, पूरे सेवा भाव से उनकी सेवा करेगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इसमें बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने विषयक

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था करें।"

श्री अध्यक्षः यह कौन बोला, नो ? कमाल है। **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मैं तो समर्थक हूं गुंजल साहब का।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस आशय का संकल्प इसलिए लेकर के आया हूं कि सार्वजनिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो हमारी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव घोषणा पत्र आप उठाकर देख लें, मैं समझता हूं कि पहला नहीं तो दूसरा बिन्दु यह होगा कि हम पारदर्शी और जवाबदेही शासन देंगे, भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करेंगे। लेकिन आज जब हम इस दिशा में विचार करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय, हम किस स्थान पर खड़े हैं, यह बहुत गंभीर विचार का विषय है। मैं इस सन्दर्भ में भारत के तीन प्रधान मंत्रियों के द्वारा उद्धृत किये विचार आपके सामने रख रहा हूं जिसमें सर्वप्रथम भारत के प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लालजी नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस देश में नैतिकता थी, ईमानदारी थी, सदाचार था लेकिन आज हम सब भ्रष्टाचार के इतने आदी हो चुके हैं कि उसे जीवन का सामान्य भाग ही समझ बैठे हैं। अब आश्चर्य इस बात पर नहीं होता कि फलां व्यक्ति घूस लेता है या भ्रष्ट है। अब आश्चर्य इस बात पर होता है कि अमुक व्यक्ति पूर्णतया ईमानदार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। आज से पौने दो दशक पहले भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीवजी गांधी ने कहा था कि हम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो आम जनता के विकास के लिए भेजते हैं, उस एक रुपये में से मात्र 15 पैसा पहुंचता है और बाकी पैसा राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, व्यापारी और ठेकेदारों की चौकड़ी हजम करती है। बात यहीं बन्द नहीं हुई। 6 मई, 2001 को तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पश्चिमी बंगाल में एक सभा को सम्बोधित करते हुए स्वीकार किया कि आज भ्रष्टाचार सारे देश में महामारी की तरह फैलता जा रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए भेजे जाने वाले पैसे में से केवल 10 पैसे ही उन तक पहुंच पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन प्रधान मंत्रियों की इस प्रकार की स्वीकारोक्ति भ्रष्टाचार के साम्राज्य के फैलाव की भयानक गवाही है और इसीलिए यह बयान केवल उनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति के बजाय उसके सामने समर्पण और उसके सामने शासन तंत्र की बेचारगी का सबूत भी है और यह दृष्टि खाली देश के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, आज भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्र और समाज का नैतिक पतन हुआ है, एक संक्रमण की बीमारी के रूप में चलता जा रहा है

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के इस मायाजाल के खिलाफ आज देश का आम जन मानस सोचता है लेकिन जब हम भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं तो हमको बोफोर्स घोटाला याद आता है, हमको यूरिया खाद का घोटाला याद आता है, हमको स्टिंग आपरेशन याद आता है, हमको चीनी घोटाला याद आता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमको वह याद नहीं आता कि जिसमें गांव का पटवारी, जिसमे गांव का ग्राम सेवक, थानेदार का सिपाही जोंक की तरह चिपककर गांव के गरीब आदमी का खून पी रहा है और जब कभी उससे भ्रष्टाचार के बारे में एतराज किया जाता है कि यह भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, जिस आदमी के पास खाने को दाना नहीं है, उससे पटवारी नकल लेने के लिए 50 रुपये मांगता है। जिस आदमी के पास, जो सुबह कमाता है और शाम को खाता है, अवसर आने पर थाने में जाने पर, फरियाद लेकर जाने पर उससे थाने का थानेदार 1000 रुपये की डिमांड करता है और जब उनसे इस पर एतराज किया जाता है तो बड़े जोर से तहसील का पटवारी, कलक्ट्री का बाबू और थाने का सिपाही कहता है कि इस देश का प्रधान मंत्री और इस देश के प्रांतों के मुख्य मंत्री भ्रष्ट हैं, मुझे कौन भ्रष्टाचार करने से रोक सकता है और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में विकसित होता जा रहा है, यह एक संस्था का स्वरूप ले रहा है, कौन रोकेगा, कौन इस दिशा में चिंता करेगा और हालात यहां पर पहुंच गये कि कुछ बुद्धिजीवी लोग यह कहने लग गये कि नैतिकता के आधार पर यह भ्रष्टाचार नहीं है और भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार बन गया है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार के इस दैत्य स्वरूप के सामने हमारी लाचारी बन गई और उस लाचारी से उबारने का इस सदन के अलावा कोई संकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर आज आम आदमी में चर्चा होने लगी है कि कोई व्यक्ति अपना काम लेकर सरकारी दफ्तर में जाता है तो हालात यहां तक पैदा हो गये कि अब वह राजनीतिज्ञों की सिफारिश कराना उलटा समझने लगा है, उनके मन में यह धारणा बनने लग गई है कि अगर उसके किसी काम के लिए किसी मंत्री या किसी विधायक से और किसी राजनेता से टेलीफोन करा दिया तो उसका बनता काम बिगड़ जायेगा। यह स्थिति है। जिस प्रकार से निर्माण हुआ, इस गम्भीर स्थिति के बारे में कौन चिंता करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस हालातों ने हमारे देश की स्थिति कहां

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पहुंचा दी? बीच में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में हमारे देश में भ्रष्टाचार की स्थिति जहां ईमानदारी और शुचिता के लिए निर्धारित 10 अंकों का जो सर्वे हुआ कोई इंटरनेशनल एजेंसी ने किया, फिनलैण्ड, डेनमार्क, न्यूजीलैण्ड, स्वीडन क्रमश: 10 में से 10, 9.8, 9.4, 9.4 अंक पाते हैं, हम मात्र 2.8 अंक पाते हैं। क्या भ्रष्टाचार का हमारे समाज में इतना बड़ा बोलबाला हो गया है, हमारी व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का इतना प्रभाव कायम हो गया है कि हम जहां व्यवस्था में पारदर्शिता की बात करते हैं, खास तौर से शुचिता की बात करते हैं और जब उसका कोई पारदर्शी मूल्यांकन होता है तो हम वहां पर ईमानदारी और शुचिता के क्षेत्र में 10 में से 2.8 अंक पर आकर खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाश्चात्य संस्कृति में नैतिकता के नाम पर हम दुनिया के सभी देशों में अपने आप में आगे मानते हैं, हमारी संस्कृति और नैतिक बल के कारण हम दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे आगे हैं लेकिन जब इस भ्रष्टाचार के आंकड़ों को उठाकर पढ़ते हैं तो हमको बगलें झांकनी पड़ती हैं कि आज हिन्दुस्तान जो नैतिकता की बात करता है, आज संस्कृति की बात करता है, ज्ञान, चरित्र, एकता, विश्व को शांति का पाठ और उद्गम रास्ता बताने की बात करता है, वह आज भ्रष्टाचार के कैंसर से, महामारी से सुरसा के मुंह में इस प्रकार से जकड़ गया है कि आज वह खुद ही नहीं निकल पा रहा है और फिर हम लोग यहां किसलिए बैठे हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई नहीं हो सकता कि इस सदन में...

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है? हम भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, सदन में बैठकर बात करते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती, चाहे पार्लियामेंट का मामला हो, चाहे विधान सभा का मामला हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आम जनता के साथ हो रहा भ्रष्टाचार का मामला यदि सत्ता पक्ष का सदस्य उठाता है तो दलीय मर्यादाओं का उल्लंघन समझा जाता है और अगर विपक्ष का सदस्य किसी भी भ्रष्टाचार के मामले को उठाता है तो यह होता है, यह दृष्टिकोण हो गया कि भ्रष्टाचार की जांच बहुमत के आधार पर होगी। क्यों नहीं हम इस प्रकार की परम्परा डालें कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई सत्ता दल का सदस्य उठाये, चाहे प्रतिपक्ष पार्टी का सदस्य उठाये, क्यों नहीं हम सदस्य की आवाज के आधार पर हम भ्रष्टाचार के मामले में तत्काल कार्यवाही करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): परम्परा तो यही है कि भ्रष्टाचार पर कोई भी बोले।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): हमें व्यावहारिक बात को देखना पड़ेगा माननीय सचेतक महोदय, मैं वह बात कर रहा हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इनको क्यों टोक रहे हो आप? (व्यवधान) अपनी भावना प्रकट करने दो, आपको क्या चिंता हो रही है?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप उनको बोलने दीजिये, वे तथ्य बता रहे हैं। यह हमारी सच्चाई है, चाहे आप हो या हम हो। वे बिलकुल सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बिलकुल सही कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि...

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप सदस्य की तरफ क्यों खड़े हो?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सुनिये महावीरजी, आप आसन की तरफ देखो, आसन इधर है, उधर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप आसन से बात करो ना। आप आसन से बात करिये। (व्यवधान) आप सदस्य को इंडिकेट कर रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे यहां पर हर स्तर पर चाहे प्रतिपक्ष रखे, चाहे सरकार का कोई पक्ष रखे, इन पर कोई न तो डिवीजन आज तक हुआ, न इस बात का कोई फैसला हुआ, न आज तक किसी राज में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुमत के आधार पर भ्रष्टाचार का फैसला भी नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं होगा, सही बात है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं बहुमत के आधार पर भ्रष्टाचार के फ़ैसले की बात नहीं कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आज तक भ्रष्टाचार का

फैसला बहुमत के आधार पर नहीं हुआ, न तो हुआ, न होगा। यह हमारी सर्वोच्च संस्था है इसलिए यह...

श्री अध्यक्षः आप फैसला कर लो, ठीक रहेगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। इसका फैसला भी नहीं होगा बहुमत के आधार पर, यह फैसला भी नहीं होगा अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): मैं बहुमत के आधार पर भ्रष्टाचार पर फैसले की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): **...**भ्रष्टाचार के मामले पर बंटी हुई है, व्यक्ति के विचार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार पर हमेशा यहां पर चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं और उस निर्णय के आधार पर उस पर अंकुश भी लगा है। उसमें कमी हो सकती है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अभी तक कोई अंकुश नहीं लगा है माननीय सचेतक महोदय। (व्यवधान) परसेन्टेज बढ़ रही है भ्रष्टाचार की, कौन कहता है कमी हुई है?

श्री अध्यक्ष: आप आसन की बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तो फिर हमको यहां एम.एल.ए. बनकर नहीं आना चाहिए। यदि हम अपने आपको अक्षम पाते हैं और यह सर्वोच्च संस्था अगर कहती है, यह संस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यहां पर कोई इसकी उपयोगिता नहीं है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अंकुश तो आप लगा रहे हो इन पर, इसके विरुद्ध बोलने वालों पर। माननीय सचेतक महोदय, आप इन पर अंकुश लगा रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, बहुमत के आधार पर माननीय सदस्य को दबाया जा रहा है। बहुमत के आधार पर माननीय सदस्य को दबाया जा रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मुख्य सचेतक महोदय व्यवधान डाल रहे हैं, दूसरी तरफ संसदीय मंत्री अभी वहां पर जाकर कहकर आये हैं कि आप बोलना बन्द करो। भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कृपया आसन की बात तो सुनो। आप बैठिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये खुद कहकर आये हैं अभी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया वह...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: दूसरी और संसदीय कार्य मंत्री अभी वहां जाकर के कहकर आये हैं कि आप बोलना बंद करो, भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हो और भ्रष्टाचार, आप कह कर आये अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आप गलत कह रहे हैं । (व्यवधान) गलत कह रहे हैं, नहीं, बिलकुल नहीं है, गलत कह रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा: आप कह कर आये हो, आप वहां गये और कह कर आये कि बोलना बंद करो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो कोई पढ़ा हुआ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: यह चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो बढ़ावा दिया है, न देंगे। न भ्रष्टाचार को समर्थन दिया है, न उनको बचाने का प्रयास किया है, न करेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: क्या गलत बोला था उन्होंने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: बिना बात के इसमें राजनीति की जा रही है...

श्री हरिमोहन शर्मा: गुंजल साहब ने, क्या गलत बोला था उन्होंने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: किसने कह दिया, गलत बोला है। बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: वह बिलकुल सही कह रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: आपने व्यवधान डाला, आपने डराया। यह माननीय संसदीय मंत्री वहां कह कर आये कि बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: आपने व्यवधान डाला है, बोलने नहीं दे रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: किसने डराया? अध्यक्ष महोदय, मैंने डराया है क्या? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप सुनते तो हो नहीं, यह नहीं कहा बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, मैं दो बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा: उन्होंने बैठ जाओ का नहीं कहा? उन्होंने कहा कि आप...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: आप भावना की कद्र करो, भावना की कद्र करो।

श्री हरिमोहन शर्मा: बहुत मुश्किल से निर्भीक विचार अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति मिलते हैं सत्ताधारी दल में।

श्री प्रहलाद गुंजल: मैं आपसे अनुरोध करूंगा अध्यक्ष महोदय...

श्री हरिमोहन शर्मा: और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप रोको मत।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह भी हमको गर्व है। निर्भीक अभिव्यक्ति करने वाले हमारे ही दल में हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र का देश है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल: अध्यक्ष महोदय, मैं दो लाइन कह कर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।

श्री जीतमल खांट: माननीय अध्यक्ष महोदय, पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करना सब के लिए, लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए ठीक है, पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल ही नहीं आता है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: प्रजातंत्र के देश में, प्रजातांत्रिक तरीके से... (व्यवधान) यह प्रजातांत्रिक देश है इसमें प्रजा की बात कहने का इस तंत्र को अधिकार है, आप रोको मत। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: कहां रोक रहे हैं, कोई विषय थोड़े ही उठा रहे हैं, विषय नहीं उठा रहे हैं वह।

श्री श्रवण कुमार: नैतिकता के आधार पर, नैतिकता की राजनीति करो। नैतिकता के आधार पर, मूल्यों के आधार की राजनीति मत करो, नैतिकता की राजनीति करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: नैतिकता और मूल्यों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं...

श्री प्रहलाद गुंजल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा था...

श्री अध्यक्षः और आप नहीं हो...

श्री प्रहलाद गुंजलः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा था कोई भ्रष्टाचार का फैसला बहुमत के आधार पर नहीं, भ्रष्टाचार की जांच होगी या नहीं, यह फैसला बहुत करेगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। चाहे पार्लियामेंट का मामला हो, चाहे असेम्बली का मामला हो, भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का हो, कोई सदस्य पक्ष और प्रतिपक्ष का उठाता है तो बहुत के आधार पर फैसला नहीं, सर्वमान्य रूप से उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री प्रहलाद गुंजलः और यह जिम्मेदारी बनती है। मैं गीता में जो श्रीकृष्ण ने सुशासन के विषय पर अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह आपके सामने रखना चाहता हूं कि हे अर्जुन, सुशासन के नेतृत्व की भूमिका का सार समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, जैसा श्रेष्ठ लोगों का आचरण होता है वैसा ही आचरण जनता करती है।

श्री अध्यक्षः आप थोड़ा धीरे बोलो ताकि समझ में आये।

श्री प्रहलाद गुंजलः जिन मापदण्डों को श्रेष्ठ लोग अपनाते हैं उन्हीं को जनता अपना लेती है और माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के हालात श्रेष्ठ लोगों के बने हुए हैं, एक कहावत है, आप इजाजत दें तो उसको पूरा कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे एक मित्र पत्रकार हैं, मैंने बनाई हुई नहीं है, उन्होंने मुझे सुनाई कि किस प्रकार के हालात हैं। हम इस देश के बारे में कल्पना करते हैं विश्व शांति के दूत की, ईमानदारी की और शांति के पाठ की।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अमेरिका में एक हंस रहा करता था और हंस को जो पवित्रता का स्वरूप माना जाता है वह कभी-कभी अपनी पत्नी से कहता था, हिन्दुस्तान शांति का दूत है, विश्व को शांति का रास्ता दिखाता है, कभी शांति के लिए वहां चले, पाश्चात्य सभ्यता से ऊब गया, और जब वह हिन्दुस्तान इस कल्पना को लेकर आया तो आते ही पहले पार्लियामेंट में गोलियां चलती हुई देखीं, आगे बढ़े तो गोधरा की ट्रेन जलती हुई देखी, आगे बढ़े तो काशी के विश्वनाथ के पास बम के धमाके देखे और जब हालात देखकर थक हार कर वह बैठ गये एक पेड़ के नीचे, तब वह हंसिनी पूछने लगी कि हंस देवता, तुम बड़ी कल्पना के साथ हिन्दुस्तान में आये थे, यहां तो जिस प्रकार की कल्पना, जिस प्रकार का परिमार्जन आपने रखा था, यह दृश्य तो भिन्न हो गया। कौन इस स्थिति का जिम्मेदार है? इस बारे में आप बतायें। मैं इसलिए जल्दी में रख रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पन्द्रह मिनट होने वाले हैं। हंस ने उत्तर दिया बेबसी में, पेड़ की डाली पर एक उल्लू बैठा था, कि इस स्थिति के लिए यह उल्लू जिम्मेदार है। उल्लू राष्ट्रभक्त स्वाभिमानी था, उसको अखर गया, उसने प्रपंच रचा और हंसिनी का हाथ पकड़ लिया कि तू मेरी पत्नी को कहां ले जा रहा है। यह तो हंसिनी है, तू उल्लू है, मैं हंस हूं, बोला मैंने प्रेम विवाह किया है तो चिल्ला कर बोला, अरे बाप रे, अब हिन्दुस्तान में प्रेम विवाह की कल्चर पैदा हो गई, हंस बोला कि पुलिस में जाऊंगा। उल्लू बोला चलो, पुलिस में रिपोर्ट करा लेते हैं, फैसला करा लेते हैं। हंसिनी बोली, नहीं-नहीं भई, मैंने तो कल ही अख़बार में पढ़ा है, एफ आई आर लाज कराने के बीस हजार रुपये और थाने में महिला के साथ बलात्कार, मैं नहीं जा सकती और जब यह दृश्य होने के बाद तो हिन्दुस्तान के पंचों की प्रतिष्ठा के बारे में, जहां पंचों में परमेश्वर माना गया है, इस कल्पना के आधार पर कहा गया कि हिन्दुस्तान के पंचों को बुलाओ और फैसला कराओ। जब हिन्दुस्तान के पंच आये और फैसला करने के लिए सारी बात बताने के बाद बैठे तो फैसला क्या करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बोले, चाहे कुछ भी हो, उल्लू सर्वहारा क्रांति का प्रतीक है, फैसला इसके पक्ष में होगा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बोले, पिछले चुनाव में हमको उल्लू ने दो करोड़ रुपये का चंदा दिया था, चाहे कुछ भी हो, फैसला इसके पक्ष में होगा। एक पार्टी प्रतिपक्षी के अध्यक्ष बोले, चाहे कुछ भी हो, हंसिनी बहुत सुंदर है, यह हिन्दुस्तान के बाहर अब दोबारा नहीं जानी चाहिए, और एक पार्टी के अध्यक्षजी बोले, चाहे कुछ भी हो, उल्लू भारत

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माता का लाल है, फैसला भारत माता के लाल के पक्ष में होगा और पंचों ने फैसला सुना दिया। पंचों ने फैसला सुना दिया कि हंसिनी उल्लू की है, हंसिनी नहीं, और जब हंस रोकर जाने लगा, ब्लैक स्क्वेड के साथ जब पंच आगे बढ़ने लगे तो उल्लू ने कहा स्तब्धता के साथ, ठहरो, तुम्हारे उत्तर का जवाब यह है कि इस देश की स्थिति के लिए मेरा जैसा उल्लू नहीं, यह जो पंच परमेश्वर बने हुए हैं, जो नैतिक रूप से जिम्मेदार इस देश को चलाने के लिए हैं, यह लोग हैं और इसलिए मैं...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.15 बजे सोमवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले के स्वीकृत नवीन ग्रामीण सड़क मार्ग

331. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नये ग्रामीण मार्ग खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के अधीन? क्या सरकार "सिंहपुर-बनाकिया कलां-गंगरार-हमीरगढ़-मंगरोण-भीलवाड़ा" जिससे जिलों के अधिकांश वंचित ग्राम बस सेवा से लाभान्वित हो सकते हैं, का मार्ग स्वीकृत कर निगम/निजी बस सेवा का संचालन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 2004 से अब तक राज्य में ग्रामीण सड़क मार्ग घोषित किए गए हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने? चित्तौड़गढ़ जिले में घोषित मार्गों व उन पर वाहन परमिट की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जनवरी, 2004 से पूर्व/बाद के स्वीकृत मार्गों में से किसी ग्रामीण मार्ग की स्वीकृति निरस्त की गई है अथवा संशोधन किया है? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले में कौन-कौन से ग्रामीण मार्गों की स्वीकृति निरस्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.9.2004 द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 1.2 (1) के खण्ड (न) में संशोधन कर ग्रामीण मार्ग को परिभाषित किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है। "सिंहपुर-बनाकियाकलां-गंगरार-हमीरगढ़-मंगरोण-भीलवाड़ा" प्रस्तावित मार्ग ग्रामीण मार्ग की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः इन स्थानों से होकर ग्रामीण मार्ग खोला जाना संभव नहीं है। जहां तक इन स्थानों के लिये ग्रामीण मार्गों से भिन्न मार्ग खोले जाने का प्रश्न है इस संबंध में मार्ग का सर्वेक्षण कराने के उपरान्त मार्ग खोले जाने की संभावनाओं का पता चल सकेगा। मार्ग का सर्वेक्षण कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। राज्य में अब तक 218 ग्रामीण मार्ग खोले जा चुके हैं। किस-किस जिले में कितने-कितने मार्ग खोले गए हैं, का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

चित्तौड़गढ़ जिले में घोषित ग्रामीण मार्गों एवं उन पर जिन वाहनों को परमिट स्वीकृत किये गये हैं, का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। जनवरी, 2004 से पूर्व/बाद के स्वीकृत मार्गों में से किसी ग्रामीण मार्ग की स्वीकृति निरस्त नहीं की गई है ना ही संशोधन किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पुनर्वास भूमि के कब्जाधारियों हेतु सनद

332. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डी.पी. एक्ट 1954 को केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो नये विधेयक/नियम कब तक बना दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में पुनर्वास भूमि की जो सनदें अब तक जारी नहीं हुई हैं ऐसे खातेदारों को सरकार कब तक खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अवैध रूप से हस्तांतरण के जरिये किए गए बैनामा, इकरारनामा, गोदनामा, वसीयत द्वारा नियमन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) जिन व्यक्तियों का पुनर्वास भूमि पर अवैध कब्जा है क्या सरकार उनका नियमन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर, 2005 के द्वारा डी.पी. एक्ट, 1954 सहित पांच एक्ट रिपिल (समाप्त) कर दिये गये हैं। केन्द्र सरकार के नए एक्ट लागू होने पर नए नियम बनाए जा सकेंगे।

(पुनर्वास मंत्री)

(2) कस्टोडियन भूमि की सनद डी.पी. एक्ट 1954 के तहत मैनेजिंग आफिसर (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार) द्वारा जारी की जाती थी। इन एक्ट के रिपिल हो जाने व कोई सेविंग क्लोज नहीं होने के कारण इन नियमों के तहत बनाये गये आबंटन (संशोधन) नियम-2004 भी विधि विभाग की राय के अनुसार स्वतः ही रिपिल हो गये हैं। अतः जब तक भारत सरकार द्वारा नये एक्ट नहीं बनाये जाते व नये आबंटन/नियमन के नियम नहीं बनाये जाते तब तक इन प्रकरणों में सनद जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार के अवैध हस्तांतरण को नियमन करने का प्रावधान ''राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि के स्थाई आबंटन) (संशोधन) नियम 2004'' में किए गये थे। परन्तु यह नियम भी डी.पी. एक्ट 1954 के तहत ही बनाए गए थे। अतः जब डी.पी. एक्ट व अन्य चार एक्ट भारत सरकार द्वारा रिपिल (समाप्त) कर दिये गये हैं तो इन एक्टों के तहत जारी ''राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि के स्थाई आबंटन) (संशोधन) नियम 2004'' के नियम स्वतः ही समाप्त हो गये हैं। अतः वर्तमान में पुनर्वास भूमि की सनदें जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जिन व्यकित्यों का पुनर्वास भूमि पर कब्जा था, उनका कब्जा नियमन करने का प्रावधान भी ''राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि के स्थाई आबंटन) (संशोधन) नियम-2004'' के नियमों के तहत करने का प्रावधान किया गया था। परन्तु यह नियम भी डी.पी. एक्ट 1954 के तहत ही बनाए गए थे। अतः जब डी.पी. एक्ट व अन्य चार एक्ट भारत सरकार द्वारा रिपिल (समाप्त) कर दिये गये हैं तो इन एक्टों के तहत जारी ''राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि के स्थाई आबंटन) (संशोधन) नियम 2004'' के नियम स्वतः ही समाप्त हो गये हैं। अतः वर्तमान में पुनर्वास भूमि के अवैध कब्जों का नियमन किया जाना सम्भव नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के दर्ज प्रकरणों की जांच में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

333. **डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत दो वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

अधिनियम के तहत कितने मुकदमें दर्ज किए गये? कितनों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया व कितने प्रतिशत में सजा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम में अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार रोकने हेतु सामूहिक दण्ड की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या किसी प्रकरण में सामूहिक दण्ड हुआ है? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण में?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे प्रकरणों में अधिकारी के द्वारा जांच में बरती जाने वाली लापरवाही के प्रति जांच अधिकारी के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान है? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें गलत तफ्तीश के कारण न्यायालय मुल्जिमान बरी हुए। क्या सरकार ने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में गत दो वर्षों 2004 व 2005 में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 9,792 अपराध दर्ज किये गये। इन अपराधों में से 4797 अपराधों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। गत दो वर्षों में सामूहिक दण्ड आरोपण का कोई प्रकरण नहीं हुआ है।

(3) जी हां। गलत तफ्तीश के कारण कितने प्रकरणों में न्यायालय से मुल्जिमान बरी हुए हैं इसका अलग से ब्यौरा संधारित करने की व्यवस्था नहीं है। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 4 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार यदि कोई लोकसेवक जो अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग का नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके लिए निर्धारित दायित्व निर्वहन में जान-बूझकर लापरवाही बरतता है तो उसे दण्डित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार के कृत्य में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। वर्तमान में राज्य सरकार के संज्ञान में ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं आया है, जिसमें न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित दण्डात्मक कार्यवाही की गई हो।

परिशिष्ट ''अ''

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष 2004			वर्ष 2005		
		दर्ज मुकदमें	चालान	सजा प्रतिशत	दर्ज मुकदमें	चालान	सजा प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजमेर	122	53	31.35	121	46	21.43
2	भीलवाड़ा	174	100	31.34	138	78	42.86
3	नागौर	208	93	13.46	183	65	13.33
4	टोंक	198	97	0.00	223	83	0.00
5	जयपुर उत्तर	39	11	100.00	40	12	0.00
6	जयपुर दक्षिण	52	20	40.00	44	13	0.00
7	जयपुर पूर्व	82	29	0.00	73	28	0.00
8	जयपुर ग्रामीण	191	92	31.25	186	90	0.00
9	झुन्झुनूं	191	119	4.92	165	109	3.08
10	सीकर	152	79	30.95	153	66	21.05
11	दौसा	146	74	9.09	97	44	30.77
12	अलवर	232	123	46.34	257	124	33.33
13	बीकानेर	178	77	0.00	161	90	0.00
14	चूरू	123	60	28.57	95	47	57.14
15	गंगानगर	308	133	21.95	232	92	25.00
16	हनुमानगढ़	186	84	36.36	152	60	100.00
17	भरतपुर	464	185	0.00	409	177	0.00
18	सवाई माधोपुर	147	76	38.64	98	50	50.00
19	धौलपुर	127	88	0.00	129	75	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
20	करौली	168	67	100.00	171	61	0.00
21	जोधपुर शहर	56	34	0.00	72	36	0.00
22	जोधपुर ग्रामीण	164	101	16.67	127	66	100.00
23	जालौर	136	84	0.00	127	71	0.00
24	जैसलमेर	41	30	0.00	40	22	0.00
25	बाड़मेर	157	88	29.41	144	61	0.00
26	पाली	260	135	33.33	236	146	0.00
27	सिरोही	94	46	0.00	72	27	0.00
28	कोटा शहर	57	30	0.00	46	25	0.00
29	कोटा ग्रामीण	86	56	28.57	91	47	0.00
30	बून्दी	14	8	0.00	7	5	0.00
31	झालावाड़	148	87	30.88	100	43	30.77
32	बारां	109	60	34.62	116	57	45.45
33	उदयपुर	71	45	25.00	49	22	0.00
34	बांसवाड़ा	41	21	0.00	23	16	0.00
35	चित्तौड़गढ़	246	117	12.50	136	84	0.00
36	डूंगरपुर	23	11	0.00	11	2	0.00
37	राजसमन्द	40	22	33.33	34	20	0.00
38	जीआरपी अजमेर	0	0	0.00	1	0	0.00
39	जीआरपी जोधपुर	2	2	0.00	0	0	0.00
	योग	**5233**	**2637**	**25.47**	**4559**	**2160**	**24.73**

सरिस्का टाइगर पार्क के लिए सहायता हेतु केन्द्रीय मुद्दा

334. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने ''सरिस्का टाइगर पार्क'' में फिर से बाघों को बसाने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजी है?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र से इस परियोजना के संचालन हेतु 425 लाख रुपये की धनराशि देने का निवेदन भी किया गया है? यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार कर कब तक स्वीकृति देने के संकेत दिये हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सरिस्का में बाघों के पुर्नस्थापन हेतु 428 लाख रुपये की परियोजना तैयार कर केन्द्र सरकार को धन राशि उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है। केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना अपेक्षित है।

टोंक जिले के छात्रों का छात्रवृत्ति प्रकरण

335. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) टोंक जिले में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को उक्त जिले में छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति में अनियमितताओं को लेकर टोंक स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की गई थी? यदि हां, तो ब्यूरो ने क्या–क्या रिकार्ड जांच के लिए जब्त

(श्री हीरालाल)

किया? क्या ब्यूरो की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त मामले में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रसारित नियम/निर्देशानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट ''अ'')

(2) टोंक जिले में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को निम्नानुसार उत्तर मैट्रिक एवं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है।

क्र. सं.	वर्ष	वर्ग	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति		पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	
			छात्र	राशि	छात्र	राशि
1.	2004-05	अनुसूचित जाति	2315	65,65,299	14044	17,72,630
		अनु. जन जाति	3406	89,99,743	8597	9,97,810
2.	2005-06	अनुसूचित जाति	2562	71,16,775	15531	15,11,775
		अनु. जन जाति	1594	22,74,439	8844	10,27,620

(3) टोंक जिले में छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई।

(4) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग टोंक द्वारा दिनांक 28.07.2005 को आकस्मिक चैकिंग की गई थी जो सूत्र सूचना संख्या 27/05 दर्ज है तथा जो बूयरों में जांचाधीन है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा बिल, पत्रावली छात्रवृत्ति वर्ष 2004-05 व 2005-06, इण्डेट व भुगतान पत्र 2004-05 के मूल आवेदन फार्म मय स्वीकृति आदेश व सूची सभी निजी महाविद्यालय व वनस्थली विद्यापीठ, जगदम्बा आई.टी. कालेज, देवली व विनायक कम्प्यूटर

(समाज कल्याण मंत्री)

एज्यूकेशन, निवाई की मूल पत्रावली मय निरीक्षण रिपोर्ट जब्त की गई है। ब्यूरों की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(5) प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भागलभीम ग्राम (जालौर) में गुरु गोलवलकर योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में व्याप्त अनियमितताएं

336. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल जिला-जालौर के ग्राम भागलभीम में गुरू गोलवलकर योजना में कितनी-कितनी राशि का कार्य कब-कब स्वीकृत किया गया? यह कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से करवाया गया? इसका अध्यक्ष नियमानुसार किसे बनाया जा सकता है? क्या वर्तमान अध्यक्ष नियमानुसार इस पद की पात्रता रखता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो किसके आदेश से अध्यक्ष का चयन किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि जल ग्रहण कमेटी, भागलभीम के अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिलाने के लिए विकास अधिकारी, भीनमाल ने अपने उच्च अधिकारियों (जिला कलक्टर, जालौर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जालौर) को पत्र लिखा था? यदि हां, तो पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यह पत्र उच्चाधिकारियों को कब प्राप्त हुए व इनमें अध्यक्ष पर क्या आरोप लगाये गये? लगाये गये आरोपों पर क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष तौर पर कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल (जालौर) के ग्राम भागलभीम में गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में राशि 8.00 लाख का एक एनीकट निर्माण कार्य दिनांक 6.10.2005 को स्वीकृत किया गया। यह कार्य पंजीकृत संस्था जलग्रहण समिति भागलभीम के माध्यम से कराया गया। जलग्रहण

(ग्रामीण विकास मंत्री)

समिति भागलभीम का पंजीयन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संस्था ने अपने नियम बनाये जिसकी धारा 11 के तहत अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों का चुनाव किया गया समिति के नियम (परिशिष्ट-अ'') पर उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। दिनांक 23.2.2006 को जिला कलक्टर जालोर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालौर को विकास अधिकारी द्वारा शिकायती पत्र लिखा। इसमें दो आरोप लगाये (i) एनीकट पर मजदूरों के बजाय ट्रेक्टर से कार्य हो रहा हैं तथा 1.80 लाख रुपये बिना कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षर के बैंक से निकलवाये एवं जलग्रहण कमेटी की बैठक नहीं बुलाई (ii) पंचायत समिति भीनमाल में निर्मित दुकान का किराया 18000/- जमा नहीं कराया गया। पत्रों की प्रति (परिशिष्ट ''ब'') पर उपलब्ध है।

आरोपों की जांच सहायक परियोजना अधिकारी जिला परिषद जालौर से करायी गई जांच रिपोर्ट (परिशिष्ट-''स'') पर उपलब्ध है तथा रिपोर्ट के अनुसार मजदूर मस्ट्रोल पर कार्य करते पाये गये लेकिन कनिष्ठ अभियंता द्वारा मूल्यांकन न करने के कारण मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर द्वारा कार्यों का मूल्यांकन करवाकर दिनांक 29.3.2006 को मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है। संबंधित इस दुकान के किराये की राशि 18000/- पंचायत समिति भीनमाल में जमा करा दी गई है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के क्रम में जांच कराकर कार्यवाही की जा चुकी है। उन्हीं बिन्दुओं पर पुनः जांच का कोई औचित्य नहीं है।

(नियम विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पैसेन्जर फाल्ट योजना का क्रियान्वयन

337. श्री अमराराम (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में पैसेन्जर फाल्ट योजना लागू करने का विचार किया गया है?

(2) क्या सरकार निगम को घाटे से उबारने हेतु एवं चैकिंग के नाम

(श्री अमराराम धोद)

से व्यर्थ को रोकने हेतु पैसेन्जर फाल्ट योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निगम मण्डल की सभा दिनांक 26.2.2003 में उक्त योजना पर विचार किया गया था। निगम बसों में टिकट लेकर यात्रा करने की प्रवृत्ति जागृत करने की दृष्टि से पैसेन्जर फाल्ट योजना पर विचार किया गया था।

(2) जी नहीं। यह योजना लागू करने से यात्रियों की HARRASS-MENT होने की संभावना है। निगम बसों में बिना टिकिट यात्रा की रोकथाम व राजस्व रिसाव को रोकने के लिये निरन्तर चैकिंग करवाई जाती है।

भीम के राशन डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही

338. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल कितने राशन डीलर हैं? उनमें से कितने कार्यरत हैं एवं कितनों के लाइसेन्स किन कारणों से निरस्त किये गये एवं कितने लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन डीलरों को वर्ष 2003 से अब तक कुल कितना गेहूं, चावल, केरोसिन एवं चीनी वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले के विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत तहसील देवगढ़ व भीम में कुल 90 राशन डीलर है, जिनमें से 77 डीलर कार्यरत हैं। 5 डीलरों के प्राधिकार-पत्र गंभीर अनियमितताओं के कारण निरस्त किये गये हैं। 4 डीलरों ने स्वैच्छा से त्याग-पत्र दिया है। 4 डीलरों के प्राधिकार पत्र निलम्बित हैं। इन 4 डीलर्स व 3 अन्य डीलर्स के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है। कार्यरत डीलरों एवं ऐसे डीलर जिनके प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये हैं अथवा जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है, की सूची (परिशिष्ट 1 से 3) पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम की तहसील भीम एवं देवगढ़ के उचित

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

मूल्य दुकानदारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2003 से अब तक निम्न प्रकार राशन सामग्री वितरण हेतु दी गई है:-

बी.पी.एल	1,45,197 क्विं गेहूं
अन्त्योदय अन्न योजना	59,993 क्विं गेहूं 228 क्विं चावल
अन्नपूर्णा योजना	1270क्विं गेहूं
ए.पी.एल. योजना	26,990क्विं गेहूं
लेवी चीनी बी.पी.एल. हेतु	6727 क्विं
केरोसीन	5182 के.एल.

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा में धारा 107/151 के तहत दर्ज प्रकरण

339. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 2003 से पुलिस थानों में थाना अधिकारियों द्वारा धारा 107/151 के तहत किन-किन लोगों के विरुद्ध किस-किस दिनांक को मुकदमें दर्ज किये गये, उनमें किन-किन अपराधियों को क्या-क्या सजा दी गई है? किन-किन को जमानत मुचलकों पर छोड़ा गया, कौन-कौन से मुल्जिमों के धारा 107/151 के पूर्व किस-किस अपराध में चालान हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत पुलिस थाना गंगापुर कारोई व रायपुर में दिनांक 1-1-2003 से 28-2-2006 तक की अवधि में धारा 107/151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दर्ज इस्तगासों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में उल्लिखित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

जमानत मुचलकों एवं पूर्व के अपराधों का विवरण भी उपरोक्त परिशिष्ट ''अ'' में दे दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मानसरोवर बांध के अपग्रेडेशन एवं कुशालीपुरा नाला (खण्डार) के डाइवर्जन हेतु प्राप्त प्रस्ताव

340. श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डार में सिंचाई विभाग द्वारा मानसरोवर बांध के अपग्रेडेशन एवं कुशालीपुरा नाला के डायवर्जन के स्वीकृत कार्यों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है? यदि हां, तो सिंचाई विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या प्रस्ताव वन विभाग को दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मानसरोवर बांध में कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन हेतु वन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर कब-कब क्या–क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सिंचाई विभाग के उक्त किसानों एवं जन उपयोगी कार्य को करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उकत के सम्बन्ध में वन विभाग के स्तर पर देरी एवं इसमें लापरवाही के लिये सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये प्रस्तावों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन एवं मानसरोवर बांध को ऊंचा करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर वन विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है।

(4) वन विभाग के स्तर पर प्रकरण में कोई देरी या कार्यवाही नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट 'क'

सिंचाई विभाग द्वारा प्रेषित किये प्रस्तावों का विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव दिनांक	प्रस्ताव विवरण
1	03.07.2002	कुशालीपुरा नाले का डायवर्जन एवं मानसरोवर बांध को ऊंचा करने के संबंध में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य के तहत आने वाले 3.98 वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु।
2	12.08.2004	भारत सरकार के निर्देशानुसार 2.81 है. वन भूमि के सवाई मानसिंह अभ्यारण्य को छोड़ते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव।
3	04.07.2005	भारत सरकार के निर्देशानुसार संशोधित प्रस्ताव 1.99 है. रिजर्व फोरेस्ट के प्रत्यावर्तन हेतु।

परिशिष्ट 'ख'

कुशालीपुरा नाले के डायवर्जन एवं मानसरोवर बांध को ऊंचा करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही

1. सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत 3.98 है. वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य का भाग होने के कारण मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 18.02.2003 द्वारा प्रस्ताव उप महानिरीक्षक (वन्यजीव) भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को भारतीय वन्यजीव मण्डल की राय प्राप्त करने हेतु भेजे गये। साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर के पत्र दिनांक 20.02.2003 द्वारा 3.98 है. वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव शासन सचिव, वन-विभाग, राज., जयपुर को प्रेषित किये गये।
2. दिनांक 9 अगस्त, 2004 को पर्यावरण भवन, नई-दिल्ली में आयोजित बैठक में माननीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा किये गये निर्देशों के क्रम में सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत 2.81 है. वनभूमि प्रत्यावर्तन के वैकल्पिक प्रस्ताव अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज. जयपुर के पत्र दिनांक 23.08.2004 द्वारा माननीय वन एवं

पर्यावरण राज्यमंत्री को प्रस्तुत करने एवं नेशनल बोर्ड फार वाइल्ड लाइफ सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किये गये।

3. भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.07.2005 द्वारा पुनः मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज. जयपुर को संशोधित प्रस्ताव करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा दिनांक 29.07.2005 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रस्तावों में कुछ कमियों के पाये जाने पर दिनांक 03.08.2005 को मूल प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षक, एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सवाई-माधोपुर को प्रेषित कर उन्हें कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देश दिए गए। वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक द्वारा दिनांक 14.09.2005 को प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र दिनांक 16.09.2005 द्वारा प्रस्ताव दिनांक 24.10.2005 को भारत सरकार को भेजे गये हैं।

बूंदी जिले के गरीब तबके के परिवारों की सहायता हेतु निर्धारित लक्ष्य

341. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गरीबों, विकलांगों, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों, बी.पी.एल परिवारों एवं अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की सहायता हेतु कितनी प्रकार की केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं? क्या उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लोगों के लिए सरकार ने बूंदी जिले के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये थे? यदि हां, तो क्या लक्ष्य पूरे हो गये व यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बूंदी की विभिन्न तहसीलों में इन विभिन्न योजनान्तर्गत गत दो वर्षों में (दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2006 तक) कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) केन्द्र व राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनान्तर्गत कितने प्रार्थना पत्र कब से विचाराधीन है? उन पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में गरीबों, विकलांगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित

(समाज कल्याण मंत्री)
जनजाति वर्गों, बी.पी.एल. परिवारों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों एवं अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की सहायता हेतु केन्द्र व राज्य सरकार प्रवर्तित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट ''अ'' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

उक्त में से जिन योजनाओं में बून्दी जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उनकी प्राप्तियां परिशिष्ट ''ब'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गत वर्षों में तहसीलवार लाभान्वितों की सूचना परिशिष्ट ''स'' पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) विभिन्न योजनान्तर्गत लम्बित प्रार्थना पत्रों का विवरण परिशिष्ट ''द'' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीडूंगरगढ़ में विधायक अभिशंसित कार्य

342. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ की तीस पंचायतें तथा नगरपालिका क्षेत्र डूंगरगढ़ एवं सुजानगढ़ तहसील की 13 पंचायतें व नगरपालिका क्षेत्र बीदासर में गत 7 वर्षों में स्थानीय विधायक विकास कोष से कितने कार्य स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने अपूर्ण हैं तथा कितने प्रारम्भ नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों के अपूर्ण एवं प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण रहे?

(4) क्या सरकार अपूर्ण एवं प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(5) क्या सरकार जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण कार्य सम्पन्न नहीं हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ की तीस पंचायतें तथा नगर पालिका क्षेत्र डूंगरगढ़ एवं सुजानगढ़ तहसील की 13

(ग्रामीण विकास मंत्री)
पंचायतें व नगर पालिका क्षेत्र बीदासर में गत 7 वर्षों में स्थानीय विधायक विकास कोष से 187 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर अवलोकनीय है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ की गई है।

(2) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में वर्ष 1998-99 से वर्ष 2004-05 तक स्वीकृत कुल 187 कार्यों में से 185 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, मात्र 01 कार्य प्रगतिरत तथा 01 कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिनका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर अवलोकनीय है।

(3) उक्त 01 प्रगतिरत कार्य एवं 01 कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण परिशिष्ट ''ब'' के कालम संख्या 11 पर अवलोकनीय है।

(4) एक कार्य बीटी रोड़ हाजी अब्दुल लतीफ से उत्तर में वाया इमामबाडा इस्लामिया मदरसा बीदासर प्रगतिरत है, यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

द्वितीय कार्य जिसमें प्राथमिक स्वा. केन्द्र मोमासर में एक्स–रे मशीन खरीदी जानी थी लेकिन अस्पताल में सहायक रेडियोग्राफर का पद सृजित नहीं होने के कारण मशीन क्रय नहीं की गई। वर्तमान में यह कार्य पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी नहीं। क्योंकि 01 कार्य अभी प्रगतिरत है, 01 कार्य जो प्रारम्भ नहीं हुआ है, में एक्स-रे मशीन जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बीकानेर द्वारा क्रय की जानी थी, को तकनीकी स्टाफ स्वीकृत न होने के कारण मशीन को क्रय नहीं किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य क्रिकेट एसोसिऐशन को भारत-पाक मैच से आय

343. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भारत-पाक क्रिकेट मैच से वर्ष 2005 में खेल परिषद् को कितनी आय किस-किस मद में हुई?

(2) राज्य क्रिकेट एसोसियेशन के उक्त मैच में कितने रुपयों के टिकटों की बिक्री हुई एवं विज्ञापनों आदि से कितनी आय हुई। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2005 में भारत पाक के मध्य कोई क्रिकेट मैच राजस्थान में नहीं खेला गया है। अतः सूचना ''शून्य'' है।

(2) वर्ष 2005 में भारत पाक के मध्य कोई क्रिकेट मैच राजस्थान में नहीं खेला गया है। अतः सूचना ''शून्य'' है।

छोटी सादड़ी एवं निम्बाहेड़ा में केरोसीन वितरण

344. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति छोटी सादडी एवं निम्बाहेड़ा के ग्रामों में वर्तमान में केरोसिन वितरण हेतु क्या व्यवस्था है?

(2) क्या सरकार राशन कार्डों की कुल संख्या के अनुपात में केरोसिन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति छोटी सादडी के गांवों में 41 उचित मूल्य दुकानदारों तथा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के गांवों में 46 उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से केरोसीन का वितरण कराया जा रहा है। दोनों पंचायत समितियों के उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार यथा डी.बी.सी. गैस कनेक्शनधारक को शून्य, एस.बी.सी. गैस कनेक्शनधारक को 2 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह एवं शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध केरोसीन समानुपातिक मात्रा में उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। जो औसतन 3-4 लीटर प्रतिमाह आता है।

(2) राज्य को भारत सरकार पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त केरोसीन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिलों में उप आबंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा एस.बी.सी. गैस कनेक्शनधारियों को 2 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह एवं शेष सामान्य राशन कार्डधारियों को 5 लीटर प्रतिमाह केरोसीन उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार से राज्य को प्राप्त वर्तमान आबंटन (42717 के.एल. प्रतिमाह) को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य का आबंटन बढ़ने की स्थिति में जिलों का आबंटन समानुपातिक मात्रा में बढ़ाना संभव होगा।

भीलवाड़ा में नवीन थानों की स्थापना

345. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में औद्योगिक फैलाव को मद्देनजर रखते हुए उप नगर पुर व कोतवाली थाना क्षेत्र में नये थाने गठित करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही नये थाने खोले जाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकेगा।

राजसमन्द, अलवर एवं बिजोलिया क्षेत्रों की खनन लीज आबंटन में व्याप्त अनियमितताएं

346. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द अलवर एवं बिजोलिया में मार्बल व सेण्ड स्टोन के खनिज क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन क्षेत्रों में खनन स्वीकृत करने पर स्थगन आदेश जारी किये गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त खानें उस समय की सरकारी कम्पनी आर.एस.एम.डी.सी. को स्थगन के उपरान्त आबंटित की गई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त आबंटन रद्द कर यही क्षेत्र स्थगन आदेश के उपरान्त भी अन्य व्यक्तियों को आबंटित कर दिया गया? यदि हां, तो यह क्षेत्र किन्हें आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में ग्राम केलवाख निझरनाख तलाई में डेलिनेशन किया जाकर खनिज मार्बल के खनन पट्टा अनुदान बाबत आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये विज्ञप्ति दिनांक 7.11.1981 को जारी की गई थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 2016/81 राजेन्द्र सिंह मेहता बनाम सरकार के अन्तर्गत आदेश दिनांक 13.1.1982 से इन क्षेत्रों पर अन्य व्यक्तियों को खनन पट्टा स्वीकृत नहीं करने के आशय का स्थगन आदेश जारी किया था जो दिनांक 16.6.1986 को याचिका निर्णय होने से vacate हो गया था।

अलवर जिले के ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील थानागाजी में श्रीमती कुतिदेवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा खनिज मार्बल हेतु प्रस्तुत खनन पट्टा आवेदन पत्र संख्या एम.एल. 164/02 के लिये जिला कलक्टर, अलवर द्वारा चारागाह भूमि का अनापति प्रमाणपत्र जारी किया था परन्तु माननीय

(खनिज मंत्री)

उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 7691/04 लेहरी बनाम राज्य के प्रकरण में आदेश दिनांक 27.7.2004 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जो वर्तमान में प्रभावशील है।

बिजोलिया में खातेदारी भूमि में खनिज सेण्डस्टोन के क्वारी लाइसेन्स स्वीकृत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.4.1991 को अधिसूचना जारी कर नीति बनाई थी परन्तु उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या 1814/91 उपरमाल पर्यावरण समिति बिजोलिया बनाम राज्य के प्रकरण में आदेश दिनांक 12.4.1991 से स्थगनादेश पारित किये जो याचिका के निर्णय दिनांक 21.5.1996 के बाद प्रभावी नहीं रहे।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में आर.एस.एम.डी.सी. को खनन पट्टे जारी नहीं किये गये। मात्र राजसमन्द क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से विभागीय एजेन्ट के रूप में आर.एस.एम.डी.सी. को नीये दर्शाये अनुसार खनन कार्य करने की अनुमति दी गई :-

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल प्लाटों की संख्या	आदेश दिनांक
1	निझरना	61	12.12.1984
2	नई परवती	5	30.7.1983
3	नई परवती	3	19.11.1984

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2016/81 राजेन्द्रसिंह मेहता बनाम सरकार में पारित स्थगन आदेश दिनांक 13.1.1982 के दौरान कुल 8 खान पट्टे स्वीकृत किये गये जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट –1

खनिज मार्बल निजरना क्ष्ोत्र के मास्टर प्लान के अनुसार डेलिनियेटेड प्लोटो पर स्थगन के दौरान स्वीकृत खनन पट्टो का विवरण

क्र. सं.	डेलिनियेटेड प्लेट संख्या	एम.एल. नम्बर	प्लाट पर प्रथम स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक	नाम आबंटी
1	46 आंशिक	13/84	923/5.10.1984	श्री परश राम पिता श्री गणेश भांड

क्र. सं.	डेलिनियेटेड प्लोट संख्या	एम.एल. नम्बर	प्लाट पर प्रथम स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक	नाम आबंटी
2		59/82	4029/26.10.1983	श्री किरण कुमार पिता श्री नेमी चन्द्र बापना
3	53 आंशिक	303/83, 307/83, 13/84	खान/ग्रुप– 2/83, दिनांक 7.6.1984 खान/ग्रुप-2/83, दिनांक 5.10.1984 खान/ग्रुप-2/923, दिनांक 5.10.1984	श्री समपत लाल बोहरा श्री पुखराज बोहरा श्री परश राम भांड
4	54 आंशिक	184/84, 303/83, 13/84	5899/11.07.1984 खान/ग्रुप-2/83, दिनांक 7.6.1984, 923/5.10.1984	श्री जयसिंह पिता श्री भगवान सिंह श्री समपत लाल बोहरा, श्री परश राम भांड
5	60 आंशिक	307/83, 306/83, 302/83	खान/ग्रुप-2/83, दिनांक 7.6.1984 खान/ग्रुप-2/84, दिनांक 7.6.1984 खान/ग्रुप-2/83, दिनांक 7.6.1984	श्री समपत लाल बोहरा श्री मोहन लाल मादरेचा श्री भेरूलाल बोहरा
6	61 आंशिक	305/83 302/83	खान/ग्रुप-2/83, दिनांक 26.05.1984 खान/ग्रुप-2/83, दिनांक 7.6.1984	श्री उम्मेदमल जैन श्री भैरूलाल बोहरा

बाली के छात्रावासों में नियुक्त कर्मियों का स्थाईकरण

347. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के छात्रावासों में रसोइया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर कौन-कौन कर्मचारी कब से स्थायी/अस्थायी रूप से कार्यरत है? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त में से अधिकांश को आज तक स्थाई नियुक्ति व नियमानुसार आर्थिक लाभ नहीं दिये गये? यदि हां, तो किन-किन को कब से व क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अस्थाई रसोइयों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पक्ष में स्थाई नियुक्ति बाबत माननीय न्यायालयों ने आदेश/फैसले पारित किये हैं? यदि हां, तो आदेश/फैसलों की प्रतियां व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरणों में माननीय न्यायालयों के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करने पर कोर्ट आफ कन्टेम्प्ट भी जारी हुए हैं? यदि हां, तो माननीय न्यायालय से प्राप्त ऐसे आदेशों की प्रतियां भी सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी इन रसोइयों, कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति हेतु वर्ष 2003 से जनवरी, 2006 तक सरकार को पत्र प्रेषित किये गये हैं? यदि हां, तो पत्रों की प्रतियां मय अनुसंलग्नक व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार माननीय न्यायालयों के आदेशों की पालना करते हुए इन रसोइयों व कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति व नियमानुसार आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में विभाग के संचालित 4 छात्रावासों में 12 व्यक्ति नियमित/अंशकालीन रूप से रसोइया/चौकीदार के पदों पर कार्यरत हैं। छात्रावासवार सूचना परिशिष्ट '1' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त में से तीन रसोइयां अंशकालीन रूप से कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट '1' में उपलब्ध है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) अंशकालीन रसोइयों में से श्रीमती जन्नूबाई एवं श्री तोलाराम के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा क्रमश: याचिका संख्या 641/2000 एवं 2597/03 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2000 व 30.07.2003 की पालना में विभाग ने आदेश दिनांक 15.03.2005 व 30.01.04 जारी किये। इन निर्णयों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट 2, 6 व विभागीय आदेश की प्रति क्रमश: परिशिष्ट 3 व 7 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 641/2000 में अवमानना नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब विभाग द्वारा दिनांक 16.08.2005 को दिया गया व उक्त अवमानना याचिका दिनांक 10.11.2005 को विभाग के पक्ष में खारिज कर दी गई। निर्णय की प्रति परिशिष्ट ''4'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। माननीय क्षेत्रीय विधायक द्वारा एक पत्र दिनांक 5.5.2005 को दिया गया, जिसकी अनुलग्नों सहित प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट '5' रख दी गई है। चूंकि विभाग द्वारा दिनांक 15.3.2005 को ही अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी थी, अत: इस पत्र पर इस कार्यवाही की पुनरावृत्ति नहीं की गई।

(6) माननीय न्यायालय के आदेश की नियमानुसार पालना की जा चुकी है।

(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

समरानियां ग्राम पंचायत (बारां) में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

348. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां की कितनी-कितनी ग्राम पंचायतों के सरपंच व ग्राम सेवकों के विरुद्ध गत एक वर्ष में पद के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों की जांच की गई? यदि हां, तो किन-किन सरपंचों व ग्राम सेवकों को दोषी पाया गया एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति शाहाबाद की ग्राम पंचायत समरानियां में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं व जांच में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) बारां जिले में विगत एक वर्ष में 15 सरपंचों एवं 4 ग्राम सेवकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत समरानियां की जांच करवायी गयी, जिसमें सरपंच एवं ग्राम सेवक को दोषी पाया गया। सरपंच के विरुद्ध धारा 38 के तहत कार्यवाही हेतु जांच रिपोर्ट संभागीय आयुक्त, कोटा को भिजवा दी गयी है। जो अभी संभागीय आयुक्त स्तर पर विचाराधीन है। इसी प्रकरण में ग्राम सेवक को निलंबित किया जा चुका है। शेष शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है।

(3) ग्राम पंचायत समरानियां पंचायत समिति शाहाबाद के खिलाफ निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

1. विधायक कोष से स्वीकृत कार्य निर्माण सी.सी. रोड मस्जिद से किराड धर्मशाला तक राशि 2.00 लाख का कार्य वर्ष 2004-05 में स्वीकृत किया गया। कुछ कार्य किया गया वह भी मापदण्डों के अनुरूप नहीं है।
2. ग्राम पंचायत समरानियां का ऊपरी भाग किराये पर देने व किराये पेटे की राशि 20,000/- रु. सरपंच को वापस निर्माण कार्य पेटे दी गई, जिसका कार्य नहीं कराकर पंचायत कोष में भी जमा नहीं कराई गई।
3. हाट बाजार की ठेका राशि 15000/- रु. केशबुक में जमा न कर सरपंच ने ठेकेदार से लेटरपैड पर प्राप्त कर लिया।
4. दुकानों का किराया ग्राम पंचायत में जमा नहीं कराना।
5. आंगन बाड़ी भवन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया।

सरपंच के विरुद्ध राज. पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण सम्भागीय आयुक्त कोटा को भेज दिया गया तथा ग्राम सेवक को निलम्बित कर दिया गया है।

परिशिष्ट ''अ''

बारां जिले में विगत एक वर्ष में सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	नाम सरपंच	शिकायत की प्रकृति	जांच अधिकारी	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक	वि.अ. को जांच हेतु कब लिखा	जांच का परिणाम
1	बारां	तिसाया	श्री ओमप्रकाश चौबदार	पद का दुरुपयोग	वि.अ. बारां	30.1.2006		जांच रिपोर्ट अप्राप्त
2	बारां	कलमंडा	श्री निरंजन शर्मा	पद का दुरुपयोग	वि.अ. बारां	5.12.2005	2089/6.12.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
3	अन्ता	बमोरीकलां	श्री शैलेश कुवंर	पद का दुरुपयोग	वि.अ. अन्ता	20.8.2005	1649/22.8.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
4	अन्ता	पलायथा	श्री महेश गौतम	पद का दुरुपयोग	वि.अ. अन्ता	17.11.2005	2075/30.11.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
5	किशनगंज	बासंथुनी	श्रीमती रोशन बाई	पद का दुरुपयोग	वि.अ. किशनगंज	23.8.2005	1737/8.9.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
6	किशनगंज	पीपलदाकलां	श्रीमती गंगा बाई	पद का दुरुपयोग	वि.अ. किशनगंज	23.8.2005	1241/16.6.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
7	शाहाबाद	मामानी मुंडियन	श्री मथुरालाल	पद का दुरुपयोग	वि.अ. शाहाबाद	22.6.2005	1283/2.3.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
8	शाहाबाद	कस्बा थाना	श्री विनोद खटीक	पद का दुरुपयोग	वि.अ. शाहाबाद	28.5.2005	1306/11.7.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
9	शाहाबाद	समरानियां	श्री रामकिशन सहरिया	भ्रष्टाचार एवं पद का दुरुपयोग	परियोजना अधिकारी बारां	12.12.2005		सरपंच को दोषी पाया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	छबड़ा	भूलोन	श्री नन्दकिशोर शर्मा	पद का दुरुपयोग	वि.अ. छबडा	15.9.2005		जांच रिपोर्ट अप्राप्त
11	छीपाबड़ौद	देवरीजोध	श्रीमती रंगरेयर बाई	पद का दुरुपयोग	वि.अ. छीपाबडौद	6.12.2005	2872/1.2.2006	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
12	छीपाबडौद	अजनावर	श्रीमती संतोष कुमारी	पद का दुरुपयोग	वि.अ. छीपाबडौद	28.11.2005	2881/2.2.2006	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
13	छीपाबडौद	छीपाबडौद	श्री अर्जुन सोनी	पद का दुरुपयोग	वि.अ. छीपाबडौद	9.3.2005	1151/24.5.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
14	अटरू	अन्ताना	श्री अशोक कुमार मीणा	पद का दुरुपयोग	वि.अ. अटरू	18.11.2005	2519/31.12.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
15	अटरू	छजावा	श्री जगदीश ऐरवाल	पद का दुरुपयोग	वि.अ. अटरू	25.9.2005	2046/27.9.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त

बारां जिले में विगत एक वर्ष में ग्रामसेवकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	नाम ग्राम सेवक	शिकायत की प्रकृति	जांच अधिकारी	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक	वि.अ. को जांच हेतु कब लिखा	जांच का परिणाम
1	बारां	तिसाया	श्री चन्दालाल	पद का दुरुपयोग	बारां	30.1.2005	1225/8.6.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
2	अन्ता	पाटून्दा	श्री सुरेश मेघवाल	पद का दुरुपयोग	अन्ता	17.8.2005	1687/24.8.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
3	अन्ता	बडगांव	श्री प्रेमजी धाकड़	पद का दुरुपयोग	अन्ता	19.9.2005	2076/30.9.2005	जांच रिपोर्ट अप्राप्त
4	शाहाबाद	समरानियां	श्री विष्णु प्रसाद गोढनिया	भ्रष्टाचार एवं पद का दुरुपयोग	परियोजना अधिकारी बारां	12.12.2005		ग्राम सेवक को दोषी पाया गया।

जयपुर-हिण्डौन मार्ग पर स्टेट कैरिज परमिट प्राप्त वाहनों द्वारा कर चोरी

349. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-हिण्डौन मार्ग पर स्टेज कैरिज परमिट प्राप्त बसें संचालित है? यदि हां, तो इन बसों की संख्या कितनी है व इनमें एकल सेवा की कितनी व वापसी सेवा की कितनी हैं? इन बसों का मार्ग कहां-कहां से होकर है? क्या इस मार्ग में सिकन्दरा, बालाजी, महुआ मार्ग सम्मिलित है?

(2) क्या यह सही है कि ये बसें अपने निर्धारित मार्ग से न होकर जयपुर-महुआ-हिण्डौन राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अवैध चल रही हैं?

(3) क्या यह सही है कि ये सभी बसें एकल सेवा लेकर प्रतिदिन वापसी चक्कर लगाकर राज्य सरकार के टैक्स की चोरी कर रही हैं?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर-हिण्डौन मार्ग पर स्टेज कैरिज बसें संचालित हैं जिनमें निजी बसों की संख्या 18 है। इन सभी बसों को 1 एकल सेवा की समय-सारणी स्वीकृत है। किसी भी बस को वापसी सेवा प्रदत्त नहीं है। वस्तुतः इस मार्ग में 3 अराष्ट्रीयकृत मार्ग शामिल हैं जिनमें पहला जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास स्थित बजरी मण्डी से दौसा, दूसरा मार्ग दौसा से गुढाचन्द्रजी एवं तीसरा गुढ़ाचन्द्रजी से हिण्डौन है। इन मार्गों में सिकन्दरा, बालाजी, महुआ मार्ग सम्मिलित नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त परिवहन निगम द्वारा भी जयपुर-हिण्डौन मार्ग पर दैनिक 16 बसों से 32 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं जिनमें 10 परिचक्र एकल बस सेवा के रूप में तथा 22 एकल परिचक्र वापसी सेवा के रूप में संचालित हैं। इस मार्ग में सिकन्दरा-बालाजी-महुआ मार्ग भी सम्मिलित हैं।

(2) जी नहीं। यह सभी बसें अपने निर्धारित मार्ग से होकर संचालित हैं। यदि चैकिंग के दौरान यह बसें अपने निर्धारित मार्ग पर चलती हुई नहीं पाई जाती हैं तो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) इस मार्ग की बसें जारी समय-सारणी के अनुसार ही संचालित हैं। यदि स्वीकृत समय-सारणी से अन्य समय पर चलती पायी जाती हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

कोटा जिले हेतु आबंटित केरोसिन

350. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा का केरोसिन का कोटा लगातार कम होता जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण जिले में मजदूर व किसान वर्ग को समय पर पर्याप्त केरोसिन नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार जिला कोटा का केरोसिन का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि कोटा जिले में केरोसिन का कोटा कम हुआ है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त आबंटन के अनुसार सभी जिलों को एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आबंटन किया जाता है जिसके अन्तर्गत डी.बी.सी. कनेक्शन राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को शून्य, सिंगल गैस कनेक्शन राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को 2 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एवं शेष सामान्य राशनकार्डधारियों को उपलब्ध केरोसीन आबंटन की समानुपातिक आधार पर केरोसीन का जिलों को आबंटन किया जाता है। राशनकार्ड व एस.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी/डी.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी के आधार पर एवं राज्य को प्राप्त आबंटन के अनुसार सभी जिलों में समानुपातिक मात्रा में आबंटन किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रक्रियानुसार कोटा जिले को माह जनवरी, 2005 से फरवरी, 06 तक किया गया आबंटन का विस्तृत विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।)

(2) यह सही नहीं है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर व किसान वर्ग को समय पर पर्याप्त केरोसीन नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार इस संबंध में प्रयासशील है कि राज्य के सभी उपभोक्ताओं को यथा डी.बी.सी. गैस कनेक्शनधारी को शून्य, सिंगल गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को 2 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एवं शेष सामान्य राशनकार्डधारियों को 5 लीटर केरोसीन प्रतिमाह उपलब्ध हो सके। लेकिन वर्तमान में राज्य को 42717 के.एल. केरोसीन का आबंटन प्राप्त हो रहा है जो उपरोक्तानुसार आवश्यक मात्रा (50460 के.एल. प्रतिमाह) की अपेक्षा 7743 के.एल. प्रतिमाह कम है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

उपरोक्त आधार पर आबंटन प्राप्त करने के संबंध में सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं एवं मांग के अनुरूप केरोसीन आबंटन प्राप्त होने पर जिलों में समानुपातिक मात्रा में स्वत: ही आबंटन बढ़ाया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

(मात्रा के.एल. से)

क्र.सं.	**नाम माह**	**आबंटित मात्रा**
1	जनवरी, 2005	1245
2	फरवरी, 2005	1302
3	मार्च, 2005	1302
4	अप्रैल,2005	1143
5	मई, 2005	1152
6	जून, 2005	1152
7	जुलाई, 2005	1152
8	अगस्त, 2005	1035
9	सितम्बर, 2005	1035
10	अक्टूबर, 2005	1152
11	नवम्बर, 2005	1044
12	दिसम्बर, 2005	1044
	कुल योग	**13758**
1	जनवरी, 2006	1092
2	फरवरी, 2006	1044

भादरा में मुल्जिमों को छुड़ाने के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण

351. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28 जनवरी, 2006 को हनुमानगढ़

(डा. सुरेश चौधरी)

जिले के नौहर कारागृह से कुछ कैदियों को धौलपुर पेशी पर ले जाते समय विधान सभा क्षेत्र भादरा में कुछ हमलावरों ने कैदियों को छुड़ाने का प्रयास किया? यदि हां, तो इस मुठभेड़ में हमलावरों, कैदियों व पुलिस दल में से कितने व्यक्ति मारे गये व कितने घायल हुये? मारे गये व्यक्ति हमलावारों की गोली से मरे या पुलिस की गोली से? मारे गये व्यक्तियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घायल व्यक्तियों की चोट प्रतिवेदन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में किसी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी? यदि हां, तो क्या हमलावरों में से किसी को अब तक गिरफ्तार किया गया या उनके बारे में पता चला? यदि हां, तो प्राथमिकी रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कैदियों को नोहर उप कारागृह से धौलपुर ले जाते समय कौन-कौन पुलिसकर्मी/पुलिस अधिकारी कितने बजे नोहर कारागृह से रवाना हुये तथा नोहर कारागृह से घटनास्थल कितना दूर था व घटना कितने बजे घटित हुई?

(4) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस के अलावा अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी से जांच करवाई गई? यदि हां, तो किससे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दो कैदी मारे गये एवं एक कांस्टेबल घायल हुआ। कैदी पुलिस की गोली से मरे व हमलावरों की, यह अभी तक निश्चय नहीं हो सका है। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (परिशिष्ट ''क'' व ''ख'') एवं घायल का चोट प्रतिवेदन (परिशिष्ट ''ग'') सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। हमलावारों का अभी तक पता नहीं चल सकता है एवं अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एफ.आई.आर. की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट ''घ'')

(3) नोहर उप कारागृह से बन्दियों को धौलपुर पेशी के लिए डा. नितिन दीप बलग्गन, आईपीएस, सहायक पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ के नेतृत्व में श्री रणजीतसिंह उ.नि. लालचन्द हैडकानि. 04, श्री श्रवणकुमार कानि. 994, सुखराम कानि. 1156, भूपसिंह कानि. 654 व श्री आत्माराम कानि. ड्राईवर 405 द्वारा दिनांक 28.1.2006 को वक्त 6.10 पीएम पर उप

(गृह मंत्री)

कारागृह नोहर से दोनों बन्दियों को हासिल कर वक्त 7 पीएम पर उप कारागृह से रवाना हुये थे। नोहर उप कारागृह से घटना स्थल (मुठभेड स्थल) करीब 85 किलोमीटर दूर है। करीब 11.00 पीएम पर यह मुठभेड़ की घटना घटित हुई।

(4) जी हां। एस.डी.एम. भादरा द्वारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन जांच की जा रही है। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(प्रतिवेदन/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतिभाशाली/पदक प्राप्त खिलाड़ियों द्वारा नवयुवकों को प्रशिक्षण हेतु सहायता

690. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या युवा एवं खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सही है कि ओलम्पिक एवं एशियाड़ खेलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर देश एवं प्रदेश का गौरव बढाया है? यदि हां, तो उनके नामों की सूची मय खेल व पदक तथा जिले के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तीरन्दाजी प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर कोई सम्माजनक रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्माजनक रोजगार तथा खेल के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रतिभाशाली योग्य खिलाड़ियों का उपयोग प्रदेश में अच्छे खिलाड़ी तैयार करने में, करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। खिलाड़ियों के नामों की सूची मय खेल व पदक परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1996 में तीरन्दाज श्री धनेश्वर मईडा एवं श्री धूलचन्द डामोर को क्रीड़ा परिषद में प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति दी गई थी। किन्तु श्री धूलचन्द डामोर ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

इस वर्ष प्रदेश के तीरन्दाज श्री श्यामलाल एवं श्री सुरेश खडिया को क्रीड़ा परिषद में अनुबन्ध पर तीरन्दाजी प्रशिक्षक के पद पर 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्य हेतु लगाया गया है।

(3) जी हां। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार के लिए राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान वर्ष 1997 में किया गया है।

(युवा एवं खेल कूद मंत्री)

क्रीड़ा परिषद्र द्वारा आधुनिक खेल उपकरणों द्वारा नि:शुल्क प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जाता है।

(4) जी हां।

परिशिष्ट 'क'

जन सम्पर्क शाखा द्वारा समाचार पत्रों की कतरनों के आधार पर तैयार ओलम्पिक एवं एशियाड़ की विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य के पदक विजेता खिलड़ियों की सूची

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल	वर्ष	प्रतियोगिता का नाम	पदक
1.	श्री राज्यवर्धन सिंह	निशानेबाजी	2004	ओलम्पिक एथेन्स	रजत
2.	कुं. डेवन पोर्ट	एथलेटिक्स	1962	एशियाड़ जकार्ता	कांस्य
3.	श्री श्रीराम सिंह	एथलेटिक्स	1970	एशियाड़ बैंकाक	रजत
			1974	एशियाड़ तेहरान	स्वर्ण
			1978	एशियाड़ बैंकाक	स्वर्ण व रजत
4.	श्री गोपाल सैनी	एथलेटिक्स	1970	एशियाड़ बैंकाक	रजत
			1982	एशियाड़ दिल्ली	रजत
5.	श्रीमती हमीदा बानो	एथलेटिक्स	1982	एशियाड़ दिल्ली	रजत
6.	श्री करण सिंह	एथलेटिक्स	1951	एशियाड़ दिल्ली	स्वर्ण
7.	श्री राजकुमार अहलावत	एथलेटिक्स	1982	एशियाड़ दिल्ली	कांस्य
8.	श्री दीनाराम	एथलेटिक्स	1990	एशियाड़ बीजिंग	रजत
9.	श्री दिनेश चतुर्वेदी	बास्केटबाल	1982	एशियाड़ दिल्ली	रजत
10.	श्री अशोक कुमार सिंह	हाकी	1970	एशियाड़ बैंकाक	रजत
			1974	एशियाड़ तेहरान	रजत
			1978	एशियाड़ बैंकाक	रजत
11.	श्रीमती वर्षा सोनी	महिला हाकी	1982	एशियाड़ दिल्ली	स्वर्ण
12.	श्रीमती गंगोत्री भण्डारी	महिला हाकी	1982	एशियाड़ दिल्ली	स्वर्ण

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल	वर्ष	प्रतियोगिता का नाम	पदक
13.	श्री मानसिंह	निशानेबाजी	1998	एशियाड़ बैंकाक	कांस्य
14.	श्री कासम खान	नौकायान	1998	एशियाड़ बैंकाक	कांस्य
15.	श्री बीरबल सिंह	नौकायान	1998	एशियाड़ बैंकाक	कांस्य
16.	श्री विशाल सिंह	घुड़सवारी	1982	एशियाड़ दिल्ली	स्वर्ण
17.	श्री रघुवीर सिंह	घुड़सवारी	1982	एशियाड़ दिल्ली	स्वर्ण
18.	कै. गुलाम मोहम्मद खान	घुड़सवारी	1982	एशियाड़ दिल्ली	दो स्वर्ण
19.	श्री प्रहलाद सिंह	घुड़सवारी	1982	एशियाड़ दिल्ली	कांस्य
20.	श्री भागीरथ सिंह	घुड़सवारी	2002	एशियाड़ बुसान	कांस्य
21.	श्री लक्ष्मण सिंह	गोल्फ	1982	एशियाड़ दिल्ली	दो स्वर्ण
22.	श्री जगदीश	कबड्डी	2002	एशियाड़ बुसान	स्वर्ण
23.	श्री दिनेश कुमार	कबड्डी	2002	एशियाड़ बुसान	स्वर्ण

निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) में फुटबाल खेल को प्रोत्साहन हेतु स्टेडियम में आवश्यक सुविधाएं

691. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या युवा एवं खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार खेलों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर सहयोग एवं स्टेडियम निर्माण कराती है? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2003-04 से अब तक क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में फुटबाल खेल को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्टेडियम के विकास का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 2 बड़ी सादड़ी में खेल मैदान निर्माण हेतु वर्ष 2003-04

में राशि रु. 10,000/- जारी की गई तथा जिला मुख्यालय पर सीमेन्टेड क्रिकेट पिच का निर्माण एवं खेल मैदान मरम्मत हेतु 20,000/- रु. खेल अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जारी किये गये।

चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2003-04 में पंचायत समिति/जिला स्तर पर ग्रामीण, जनजाति तथा महिला खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई एवं जिला मुख्यालय पर ग्रीष्मावकाश में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसी के साथ-साथ वर्ष 2005 में जिला स्तर पर परम्परागत खेलों का आयोजन भी किया गया। साथ ही 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाकर हाकी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

(2) जी नहीं। स्टेडियम निर्माण की योजना केवल जिला मुख्यालयों पर ही है।

गंगरार में प्रस्तावित खेल स्टेडियम

692. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या युवा एवं खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में वर्तमान में कितने स्टेडियम हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राशमी, गंगरार, पहुना एवं बूढ़ में खेलों के विकास हेतु स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कोई स्टेडियम स्थापित नहीं है।

(2) जी नहीं। स्टेडियम निर्माण की योजना केवल जिला मुख्यालयों पर ही है।

राजीव गांधी स्टेडियम, हनुमानगढ़ का विस्तार

693. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या युवा एवं खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ स्थित राजीव गांधी स्टेडियम के विस्तार का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(चौधरी विनोद कुमार)

(2) जिला स्तर पर विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार की क्या नीति है एवं इस हेतु कितना वित्तीय प्रावधान रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण जिला कलक्टर हनुमानगढ़ से पूर्ण सूचना के साथ प्रस्ताव चाहे गये हैं।

(2) जिला स्तर पर विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जिला मुख्यालयों पर जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक नियुक्त किये हुए हैं। जिनके द्वारा वर्षपर्यन्त निःशुल्क एवं खेल उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। ग्रीष्मावकाश में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर चयनित खेलों में क्रीड़ा परिषद एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों द्वारा निःशुल्क गहन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है।

जिला स्तर पर विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन व अन्य व्यय मदों हेतु वर्ष 2005-06 के लिए क्रीड़ा परिषद् को आयोजना भिन्न मद में कुल 528.00 लाख रु. का प्रावधान इसी प्रकार आयोजना मद के राजस्व मद में रु. 99.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

राज्य में स्वर्ण धातु के खनन से अनुमानित आय

694. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा गत दो वर्षों में महत्वूपर्ण खनिजों का सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किसने किया तथा कहां-कहां धातुओं के मिलने की संभावना प्रकट हुई?

(2) क्या यह सही है कि सर्वेक्षण में सोने के भण्डार भी मिले हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या सरकार द्वारा इन धातुओं के खनन होने पर राज्य में होने वाली आय का अनुमान लगाया गया है? यदि हां, तो कितनी आय होने की संभावना है?

(4) क्या सरकार ने किसी को इन धातुओं के खनन की मंजूरी दी है? यदि हां, तो किसको व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा राज्य में खनिजों की खोज हेतु गत 2 वर्षों में खनिज सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य किया गया है। इस कार्य के दौरान निम्नानुसार धातुओं के मिलने की सम्भावना प्रकट हुई है।

धातु	स्थान जहां धातु के मिलने की सम्भावना प्रकट की गई	
तांबा	1	अजमेर जिले के श्रीनगर क्षेत्र में किये जा रहे पूर्वेक्षण कार्य के परिणाम स्वरूप बोरहोल नं. 5 में 159 से 160 मीटर की गहराई पर 1 मीटर मोटी पट्टी में 1.50 % ताम्र धातु एवं 193 से 207 मीटर की गहराई पर 14 मीटर मोटी पट्टी में 1.9 प्रतिशत ताम्र धातु पाई गई है।
	2	अजमेर जिले के नलु व मुन्डोली क्षेत्र में एकत्रित नमूनों में 87 पी.पी.एम. से 1.63 प्रतिशत ताम्र धातु के संकेत पाये गये हैं।
	3	अजमेर जिले के तांतिया, श्रीनगर क्षेत्र में 0.35 से 5.8 प्रतिशत टीन धातु के संकेत पाये गये हैं।
	4	भीलवाड़ा जिले के देवतलाई, कांटी व उम्मेदपुरा क्षेत्र से एकत्रित नमूनों में 0.05 प्रतिशत से 8.26 प्रतिशत तक ताम्र धातु के संकेत पाये गये हैं।
स्वर्ण	1	चित्तौड़गढ़ जिले के जोजरों का खेड़ा क्षेत्र से एकत्रित नमूनों में 0.2 ग्राम प्रतिटन तक स्वर्ण धातु पाये जाने के संकेत मिले हैं।
	2	उदयपुर जिले के सई क्षेत्र, तहसील गिर्वा के निकट छिद्रित बोरहोल के नमूनों में 0.569 पीपीएम तक रजत एवं 10.2 पीपीएम. तक स्वर्ण धातु की मात्रा पाई गई है।
टिन/ताम्र/ रजत/स्वर्ण व अन्य	1	अजमेर जिले के काचरिया ग्राम के निकट 1.69 प्रतिशत टिन धातु के संकेत मिले हैं। इसी तरह क्षेत्र से एकत्रित एक नमूने में 2.92 प्रतिशत ताम्र, 14.6 ग्राम प्रतिटन चांदी, 0.13 ग्राम प्रतिटन स्वर्ण एवं 327 ग्राम प्रतिटन कोबाल्ट धातु के संकेत पाये गये हैं।

(खनिज मंत्री)

(2) जी हां। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के दौरान सोना धातु के संकेत निकट ग्राम लई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर एवं निकट ग्राम जोजरों का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ में मिले हैं। इसमें से लई क्षेत्र में अच्छे संकेत नहीं होने से सिद्ध नहीं किया गया तथा जोजरों का खेड़ा में पूर्वेक्षण कार्य वर्ष 2005-06 में जारी है। इस क्षेत्र से एकत्रित नमूनों के रासायनिक विश्लेषण में 0.2 ग्राम प्रतिटन तक सोने की मात्रा पायी गई है।

(3) जी नहीं। सोना व रजत धातुओं के संकेत प्रारम्भिक खोज में प्राप्त हुए है तथा विस्तृत सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त अच्छे संकेत प्राप्त होने पर ही भण्डारों का आंकलन किया जा सकेगा। इसी तरह तांबा, टीन व अन्य धातुओं की जांच भी प्रारंभिक स्तर पर ही की गई है। अभी इनके भण्डारों का आंकलन किया जाना बाकी है। इसलिए राज्य को इनके खनन से होने वाली आय का आंकलन इस स्तर पर किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं। उपरोक्त क्षेत्र में धातु की खोज का कार्य जारी है एवं भण्डार के प्रमाणित होने के उपरान्त ही खनन की मंजूरी देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र चन्दवाजी ग्राम आमेर तहसील में जारी खनन पट्टे

695. **श्री खशुवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खनिज विभाग द्वारा खनन पट्टे जारी करने के क्या नियम हैं? राष्ट्रीय राज मार्ग 08 के आस-पास कितनी दूरी तक खनन पट्टे जारी नहीं किये जा सकते? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम चन्दवाजी तहसील आमेर में राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 से कितनी दूरी पर खनन पट्टे जारी किये गये हैं व उनमें से कितनों में खनन कार्य जारी हैं?

(3) क्या उक्त खनन कार्य नियमानुसार राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 से निर्धारित दूरी पर है? यदि नहीं तो किस अधिकारी द्वारा उक्त खनन पट्टों का आबंटन किया गया? क्या सरकार नियम विरुद्ध खनन आबंटित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(4) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के पास उक्त ग्राम में क्रेसर भी लगे हुए हैं? यदि हां, तो राष्ट्रीय राज मार्ग से कितनी दूरी पर? क्या उक्त क्रेसर नियमानुसार उचित दूरी पर है यदि नहीं तो कब तक उक्त क्रेसरों को हटा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग में खनन पट्टे प्रधान खनिजों के लिए प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 के अन्तर्गत एवं अप्रधान खनिजों के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से अन्य सार्वजनिक स्थलों के भांति, प्रधान खनिज पट्टों अन्तर्गत 50 मीटर के भीतर एवं प्रधान खनिज खनन पट्टों के अन्तर्गत 45 मीटर के भीतर खनन कार्य नहीं किया जा सकता है।

(2) गांव चन्दवाजी तहसील आमेर की राजस्व सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर वर्तमान में कोई भी खनन पट्टा प्रभावशील नहीं है। अत: खनन कार्य जारी नहीं है।

(3) जी नहीं। खनन पट्टे प्रभावशील नहीं होने से खनन कार्य नहीं हो रहा है। अत: कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(4) जी नहीं। उक्त गांव चन्दवाजी की राजस्व सीमा में कोई क्रेशर लगा हुआ नहीं है।

खनिज निदेशक द्वारा आबंटित खानों में व्याप्त अनियमितताएं

696. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

खनिज विभाग के तत्कालीन निदेशक ए.के. सक्सेना के कार्यकाल में राज्य में कितनी खानों का, कहां-कहां, कब-कब व किस-किस के नाम पर आवंटन किया गया और इसके लिऐ क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग के तत्कालीन निदेशक श्री ए.के. सक्सेना के कार्यकाल में निम्नानुसार वृत्तवार खानें आबंटित हुई :-

(खनिज मंत्री)

क्र.सं.	**वृत्त का नाम**	**आबंटित खानें**
1.	उदयपुर	169
2.	भीलवाड़ा	613
3.	कोटा	112
4.	जयपुर	395
5.	भरतपुर	218
6.	जोधपुर	291
7.	बीकानेर	335
	कुल योग :	**2133**

राज्य में आबंटित खानों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इनमें अप्रधान खनिज की खानें राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अन्तर्गत, मार्बल व ग्रेनाईट खनिज की खानें क्रमश: मार्बल पालिसी 2002 व ग्रेनाईट पालिसी 2002 के प्रावधानों के तहत आबंटित की गई है। जबकि प्रधान खनिजों की खानें प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 के प्रावधानों के तहत आबंटित की गई हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बिजौलिया खनन क्षेत्र में अनियमितताओं के लिए दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही

697. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बिजौलिया स्थित स्टोन नैट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में पत्रावली पर 8 दिसम्बर, 2004 को सरकार द्वारा खनिज अभियंता श्री महेश माथुर के निलम्बन आदेश दिए गए थे? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित संबंधित अनियतिता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियंता के विरुद्ध अब तक किन-किन मामलों में जांच की गई और कब-कब कारण बताओ नोटिस दिए गए व कब-कब अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खनि अभियंता को निलंबित करने के कोई आदेश जारी नहीं हुए थे।

(2) एक प्रकरण में श्री महेश माथुर, तत्कालीन खनि अभियंता, बिजौलिया से निदेशालय के पत्र क्रमांक निदे/प.7(1)(6) जांच/2002/168 दिनांक 16.4.2002 द्वारा सांख्यिकी सूचनाएं निदेशालय को समय पर नहीं भिजवाने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री माथुर द्वारा पत्रांक खअ/बिजौ/नि.स./02/287 दिनांक 22.4.2002 द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया। श्री माथुर के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण ड्रोप किया गया। इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी करना व अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला नहीं है।

खनन पट्टाधारियों पर बकाया वसूली हेतु लम्बित प्रकरण

698. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में खनन पट्टों के सम्बन्ध में वर्ष 2005-06 में किस पर कहां-कहां कितनी बकाया है? कितने मामलों में अदालती स्थगन है? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2005-06 से पूर्व का किस पर कितनी राशि बकाया है? मय सूची विवरण सदन की मेज पर रखें। वसूली के लिए वर्ष 2005-2006 में क्या प्रयत्न किए गए कितने मामलों में अदालती कार्यवाही लम्बित है और वसूली पर स्थगन है? विवरण सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में खनन पट्टों को लेकर वर्ष 2005-06 में बकाया का कार्यालयवार सूची, बाकीदार के नाम एवं राशि सहित विवरण के, परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कुल 15 मामलों में अदालती स्थगन है, जिसकी सूची, विवरण सहित, परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2005-06 से पूर्व की बकाया जिनके नाम पर है उसकी सूची, बकाया राशि एवं वसूली के प्रयत्न सहित विवरण के परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। कुल 102 मामलों में अदालती कार्यवाही लंबित होकर वसूली पर स्थल है जिसकी सूची, विवरण सहित, परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर हैलमेट/सुरक्षा पेटी की अनिवार्यता

699. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वाहन की टक्कर से किसी की मृत्यु हो जाने के बावजूद ड्राइवर के विरुद्ध केवल धारा 304 ए में मुकदमा दर्ज करके थाने में ही जमानत लेकर छोड़ दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें संशोधन करने हेतु केन्द्र से आग्रह करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर के शहरी क्षेत्र में कार चलाने वाले को सुरक्षा पेटी व दुपहिया वाहन चालक को हैलमेट पहनना आवश्यक कर दिया गया है? यदि हां, तो इसका पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) इसी तरह नेशनल हाइवे पर इस नियम की पालना करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि नेशनल हाइवे पर वाहनों की गति शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे वाहनों की गति से तेज होती है? यदि हां, तो उन क्षेत्रों में इस नियम की पालना हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। वर्ष 2005 में दुपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं पहनने पर 30914 चालकों के विरुद्ध एवं चौपहिया (कार आदि) वाहनों में सुरक्षा पेटी के नियम की पालना नहीं करने पर 11143 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है।

(3) नेशनल हाइवे पर भी कार चालकों एवं कार की अगली सीट पर अन्य व्यक्ति को सुरक्षा पेटी लगाना आवश्यक है। वर्ष 2005 में नेशनल हाइवे पर जयपुर शहर की सीमाओं के अन्तर्गत बिना सुरक्षा पेटी लगाये चलने वाले 3681 चौपहिया वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

(4) जी हां। भारत सरकार द्वारा गति सीमा निर्धारित करते हुए अधिसूचना एसओ-125 (ई) दिनांक 9 जून, 1989 जारी है। निर्धारित गति सीमा को उल्लंघन करते पाये जाने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184, 188 के तहत कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2005 में जयपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत नेशनल हाइवे पर गति सीमा का उल्लंघन करने वाले 3406 चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

नीमकाथाना तहसील (सीकर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद का सृजन

700. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय नीमकाथाना जिला सीकर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार नीमकाथाना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार पुलिस थानों की संख्या एवं दर्ज मुकदमों की संख्या के आधार पर थाना लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर को पुलिस निरीक्षक स्तर का बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नीमकाथाना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने का कोई विचार नहीं है।

(2) पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर को पुलिस निरीक्षक के स्तर पर करने का वर्तमान में विचार नहीं हैं। बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

राम सागड़ा (चौरासी) में प्रस्तावित पुलिस थाना

701. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौरासी के राम सागड़ा में नया थाना बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त थाना कब तक बना दिया जावेगा एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

पोकरण खण्ड (जैसलमेर) में सड़क निर्माण में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरण

702. **श्री ओ.पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड पोकरण, उप खण्ड नाचना के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान ग्रेवल सम्पर्क सड़क भारेवाला तथा नाचना से 25 आर डी अवाय तथा डिस्ट्रीब्यूटरी तथा डब्ल्यू बी एम रोड को बीटी करने के संबंध में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायतें राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या इस अनियमितता के संबंध में ए.सी.बी. में परिवाद संख्या 345/04 दर्ज किया गया था? क्या इस संबंध में जांच की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिकायतो की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। परिवाद का सत्यापन प्रगति पर है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर के वैशालीनगर थाना में पदस्थापित सहायक उप निरीक्षक

703. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहायक पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को गृह थाने तथा गृह सर्किल में पोस्टिंग दी जा सकती है? यदि नहीं, तो क्यों? सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर के वैशालीनगर थाने पर सहायक उप निरीक्षक स्तर पर कितने अधिकारी पदस्थापित हैं? क्या इनमें कुछ सहायक उप निरीक्षक ऐसे भी हैं जिनका गृह थाना, गृह सर्किल सम्बन्धित थाने का इलाका ही है? इस स्तर के सभी अधिकारियों के वर्तमान निवास स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक उप निरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारियों को गृह सर्किल (वृत्त) में पदस्थापित नहीं किया जाता है। पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 5.05.05 में इस बाबत उद्दत अंश की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) थाना वैशालीनगर में 13 सहायक उप निरीक्षक पदस्थापित हैं जिनके नाम एवं वर्तमान निवास स्थान की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त सूची में अंकित कोई अधिकारी गृह थाना एवं गृह सर्किल में पदस्थापित नहीं है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

क्रमांक स-4 (1)पुलिस-ए/राज/95/998/118 दिनांक 5-5-2005

परिपत्र

पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस कान्सेटेबिल से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में एक नीति तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी गयी है। इस नीति की एक प्रतिलिपि इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

उक्त नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरूप संभावित अन्तर रेंज/अन्तर जिला/जिला स्तरीय स्थानान्तरण से संबंधित सभी प्रस्ताव पदवार तैयार कर लें जिससे अग्रिम आदेश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही शीघ्र की जा सके।

(ए.एस. गिल)
महानिदेशक, पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-1

पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 05.05.05 में सहायक उप निरीक्षक से सम्बन्धित उद्दत अंश

2. सहायक उप निरीक्षक

सहायक उप निरीक्षक का पदस्थापन उनके गृह जिले में किया जा सकेगा। यह पदस्थापन निम्न शर्तों के अधीन होगा :-

(अ) इस स्तर के पुलिस कर्मियों को उनके गृह वृत्त में पदस्थापित नहीं किया जायेगा।

(ब) इस स्तर के अधिकारी किसी एक थाने पर कुल 3 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रह सकेंगे।

(स) किसी भी वृत्त में सहायक उप निरीक्षक, हैड कांस्टेबल एवं कान्सटेबल, तीनों रैंक की कुल मिलाकर पदस्थापन अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिन जिलों में मात्र दो ही वृत्त हैं, उनमें यह समय सीमा 15 वर्ष तक हो सकेगी।

परिशिष्ट-2

वर्तमान पतों सहित विवरण निम्न प्रकार से प्रेषित है-

क्र. सं.	नाम सहायक उप निरीक्षक	कब से रह रहे हैं	वर्तमान पता
1	श्री प्रहलाद कुमार	6 महीने से	बैरिक थाना वैशाली नगर जयपुर शहर (दक्षिण)
2	श्री रामेशवर लाल	डेढ़ साल से	किरायेदार म. मालिक सीताराम मीणा प्लाट नं. सी-85 पंडितजी की बगीची हीराबाग रामसिंह रोड जयपुर।
3	श्री शिवपाल सिंह	10 साल से	बी-133 एल.एस. नगर नयाखेड़ा विद्याधर नगर जयपुर के स्वयं के नाम से है।
4	श्री नारायण सिंह	5 साल से	क्वार्टर नं. 6 ब्लाक नं. 12 सिंघल स्टोरी आरपीए जयपुर।
5	श्री विद्याधर	10 साल से	पैत्रिक प्लाट नं. 14 वीरसागर कालोनी भांकरोटा थाना बगरू जयपुर ग्रामीण
6	श्री विजेन्द्र सिंह	4 साल से	क्वार्टर नं. 8 थाना वैशाली नगर जयपुर शहर
7	श्री धन्नालाल	6 साल से	श्रीमति तारा देवी पत्नि श्री धन्नालाल नि. प्लाट नं. 27 पीताम्बर नगर विस्तार थाना मानसरोवर जयपुर
8	श्री विनोद कुमार	10 साल से	पैत्रिक बडौदिया बस्ती प्लाट नं. 56 थाना सदर जयपुर
9	श्री दिनेश कुमार	एक महीने से	बैरिक पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर शहर
10	श्री मामचन्द	1 साल से	श्रीमति श्रवण देवी पत्नी श्री मामचन्द प्लाट नं. 5 तारानगर बी थाना झोटवाड़ा जयपुर शहर
11	श्री कानाराम	5 महीने से	बैरिक पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर
12	श्री अयुब खां	डेढ़ साल से	किरायेदार जीवण खां का मकान जालुपुरा बड़ी मस्जिद के पीछे थाना जालुपुरा जयपुर
13	श्री जगदीश	1 महीने से	बैरिक पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर

झालावाड़ जिले में जारी शस्त्र अनुज्ञा-पत्र

704. श्री नरेन्द्र कुमार नागर (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में जिला झालावाड़ में किन-किन व्यक्तियों को हथियारों के लाइसेंस दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत 2 वर्षों में जिला झालावाड़ में कुल 209 व्यक्तियों को हथियारों के लाइसेन्स जारी किये गये, सूची परिशिष्ट-''क'' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

चित्तौड़गढ़ जिले में महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र

705. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में ''महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र'' खोले गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) क्या सरकार जिला चित्तौड़गढ़ में महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र खोलने के विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में 13 महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र खोले गये हैं। जो निम्नानुसार हैं :-

1. जयपुर शहर दक्षिण
2. जयपुर शहर उत्तर
3. जोधपुर शहर
4. कोटा शहर
5. भरतपुर
6. बीकानेर
7. अजमेर
8. भीलवाड़ा
9. चित्तौड़गढ़
10. बाड़मेर

(गृह मंत्री)

11. उदयपुर

12. अलवर

13. फागी (जयपुर ग्रामीण)

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र जिला मुख्यालय पर दिनांक 29.7.2004 से कार्यरत हैं।

फर्जी अंकतालिका प्रमाण-पत्र बनाने के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण

706. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को वर्ष 1995 से 2005 की अवधि में फर्जी अंक तालिका, आयु प्रमाण-पत्रों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र बनाने के मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में मामले दर्ज किए गए? जिलेवार व वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी शिकायतें व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त हुई तथा कितनी शिकायतें संबंधित विभागों द्वारा भेजी गई? शिकायतकर्ताओं के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्राप्त शिकायतों में कितनी सही पाई गई तथा कितने मामलों में प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हुए?

(4) न्यायालय में प्रस्तुत मामलों की क्या प्रगति हैं?

(5) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 375 प्रकरण दर्ज किये गये। दर्ज किये गये प्रकरणों की संख्या का जिलेवार सूची व वर्षवार सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) राज्य में उक्त अवधि में कुल 377 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें 74 शिकायतें व्यक्तिगत स्तर से तथा 303 शिकायतें समबन्धित विभागों से प्राप्त हुई। शिकायतकर्ताओं के नाम सहित दर्ज किये गये प्रकरणों की सूची उपरोक्त परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) 375 शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पायी गयी, जिन पर अपराध

पंजीबद्ध किये गये। शेष 2 शिकायतों में से 1 जांच से असत्य पाई गई तथा 1 विभागीय कार्यवाही के योग्य पायी गयी। 270 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है।

(4) न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी न्यायालयों से प्राप्त की जा रही है।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

हनुमानगढ़ जिला कारागृह में आवश्यक सुविधाएं

707. **चौधरी विनोद कुमार** (हनुमानगढ़) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कारागृह हनुमानगढ़ में चिकित्सक का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से व सरकार इस पद को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार की कारागृह में बन्दियों को दवाइयां एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलबध करवाने की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में जिला कारागृह हनुमानगढ़ के रख-रखाव, मरममत एवं आवश्यक सुविधाओं हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कारागृह, हनुमानगढ़ के लिए चिकित्साधिकारी का वर्ष 1999 से पद रिक्त है। अंशकालीन चिकित्साधिकारी के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। चिकित्सक उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरा जो सकेगा।

(2) राजस्थान प्रिजन्त रूल्स 1951 के पार्ट-25, सैक्शन-13 (परिशिष्ट-1) के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार बंदियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(3) वित्तीय वर्ष 2006-07 में जिला कारागृह भवन, हनुमानगढ़ के रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाओं हेतु बजट प्रावधान, राज्य का बजट वर्ष 2006-07 स्वीकृत होने के बाद जेलों के रख-रखाव के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि को देखते हुए किया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में तेन्दू पत्तों के ठेके

708. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बारां में तेन्दुपत्ते के ठेके दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि तेन्दूपत्ते के ठेके नहीं देने से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितनी आय का व इससे कितनी मजदूर बेरोजगार हुए?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में जिला बारां में तेन्दू इकाइयों के दिये गये ठेकों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	इकाई क्रमांक एवं नाम	व्यापारी/ठेकेदार का नाम
1	14-भंवरगढ़	मै. मनोज कुमार एण्ड कम्पनी, बूंदी
2	16-रामपुरिया	मै. कैलाश ट्रेडर्स, नयापुरा, कोटा।
3	33-जैपला	मै. आरिफ मियां प्यारे मियां, छबड़ा जिला बारां।

(2) जी नहीं। उक्त ठेकों से राज्य सरकार को रुपये 4,97,321.00 की आय हुई है।

सहाड़ा में वन कर्मियों के रिक्त पद

709. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विभाग के कार्यालयों में कितने अधिकारियों व कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं? जिनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वन विभाग में पदों की स्वीकृति विधान सभा वार न होकर वन मण्डल वार होती हैं। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विभाग के दो वनपाल नाके

(वन मंत्री)

गंगापुर तथा रायपुर आते हैं। इन नाकों पर 20 कर्मचारी आवश्यकतानुसार पदस्थापित है। कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) पद रिक्त नहीं होने से भरने की आवश्यकता नहीं है।

इको डवलपमेन्ट सरचार्ज से प्राप्त राशि का उपयोग

710. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरिस्का, रणथम्भौर, टाइगर रिजर्व व केवलादेव पक्षी विहार देखने वाले पर्यटकों से ''इको डवलपमेन्ट सरचार्ज'' लिया जाता है? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में इन पार्कों में इस मद में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?

(2) क्या यह सही है कि इको डवलमेन्ट के नाम से पर्यटकों से प्राप्त की गई राशि को पार्क के विकास पर खर्च नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्राप्त राशि को अब पार्कों के इको डवलपमेन्ट पर खर्च करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरिस्का एवं रणथम्भौर टाइगर रिजर्व व केवलादेव पक्षी विहार में गत 3 वर्षों में इको डवलपमेन्ट सरचार्ज से प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि लाख रु. में)

पार्क का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	योग
1. रणथम्भौर टाइगर रिजर्व	71.32	124.82	164.42	360.56
2. सरिस्का	25.18	25.11	40.50	90.79
3. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	34.47	65.42	70.92	170.81
योग	**130.97**	**215.35**	**275.84**	**622.16**

(2) जी हां। वर्तमान में उक्त इको डलवपमेन्ट सरचार्ज से प्राप्त आय राजकोष में जमा की जा रही है।

(3) जी हां। प्राप्त राशि को पार्कों के इको डवलपमेन्ट पर खर्च करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अलवर जिले में उप वन संरक्षक कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

711. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में उप वन संरक्षक कार्यालय में वन भूमि न होने बाबत कितने अनपत्ति प्रमाण-पत्र कब से किस-किस के किस कारण बकाया हैं विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जिला अलवर में गत 3 वर्षों में कितने अनापत्ति प्रमाण-पत्र किस-किस को दिए गए? पत्ते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में उप वन संरक्षक कार्यालय में वन भूमि न होने बाबत 23 अनापत्ति प्रमाण पत्रों के प्रकरण बकाया है। इनका आवेदकों के नामवार एवं कारण सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) गत तीन वर्षों 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में 76 प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये गये। इनका नाम पता सहित विवरण परिशिष्ट 'ख' अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केकड़ी में कैरोसीन वितरण में व्याप्त अनियमितताएं

712. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 2004-05 से अब तक किस-किस राशन डीलर को कितना-कितना कैरोसीन आबंटित किया गया एवं राशन डीलरों द्वारा कुल कितने राशन कार्ड पर कैरोसीन का वितरण किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कैरोसीन के मामले में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राशन डीलरों का निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो

(श्री गोपाल लाल धोबी)

कब-कब एवं इसमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सत्र 2004-05 से अब तक राशन डीलरों द्वारा कुल 58312 राशनकार्डों पर जनवरी, 04 से मार्च, 06 तक 4283838 लीटर कैरोसीन वितरित किया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि जिले में राशनडीलरों के सामान्य निरीक्षण मापदण्डों के अनुसार किये गये हैं। कैरोसीन के मामले में अलग से राशन डीलरों के निरीक्षण करने के मापदण्ड नहीं है। कैरोसीन के मामले में किये गये निरीक्षणों में पाई गई अनियमितता व की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

713. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उचित मूल्य की दुकान खोलने का क्या मापदण्ड हैं मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला झुन्झुनूं में कुल कितनी उचित मूल्य (राशन) की दुकानें संचालित हैं? प्रत्येक दुकान का नाम, नम्बर, संचालक का नाम, पता एवं उस दुकान से लाभान्वित होने वालों की संख्या का विवरण क्षेत्र के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुकानों से कौन-कौनसी खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह यही है कि वर्तमान में संचालित दुकानें कम हैं जिससे नागरिकों को परेशानी होती है?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा प्रति 2000 उपभोक्ताओं पर (भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसमें शिथिलता दी जा सकती है) एक उचित मूल्य

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

दुकान खोले जाने का सुझाव दिया गया है। इस आधार पर विभागीय परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2002, सपठित संशोधन परिपत्र दिनांक 27.09.03 प्रचलित है। प्रचलित निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला झुन्झुनूं में 719 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। दुकानवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न यथा गेहूं, चावल, मक्का व चीनी तथा केरोसीन तेल पात्र उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है। वर्तमान में झुन्झुनूं जिले में संचालित दुकानों की संख्या पर्याप्त है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राशन डीलरों को छीजत लाभ की सुविधा

714. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राशन डीलरों को क्या-क्या लाभ दिया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है। उक्त डीलरों को विगत वर्षों में एक प्रतिशत छीजत लाभ दिया जाता था, जिसे बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पूर्व में दिए जा रहे एक प्रतिशत छीजत लाभ को वापस लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में राशन डीलर्स को निम्न प्रकार से लाभ दिये जा रहे हैं :-

1. खाद्यान्न पर कमीशन रुपये 8/- प्रति क्विं. एवं खाली बोरी दी जाती है।
2. चीनी पर रुपये 11.99 प्रति क्विं. कमीशन एवं खाली बोरी दी जाती है।
3. केरोसीन पर रुपये 176/- प्रति किलो लीटर कमीशन दिया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) जी नहीं। राशन डीलर्स को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न में 1 प्रतिशत छीजत दी जा रही है। जिसके लिये पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। राशन डीलर्स के निरीक्षण के समय खाद्यान्न का स्टाक 1 प्रतिशत तक कम पाया जाता है, तो कोई वसूली नहीं की जाती है। इसी प्रकार चीनी में तुलाई छीजत के लिए रुपये 1.15 का भुगतान किया जाता है, जो खण्ड 1 के प्रत्युत्तर में दिखाये गये चीनी के कमीशन रुपये 11.99 का ही भाग है। केरोसीन में आधा प्रतिशत छीजत देय है, परन्तु इसका भी पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाता है। छीजत के उक्त प्रावधान अब भी प्रभावी है, इन्हें बंद नहीं किया गया है।

(3) छीजत के उक्त प्रावधानों को बन्द नहीं किया गया है, अतः वापस लागू करना अपेक्षित नहीं है।

चन्द्राई ग्राम पंचायत (लाडनूं) के राशन विक्रेता द्वारा अनियमितताएं

715. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चन्द्राई तहसील लाडनूं (नागौर) के खुदरा विक्रेता को तहसील लाडनूं के लिए नियुक्त विभागीय निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु रजिस्टर प्रमाणित करके दिनांक 11 जनवरी, 2005 को जारी किया गया है? यदि हां, तो उक्त रजिस्टर में वितरण किस तारीख से प्रारम्भ किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रजिस्टर में जो वितरण दर्ज किया गया है व रजिस्टर जारी किये जाने की तारीख के पूर्व अंकित हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिटेलर के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब तथा शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई? जांच रिपोर्ट की प्रतियों सहित तथ्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उक्त बाबत् क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रवर्तन निरीक्षक, लाडनूं द्वारा दिनांक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

11.01.05 को वितरण रजिस्टर प्रमाणित किया गया है। उक्त वितरण रजिस्टर में 11.01.05 से ही वितरण प्रारम्भ किया गया है परन्तु सहवन से तिथि 11.01.05 के स्थान पर 11.01.04 लिखी गई है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त वितरण रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 3 पर 11.01.04, पृष्ठ संख्या पर 8, 9 और 11 पर क्रमशः 12.01.04, 12.01.04 व 13.01.04 व पृष्ठ संख्या 18 व 21 पर दिनांक 8.02.04 तथा पृष्ठ 38 पर 26.02.04 अंकित है। अन्य पृष्ठों पर वर्ष 2005 से सम्बन्धित तिथि ही अंकित है। इससे स्पष्ट है कि प्रारम्भ में वर्ष 2004 की तारीखों का अंकन सहवन से हुआ है।

(3) जी हां। यह सही है कि उकत रिटेलर के विरूद्ध दिनांक 28.09.05, 28.10.05, 2.11.05, 10.01.06, 23.01.06 एवं 09.03.06 को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच प्रवर्तन निरीक्षक, लाडनूं से करवाई गई। शिकायतों के तथ्यात्मक विवरण, शिकायत एवं जांच प्रतिवेदनों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट-1 से 3 पर संलग्न है।

(4) जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.01.06 के आधार पर उपभोक्ताओं को केरोसीन व गेहूं न मिलने बाबत विभागीय प्रकरण संख्या 93/06 दर्ज कर सम्बन्धित राशन विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सीकर जिले के राशन विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

716. श्री अमराराम (धोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में राशन विक्रेताओं के विरुद्ध कितनी एवं किस-किस की शिकायतें गत दो वर्षों में सरकार को प्राप्त हुई?

(2) उक्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) कितने डीलरों के लाइसेंस रद्द किये गये तथा कितनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई?

(4) जिले में कितनी गैस एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में राशन विक्रेताओं के विरुद्ध गत दो वर्षों में 18 शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) शिकायतों की जांच प्रवर्तन अधिकारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(3) उपरोक्त शिकायतों की जांच के आधार पर दर्ज विभागीय कार्यवाही के प्रकरणों में 5 डीलर्स के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये एवं तीन डीलर्स के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई।

(4) जिले में 9 गैस एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों की जांच के आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले के बीड़ी श्रमिकों को आवासीय एवं अन्य सहायता

717. **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले के बीड़ी श्रमिकों को आवासीय व अन्य सहायता/लाभ देने के लिए वर्ष 2004 एवं 2005 में किस-किस श्रमिक से आवेदन पत्र प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन आवेदन पत्रों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार बीडी श्रमिकों को क्या-क्या सहायता कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बारां जिले के बीडी श्रमिकों से पूर्ण आवेदन प्राप्त करने के बाद भी आवास एवं अन्य सुविधाएं देने की स्वीकृति अब तक नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के बीडी श्रमिकों के आवासीय सहायता लाभ देने हेतु वर्ष 2004 में शून्य एवं 2005 में 128 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सूची परिशिष्ट ''अ'' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(2) आवासीय आवेदन 128 प्राप्त हुए जिनके साथ श्रमिकों की योगदान राशि 5000/- रुपये के चैक/ड्राफ्ट प्राप्त नहीं हुए एवं आवेदन अपूर्ण प्राप्त होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। जिला कलक्टर, बारां द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा को पत्र लिखकर भूमि उपलब्ध करवाने हेतु एवं भू उपयोग व अनापत्ति प्रमाण बाबत लिखा गया है।

(3) भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बीडी श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित कल्याणकारी योजना के तहत निम्न सहायता प्रदान की गई है :-

1. बीडी श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय बारां में स्थापित किया हुआ है।
2. 6 श्रमिकों को चश्मे के लिए 150/- रुपये प्रति श्रमिक कुल 900/- रुपये दिये गये।
3. छात्रवृत्ति/शाला पोषाक सहायता 1752 छात्रों को 1015280/- रुपये की दी गई।
4. 31 श्रमिकों को प्रसूति लाभ के रूप में 1000/- प्रति श्रमिक कुल 31000/- रुपये दिया गया।
5. 4 विधवा बीड़ी श्रमिकों को पुत्रियों की शादी हेतु 5000/-रुपये प्रति कुल 20000/- रुपये दिया गया।
6. एक श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के तहत स्वाभाविक मृत्यु पर 10000/- रुपया दिया गया।
7. शैक्षणिक योजना के अन्तर्गत बीडी श्रमिकों के 265 बच्चों को रुपये 240180/- की राशि प्रदान की गई।

(4) आवासीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त बीड़ी श्रमिकों के आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण अभी तक कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अन्य सभी सुविधाएं भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा दी जा रही हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम पाली को आबंटित राशि

718. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती लक्ष्मील बारूपाल)

(1) सरकार द्वारा जिला पाली के अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम को वर्ष 1999 से 2006 तक कितना बजट आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन वर्षों में कितना लक्ष्य आबंटित किया गया तथा उसमें कितने लक्ष्यों की पूर्ति की गई?

(3) क्या सरकार लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम के जिला कार्यालय, पाली को वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2005-06 तक निम्नानुसार बजट आबंटित किया गया :-

वर्ष	**बजट आबंटन (राशि लाखों में)**
99-2000	61.00
2000-01	69.30
2001-02	78.50
2002-03	149.68
2003-04	152.32
2004-05	129.299
2005-06 (फरवरी, 06 तक)	98.84

(2) जिला कार्यालय पाली को आबंटित लक्ष्य व उपलब्धि वर्षवार इस प्रकार है :-

वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
99-2000	2550	1915
2000-01	1895	1349
2001-02	2210	1862
2002-03	2515	1694
2003-04	1826	1667
2004-05	1900	1915
2005-06 (फरवरी, 06 तक)	1930	1545

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) जी नहीं। आबंटित लक्ष्य मुख्यतः बैंकों के वांछित सहयोग के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाते। शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये जाने के लिए बैंकों से सहयोग हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठकें व व्यक्तिगत सम्पर्क भी साधा जाता है।

चौमूं के विधवा पेन्शन स्वीकृति के लम्बित प्रकरण

719. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के कितने व्यक्तियों को विधवा, वृद्धा एवं विकलांग पेंशन दी जा रही है? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी कितनी विधवायें हैं जिनकी पेंशन शुरू करना शेष है? सरकार इनको कब तक पेंशन शुरू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में 1554 व्यक्तियों को विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन दी जा रही है। जिनके नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में एक भी पेंशन की पात्रता रखने वाली विधवा का आवेदन लम्बित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जर्मन सहायता से संचालित आवासीय बालिका विद्यालयों में नियुक्त पुरुषकर्मी

720. **डा. सुरेश चौधरी** (भादरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जर्मन सरकार से प्रदत्त सहायता के अन्तर्गत खोले गये 12 आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पूरा स्टाफ लगाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय विद्यालय के अन्तर्गत बालिका विद्यालयों में पुरुष स्टाफ भी कार्यरत है जबकि नियमानुसार महिला

(श्री सुरेश चौधरी)

स्टाफ होनी चाहिये? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों में पुरुष स्टाफ लगाये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय विद्यालयों में गरीबी रेखा से ऊपर के सुविधा युक्त अभिभावकों के बच्चे बड़ी संख्या में अध्ययनरत हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 12 आवासीय विद्यालयों में 10 विद्यालय भवन जर्मन सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता से निर्मित किये हैं। इन आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। इसके लिए समाचार-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवा कर अध्यापकों/कार्मिकों से इच्छित स्थान पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। उनमें से योग्य उम्मीदवारों का चयन कर सूची प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग को भेजी जाती है। वर्तमान सत्र में रिक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई परन्तु प्राथमिक शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध योग्यताधारी शिक्षित बेरोजगारों से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। विद्यालय संचालन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(2) बालिका आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य, वार्डन एवं शारीरिक शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी की प्रतिनियुक्ति के लिये प्राथमिकता दी जाती है, परन्तु उक्त तीनों पदों तथा अध्यापकों व अन्य कार्मिकों के पद के लिए महिलाओं के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुरूष कर्मियों को लगाया जाता है।

(3) इन आवासीय विद्यालयों में उन परिवारों के बालक/बालिका अध्ययन कर सकते हैं जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 72 हजार से कम है।

बाड़मेर जिला मुख्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास

721. डा. जालम सिंह रावलोत : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. जालम सिंह रावलोत)

क्या अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं के लिये जिला मुख्यालय बाड़मेर पर छात्रावास की व्यवस्था है? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह कन्या छात्रावास बाड़मेर शहर के मेघवालों का वास ढाणी बाजार में स्थित है।

बाड़मेर में सहकारी अविका क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित पशुपालक

722. **श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सहकारी अविका क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के कितने पशुपालकों को यह सुविधा मुहय्या कराई गई है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के सभी पशुपालकों को सहकारी अविका क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहकारी अविका क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी पशुपालक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. बाड़मेर को इस योजना की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

(2) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत पात्र पशुपालकों द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक को आवेदन करने पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी।

बस्सी पंचायत समिति में क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना

723. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी पंचायतों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां गठित की गई हैं, इनमें से कितनी कार्य कर रही हैं एवं कितनी बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

(2) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत समिति में क्रय-विक्रय सहकारी समिति गठित करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति बस्सी में क्रय-विक्रय सहकारी समिति गठित करने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में 176 क्रय विक्रय सहकारी समितियां गठित की गई हैं। इनमें से 167 कार्य कर रही हैं। शेष 9 क्रय विक्रय सहकारी समितियां बन्द अवसयनाधीन हैं।

(2) जी नहीं।

(3) पंचायत समिति बस्सी में क्रय विक्रय सहाकारी समिति के गठन के पत्रादि विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिनका निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत परीक्षण करने की कार्यवाही विचाराधीन है। मानदण्डानुसार पाये जाने पर गठन की कार्यवाही करवाई जा सकेगी।

बालाहेड़ा (दौसा) ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत कर्मी

724. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित हैं? इनमें से वर्तमान में कितनी संचालित एवं कितनी बन्द हैं?

(2) संचालित सहकारी समितियों में प्रत्येक में कितना-कितना स्टाफ कार्यरत है?

(3) ग्राम बालाहेड़ा सहकारी समिति में वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इनका चयन किस आधार पर एवं कैसे किया गया? इनको कितना-कितना भुगतान किया जा रहा है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल 23 ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित हैं। इनमें से वर्तमान में सभी 23 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(2) संचालित सहकारी समितियों में कार्यरत स्टाफ का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) ग्राम बालाहेड़ा सहकारी समिति में तीन कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका चयन एवं वेतन भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	चयन एवं वेतन का विवरण
1.	श्री मदनलाल शर्मा	व्यवस्थापक अनन्तवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति को बालाहेड़ा समिति के व्यवस्थापक का अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। इन्हें बैंक द्वारा चयनित वेतन श्रृंखला में रुपये 3845/- मूल वेतन एवं नियमानुसार वेतन भत्ता दिया जा रहा है। श्री शर्मा केडर आथोरिटी द्वारा चयनित हैं।
2.	श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक व्यवस्थापक, समिति स्तर से प्रस्ताव पारित करके मासिक 5000/- रुपये में कार्यरत हैं। बैंक द्वारा सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, दौसा को प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।
3.	श्री गोविन्द शर्मा	सहायक कर्मचारी, समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके 1500/- रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया हुआ है।

परिशिष्ट-1

दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. दौसा

प्रधान कार्यालय, सहकार भवन, खांन भांकरी रोड़, दौसा

पंचायत समिति बांदीकुई क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की सूची :-

क्र. सं.	नाम समिति	केडर आथरिटी से चयनित व्यवस्थापक	समिति स्तर पर कार्यरत व्यवस्थापक	समिति स्तर कार्यरत सहायक व्यवस्थापक	समिति स्तर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1	2	3	4	5	6
1.	आभानेरी ग्राम सेवा स.स.	श्री ज्ञान चन्द गुप्ता	-	ओम प्रकाश शर्मा	श्री मुकेश चन्द शर्मा
2.	एचेडी ग्राम सेवा स.स.	शिवपाल जांगिड	-	-	-
3.	अनन्तवाड़ा ग्राम सेवा स.स.	मदनलाल शर्मा	-	लक्ष्मण सिंह	राधा मोहन
4.	अरनिया ग्राम सेवा स.स.	कैलाश सिंह	-	महेश कुमार मीना	-
5.	भाण्डेडा ग्राम सेवा स.स.	-	जयेन्द्र कुमार सेठी	-	-
6.	धनावड़ ग्राम सेवा स.स.	-	भवानी शंकर	भरत लाल बैरवा	-
7.	गुढलिया ग्राम सेवा स.स.	हेमराज अवाना	-	रामजीलाल गुर्जर	हेमराज गुर्जर
8.	गुढा कटला ग्राम सेवा स.स.	-	गुंजनलाल शर्मा	यशवंत सिंह	-
9.	नन्देरा ग्राम सेवा स.स.	राधेश्याम शर्मा	-	योगेश कुमार शर्मा	-

1	2	3	4	5	6
10.	पीचूपाडा कलां ग्राम सेवा स.स.	-	विजेन्द्र कुमार शर्मा	-	मुरारी लाल शर्मा
11.	पीथूपाडा खूर्द ग्राम सेवा स.स.	हरिराम मीना	-	-	-
12.	श्यामसिंहपुरा ग्राम सेवा स.स.	-	शैलेन्द्र कुमार शर्मा	बनवारी लाल गुर्जर	-
13.	बडियाल कलां ग्राम सेवा स.स.	-	-	राम प्रसाद मीना	-
14.	बसवा कस्बा ग्राम सेवा स.स.	बाबूलाल शर्मा	-	-	-
15.	बालाहेडा ग्राम सेवा स.स.	-	विजेन्द्र कुमार शर्मा	-	गोविन्द शर्मा
16.	बादीकुई जागीर	-	नन्द किशोर शर्मा	रामफूल सैनी	-
17.	बिवाई ग्राम सेवा स.स.	बनवारी लाल धोबी	-	मुकेश शर्मा	-
18.	खैरपुर ग्राम सेवा स.स.	-	नत्थी लाल मीना	रामकिशोर मीना	रामस्वरूप मीना
19.	लोटवाडा ग्राम सेवा स.स.	-	रमेश चन्द शर्मा	रामकिशोर मीना	मोहनलाल मीना
20.	नांगल झामरवाड़ा ग्राम सेवा स.स.	महेश चन्द मिस्त्री	-	मुकेश शर्मा	-
21.	निहालपुरा ग्राम सेवा स.स.	मलखान सिंह	-	मुकेश मीना	-
22.	बैजुपाडा ग्राम सेवा स.स.	रामेश्वर मीना	-	बनवारी लाल शर्मा	कैलाश चन्द मीना
23.	कोलाना ग्राम सेवा स.स.	-	रामावतार गुप्ता	-	-

प्रबन्ध निदेशक

सराड़ा में किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित कृषक

725. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब से? अभी तक किसानों को कितने क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये? इस योजना के तहत क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? लाभान्वित किसानों की संख्या सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला उदयपुर में तहसीलवार कितने-कितने किसान क्रेडिट कार्ड बनाये गए एवं कितने किसानों को इसका क्या-क्या लाभ मिला? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में किन-किन किसानों को यह कार्ड उपलब्ध कराया गया इसके तहत किस-किस को, कितना-कितना एवं क्या-क्या लाभ मिला? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में यह योजना 1 अप्रैल, 1999 से लागू की गई है। अभी तक 2646624 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। इस योजना के तहत किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण नकद (अंग भाग ''अ'') एवं जिन्स (अंग भाग ''ब''), खाद-बीज, कीटनाशक दवाइयां आदि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं। लाभान्विित किसानों का विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जिला उदयपुर में तहसीलवार उपलब्ध करवाये गये किसान क्रेडिट कार्डों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	तहसील का नाम	किसान क्रेडिट कार्ड वितरण	लाभान्वित सदस्य	शेष रहे सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	गिर्वा	गिर्वा	8597	7855	742
2.	बड़गांव				
3.	गोगुन्दा	गोगुन्दा	7188	5233	1955

(सहकारिता मंत्री)

1	2	3	4	5	6
4.	कोटड़ा	कोटड़ा	2501	2306	195
5.	झाडौल	झाडौल	3856	3426	430
6.	भीण्डर	बल्लभनगर	7876	7876	-
7.	मावली	मावली	7354	5996	1358
8.	धरियावद	धरियावद	8998	8998	-
9.	सलूम्बर	सलूम्बर	9347	9347	-
10.	खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	4611	3227	1384
11.	सराड़ा	सराड़ा	5050	4317	733
		योग	**65376**	**58579**	**6797**

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जयपुर जिले में 65376 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये, जिसमें से 58579 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण नकद (अंगभाग ''अ'') एवं जिन्स (अंग भाग ''ब'') खाद-बीज, कीटनाशक दवाइयां इत्यादि एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में उपलब्ध कराये गये किसान क्रेडिट कार्ड एवं दिये गये लाभ का सदस्यवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नैनवां तहसील क्षेत्र (बूंदी) में ट्रैक्टर क्रय हेतु स्वीकृत ऋण

726. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक बूंदी द्वारा ट्रैक्टर क्रय करने के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं? यदि हां, तो वर्ष 1994 से अब तक की अवधि में बैंक से ऋण प्राप्त कर कितने ट्रैक्टर क्रय किए गए तहसील एवं वर्षवार पृथक-पृथक नामजद सूची मय क्रय किए गए ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नम्बर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ट्रैक्टर क्रय के लिए ऋण प्राप्त करने वाले कितने व्यक्तियों को थ्रेसर मशीन क्रय करने के लिए भी ऋण स्वीकृत किया गया? क्रय की गई थ्रेसर मशीन के बिल की प्रति सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बैंक ऋण से क्रय किए गए थ्रेसर का बैंक द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया? यदि हां, तो किस तारीख को, किस के द्वारा? भौतिक सत्यापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कृष्णैन्द्र कौर)

(4) क्या भौतिक सत्यापन के दौरान बैंक में प्रस्तुत थ्रेसर क्रय के बिल के मुताबिक थ्रेसर ऋणी के पास मिले हैं? यदि नहीं, तो किस-किस प्रकरण में बैंक में प्रस्तुत थ्रेसर क्रय के बिल के मुताबिक थ्रेसर ऋणी के पास उपलब्ध नहीं हो सके?

(5) क्या थ्रेसर क्रय के लिए ऋण प्राप्त नहीं करने पर भी मध्यस्थों/एजेण्टों द्वारा ट्रैक्टर क्रय के दौरान हस्ताक्षरित कागजात के आधार पर बैंक अधिकारियों की शह से थ्रेसर ऋण स्वीकृति जारी करवाकर फर्जी बिल प्रस्तुत कर ऋण नामे लिख देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(6) उक्त शिकायतों के मद्देनजर क्या सरकार नैनवां तहसील क्षेत्र के समस्त प्रकरणों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो जांच कार्यवाही कब से प्रारम्भ कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भूमि विकास बैंक, बूंदी द्वारा ट्रैक्टर क्रय करने के लिए ऋण स्वीकृत किये हैं। वर्ष 1994 से अब तक बैंक से 683 ट्रैक्टर क्रय हेतु ऋण दिये हैं। तहसील एवं वर्षवार पृथक-पृथक नामजद सूचियां मय रजिस्ट्रेशन संख्या (परिशिष्ट-1) सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। 683 ट्रैक्टरों में से 21 ट्रैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन है तथा शेष में से 232 खाते बन्द हो गये। 430 खाते चालू हैं, जिनकी पत्रावलियों में रजिस्ट्रेशन संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं है।

(2) ट्रैक्टर क्रय के लिए ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से 50 को थ्रेसर हेतु बैंक से ऋण स्वीकृत कर भुगतान किया गया है। इनमें से 23 पत्रावलियों में थ्रेसर के बिल उपलब्ध हैं। नामजद सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-2) शेष 27 ऋण पत्रावलियों में थ्रेसर के बिल उपलब्ध नहीं हैं। बैंक स्तर पर पत्रावलियों में बिल नहीं होने के कारणों की जांच की जा रही है।

(3) बैंक ऋण से क्रय किये गये थ्रेसर्स में से 14 का भौतिक सत्यापन बैंक अधिकारियों द्वारा किया गया है। भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों के नाम एवं दिनांक संलग्न सूची (परिशिष्ट-3) में अंकित है।

(4) भौतिक सत्यापन किये गये 14 मामलों में समस्त ऋणियों के पास बिल के मुताबिक थ्रेसर उपलब्ध थे। (संलग्न परिशिष्ट-3)

(सहकारिता मंत्री)

(5) जी हां। थ्रेसर क्रय के लिए ऋण प्राप्त नहीं करने पर भी मध्यस्थ एजेन्ट द्वारा ट्रैक्टर क्रय के दौरान हस्ताक्षरित कागज के आधार पर बैंक अधिकारी की शह से थ्रेसर ऋण की स्वीकृति जारी करवाकर, फर्जी बिल प्रस्तुत कर ऋण नामे लिख देने की एक शिकायत श्री ग्यारसा, मसरया पुत्र श्री रामराज धाकड़ निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बूंदी ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नैनवां की मारफत थाना देई, जिला बूंदी में प्रस्तुत की, जिसकी जांच थाना देई द्वारा की जा रही है। जांच परिणाम के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) इस बाबत समस्त प्रकरणों को दिखवाया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई पंचायत समिति में पदस्थापित ग्राम सेवक/पदेन सचिव

727. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई की निवाई पंचायत समिति में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के कुल कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उन पर कौन-कौन कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति में दिनांक 1 जनवरी, 2005 के पश्चात किस-किस ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को कब से व क्यों ए.पी.ओ. किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबंध होने के बावजूद उक्त कर्मचारियों को कुछ समय के लिए ए.पी.ओ. करके अन्यत्र पदस्थापित कर दिया गया? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(4) पंचायत समिति निवाई के किन-किन ग्राम सचिवों के पास एक से अधिक पंचायतों का कार्यभार दिया गया है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई की प.स. निवाई की कुल 41 ग्राम पंचायतों में 41 ग्राम सेवक के पद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वीकृत हैं। कार्यरत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों की सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) 1 जनवरी, 2005 के पश्चात 1 ग्राम सेवक श्री कमलेश लक्षकार, ग्राम पंचायत बिडोली को प्रशासनिक कारणों से आदेशों की प्रतीक्षा में दिनांक 7 व 8.9.05 (दो दिन) प.स. मुख्यालय पर रखा गया।

(3) जी हां। प्रशासनिक कारणों से ऐसा किया गया है।

(4) प.स. निवाई के निम्न 6 ग्राम सेवकों के पास अपनी ग्राम पंचायत के अतिरिक्त निम्न ग्राम पंचायत का कार्यभार है :-

क्र.सं.	**नाम ग्राम सेवक**	**मु. ग्राम पंचायत**	**अति. आबंटित (ग्रा.प.)**
1	श्री राधाकिशन	जामडोली	नोहटा
2	श्री रामेश्वर प्रसाद माली	चैनपुरा	गुन्सी
3	श्री ओमप्रकाश गोस्वामी	डांगेरथल	चनानी
4	श्री उदयवीर सिंह	झिलाय	खिडगी
5	श्री रामबाबू शर्मा	खण्डवा	ढाणी जुगलपुरा
6	श्री चिरंजीलाल बैरवा	रजवास	पहाड़ी

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	**ग्राम पंचायत**	**ग्राम सेवक का नाम**	**कब से कार्यरत है**
1	अरनिया	गजानन्द सैन	2 वर्ष से अधिक
2	वनस्थली	विनोद परीडवाल	15.7.05
3	बस्सी	नरेश कुमार शर्मा	2 वर्ष से अधिक
4	बीडोली	कैलाश गोस्वामी	9.9.05
5	बहड़	माधोलाल जाट	2 वर्ष से अधिक
6	भरथला	कैलाश चन्द जाट	5 Years Ago
7	चैनपुरा	रामेश्वर प्रसाद माली	26.6.03
8	चनानी	ओमप्रकाश गोस्वामी	18.11.05
9	चतुर्भुजपुरा	बाबूलाल वैष्णव	15.7.05
10	डांगस्थल	ओमप्रकाश गोस्वामी	15.7.05
11	दतवाल	अशोक कुमार शर्मा	2 वर्ष से अधिक
12	सैदरिया खुर्द	कमलेश लवकार	1.10.05

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम सेवक का नाम	कब से कार्यरत है
13	दहलोद	ललीता सिंह	2 वर्ष से अधिक
14	ढाणी जुगलपुरा	रामबाबू शर्मा	18.1.06
15	गुन्सी	रामेश्वर प्रसाद माली	20.6.05
16	हनौतिया बुजुर्ग	बीरबल मीणा	2 वर्ष से अधिक
17	हिंगोनिया बुजुर्ग	छीतर लाल जाट	2 वर्ष से अधिक
18	जामडोली	राधाकिशन बैरवा	2 वर्ष से अधिक
19	झिलाय	उदयवीर सिंह	2 वर्ष से अधिक
20	जोधपुरिया	नहनू राम गुर्जर	2 वर्ष से अधिक
21	खण्डवा	रामबाबू शर्मा	From Nov. 2004
22	करेडा बुजुर्ग	विकार अहमद	2 वर्ष से अधिक
23	खणदेवत	चिरंजी लाल मीणा	15.7.05
24	खिडगी	उदयवीर सिंह	25.10.04
25	ललवाड़ी	विजय सिंह गौड	15.7.05
26	लुहारा	अशोक गर्ग	2 वर्ष से अधिक
27	मूण्डिया	हनुमान सिंह	6.1.01
28	नटवाड़ा	भारत सिंह	14.7.05
29	नोहटा	राधाकिशन बैरवा	7.11.05
30	पहाड़ी	चिरंजी लाल बैरवा	24.12.05
31	फलेई	लालचन्द जांगीड	15.7.05
32	राहोली	कैलाश चन्द गुर्जर	2 वर्ष से अधिक
33	रजवास	चिरंजी लाल बैरवा	20.7.05
34	श्रीरामपुरा	हंसराज मीणा	2 वर्ष से अधिक
35	सीदड़ा	राजेन्द्र माहुर	Oct. 2004
36	सींदरा	हीराचन्द मीणा	2 वर्ष से अधिक
37	सिरस	रघवुीर प्रसाद मीणा	2 वर्ष से अधिक
38	सिरोही	कन्हैया लाल यादव	16.4.05
39	सुनारा	अमर सिंह नरुका	2 वर्ष से अधिक
40	टीटोली/बडागांव	लादूलाल बैरवा	20.7.03
41	तुर्किया	जयनारायण मीणा	2 वर्ष से अधिक

बीकानेर जिले की ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय की स्थापना

728. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सरकार द्वारा गांवों के विकास एवं पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो योजनाओं की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को मिनी सचिवालय बनाने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो इस योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या इस योजनान्तर्गत जिला बीकानेर की भी ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी हां। गांव के विकास के एवं पंचायत के सुदृढीकरण हेतु योजनाएं बनाई गयी हैं, सूची परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायतों को मिनी सचिवालय बनाने की योजना बनायी गयी है। योजना का विवरण परिशिष्ट- 'ब' पर है।

बीकानेर जिले की शामिल पंचायतों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर पंचायत क्षेत्र की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजनाएं

729. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संविधान के 73 व 74वें संशोधन के अन्तर्गत राजस्थान पंचायतराज कानून, 1994 राजस्थान में लागू है?

(2) क्या यह भी सही है कि 1994 के उक्त कानून के शिड्यूल के अन्तर्गत पंचायतों को उनके क्षेत्रों की जमीन पर पूर्ण नियंत्रण का प्रावधान है?

(3) क्या यह भी सही है कि संविधान के अन्तर्गत पंचायतों के विकास हेतु जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं द्वारा ही पंचायतों के विकास करवाने का संवैधानिक प्रावधान है?

(डा. सी. पी. जोशी)

(4) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण इन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर जयपुर की पंचायतों में यथा रोहणी नगर योजना लागू कर रहा है?

(5) क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण के गैर संवैधानिक कार्यों को रोकने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। आबादी और चरागाह भूमि पर पूर्ण नियंत्रण है।

(3) जी हां।

(4) इस मामले में विधि विभाग की राय प्राप्त की जा रही है। विधि विभाग की राय अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(5) प्रश्न के बिन्दु 4 में वर्णित अनुसार।

खेतड़ी पंचायत समिति (झुंझुनूं) के नाकारा वाहन

730. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति खेतड़ी, जिला-झूंझुनूं में किस-किस श्रेणी के पद स्वीकृत हैं? इन पदों पर कौन-कौन कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत पद के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थापित कर रखा है? यदि हां, तो किस पद पर किस व्यक्ति को कब से पदस्थापित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समिति में कितने वाहन कब-कब से हैं? इनमें से चालू हालत में कौन सा वाहन है? इस वाहन का प्रयोग पिछले एक वर्ष में किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति खेतड़ी जिला झुंझुनूं में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं इन पदों पर कौन-कौन कब-कब से कार्यरत है का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) पंचायत समिति में केवल एक वाहन जीप सं. आर.जे. 18 सी-480 दिनांक 28.1.93 से है। जो चालू हालत में है। इस वाहन का प्रयोग पिछले एक वर्ष में किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया है, विवरण परिशिष्ट 'ब' पर अवलोकनीय है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिला परिषद में मंत्रालयिक संवर्ग का पदोन्नति प्रकरण

731. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला पाली की पंचायत समितियों में वरिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां कितने पद कब से एवं क्यों? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद पाली में वर्ष 1985 से अब तक एक बार भी डी.पी.सी. मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) जिले की पंचायत समितियों में ऐसे कितने मंत्रालयिक कर्मचारी हैं जिन्हें डी.पी.सी. नहीं किये जाने से निर्धारित योग्यता, मानदण्ड पूर्ण करने के उपरान्त भी पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है? सभी वर्ग के कर्मचारियों का पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शीघ्र मंत्रालयिक कर्मचारियों की डी.पी.सी. कर उन्हें पदोन्नति का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले की पंचायत समितियों में वरिष्ठ लिपिकों के 13 पद सेवा निवृत्ति के कारण रिक्त हैं। रिक्त पदों की सूची मय रिक्त होने के कारण सहित पंचायत समितिवार परिशिष्ट ''क'' में संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1987, 1989 एवं 1992 में डी.पी.सी. कर मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है।

(3) जिले की पंचायत समितियों में कार्यरत 31 मंत्रालयिक कर्मचारी पदोन्नति के लिये विचार हेतु पात्रता जोन में आते हैं, किन्तु 13 कर्मचारियों को ही पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट ''ख'' में संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी हां। वरिष्ठ लिपिकों के खाली पदों को पदोन्नति से भरने हेतु दिनांक 21.3.06 को जिला स्थापना समिति की बैठक रखी गई थी, किन्तु कनिष्ठ लिपिकों के सेवाभिलेख पूर्ण नहीं होने एवं स्थाईकरण नहीं होने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका। माह अप्रेल, 06 में पुनः बैठक आयोजित की जाकर जिला स्थापना समिति के निर्णयानुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट ''क''

क्र.सं.	**नाम पंचायत समिति**	**वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पद**	**वरिष्ठ लिपिक के पद रिक्त होने का कारण**
1	रायपुर	1	सेवा निवृत्ति होने के कारण
2	सोजत	2	सेवा निवृत्ति होने के कारण
3	रानी	1	सेवा निवृत्ति होने के कारण
4	मारवाड़ जंक्शन	1	सेवा निवृत्ति होने के कारण
5	रोहट	1	सेवा निवृत्ति होने के कारण
6	पाली	2	सेवा निवृत्ति होने के कारण
7	बाली	2	सेवा निवृत्ति होने के कारण
8	सुमरपुर	1	सेवा निवृत्ति होने के कारण
9	जैतारण	1	सेवा निवृत्ति होने के कारण
10	देसूरी	1	सेवा निवृत्ति होने के कारण
	योग	**13**	

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	शैक्षणिक योग्यता	जाति	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रतिनियुक्ति तिथि	कार्यरत स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री शंकर लाल वर्मा	सैकण्डरी	एस.सी.	11.7.56	11.5.81	11.5.81	रोहट
2.	श्री दिनोश नारायण	एम.ए.	ओबीसी	18.10.62	15.7.81	15.7.81	जि.प. पाली
3.	श्री सम्पतराज	बीए	ओबीसी	15.10.60	30.10.82	30.10.82	सुमेरपुर
4.	श्री गोविन्दराम	प्रथमा	सामान्य	3.2.49	10.10.75	10.10.85	बाली
5.	श्री चिमनाराम	मध्यमा	एस.सी.	10.8.48	20.5.77	18.10.85	देसूरी
6.	श्री मनोज कुमार	हा. सैक.	सामान्य	14.6.65	11.3.87	11.8.87	पाली
7.	श्री भंवर सिंह	हा.सै.	ओबीसी	24.7.57	22.5.81	22.5.88	जैतारण
8.	श्री आनन्द सिंह	हा.सै.	सामान्य	9.8.63	1.11.88	1.11.88	रायपुर
9.	श्री प्रदीप कुमार	एमए	सामान्य	1.7.71	24.11.88	24.11.88	सोजत
10.	श्री धनश्याम शर्मा	सैकण्डरी	सामान्य	7.3.63	6.4.89	6.4.89	पाली
11.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	हा.सै.	सामान्य	30.7.70	15.12.89	15.12.89	देसूरी
12.	श्री मुबारक अली	हा.सै.	अ.संख्यक	21.1.66	4.9.84	2.1.90	देसूरी
13.	श्री भंवर सिह	हा.सै.	सामान्य	50.10.68	26.6.90	26.6.90	बीईईओ मा. जक्शन

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	श्री मेधसिंह	सेकण्डरी	ओबीसी	1.7.62	29.8.90	29.8.90	रायपुर
15.	श्री सुमेरसिंह	सेकण्डरी	ओबीसी	1.1.61	6.12.90	6.12.90	रोहट
16.	श्री प्रतापराम	सेकण्डरी	ओबीसी	5.9.61	11.1.91	11.1.91	सुमरपुर
17.	श्री हवन्त कुमार	हा.से.	सामान्य	20.9.65	27.1.96	27.1.96	जिप पाली
18.	श्री भैरू सिंह	सेकण्डरी	सामान्य	2.1.53	20.8.95	20.8.95	सोजत
19.	श्री रणजीतसिंह	बीकाम	सामान्य	10.10.69	24.3.95	24.8.95	सोजत
20.	श्री मुकेश गर्ग	सी.सै.	सामान्य	15.4.74	19.6.96	19.6.96	मा. जक्शन
21.	श्री श्रवण सिंह	सी.सै.	सामान्य	1.1.77	29.11.96	29.11.96	सोजत
22.	श्री ललित कुमार	एमस	सामान्य	18.7.74	8.10.97	8.10.97	पाली
23.	श्रीमती मधुबाला	एमस	ओबीसी	19.10.76	7.10.97	7.10.97	जिप पाली
24.	श्री जालम सिंह	बीकाम	सामान्य	30.7.64	8.10.97	8.10.97	मा. जक्शन
25.	श्री भरत कुमार	हा.सै.	सामान्य	29.10.65	13.10.97	13.10.97	रायपुर
26.	श्री हाजी मोहम्मद	बीकाम	ओबीसी	15.6.74	6.10.97	6.10.97	जिप पाली
27.	श्री वासुदेव	बीएससी	ओबीसी	10.5.72	6.10.87	6.10.97	पाली
28..	श्री चैनाराम	बीए	एस.सी.	10.10.72	6.10.97	6.10.97	रानी
29.	श्री जगदीश प्रसाद	हा.सै.	ओबीसी	2.6.69	12.2.90	4.11.2000	जैतारण
30.	श्री अशोक कुमार	बीए	-	20.1.74	1.12.92	14.11.2000	बाली
31.	श्री महेन्द्र सिंह	बीएससी	सामान्य	1.8.67	1.5.92	1.9.2001	रानी

पंचायत समितियों में ग्रामीण वन क्षेत्र विकास हेतु पदस्थापित वनकर्मी

732. **श्री जितेन्द्र सिंह** (अलवर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्रामीण वन क्षेत्र के विकास के लिये प्रत्येक पंचायत समिति में वन विभाग के कर्मचारी नियुक्त हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला मुख्यालय पर एक पद सहायक वन संरक्षक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या ये कर्मचारी/अधिकारी उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं? सरकार द्वारा इस पर कितनी राशि व्यय की जा रही है? क्या सरकार इनको पुन: पैतृक विभाग में वापिस भेजने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्रामीण वन क्षेत्र के विकास के लिये जिला जालौर की 7 पंचायत समितियों को छोड़कर राज्य की शेष समस्त पंचायत समितियों में वन विभाग के कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी हां। जिला मुख्यालय पर 15 जिलों में एक सहायक वन संरक्षक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं एवं 17 जिलों में पदस्थापन/कार्यग्रहण नहीं किये जाने से पद रिक्त हैं। उक्त कर्मचारी/अधिकारी उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं एवं इस पर प्रतिवर्ष 24772955 राशि व्यय की जा रही है।

जी नहीं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण व चरागाहों से संबंधित कार्य इनसे करवाया जा रहा है।

भीलवाड़ा जिले में पदस्थापित पंचायत सचिव

733. **श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में कितनी पंचायतों पर पंचायत सचिव एक से अधिक पंचायतों का कार्य भार सम्भाले हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत पर अलग-'अलग सचिव लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 24 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव एक से अधिक पंचायतों का चार्ज लिये हुये हैं। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्त एवं कार्मिक विभाग से आवश्यक सहमति मिलने पर रिक्त पदों को नियमानुसार भरा जावेगा।

परिशिष्ट ''अ''

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम सेवक का नाम जिसके पास एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार है	ग्राम पंचायतों के नाम
1	2	3	4
1.	माण्डल	श्री कजोड़मल गुर्जर	शिवपुर, सेणुन्दा
2.	माण्डल	श्री बनवारी लाल	गोरख्या, चिताम्बा
3.	माण्डल	श्री लादूसिंह सिसोदिया	चिलेश्वर, दहीमथा
4.	माण्डल	श्री पवन कुमार माण्डोवरा	भगवानपुरा, बावडी
5.	शाहपुरा	श्री जगन्नाथ सिंह	बछखेडा, माताजी का खेड़ा
6.	शाहपुरा	श्री नाहर सिंह	कनेछनकला, कनेछन खुर्द
7.	आसीन्द	श्री सीताराम शर्मा	कटारा, बोरेला
8.	आसीन्द	श्री राजेन्द्र सिंह पुरावत	बदनौर, भोजपुरा
9.	बनेडा	श्री सूर्यवीर सिंह	वरण, सालरियाकलां
10.	जहाजपुर	श्री समर्थ सिंह	बागुदार, टिटोडी
11.	जहाजपुर	श्री रतनशंकर शर्मा	गांगीथला, धुवाला
12.	जहाजपुर	श्री रामनारायण मीणा	टीकड, गाडोली
13.	जहाजपुर	श्री राधाकृष्ण वर्मा	बेई, किशनगढ़
14.	सुवाणा	श्री दिनेश भील	सांगवा, दरीबा
15.	सुवाणा	श्री महावीर प्रसाद	रामपुरिया, दुडिया
16.	सुवाणा	श्री भेरूलाल धोबी	गुन्दली, सैथुरिया

1	2	3	4
17.	सुवाणा	श्री पारसमल कुमावत	भोपालगढ़, रूपाहेली
18.	सुवाणा	श्री युगलकिशोर शर्मा	रीछडा, देवली
19.	सुवाणा	श्री रमेश पाण्डे द्वितीय	भोली, पीपली
20.	सुवाणा	श्री मोहम्मद अली	आटूण, स्वरूपगंज
21.	सहाड़ा	श्री अयूब खां	चिंडखेडा, आमली
22.	सहाड़ा	श्री महेशचंद तिवाड़ी	सालेरा, कांगणी
23.	माण्डलगढ़	श्री लादूलाल सोनी	राजगढ़, थलकलां
24.	माण्डलगढ़	श्री सत्यनारायण सिंह	जालिन्द्री, मालकाखेड़ा

फतेहपुर तहसील क्षेत्र के अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य

734. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की फतेहपुर तहसील क्षेत्र में किन-किन गांवों में कितनी-कितनी प्रतिशत अकाल की स्थिति है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के अकाल प्रभावित किस-किस गांव में क्या-क्या राहत कार्य कब से स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रथम पखवाड़े में किस-किस गांव में किस-किस कार्य पर कितने-कितने श्रमिकों को काम पर लगाया गया? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या तहसील क्षेत्र फतेहपुर के अकाल प्रभावित गांवों में पशुओं के लिए चारा डिपो खोले गये हैं? यदि हां, तो गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब चारा डिपों खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि 75 प्रतिशत से कम खराबा के गांवों में अभी तक राहत कार्य शुरू नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार इन गांवों में राहत कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के समस्त ग्राम अकाल प्रभावित हैं। सूची संलग्न है। परिशिष्ट ''अ''

(2) अकाल प्रभावित गांवों में स्वीकृत राहत कार्यों का विवरण संलग्न है। परिशिष्ट-''ब''

(3) प्रथम पखवाड़े में कार्यवार लगाये गये श्रमिकों की सूची संलग्न है। परिशिष्ट ''स''

(4) तहसील क्षेत्र फतेहपुर के अकाल प्रभावित गांवों में अभी तक चारा डिपो नहीं खोले गये हैं। क्योंकि चारे की उपलब्धता को देखते हुए माह अप्रेल, 2006 में चारा डिपो खोला जाना प्रस्तावित है।

(5) 75 प्रतिशत से कम खराबा वाले गांवों में माह फरवरी, 2006 से राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

(सूची/विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में अकाल राहत कार्यों का बकाया भुगतान

735. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में अकाल राहत कार्य का वर्ष 2003 से 2005, तक भुगतान बकाया है? यदि हां, तो कहां-कहां का? अब उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटड़ा में वर्ष 2001 से 2005 तक अकाल राहत में गेहूं के पेटे भुगतान करने का मजदूरों का भुगतान बाकी है? यदि हां, तो कहां-कहां का? अब भुगतान कब तक करा दिया जायेगा तथा भुगतान में देरी होने की जिम्मेदारी किसकी थी?

(3) पंचायत समिति कोटड़ा में वर्ष 2003 से 2005 तक अकाल राहत कार्यों में किस-किस स्थान की शिकायत प्राप्त हुई एवं इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में अकाल राहत कार्य 2003 से 2005 तक का कोई भुगतान शेष नहीं है।

(2) पंचायत समिति कोटड़ा में वर्ष 2001 से 2005 तक अकाल राहत से सम्बन्धित कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(3) पंचायत समिति कोटड़ा में अकाल सम्वत 2059 के अन्तर्गत गांव कुकावास की एक शिकायत प्राप्त हुई। जिसकी नियमानुसार जांच की जाकर सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।

नागौर जिले में निजी बस सेवा का संचालन

736. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को नये मार्गों की ओर चलाने के लिए मार्ग चिन्हित किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले से सटे हुये जिलों में रोडवेज की बसें अपर्याप्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नये मार्गों को चिन्हित कर इन मार्गों पर नई बसें चलाने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्ग चिन्हित किए गए? कितने समय में उक्त मार्गों पर निगम बसों का संचालन कर दिया जावेगा?

(3) क्या सरकार ऐसे मार्गों पर जहां निगम की बसें नहीं चलती वहां निजी बसों के साथ समझौता करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य शासन द्वारा नागौर जिले के एक मार्ग मेडता-बावडी मार्ग का राष्ट्रीयकरण माह फरवरी, 2005 में किया गया था, जिस पर निगम द्वारा दिनांक 10.3.2005 से बस सेवा का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। नागौर जिले से निम्न जिले सटे हुए हैं :-

बीकानेर, अजमेर, सीकर, जोधपुर, चूरू, पाली।

उक्त सभी जिलों में परिवहन निगम के आगार स्थापित हैं जहां से उपलब्ध हो रहे यात्री भार के अनुसार पर्याप्त बस सेवायें संचालित हैं।

(3) जिन मार्गों पर राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन नहीं

(यातायात मंत्री)

किया जाता, उन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 104 के अन्तर्गत निजी बस मालिकों को अस्थायी परमिट दिये जाने का प्रावधान है।

जयपुर-परबतसर मार्ग पर संचालित नाकारा बसें

737. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से परबतसर-मकराना-बोरावड़ हेतु निगम की बसें संचालित की जाती हैं? यदि हां, तो आगारवार समयतालिका सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निश्चित समयावधि पश्चात निगम की बसों को नाकारा घोषित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर संचालित बसें नाकारा की श्रेणी में आने के पश्चात भी चल रही हैं? यदि नहीं, तो संचालित बसों का विवरण मय निर्माण समय के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सायं 5.15 बजे रवाना होने वाली जयपुर परबतसर बस को अधिकारियों की मनमर्जी से मनचाही अनुसार बन्द कर दिया जाता है? यदि नहीं, तो गत दो वर्षों का दैनिक विवरण मय बस निर्धारित मार्ग पर नहीं भेजे जाने के कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर से परबतसर व जयपुर से मकराना मार्गों पर ही निगम की सीधी बसें संचालित की जाती हैं आगारवार समय तालिका परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

जयपुर से बोरावड़ के लिये पृथक से कोई सीधी बस सेवा संचालित नहीं है।

(2) जी हां। निगम में बसों को नाकारा करने हेतु निगम मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत सात वर्ष या छः लाख कि.मी. जो भी पहले हो संचालन का निर्णय लिया हुआ है मगर चैसिस की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने तथा विशेष पथ कर में बढ़ोत्तरी, निगम की वित्तीय कठिनाइयों के कारण आदेश संख्या 1358 दिनांक 22.3.2002 के अनुरुप निगम वाहनों को नाकारा करने का निर्णय लिया जाता है। प्रति परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(यातायात मंत्री)

(3) प्रश्न के खण्ड ''2'' के अनुसार ही निर्धारित प्रक्रियानुसार वाहनों को नाकारा किया जाता हैं। निगम द्वारा किसी मार्ग के लिये बस विशेष का संचालन निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु आगार में उपलब्ध वाहन बेडे से ही सभी मार्गों पर बसों का संचालन किया जाता है।

(4) जी नहीं। गत दो वर्षों में जयपुर से परबतसर मार्ग की उक्त बस सेवा का संचालन निम्नानुसार निरस्त रहा है :-

वर्ष	
2004	7 मार्च, 25 जून, 25 व 26 अगस्त, 13 नवम्बर, 9 दिसमबर-कुल 6 दिन
2005	26 मार्च, 27 अप्रेल, 12 मई 14 व 15 अगस्त-कुल 5 दिन

इस बस सेवा का निरस्त रहने के मुख्य कारण निम्न रहे हैं :-

1. माह मार्च में धुलण्डी के कारण
2. 15 अगस्त पर राज्य सरकार को वाहन उपलब्ध कराने एवं डिग्गी मेले के दौरान पद यात्रियों को लाने ले जाने
3. वाहन में यांत्रिक खराबी आने के कारण

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिवहन आयुक्त कार्यालय के सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षकों के पेंशन व ग्रेचुएटी प्रकरण

738. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 अप्रैल, 2000 से मार्च 2001 तक परिवहन आयुक्त कार्यालय में कौन-कौन से कार्यालय अधीक्षक सेवानिवृत हुए? इनमें से किन-किन के सेवानिवृत्ति पेंशन व ग्रेच्युटी के प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है तथा किन-किन का शेष है और क्यों?

(2) राजस्थान सी.सी.ए. रूल्स के अंतर्गत लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही सेवानिवृत्ति के कितने समय में कर कर्मचारी को पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाना चाहिये?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में सेवानिवृत्त हुए कुछ

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

कार्यालय अधीक्षकों को सेवानिवृत्त होने के 5 साल बाद भी पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान अनुशासनिक कार्यवाही की आड में अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को व क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त कार्यालय अधीक्षकों को हो रही आर्थिक परेशानी को ध्यान में रखकर इनके मामले में पेंशन व ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान यथा शीघ्र कराने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 1.4.2000 से मार्च 2001 तक परिवहन आयुक्त कार्यालय में निम्न कार्यालय अधीक्षक सेवानिवृत्त हुए थे :-

1.	श्री रामदास	दिनांक 28.2.01
2.	श्री हरिराम छतवानी	दिनांक 31.3.01

इनमें से श्री रामदास, कार्यालय अधीक्षक की सेवानिवृत्ति पेंशन, ग्रेच्युटी का निस्तारण किया जा चुका है। श्री हरीराम छतवानी के विरूद्ध सी.सी.ए नियम 16 की जांच तथा राज्य अन्वेषण ब्यूरों में प्राथमिकी दर्ज होने के कारण इनको प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति कर दी गयी है। ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार ग्रेच्युटी का भुगतान देय नहीं है।

(2) इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है।

(3) इस मामले में श्री हरिराम छतवानी, एवं अन्य के विरूद्ध जांच में जांच अधिकारी की रिपोर्ट दिसम्बर, 05 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि इन प्रकरणों में राज्य अन्वेषण ब्यूरो में 30 प्राथमिकी दर्ज थी तथा इनमें से 24 प्राथमिकी का निस्तारण किया जा चुका है। 6 प्राथमिकी का निस्तारण बकाया है। ब्यूरो के बकाया प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही सम्पन्न होते ही इनकी विचाराधीन विभागीय जांच का निस्तारण कर अंतिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जावेगा।

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज बकाया 6 प्राथमिकी का निस्तारण होने के पश्चात विभागीय जांच का निस्तारण कर अंतिम पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान नियमानुसार कर दिया जावेगा।

खैरवाड़ा की बंद निगम बस सेवाओं का पुनर्संचालन

739. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नानालाल अहारी)

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में डूंगरपुर से झांसरी व डूंगरपुर से बावलवाड़ा वाया सोम से कोटड़ा कितनी रोडवेज बसें संचालित हैं एवं कितनी बसें बन्द हैं?

(2) क्या सरकार बन्द बसों को पुनः चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) डूंगरपुर से झांसरी एवं डूंगरपुर से बावलवाड़ा वाया सोम से कोटड़ा मार्ग पर निगम की कोई बस सेवा संचालित नहीं है।

(2) उल्लिखित मार्गों पर निगम द्वारा पूर्व से ही वाहन संचालन नहीं किया जा रहा है।

पंचायतों के निर्माण कार्यों का कार्य मूल्यांकन, उपयोगिता व समापन प्रमाण-पत्र

740. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन और रूपांकन रेखांक तैयार करने, स्थल पर अभिन्यास देने, सन्निर्माण संकर्मों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने और माप पुस्तक में भौतिक तथ्यों की प्रविष्टि के पश्चात् समय पर भुगतान की व्यवस्था करने के लिए पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता उत्तरदायी हैं?

(2) क्या कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ऐसे प्रत्येक निर्माण कार्य का कुर्सीस्तर, छतस्तर और पूर्ण होने पर संकर्म का स्थल निरीक्षण किया जाता है?

(3) क्या यह सही है कि संकर्मों के किस्तों के संदाय के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र यथा समय पर जारी करने का कर्तव्य कनिष्ठ अभियन्ता का है?

(4) क्या यह सही है कि पंचायतों द्वारा पूर्ण कराये गये अनेक निर्माण कार्यों का अभियन्ता यथा समय न तो माप पुस्तिका में प्रविष्टि करते हैं और न ही कार्य समापन प्रमाण-पत्र जारी करते हैं जिससे ऐसी पंचायतों को न तो समय पर बकाया किस्तें मिलती हैं और न ही इन राशियों का समायोजन हो पाता है ऐसी स्थिति में क्या संबंधित अभियन्ता को उत्तरदायी कर, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक?

(श्री बाबूलाल नागर)

(5) क्या यह सही है कि ऐसी स्थिति में सरकार बेरोजगार/सेवानिवृत्त अभियन्ताओं से कार्य मूल्यांकन करने के बाद, पंचायती राज सशक्तिकरण के क्रम में वार्ड सभा को 1.00 लाख ग्राम पंचायत को 1.50 लाख तथा ग्राम सभा को 2.00 लाख रुपये तक लागत के निर्माण कार्यों का कार्य-मूल्यांकन, उपयोगिता एवं समापन प्रमाण-पत्र जारी करने के अधिकार देने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 346 के तहत कनिष्ठ अभियंता इन कार्यों हेतु उत्तरदायी है।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रत्येक निर्माण कार्य का समय-समय पर संकर्म का स्थल निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

(3) जी हां, पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 346 (16) अनुसार उपयोग प्रमाण–पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व कनिष्ठ अभियंता का है।

(4) जी नहीं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर दोषी अभियंता के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(5) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्रीडूंगरगढ़ तहसील (बीकानेर) में गरीबी उन्मूलन कार्यों से वंचित ग्राम

741. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू में गत दो वर्षों में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? इस कार्यक्रम के तहत करवाये गये गरीबी उन्मूलन के कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील श्रीडूंगरगढ़ में गत दो वर्षों में गरीबी उन्मूलन कार्य केवल उरमूल ट्रस्ट द्वारा ही करवाये गये हैं? यदि हां, तो ग्रामवार कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील श्रीडूंगरगढ़ के अधिकतर गांव गरीबी उन्मूलन योजना से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो वंचित गांवों की

(श्री मंगलाराम गोदारा)

सूची सदन की मेज पर रखें? क्या सरकार इन वंचित गांवों में गरीबी उन्मूलन योजना के कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। चूरू जिले में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा नहीं, बल्कि चूरू जिले में जुलाई 2000 से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

उक्त परियोजना के तहत करवाये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। तहसील श्रीडूंगरगढ़ में गत दो वर्षों में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत उरमूल ट्रस्ट द्वारा कार्य नहीं करवाये गये हैं, बल्कि उरमूल डेयरी बीकानेर द्वारा कार्य करवाये जा रहे हैं।

(3) श्रीडूंगरगढ़ तहसील का जिला चूरू से बीकानेर जिले में सम्मिलित हो जाने के कारण वहां के सभी गांवों को परियोजना से लाभान्वित नहीं किया गया है। इस योजना से वंचित गांवों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। इन वंचित गांवों में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना की क्रियान्विति पर विचार किया जा रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

जिला चूरू में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डीपीआईपी) के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	कार्यों की संख्या
1	ढ़ाचागत	797
2	गलीचा	16
3	कुण्ड बागवानी	33
4	कशीदाकारी	18
5	सिलाई	103
6	मुर्गी पालन	6

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	कार्यों की संख्या
7	कुआं निर्माण	3
8	बकरी पालन	178
9	फर्नीचर	1
10	सेनीटेशन	286
11	डेयरी	338
12	निवार बुनाई	1
13	आयरन उद्योग	1
14	साबुन उद्योग	1
15	बुन्दी बन्धेज	15
16	मोमबती	1
17	टेन्ट हाउस	36
	योग	**1834**

परिशिष्ट-ब

श्री डूंगरगढ़ ब्लाक (बीकानेर) के 23 गांव डी.पी.आई.पी. योजना से नहीं जोड़ा गया है, जिनकी सूची निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम ग्राम	क्र.सं.	नाम ग्राम
1	हेमासर	12	सरखू
2	रेवाड़ा	13	राणासर
3	उदासर चारणान	14	केउनई
4	धोलिया	15	सोनियासर गोदारान
5	लादडिया	16	सोनियासर भौम
6	बासी मारनोत	17	भोजास
7	मिगसरिया	18	मेरूसरी
8	ईदपालसर शाखलान	19	गजपुरा
9	ईदपालसर राईकान	20	धिरदेसर चोटियान
10	दुसारणा पिपा राईका	21	ईन्दपालसर
11	जाखासर भौम सिंह	22	सुरजवासी
		23	पुनरासर

रायपुर ग्राम पंचायत (सवाईमाधोपुर) में स्वीकृत इन्दिरा आवास निर्माण प्रकरण

742. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत रायपुर तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में दिनांक 1 जनवरी, 2001 से अब तक कितने इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत रायपुर में की गई इंदिरा आवास स्वीकृति में से अब तक कितने लोगों ने निर्माण कर लिये एवं कितनों ने नहीं एवं कितने लोगों को इसका भुगतान, कर दिया गया तथा कितने लोगों को भुगतान करना शेष रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत रायपुर तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में 1 जनवरी, 2001 से अब तक 13 इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं।

(2) ग्राम पंचायत रायपुर में 7 लाभार्थियों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं 6 लाभार्थियों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

7 लाभार्थियों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, एवं 6 लाभार्थियों का भुगतान शेष है। इन्दिरा आवास स्वीकृत निर्मित एवं भुगतान का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

ग्राम पंचायत रायपुर (जिला-सवाईमाधोपुर) के इन्दिरा आवासों की सूची
वर्ष 2000-2001 से 2005-06 तक

क्र. सं.	नाम लाभार्थी मय पिता/पति	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	देय राशि		बकाया भुगतान	कार्य की स्थिति
				नकद	गेहूं क्विंटल में		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नारायणी/परभाती जाटव	2000-01	20000/-	20000/-	-	-	पूर्ण
2.	शिवदेई/रमन जाटव	2001-02	20000/-	20000/-	-	-	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	चिरोंजी/भगतसिंह	2001-02	20000/-	17500/-	-	-	कार्य पूर्ण, शौचालय नहीं बनाया।
4.	गुड्डी/रमेश गूजर	2002-03	20000/-	10000/-	21.73	-	पूर्ण
5.	माया/साहब सिंह	2002-03	20000/-	10000/-	10.87	5000/-	अपूर्ण
6.	महेशी/रामू जाटव	2002-03	20000/-	10000/-	10.87	5000/-	अपूर्ण
7.	मुन्नी/रहमत तेली	2003-04	20000/-	10000/-	21.74	-	पूर्ण
8.	विजयवती/श्याम लाल	2003-04	20000/-	10000/-	21.74	-	पूर्ण
9.	धर्मो/छुट्टन माली	2003-04	20000/-	20000/-	-	-	पूर्ण
10.	भागवती/बदनसिंह जाट	2004-05	25000/-	20000/-	-	5000/-	प्रगति पर
11.	चिरोंजी/बनेसिंह	2004-05	25000/-	20000/-	-	5000/-	प्रगति पर
12.	घनश्याम सिंह/ पपैया सिंह राजपूत	2005-06	25000/-	17000/-	-	8000/-	प्रगति पर
13.	मीनादेवी/राम बाबू	1005-06	25000/-	12500/-	-	12500/-	प्रगति पर

चन्द्राई ग्राम पंचायत (लाडनूं) में जलग्रहण योजना का बकाया भुगतान

743. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चन्द्राई (लाडनूं) जिला नागौर ने जलग्रहण योजनान्तर्गत 1 जुलाई, 2004 से 31 जुलाई 2004 तक ग्राम झरडिया में पौध लगवाई व पौधों को पानी पिलाई आदि का कार्य करवाया गया जिसका भुगतान दिनांक 5 नवम्बर, 2004 को रोकड़ बही से बाउचर संख्या 15 के द्वारा उठा लिया गया? यदि हां, तो उक्त मस्टररोल की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मस्टररोल में लगे मजदूरों को भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या यह सही है कि इस राशि का संबंधित मजदूरों को भुगतान नहीं करके गबन किया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा और इस बाबत सरकार द्वारा किस-किसके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केश बुक व मस्टररोल की छायाप्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) रिकार्ड के अनुसार मस्टररोल में दर्ज श्रमिकों के भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर नहीं है। इस सम्बन्ध में सरपंच, ग्राम पंचायत चन्द्राई से प्राप्त शिकायत क्रमांक 5/2 दिनांक 27.09.2005 के मध्येनजर परियोजना अधिकारी (भू संसाधन) से जांच करवाई गई। जांच निष्कर्ष में बाउचर संख्या 15 के द्वारा उठाये गये भुगतान को संदिग्ध माना है।

(3) परियोजना अधिकारी भू संसाधन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में गबन का अंदेशा जाहिर किये जाने पर लेखाधिकारी, जिला परिषद, नागौर को सम्पूर्ण रिकार्ड की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये आदेशित किया गया है। रिकार्ड की जांच लेखाधिकारी द्वारा किये जाने पर यदि कोई गबन का मामला पाया जाता है तो सम्बन्धित सरपंच एवं ग्राम सेवक के विरुद्ध गबन मामला पुलिस थाने में दर्ज करवाकर राशि की वसूली की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17 मार्च, 2006)

सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा के प्रबन्धन द्वारा मजदूरों की छंटनी

314. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माह अक्टूबर 2005 को तथा विभिन्न अवसरों पर कोटा स्थित सेमकोर ग्लास फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा प्रदर्शन कर जिला कलक्टर कोटा एवं अन्य को ज्ञापन दिया गया है? यदि हां, तो किस बाबत तथा कब-कब? ज्ञापन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्योग द्वारा मजदूरों एवं अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्यों तथा किस कारण? कर्मचारियों को दिये गये नोटिस एवं आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या?

(4) उक्त उद्योग के श्रमिकों तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(5) क्या वर्तमान में भी उद्योग के प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के बीच विवाद है? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में तथा इसका निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा दिनांक 11.11.05 को एक ज्ञापन जिला कलक्टर, कोटा को प्रस्तुत किया गया था। ज्ञापन में प्रबन्धकों द्वारा 146 श्रमिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने एवं एक सप्ताह में एक दिन उपस्थिति दर्ज करने का विरोध किया गया है। ज्ञापन की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। श्वेत एवं श्याम पिक्चर टयूब की मांग कम हो जाने के कारण संस्थान द्वारा उसका उतपादन बन्द कर दिया गया, जिसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के तहत प्रबंधकों द्वारा अपने दो विभागों को बन्द करने का नोटिस राज्य सरकार को 27.1.06 दिया गया। कर्मचारियों को कोई नोटिस नहीं दिया।

(3) जी हां। प्रबन्धकों द्वारा संस्थान के दो विभागों को बंद करने की स्वीकृति हेतु आवेदन औ. वि. अधि. के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया। प्राप्त आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनकर तथ्यों का परीक्षण कर आदेश दिनांक 22.03.06 द्वारा संस्थान के दोनों विभागों को बंद करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(4) जी हां। श्रमिक तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये संस्थान के दोनों विभागों को बंद किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है। अब राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(5) जी हां। संस्थान के दो विभागों के बन्द होने से प्रभावित श्रमिकों के नियोजन को लेकर प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के मध्य विवाद था, जिसका निराकरण संस्थान के दोनों विभागों को बंद किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाकर किया जा चुका है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या- 328 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	नाम विभाग	योजना का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	स्वीकृति की दिनांक
1	भारत संचार निगम लि.	दूरभाष केन्द्र, सपोटरा के मोबाईल टावर हेतु वन भूमि के अनारक्षण प्रस्ताव	0.446	16.06.05
2	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पैकेजस-2 डब्ल्यू.एस. 2 के अन्तर्गत जिला अजमेर के वनखण्ड माखपुरा में एसआर 7 से अलवर गेट चौराहे तक 1000 एमएम बिछाने हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन	0.084	13.07.05
3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	अजमेर शहर में उच्च जलाशय एवं पाइप लाइन स्थापित करने हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन	0.6	10.01.06

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री विजयनगर में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील श्री विजय नगर में 28 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन यहां 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन नहीं है। श्री विजय नगर को राजियासर ग्रिड से जोड़ा हुआ है जो वहां से 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। आंधी तूफान व खराब मौसम होने पर लाइनों में फाल्ट आ जाता है व क्षेत्र के काश्तकारों को असुविधा का सामना करना पड़ता है लम्बी दूरी से लाइन होने के कारण वोल्टेज में भी उतार चढ़ाव आता है। जिससे किसानों की ट्यूबवैल मोटरें तक जल जाती हैं तथा अन्य उपकरण भी जल जाते हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि शीघ्र इस ओर ध्यान देकर 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन की स्थापना श्री विजय नगर तहसील में कराने की कृपा करें।

धन्यवाद।

अशोक नागपाल

(सूरतगढ़)

गीजगढ़ कृषि उपज मण्डी सब यार्ड में सरसों क्रय केन्द्र खोले जाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सिकराय विधान सभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। जिले में कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है यहां पर जिले की 30 प्रतिशत से अधिक सरसों का उत्पादन होता है तथा इसकी गुणवत्ता भी उच्च क्वालिटी की होती है किन्तु खेद है कि इसकी अलग से कृषि उपज मण्डी नहीं होने की वजह से सरसों का खरीद केन्द्र नहीं है जिससे काश्तकार बांदीकुई/दौसा की मण्डियों में औने-पौने भावों में मजबूरीवश अपनी उपज बेच देते हैं। सिकराय क्षेत्र की जमीन में कम से कम 6 क्विंटल प्रति बीघा की पैदावार होती है परन्तु कृषि उपज मण्डी बांदीकुई में काश्तकारों से 3

क्विंटल प्रति हैक्टेर के हिसाब से ली जा रही है। जिसे काश्तकार शेष उपज को व्यापारियों के हाथों मजबूरन कम दामों में बेचना पड़ता है। अभी तक बांदीकुई कृषि उपज मण्डी में सिकराय के काश्तकारों की मात्र 25 प्रतिशत ही सरसों खरीदने की व्यवस्था की जा रही है। जिससे काश्तकारों में भयंकर रोष व्याप्त हो रहा है।

अतः मैं इस क्षेत्र के काश्तकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सिकराय क्षेत्र हेतु गीजगढ़ गौड मण्डी यार्ड में सरसों के क्रय केन्द्र खोलकर क्षेत्र के किसानों को अविलम्ब राहत प्रदान करने हेतु मैं मा. सहकारिता कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

रामकिशोर मीणा

(सिकराय)

बाली के ग्राम पंचायत मुख्यालय बेड़ा में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित कराये जाने हेतु

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बाली में क्रमशः (1) 33 के.वी. जी.एस.एस. बीजापुर, (2) 33 के.वी. जी.एस.एस. बेड़ा, (3) 33 के.वी. जी.एस.एस. नाना व (4) 33 के.वी. जी.एस.एस. बलवना से बाली क्षेत्र के लगभग 60-65 गांवों के हजारों विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई दिये जाने की व्यवस्था है। इन चारों 33 के.वी. जी.एस.एस. को सुमेरपुर 132 के.वी. जी.एस.एस. से विद्युत सप्लाई दी जाने की व्यवस्था है। सुमेरपुर अपने आप में लगभग 50,000 से भी ज्यादा घनी आबादी का कस्बा है। जहां बड़ी संख्या में संचालित औद्योगिक इकाईयों, कृषि, घरेलू, वाणिज्यिक उपभोक्ता वर्ग में विद्युत की भारी खपत सुमेरपुर में ही हो जाती है। ऐसे हालात में मेरे विधानसभा क्षेत्र के चारों 33 के.वी. जी.एस.एस. क्रमशः बीजापुर, बेड़ा नाना व बलवना को इस 132 के.वी. जी.एस.एस. से पर्याप्त विद्युत सप्लाई नहीं मिल पा रही है, परिणामस्वरूप आये दिन बिना पूर्व सूचना के में उक्त चारों 33 के.वी. जी.एस.एस. से जुडे गांव-ढ़ाणी कस्बों में विद्युत कटौती कर ली जाती है। इससे मेरे क्षेत्र के सभी वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं में घोर असन्तोष व्याप्त है। अतः उक्त समस्या के

स्थायी समाधान हेतु मेरे विधानसभा क्षेत्र बाली के पंचायत मुख्यालय बेडा में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना करवाने की कृपा करावें।

पुष्पेन्द्र सिंह राणावत

(बाली)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर सिंधी कालोनियों के नियमन करने के संदर्भ में

महोदय,

चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में चार-पांच कालोनियां ऐसी है जिनको बसे 10-15 साल हो चुके हैं। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर स्थित कालोनियों के नियमन नहीं करने से कालोनीवासी आज भी मूलभूत सुविधायें जैसे सड़क, पानी आदि से वंचित हैं।

महोदय, आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उक्त कालोनियों में नियमन शिविर लगाकर कालोनियों को नियमन करने का श्रम करें ताकि निवासियों को मूलभूत सुविधायें मिल सकें।

धन्यवाद।

रामलाल शर्मा

(चौमूं)

भगीणा (झुंझुनूं) के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कापियां खरीद में अनियमितता

महोदय,

जिला झुंझुनूं के ग्राम भगीणा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए डी.पी.ई.पी. के माध्यम से कापियों की खरीद में हुई अनियमितता से विद्यार्थियों का अहित हुआ है। इस प्रकरण में नरेन्द्र जनरल स्टोर चिड़ावा से मात्र 7 हजार रुपये की कापियों की खरीद की गई परन्तु उसे माह दिसम्बर, 05 में चैक द्वारा 8 हजार 8 सौ 90 रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाकर एक हजार आठ सौ नब्बे रुपये का गबन किया गया।

ग्राम भगीणा के निवासियों में प्रधानाध्यापक के इस कृत्य से उनके प्रति अत्यन्त रोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की

ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चाहूंगा कि इस प्रकरण की तुरन्त जांच कर दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्रवण कुमार

(पिलानी)

पशु शिविरों में पशुओं की संख्या बढ़ाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बाड़मेर, जैसलमेर तथा बीकानेर जिले इस बार जबरदस्त अकाल की चपेट में है। ये तीनों जिले पशु बाहुल्य है तथा इस बार पशुपालकों के लिये चारे का बहुत बड़ा संकट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी तथा अकाल राहत मंत्री जी डा. किरोड़ी लाल जी मीणा का आभार व्यक्त करता हूं कि उक्त तीनों जिलों के लिये पशु शिविर 7500 की संख्या में प्रारम्भ किये है जिनसे पिछली साल की तरह पशुधन का संरक्षण प्रारम्भ हो गया है। लेकिन इन तीनों ही जिलों में पशुधन की संख्या लाखों में तथा पिछली बार हमारी लोकप्रिय सरकार ने 3.50 लाख पशु धन का संरक्षण पशु शिविरों तथा गौशालाओं के माध्यम से हुआ था। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार ने पशु शिविरों एवं गौशालाओं में बड़ं पशुओं के लिये प्रति पशु अनुदान राशि 12 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये तथा छोटे पशु 9 रुपये बढ़ाकर रुपये करके पशुधन को बचाने का सराहनीय कार्य किया है।

मेरा सरकार से निवेदन करता हूं कि अप्रेल के प्रथम सप्ताह में जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर जिलों में उतनी संख्या के पशु शिविर स्वीकृत करे जितने पिछले वर्ष 2 अप्रैल, 2005 के प्रथम सप्ताह में थे ताकि गरीब पशुपालकों के पशुधन को बचाया जा सके। जो चारा डिपो स्वीकृत हुये उनमें से कई डिपों चालू नहीं हो पाये उसका एक प्रमुख कारण चारे की ट्रकों में लदान की सीमा नो टन से बढ़ाई जावे तथा चारे के उनायात पर लगी रोक दो जिलों में श्री गंगानगर एंव हनुमानगढ़ पर से बाड़मेर एवं जैसलमेर के लिये हटाई जावे जिससे सस्ती दर पर चारा उपलब्ध हो सके ताकि पशु शिविरों के माध्यम से पशु शिविरों का संचालन अच्छी तरीके से हो सके।

सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिछले वर्ष अकाल में सामग्री के पेटे

50 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो इस बार बजट में नहीं रखा गया है अतः इस बार कम से कम 50 करोड़ रुपये का सामग्री पेटे प्रावधान करे ताकि ग्रेवल सड़क एवं परिसम्पत्तियों का निर्माण हो सके।

डा. जालम सिंह रावलोत

(शिव)

अजमेर जिले की गहराती जल समस्या के सम्बन्ध में

महोदय,

राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अजमेर की पेयजल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर में अनियमित पानी की सप्लाई रोजमर्रा की बात हो गई है तथा आए दिन बीसलपुर की पाइप लाइन टूटना जिले की नियति बन गई है। ऐसे में केवल अजमेर शहर ही नहीं अपितु जिले के अधिकांश गांव व कस्बे पेयजल की दिक्कत भुगतते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी तो गर्मी ने आगाज ही किया है जिस पर यह स्थिति है तो भीषण गर्मी में क्या हाल होगा अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो पेयजल की समस्या कानून व्यवस्था के लिये सबसे बड़ा सिरदर्द होगी।

अध्यक्ष महोदय एक तो पेयजल की कमी, अनियमित सप्लाई और ऊपर से बीसलपुर के पानी को अजमेर के अलावा अन्य जिलों को देना इससे जिले की जनता भयभीत व आंदोलित हैं क्योंकि अजमेर जिले ने पानी के लिये लाठिया खाई हैं खून बहाया है जिसको याद कर ही नागरिक सिहर उठते हैं। अध्यक्ष महोदय जिस बीसलपुर का निर्माण ही अजमेर के लिए हुआ और इसमें पानी होने पर भी पानी नहीं मिलना यह विभागीय अकर्मण्यता के सिवा और क्या हैं? अतः सरकार से निवेदन है कि बीसलपुर द्वितीय फेज का पैसा तत्काल देवे ताकि काम को गति मिल सके साथ ही पैरा फेरी गांवों के लिए जो पेयजल स्कीम स्वीकृत की गई वो अभी टेण्डर की स्टेज में भी नहीं आई हैं उसको गति दी जाये तथा तबीजी भांवता पेयजल स्कीम जिसके टेण्डर भी हो चुके का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बीसलपुर का पानी आपको यों ही जगह-जगह बांटना है तो चम्बल का पानी अजमेर लाया जाये ताकि पेयजल का स्थाई समाधान हो सके हम अजमेरवासी अभी भी इस पीडा

को भूले नहीं हैं कि पेयजल के अभाव ने ही हमसे राजधानी का हक छीना अन्यथा अजमेर राज्य का जब राजस्थान में मर्जर हुआ था तब राजधानी अजमेर हो यह चर्चा चली थी। यहां मैं यह भी चर्चा करना चाहूंगा कि पुष्कर के केन्द्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रोजेक्ट जो 333 लाख का है की राशि मिलने के बाद भी अब तक पानी पुष्कर नहीं पहुंच सका जिससे शुद्ध पेयजल की किल्लत के साथ ही सरोवर का जल स्तर भी कम हो रहा है। सरकार तत्काल ध्यान दे ताकि क्षेत्र के लोग शुद्ध पानी पी सकें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती

(पुष्कर)

जयपुर स्थित निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस

महोदय,

सरकार का ध्यान जयपुर शहर में चल रही निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। जयपुर शहर में निजी स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह बढ रहे हैं क्योंकि राजकीय स्कूल जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से कम पड़ रहे हैं इसका फायदा निजी शिक्षण संस्था उठा रहे है। शहर में निजी स्कूल कितने चल रहे हैं? किस स्तर के हैं? माध्यम हिन्दी है या अंग्रेजी? आज के सूचना के अधिकार के जमाने में भी इसकी सूचना आम जनता को नहीं दी जाती है। यह कटुसत्य है कि सरकार आज तक इन निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूल की जाने वाली फीस, ड्रेस तथा विकास शुल्क के नाम पर कोई अंकुश नहीं लगा पाई है। कितनी भी सरकारें आयें तथा जायें किसी में इतनी इच्छाशक्ति नहीं की निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम एक सी ड्रेस, एक निश्चित फीस तथा निश्चित प्रवेश एवं विकास शुल्क तक हो। लेकिन आम आदमी अपने बच्चों के भविष्य को संवारने पर स्वयं बर्बाद होता जा रहा है। प्रबुद्ध नागरिकों ने कई बार जस्टिस तिवाड़ी कमेटी को लागू करने के लिए आन्दोलन किया किन्तु सरकार के कान में आज तक जूं नहीं रेंगी। जयपुर शहर में तो हालत यह हो गई है कि निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्ताधर्ता आज आर्थिक रूप से इतने सम्पन्न हो चुके हैं कि राज्य सरकार ही नहीं केन्द्र सरकारों को दबाव की राजनीति से आदर्श शिक्षा नीति लागू नहीं करने दी जा रही है। जयपुर शहर की हालत तो इतनी दयनीय हो गई है कि मध्यम वर्ग का आम आदमी इन निजी स्कूलों के द्वारा वसूल की जा रही फीस के बोझ तले मरा जा रहा है। लालकोठी जयपुर क्षेत्र में संजय पब्लिक स्कूल द्वारा

शैक्षणिक वर्ष अर्थात जुलाई से जून तक प्रतिवर्ष शुल्क एवं विकास शुल्क लिया जा रहा है। पूरे 12 माह की फीस वसूल की जा रही है। जबकि मई एवं जून 2 माह ना तो स्कूल खुलती हैं और ना ही कोई शैक्षणिक गतिविधि स्कूल द्वारा की जा रही है। इस स्कूल में कार्यरत स्टाफ को वेतन भी स्कूल के नियमानुसार नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों को मई जून माह का वेतन नहीं दिया जाता है। वेतन कम दिया जाता है जबकि हस्ताक्षर अधिक राशि पर कराये जाते हैं। किसी भी निष्पक्ष सरकारी एजेन्सी द्वारा जयपुर शहर की करीबन सभी स्कूलों की जांच कराई जाये तो यही स्थिति सामने आयेगी। मेरा सरकार के माध्यम से यह निवेदन है कि इस जनहित के मुद्दे पर आवश्यक कार्यवाही कर निजी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण करने की कृपा करें।

हीरालाल मीणा

(सवाईमाधोपुर)

फुलेरा की विभिन्न गौशालाओं के विकास व विस्तार के संबंध में

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर, भोजपुरा, बधाल व अन्य स्थानों पर सरकारी सहायता से विभिन्न गौशाला समितियों द्वारा गौशालाएं संचालित हैं। इन गौशालाओं में अधिकांश में क्षमता से अधिक गायें हैं। इन गौशालाओं में चारा, पानी, चिकित्सा का अभाव बना हुआ है। इन गौशालाओं के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पर्याप्त अनुदान नहीं दिया जा रहा है और जो अनुदान दिया जा रहा है वह भी समय पर जारी नहीं होने से गौशाला समितियों के सामने गौशालाओं के संचालन में कठिनाई आ रही है।

उक्त गौशालाओं में चारे, पानी व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों एवं गौशाला प्रबंधकों एवं गौरक्षकों में असंतोष एवं आक्रोश पनप रहा है। कई स्थानों पर आमजन द्वारा रास्ता जाम कर सड़कों पर उतरने की नौबत पैदा हो गई है, जो कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है।

उक्त क्षेत्र की बधाल गौशाला में जनसहयोग से प्रबंधकों ने काफी विकास किया है। पिछले बजट में उनको अनुदान स्वीकृत किया गया था, किन्तु प्रशासनिक लापरवाही के कारण स्वीकृत राशि अभी तक इन गौशाला संस्थाओं को नहीं दी गई है जिसके कारण बधाल में किसानों व आम नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है।

इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि एमपी लैड का पैसा गौशालाओं के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलए लैड) से गौशालाओं को राशि स्वीकृत करना योजना के नोर्म्स में नहीं है। अतः मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि एमएलए लैड से भी गौशालाओं को राशि स्वीकृत करने का प्रावधान योजना के मानदण्डों में शामिल करें।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में स्थित गौशालाओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था की जाए। पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवैल व टंकी बनवायी जाए। साथ ही चिकित्सा की भी समुचित व्यवस्था की जाए और जो अनुदान राशि जारी नहीं की गई है वह अविलम्ब जारी की जाए।

नवरतन राजोरिया

(फुलेरा)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में डेयरी साइन्स/फूड टेक्नालाजी कालेज (फैकल्टी) स्थापित किये जाने हेतु

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश का उत्तर-पश्चिमी भाग मरू क्षेत्रीय है इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूल रूप से पशुधन एवं पशु उत्पादों पर आधारित है। प्रदेश में विश्वविख्यात नस्लें, जैसे गाय की राठी, थारपारकर आदि इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। दूध एवं दूध उत्पादों में इस क्षेत्र का विशेष स्थान हैं। अतः पशुधन उत्पाद आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लिए Dairy Science/Food Technology (Faculty) College खुलवाये जाने की परमावश्यकता है। इस प्रकार का संस्थान/महाविद्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के एक अंग (Faculty) रूप में विकसित होकर इस अभाव को पूरा कर सकेगा।

मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि राज्य में जब एक ही कृषि विश्वविद्यालय (राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय) बीकानेर में स्थापित था तब Dairy Science/ College (Faculty) इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। सन् 2000 में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप उक्त Faculty उदयपुर विश्वविद्यालय

के अधीन हो गई तभी से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में Dairy Science/ Food Technology (Faculty) College की कमी महसूस की जाने लगी।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन का ध्यान पुनः आकर्षित कर निवेदन है कि इस क्षेत्र के कृषि/पशु स्नातक एवं अधि स्नातक युवाओं को जीवन यापन एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से एवं प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र के डेयरी उत्पादों पर आधारित उद्योग/व्यवसाय की अभिवृद्धि हेतु राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत Dairy Science/ Food Technology College (Faculty) स्थापित किये जाने की कृपा करें। जिसके लिये पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है एवं पूरक के रूप में पशुधन से सम्बन्धित महाविद्यालय (Faculty) भी बीकानेर में है।

आदर सहित।

डा. सुरेश चौधरी

(भादरा)

लूणकरणसर क्रय विक्रय समिति शाखा, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने बाबत

महोदय,

श्री डूंगरगढ़ तहसील की क्षेत्र की जनता के लिए आबंटित गेहूं को लूणकरणसर क्रय विक्रय समिति शाखा श्रीडूंगरगढ़ द्वारा खुले बाजारों में विक्रय करते जिला रसद कार्यालय बीकानेर एवं पुलिस प्रशासन द्वारा बीकानेर के करनीसर रोड पर एक बाडे में गेहूं का भरा ट्रक खाली होते पकड़ा गया वहां पर गेहूं की मात्रा 675 कट्टे वजनी लगभग 332 सरेआम पकड़ा गया है जिसका सम्पूर्ण विवरण समाचार पत्रों में जैसे दैनिक भास्कर, बीकानेर, राजस्थान पत्रिका बीकानेर, दिनांक 23.3.06 एवं 24.3.06 में विवरण सहित दर्ज है।

जबकि यह समस्त गेहूं एफ.सी.आई. बीकानेर से लूणकरणसर क्रय विक्रय सहकारी समिति शाखा श्रीडूंगरगढ़ को जारी किये गये थे। जारी किये गेहूं में से एक ट्रक गेहूं आर जे 07-जी-0004 को तो मौके पर ही रंगे हाथों भरे हुए गेहूं को खाली होते उसी बाड़े में पकड़ा गया। करीबन दो साल से डूंगरगढ़ क्षेत्र के लिए यहां संस्था वितरण का कार्य कर रही है। पूर्व में भी इसी संस्था के खिलाफ वितरण में शिकायतें होती रही हैं।

चूंकि श्रीडूंगरगढ़ शाखा का प्रधान इस घोटाले में संलिप्त है अतः

समिति का लाईसेन्स तुरन्त प्रभाव से निरस्त करके समिति एवं शाखा प्रधान के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर निष्पक्ष जांच करवाई जावें। समिति का कार्य एफ.सी.आई. गोदाम बीकानेर से गेहूं उठाकर सभी डीलरों (राशन विक्रेताओं) के गोदाम तक पहुंचाने की सीधी जिम्मेदारी है।

अतः रास्तें में इन राशन गेहूं का खुर्द बुर्द किये जाने में इस समिति का सीधा हाथ है। समिति के समस्त कार्यकलापों एवं गोदामों की जांच की जावे।

ऐसा सुनने में आ रहा है कि समिति के शाखा प्रधान द्वारा सीज किये गये गेहूं के बदले में उस दिन जारी एफ.सी.आई. गेहूं को अन्यत्र से प्राप्त करके डीलरों को पहुंचाया जा रहा है।

अब सम्पूर्ण अधिकारी एवं डी.एस.ओ. आफिस अधिकारी मामले को रफा दफा करने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः शीघ्र ही जांच पूरी करवाई जावे।

मंगलाराम गोदारा

(डूंगरगढ़)

राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय गंज अजमेर विद्यालय भवन अधिग्रहण के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय स्थान गंज के नाम से शिक्षा विभाग ने अधीन पर सेठ भागचन्द सोनी के किराये के भवन में सन 1960 से कार्यरत है एवं इसके अतिरिक्त दो प्राईमरी स्कूल भी इसी भवन में चल रहे हैं। इस विद्यालय का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :-

1. यह विद्यालय सन् 1947 में प्राथमिक शाखा के रूप में नगर परिषद अजमेर द्वारा मलीन खानों देहली गेट के रूप में प्रारम्भ हुआ।
2. सन 1956 में शिक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहण हुआ।
3. सन 1957 में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।
4. सन 1960 में यह विद्यालय वर्तमान भवन में स्थानान्तरित किया गया।

5. 20.7.1977 को यह विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया।
6. 3.2.1984 से इस विद्यालय का नाम देहली गेट अजमेर से नाम परिवर्तित कर रा. सु. मा. वि. गंज अजमेर रखा गया।
7. इस विद्यालय द्वारा किराया प्रति माह 412 माह जुलाई 2004 तक भुगतान किया जा चुका है।
8. सिविल वाद सरकार बनाम निर्मल चन्द सोनी वाद संख्या नं. 274.02 सिविल के निर्णय दिनांक 6.8.04 अनुसार विद्यालय का किराया प्रतिमाह रुपये 25,000 किया जाना तय हुआ है।
9. इस उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध चुनौती देने हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने आदेश क्र.सं. 10199 दिनांक 27.9.04 जिलाधीश (डीके) अजमेर को अपील प्रेषित की गयी है।

आपसे मेरा आग्रह है कि इस विद्यालय में आसपास रहने वाले परिवारों के लगभग 500 बच्चे अध्ययनरत हैं।

ये बच्चे अधिकारी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है, जो कि गरीब अवस्था में हैं व इसी गरीबी के कारण सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा कर अध्ययन लाभ ले रहे हैं। यह तो आप मानते ही होंगे कि बढ़ा हुआ किराया न तो इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक दे सकते हैं और न ही यह इस विद्यालय के बलबूते की बात है। एक बार तो जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर को भी इस निर्णय ने संकट में डाल दिया है।

अतः उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुये मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इस विद्यालय में अनुसूचित जाति के बच्चे अध्ययनरत हैं अतः उनके हितों को देखते हुए राज्य सरकार इस विद्यालय भवन को अधिग्रहण करे ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों को हम स्थानीय स्तर पर शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा सकें। इस बाबत मैं मा. शिक्षा मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी।

अनिता भदेल

(अजमेर पूर्व)